' नवम माला, खंड 8, अंक 4

शुक्रवार, 10 अगस्त, 1990
19 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

सप्तम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 4, शुक्रवार, 10 अगस्त, 1990/19 श्रावण, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 61, 62, 64 और 66 से 68	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—214
तारांकित प्रश्न संख्या : 63, 65 और 69 से 80	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 705 से 716, 718 से 728, 730 से 740, 742 से 750, 752 से 795 797 से 823, 825 से 837, 839 से 841, 843 से 848, 850 से 900 और 902 से 937	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	214—219
प्राक्कलन समिति	219
दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन-प्रस्तुत	
सभा का कार्य	219—220
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	220—227
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों का आन्दोलन	
श्रीमती गीता मुखर्जी	220, 223, 226
श्री रशीद मसूद	220—223
प्रो० यदुनाथ पांडेय	226—227
नियम 377 के अधीन मामले	227—230
(एक) केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कॉफी उत्पादकों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाए जाने की मांग	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	227—228

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(दो)	केरल के क्विलोन शहर में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 47 के उप-मार्ग का निर्माण किए जाने की मांग	
	श्री एस० कृष्ण कुमार	228
(तीन)	उड़ीसा की अनुसुपा झील से गाद निकाले जाने की मांग	
	श्री गोपी नाथ गजपति	228–229
(चार)	महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के अनेक जिलों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निर्माण किए जाने की मांग	
	डा० वेंकटेश काबडे	229
(पांच)	देश में विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न संगठनों के साथ कड़ाई से निपटाने की मांग	
	श्री जनार्दन तिवारी	229
(छः)	पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए जाने की मांग	
	श्री सनत कुमार मंडल	229–230
(सात)	समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने की मांग	
	श्री अनादि चरण दास	230
नियम 193 के अधीन चर्चा		230—249
	देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर निरन्तर हो रहे अत्याचार	
	कुमारी मायावती	230—236
	श्री आर० एन० राकेश	237—239
	श्री सत्य नारायण जटिया	239—242
	श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	242—244
	श्री राम जी लाल सुमन	244—249
	श्री अमर राय प्रधान	249
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		250
	सातवां प्रतिवेदन-स्वीकृत	

विषय		पृष्ठ
विधेयक पुर:स्थापित		
(एक)	संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 23 क, 23 ख तथा 23 ग का अंत: स्थापना) श्रीमती वासव राजेश्वरी	250
(दो)	संविधान (संशोधन) विधेयक (दसवीं अनुसूची में संशोधन) श्रीमती वासव राजेश्वरी	250
(तीन)	आयुर्विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा की नि:शुल्क व्यवस्था विधेयक श्रीमती वासव राजेश्वरी	251
(चार)	चिकित्सक तथा अभियन्ता (विदेश प्रवास पर पाबन्दी लगाना) विधेयक श्रीमती वासव राजेश्वरी	251
(पांच)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 341 और 342 में संशोधन) श्री राम लाल राही	352
(छ:)	सिविल सेवकों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयक श्री के० राममूर्ति	252
(सात)	भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नए अध्याय 5 ख का अन्त:स्थापन) श्री के० राममूर्ति	252
(आठ)	संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 48 ख आदि का अंत: स्थापना) श्री के० राममूर्ति	253
(नौ)	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 8 आदि में संशोधन) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	253
(दस)	पर्यावरण संरक्षण परिषद विधेयक श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	253
(ग्यारह)	फसल बीमा विधेयक श्री बाला साहिब विखे पाटिल	254

विषय		पृष्ठ
(बारह)	लोक हित अभियोग विधेयक	
	डा० पी० वल्लल पेडमान	254
(तेरह)	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (कल्याण संघों को मान्यता)	
	डा० पी० वल्लल पेडमान	255
(चौदह)	वृद्धावस्था पेंशन और पुनर्वास विधेयक	
	श्री बाला साहिब विखे पाटिल	255
(पन्द्रह)	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक (धारा 3 आदि के स्थान पर नई धारा का प्रति स्थापन)	
	श्री बाला साहिब विखे पाटिल	255
(सोलह)	समाचार पत्र में उत्तर प्रकाशित कराने का अधिकार विधेयक	
	श्री वी० एन० गाडगिल	256
(सत्रह)	मृत्यु दंड उत्सादन विधेयक	
	श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	256
(अठारह)	सामाजिक नि:शक्तताओं का निवारण विधेयक	
	श्री काशीराम राणा	257
(उन्नीस)	अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक	
	श्री काशीराम राणा	257
(बीस)	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 376 में संशोधन)	
	श्री काशीराम राणा	257
(इक्कीस)	आतंकवाद के पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक	
	प्रो० के० वी० थामस	258
(बाईस)	मुम्बई उच्च न्यायालय (कोल्हापुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
	श्री उदय सिंह राव गायकवाड़	258
(तेईस)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 370 का लोप)	
	श्री काशीराम राणा	259

विषय	पृष्ठ
(चौबीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रति स्थापना) श्री सत्य गोपाल मिश्र	259
(पच्चीस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन) श्री के० एस० राव	256
(छब्बीस) धर्म-स्वातंत्र्य विधेयक श्री यादवेन्द्र दत्त	260
(सत्ताईस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 29 आदि में संशोधन) श्री सुधीर गिरि	260
(अट्ठाईस) वास्तुविद (संशोधन) विधेयक (धारा 25 में संशोधन) श्री हरीश रावत	260
(उनतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 335 में संशोधन) श्री हरीश रावत	261
(तीस) रोजगार उपलब्ध कराना विधेयक प्रो० महादेव शिवनकर	261
(इकतीस) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक (धारा 2 आदि में संशोधन) प्रो० महादेव शिवनकर	262
(बत्तीस) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक प्रो० महादेव शिवनकर	262
(तैंतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 31 में अंत: स्थापन) प्रो० महादेव शिवनकर	263

(पैंतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 311 में संशोधन)
श्री चित्त बसु 263
(पैंतीस) आवश्यक सेवा (निरसन) विधेयक
श्री चित्त बसु 263
(सैंतीस) किसान और कृषि कर्मकार लाभ निधि विधेयक
श्री तेज नारायण सिंह 264
(अड़तीस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 48 आदि में संशोधन)
श्री गुमान मल लोढा 264
(अड़तीस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(आठवीं अनुसूची में संशोधन)
श्री गुमान मल लोढा 265
(उनतालीस) वास्तुविद (संशोधन) विधेयक
(धारा 25 में संशोधन)
श्री पी० आर० कुमारमंगलम 292—293
(चालीस) विवाहों पर व्यय में कमी करना विधेयक
श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट 293
(इकतालीस) आय की अधिकतम सीमा विधेयक
श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट 293
(बयालीस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 124 आदि में संशोधन)
श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट 294
(तैंतालीस) बाल कल्याण विधेयक
श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट 294
युवा विधेयक 265—290
विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री तेज नारायण सिंह 265—267
श्री मान्धाता सिंह 267—272

विषय	पृष्ठ
श्री जगपाल सिंह	272—273
श्री राम कृष्ण यादव	273—274
श्री एम० एस० पाल	274—275
श्री के० एस० राव	275—277
श्री सन्तोष कुमार गंगवार	277—278
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	278—279
श्री चिमन भाई मेहता	279—288
श्री हम्मान मोल्लाह	288—290
अनाज बोर्ड विधेयक	290—292
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यादवेन्द्र दत्त	290—292

लोक सभा

शुक्रवार, 10 अगस्त, 1990/19 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने स्थगन प्रस्ताव के अलावा प्रश्न काल स्थगित करने के लिए भी नोटिस दिया है क्योंकि मैं कश्मीर घाटी से आया हूं और मैंने वहां पर मृत्यु और विध्वंस की स्थिति देखी है। मैंने अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा निर्दोष लोगों को मारते हुए देखा है। विशेष क्षेत्र अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है। मैं चाहता हूं कि संसद कश्मीर के लोगों के प्रति इस कर्तव्य को पूरा करे··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज कश्मीर के बारे में बहस है। आप भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : संसदीय प्रतिनिधि मण्डल वहां नहीं गया है···

[हिन्दी]

मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूं। मैं खुद देख कर आया हूं, वही बता रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेहरबानी करके आप तशरीफ रखिए। आज कश्मीर के बारे में बहस है, आप बहस में हिस्सा ले सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमने वहां के गवर्नर को बताया कि डिस्टर्ब्ड एक्स के बाद स्पेशल पावर्स जो मिलेंगी··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक अनुभवी सांसद हैं तथा एक वरिष्ठ संसद सदस्य हैं। आप संसद सदस्यों को प्रश्न काल के लाभ से क्यों वंचित रखना चाहते हैं···

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : गृह मन्त्री का कर्तव्य है कि वह यहां हों (व्यवधान) आप प्रश्न काल को निलंबित क्यों नहीं कर रहे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल निलम्बित नहीं कर सकता । आप प्रश्न काल के दौरान अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं । यह सदस्यों का विशेषाधिकार है···

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मैं श्री सोज तथा आपसे भी यह अपील करता हूं कि उन्हें 12 बजे, सबसे पहला मुद्दा उठाने दें ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

स्टर्लिंग पाउंड और रुपए का तुलनात्मक मूल्य

[हिन्दी]

*61 **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जुलाई, 1990 को भारतीय रुपए का अवमूल्यन करने के बाद पाउंड का खरीद और बिक्री मूल्य क्रमश: 30.06 रुपए और 31.44 रुपए निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो रुपए के इस अवमूल्यन के क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय रुपए के इस अवमूल्यन के कारण कितनी वार्षिक हानि होने की संभावना है तथा विदेशों से किए जाने वाले व्यापार पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) वर्ष 1985 के बाद रुपए का अवमूल्यन कितनी बार, किस-किस तारीख को और कितना-कितना हुआ तथा प्रत्येक बार हुए अवमूल्यन के क्या परिणाम रहे ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते हैं ।

(घ) रुपए की विनिमय दर मुद्राओं की डाली के मूल्य के संदर्भ में, मुख्यत: उन देशों की मुद्राओं के संदर्भ में, जो भारत के प्रमुख व्यापार भागीदार हैं, निर्धारित की जाती हैं । घटती-बढ़ती विनिमय-विनिमय दरों के युग में रुपए के मूल्य में उतार-चढ़ाव जो इन मुद्राओं में घट-बढ़ पर निर्भर करता है एक सामान्य बात है । वर्ष 1985-86 से 1988-89 की अवधि के दौरान रुपया पाउंड समता दर में किए गए समायोजन की संख्या निम्नानुसार है :—

1985-86	156
1986-87	148
1987-88	140
1988-89	200

रुपया पाउंड समता दर में किए गए समयोजनों की संख्या को देखते हुए, प्रत्येक समायोजन के परिणाम का मूल्यांकन करना कठिन है ।

प्रो० यदुनाथ पांडेय : अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है

वर्ष 1930-31 से 1984-85 तक लगातार स्टर्लिंग पौंड की कीमत में ह्रास हुआ था और इस कारण रुपये के अवमूल्यन पर कठोर नियंत्रण था। यदि हां तो विदेशी ऋण के भुगतान में रुपये के अवमूल्यन से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने एवं रुपये के अप्रैल 89 से लगातार अवमूल्यन को रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई दीर्घकालीन व्यवस्था की है और यदि हां तो उसका विवरण क्या है।

प्रो० मधु दंडवते : मान्यवर, जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, उसके सिलसिले में यह बताना चाहता हूं कि जो आंकड़े मैंने दिये हैं 1985 से लेकर 1988-89 तक यह सारे आंकड़े कितनी मर्तबा, किस प्रकार का तालमेल विभिन्न प्रकार की मुद्रा से किया जाए यह उसका ब्यौरा है और जैसा मैंने कहा कि अवमूल्यन नहीं है, डीवैल्यूऐशन नहीं है लेकिन सिर्फ एडजस्टमेंट है और उसका ब्यौरा देख लें 85-86 में 156 और 87-89 में 200 है। इतने बड़े पैमाने पर जब एडजस्टमेंट हुई है तो तालमेल करने का कारण यही है कि जब कम्पीटीटिव मार्किट में जो हमारा निर्यात होता है, उस पर बुरा असर होता है इसलिए सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। 85 से पहले का ब्यौरा मैंने नहीं दिया, अगर चाहते हो तो उसका ब्यौरा सभा-पटल पर रख दूंगा।

प्रो० यदुनाथ पांडेय : अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा बार-बार यह कहे जाने का क्या तात्पर्य है कि सरकार रुपये का अवमूल्यन रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि रुपये के अवमूल्यन के कारण विदेशी ऋण के भुगतान में बहुत अधिक कीमत अदा करने पर सरकार को बाध्य होना पड़ रहा है। क्या सरकार ने येन, मार्क, ब्रिटिश पौंड और यू० एस० डालर के क्रय एवं विक्रय मूल्य के पुनः निर्धारण हेतु संबंधित सरकारों के समक्ष उठाई है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है और रुपये के ह्रास के अवमूल्यन को कब तक दूर कर दिये जाने की संभावना है।

प्रो० मधु दंडवते : मान्यवर, हिन्दुस्तान की करन्सी एक करन्सी के साथ नहीं बल्कि पांच करंसी के साथ जुड़ी हुई है। यह बास्केट में जो विभिन्न करेंसियां हैं उनके एक्सचेंज रेट्स में विनिमय दरों में कुछ तब्दीली होती है। उसका असर हमारी करेन्सी पर होता है और विपरीत परिणाम होता है। यह करेन्सी सिर्फ हमारी वजह से नहीं, अन्तरराष्ट्रीय करेन्सी के अन्दर जो कुछ तब्दीली हो जाती है उसकी वजह से हमारे एक्सचेंज पर किसी प्रकार का विपरीत परिणाम न हो जाए इसलिए हमको कई प्रकार का एडजस्टमेंट करना पड़ता है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि 80 के दशक से पहले किए गए अवमूल्यन और वर्तमान अवमूल्यन से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? विदेश व्यापार या विदेशी मुद्रा के कोष अथवा किसी अन्य पहलू जिसके बारे में माननीय वित्त मन्त्री हमें बताना चाहें, इन पर किसी प्रभाव में वास्तव में क्या अन्तर है ?

प्रो० मधु दंडवते : जैसा कि मैंने पहले बताया है, वास्तव में मूल्यह्रास पर अवमूल्यन मूल्यह्रास ही है। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि जो आलोचना की जाती है वह आम आलोचना होती है। अवमूल्यन इसलिए नहीं होना चाहिए कि कुछ कमियों को छुपाया जाए और कुछ जोड़-तोड़ के परिणाम प्राप्त किए जाए। लेकिन जहां तक इन समायोजनों का सम्बन्ध है, अगर आप 156, 148, 140 तथा 200 इन संख्याओं पर गौर करें तो ये सब समायोजन इसलिए करने पड़े क्योंकि हम अपने निर्यात में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना चाहते थे और इसलिए समय-समय पर यह मामूली समायोजन करने पड़े क्योंकि हम हर मामले में 150 नहीं दे सकते। मैं यह नहीं कहता कि 150 या 200 कम है। मैं यह

यह रहा हूं कि जब ऐसे परिवर्तन 150 बार होते हैं तो ऐसी स्थिति में उतार चढ़ाव को देखते हुए ये परिवर्तन करते पड़ते हैं और हमें अपने निर्यात बाजार को प्रतियोगी बनाए रखना होता है और यही कारण है कि गत सरकारें तथा मौजूदा सरकार ये समायोजन करती रही है और मेरे विचार से अगर जरूरी हुआ तो भविष्य में भी ऐसा करना पड़ेगा, यह अनिवार्य हो जाएगा।

श्री अजीत कर्नाडीज : महोदय, पिछले दो वर्षों के दौरान हुए उतार-चढ़ाव से यह आभास होता है कि रुपये का मूल्य स्थिर नहीं है। लन्दन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूंजीपतियों के पक्ष वाला कोष है यह रुपये का अवमूल्यन अपेक्षाकृत अधिक करता है। इसके साथ ही रुपये का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मौजूदा स्थिति की तुलना में काफी बेहतर है। सम्भवत: सम्पूर्ण मुद्रा व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि यह वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत पर आधारित है। मैं नहीं समझता कि जितना रुपये को दिखाया जाता है इसका उतना कम मूल्य है यदि हम पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी क्षमता दिखला सकते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसा क्यों नहीं कर सकते ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां तक रुपये के मूल्य तथा इसमें परिवर्तन का सम्बन्ध है, रुपये के मूल्य में आन्तरिक तौर पर परिवर्तन हो सकता है तथा इसी प्रकार बाहरी परिवर्तन भी हो सकते हैं। जहां तक देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वे रुपये के मूल्य में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं और हम देखते हैं कि रुपये की क्रय क्षमता भी बदल रही है। लेकिन जैसाकि मैंने पहले कहा है, मैं पुन: कहता हूं कि हमारी मुद्रा पांच मुद्राओं से जुड़ी है और भारतीय स्थिति में विभिन्न बाहरी कारणों से जब इन मुद्राओं में कुछ आन्तरिक परिवर्तन होते हैं, मुद्राओं की दरों में परिवर्तन होते हैं तब हम इसके मुताबिक अपने बाजार तथा प्रतियोगी निर्यात को सुरक्षा करने के लिए कुछ समायोजन करने पर बाध्य हो जाते हैं और हमें ऐसा करना पड़ता है।

जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, इस समस्या पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं इससे सहमत हूं कि माननीय वित्त मन्त्री कुछ नहीं छुपा रहे लेकिन मेरे विचार से वह अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन में अपनी कठिनाईयों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें स्पष्टवादी होना चाहिए। अब 1988-89 में 200 परिवर्तन करने का मतलब है कि आप पाउंड की तुलना में रुपये का खरीद और बिक्री मूल्य वस्तुत: हर दूसरे दिन समायोजित करते रहे हैं। वित्त मन्त्री महोदय, आप हमें यह बताएं कि 1 अप्रैल, 1988, 1 अप्रैल, 1989 तथा 1 अप्रैल, 1990 को पाउंड की तुलना में रुपये की विनिमय दर क्या थी। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह तो जैसा कि आप दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, की तुलना में रुपये के मूल्य में मामूली गिरावट आई है अथवा यह गिरावट अत्यधिक है जैसा कि हमारा मानना है। मैं समझता हूं कि हमें यह मान लेना चाहिए कि पाउंड एक काफी मजबूत मुद्रा है। पाउंड की तुलना में भारतीय रुपया कमजोर मुद्रा है। भारतीय रुपया कमजोर हो गया है तथा आप द्वारा अपनाई जा रही नीतियों ने इसे और अधिक कमजोर कर दिया है। अगर आपका व्यापार घाटा अधिक है, विकास दर कम है, राजस्व घाटा अधिक है तो भारतीय रुपया और कमजोर होगा। आपका व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल है तथा इसमें और अधिक वृद्धि हो रही है, इससे रुपया और अधिक कमजोर होगा। यह स्वीकार करने में क्या नुकसान है कि भारतीय रुपया पाउंड की तुलना में कमजोर मुद्रा है ? हमें यह भी बताइए कि आप इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रहे हैं। हमने 200 परिवर्तन किए हैं और यह 1985-86 में 156 परिवर्तनों की

तुलना में मामूली हैं, इस शब्दाडम्बर का सहारा लेने की बजाय आप हमें ईमानदारीपूर्वक बताइए कि क्या रुपया पाउंड की तुलना में मजबूत हो रहा है अथवा कमजोर हो रहा है। यदि यह कमजोर हो रहा है तो आप इस संबंध में क्या कर रहे हैं ? हमें यह भी बताएं कि 1 अप्रैल, 1988, 1 अप्रैल, 1989 तथा 1 अप्रैल, 1990 को विनिमय दर क्या थी।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ छुपाने का प्रयास किया है। वास्तव में विद्यमान आंकड़ों तथा गत सरकार और मौजूदा सरकार द्वारा भी सभा को दिए गए आंकड़ों से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि पांच दुर्लभ मुद्राओं के समूह की तुलना में भारतीय मुद्रा, रुपया एक कमजोर मुद्रा है। इस तथ्य को नकारने में कोई समझदारी नहीं है इसलिए हम कहेंगे कि समय के साथ-साथ हम अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्ध सुधारने, व्यापार घाटा कम करने, भुगतान सन्तुलन की स्थिति सुधारने का प्रयास करेंगे और अर्थव्यवस्था पर ये सभी बाहरी तनाव तथा दबाव काफी हद तक कम हो जाएंगे। हम पर सुनिश्चित करेंगे कि हमारी मुद्रा जो अधिक मजबूत नहीं है, वह और मजबूत बने।

यदि माननीय सदस्य विनिमय दर की नवीनतम स्थिति जानना चाहते हैं तो विनिमय दर पाउंड स्टर्लिंग 32.55 रुपये, डालर 17.31 रुपये, डयूश मार्क 10.98 रुपये तथा येन 0.104 रुपये है ये नवीनतम आंकड़े 7 अगस्त, 1990 की स्थिति दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष जी, यदि रुपये डालर का समन्वय करें तो रुपये की कीमत बहुत तेजी के साथ घट रही है। जो ऑफिशियल फिगर्स दी जाती हैं और जहां पर असेसमेंट मुख्य मन्त्री महोदय करते हैं, उसमें अन-ऑफिशियल रेट 17.5 या 18 रु० डालर की कीमत बतायी जाती है और जबकि अन-आफिशियल डीलिंग 22 रु० हो रही है। कहने का मतलब है कि रुपये की कीमत बहुत गिरी हुई है। इस तरह से जो नकली काम करके रुपये की कीमत टिकाये हुए हैं, क्यों नहीं हम रुपये को डिवैल्यू करें, इसमें हमें क्या नुकसान है और क्यों हम डर्टी करते हैं ? जनता गवर्नमेंट के समय में रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ है जिसका जनता पर असर गलत होगा। इसलिए यदि जरूरत है तो बोल्ड स्टैप्स लीजिये, उसको डिवैल्यू करिये जिससे लेन-देन में नेशनल एकानामी को और लॉस न हो, यह मैं पूछना चाहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं समझता हूं कि इस तरह से रुपये का अवमूल्यन करना आसान बात नहीं है। जैसाकि माननीय सदस्य श्री चिदम्बरम जी ने कहा, वही एक तरीका अच्छा है। हमारा रेट आफ ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ--ये तीनों सब अच्छे तरीके से हैं और मैं समझता हूं हमें इनकी ओर ही ज्यादा जाना चाहिये। जहां तक एडजस्टमेंट है, एक तरह से वह तो डिवैल्यूएशन ही है। जितना एडजस्टमेंट पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, वह एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ही है। तो मैं समझता हूं कि वह तो हम लोग कर ही रहे हैं लेकिन आपने जो रास्ता बताया है कि हम बड़े पैमाने पर डिवैल्यू करें, तो यह सॉफ्ट आप्शन अच्छी आप्शन नहीं है, यही मैं बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर और भाषण हल्के फुल्के रोचक होते हैं परन्तु वे सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय अभी बता रहे थे कि वे विनिमय दर में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए विभिन्न देशों से बातचीत करेंगे। अब तक उन्हें यह बात महसूस हो जानी चाहिए कि उनकी प्रतिभा और भाषणों अथवा समझौतों अथवा अभिव्यक्तियों

अथवा भाषा से विनिमय दर में सहायता नहीं मिलेगी परन्तु देश में उपलब्ध किए गए धन के द्वारा विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए का मूल्य निर्धारित होगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे स्वयं सरकार के उस कर ढांचे अथवा विभिन्न नीतियों से सन्तुष्ट हैं, जो उन्होंने भारतीय नागरिकों, चाहे वे साधारण नागरिक हो, आम आदमी हो, व्यापारी हो, अथवा विभिन्न व्यवसायों में लगा व्यक्ति जिस काम करने, अर्जन करने और पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराने के वास्ते प्रेरित करने के लिए पिछले बजट में निर्धारित की थी जिससे कि देश में अनेक बार होने वाले इस प्रकार के उतार चढ़ाव से बचा जा सके। क्या उनके पास कोई क्रान्तिकारी तरीका अथवा कोई क्रान्तिकारी धारणा है जिसे वे यदि पिछले बजट में प्रस्तुत नहीं कर सके, तो कम से कम इसे आगामी बजट में प्रस्तुत करेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, यदि आप प्रश्न को पढ़ें, तो पायेंगे कि प्रश्न स्टर्लिंग-पाउंड की तुलना में रुपए के मूल्य से सम्बन्धित है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव करता हूं कि यह प्रश्न पूछे गए प्रश्न की सीमा से पूरी तरह बाहर है।

अध्यक्ष महोदय : वे प्रश्न इसलिए पूछे रहे हैं क्योंकि आप उसका उत्तर देंगे।

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु महोदय, क्योंकि आपने उन्हें प्रश्न पूछने से रोका नहीं है इसलिए मैं मानता हूं कि आपने भी प्रश्न पूछने की स्वीकृति दी है, और उस सभी के लिए मैं कहूंगा कि यदि आप प्रश्न के दायरे को बढ़ाना चाहते है और कर ढांचे के संबंध में पूछना चाहते हैं कि हम देश में घाटे को किस प्रकार कम करेंगे, भुगतान सन्तुलन आदि की स्थिति को किस प्रकार ठीक किया जायेगा। मैं नहीं समझता कि यह सही दायरा है जिस पर हम चर्चा कर सकें। परन्तुश्री चिदम्बरम के प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार है कि इस समस्या का समाधान करने और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें अच्छे संसाधन प्राप्त करने, सम्बन्ध सुधारने और अनुकूल भुगतान सन्तुलन बनाने के प्रयास करने चाहिए। (व्यवधान)

श्री बी० एन० गाडगिल : मुख्य मन्त्री श्री बीजू पटनायक के 'रुपए को मुक्त बनाये जाने के' प्रस्ताव के सम्बन्ध में हम माननीय वित्त मन्त्री की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं समझता हूं कि श्री बीजू पटनायक ने अधिक सोच विचार किए बिना ही अपना मत प्रकट किया था और मैं इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब देश में इतने अधिक वित्तीय असंतुलन अधिक घाटे की वर्तमान स्थिति, अर्थव्यवस्था में मुद्रा-स्फीति का दबाव और हमारे व्यापार संबंधों में असन्तुलन है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम मुद्रा का परिचालन और विनिमय करने का प्रयास करते है, तो मैं समझता हूं कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी और मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं। (व्यवधान)

आयकर के छापों में आभूषण जब्त करना

[अनुवाद]

*62. **श्री हरिन पाठक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों को किन परिस्थितियों में छापों के दौरान आभूषण जब्त करने का अधिकार है;

(ख) क्या एक लाख रुपये से कम मूल्य के आभूषणों को हिन्दू महिला का "स्त्रीधन" माना जाता है और आयकर अधिकारी इन्हें नहीं ले जा सकते;

(ग) क्या आयकर अधिकारी छापों के दौरान ऐसे आभूषण ले जा सकते हैं जिनके सम्बन्ध में धन कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारित हो चुका हो और धनकर अदा किया गया हो; और

(घ) यदि हां, तो जिन आभूषणों पर धनकर अदा किया गया हो और जिन पर धनकर अदा न किया गया हो उनके बीच क्या अन्तर है ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आयकर अधिनियम की धारा 132 (1) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा 132 (1) के अधीन ली गई तलाशियों के परिणामस्वरूप बरामद हुए किसी भी ऐसे धन, सोना-चांदी, जेवर-जवाहिरात अथवा अन्य मूल्यवान वस्तु अथवा सामान को अभिगृहीत कर सकता है, जो या तो पूर्णतया अथवा अंशतया ऐसी आय अथवा सम्पत्ति हो, जिसे भारतीय आयकर अधिनियम के प्रयोजनार्थ घोषित नहीं किया गया है अथवा घोषित नहीं किया जाएगा । धनकर अधिनियम की धारा 37-क के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी तलाशी के परिणामस्वरूप बरामद हुए किसी भी ऐसे धन, सोना-चांदी, जेवर-जवाहिरात अथवा अन्य मूल्यवान वस्तु अथवा सामान को अभिगृहीत कर सकता है जो ज्ञात परिसम्पत्तियों के अनुपात से मेल नहीं खाते हों तथा जिनके ब्यौरे धनकर अधिनियम के अधीन की जाने वाली किन्हीं कार्यवाहियों के लिए लाभदायक हों अथवा ऐसी कार्यवाहियों से संगत हों ।

आयकर अधिनियम तथा धनकर अधिनियम एक लाख रुपये से कम के मूल्य के जेवर-जवाहिरात को अभिगृहीत करने से वर्जित नहीं करता है यदि जेवर-जवाहिरात की आय को आयकर अधिनियम के अधीन घोषित नहीं किया गया हो तथा यदि वे जेवर-जवाहिरात ज्ञात परिसम्पत्तियों के अनुपात से मेल नहीं खाते हों तथा उनके ब्यौरे धनकर अधिनियम के अधीन की जाने वाली किन्हीं कार्यवाहियों के लिए लाभदायक हों अथवा ऐसी कार्यवाहियों से संगत हों ।

किसी परिवार की महिला-सदस्यों के स्वामित्व में के जेवर-जवाहिरात को निम्नलिखित को ध्यान में रखकर उस सीमा तक अभिगृहीत नहीं किया जाता है, जितनी सीमा तक उन्हें तर्कसंगत पाया जाए; —सम्बन्धित परिवार की हैसियत, समुदाय के रीति-रिवाज, परिवार में महिला-सदस्यों की संख्या और संबंधित परिवार की महिला सदस्यों के विवाह का समय । प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसकी स्वयं की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है । जिन कर-निर्धारितियों का धनकर के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण किया जाता है, ऐसे कर-निर्धारितियों के मामले में केवल ऐसे जेवर-जवाहिरात को ही अभिगृहीत किए जाने पर विचार किया जाता है, जो धनकर अधिनियम के अधीन घोषित की गई मात्रा से अधिक हो ।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जितने भी सम्माननीय व्यक्ति या सम्माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी मुझसे असहमत नहीं होगा कि इस देश में जो पैरेलल इकानामी चलती है, बड़ी-बड़ी नेशनल कम्पनियों, इण्टरनेशनल कम्पनियों या काला बाजार करने वालों पर जब रेड पड़ती है या वे पकड़े जाते हैं तो उनको हमेशा बचाने की कोशिश की जाती है, मगर ऐसा देखने में

गया है, महसूस किया गया है कि आयकर अधिकारियों द्वारा कभी-कभी छोटे और प्रामाणिक करदाताओं को भी परेशान किया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी भी करदाता के यहां आयकर की रेड करने से पूर्व क्या विभागीय सर्वेक्षण कराया जाता है? यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के अनुसार, यदि धन सम्पत्ति या जेवरात प्राप्त न हों अथवा वह सर्वेक्षण सर्वथा गलत साबित हो तो करदाता या नागरिक की सामाजिक प्रतिष्ठा को जो रेड के कारण नुकसान पहुंचता है, उससे बचाने के लिए क्या प्रावधान हैं और प्रामाणिक करदाताओं को रेड्स इत्यादि से बचाने के लिए क्या उपाय सोचे गये हैं?

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब किसी करदाता के मकान, दुकान या उसके ट्रेड आफिस पर किसी प्रकार की रेड डाली जाती है, छापा मारा जाता है तो उससे पहले हम लोगों के पास जहां से विश्वसनीय जानकारी आती है, उसमें कई मर्तबा सदन के सम्माननीय सदस्य होते हैं, कई दफा सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, कई दफा राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं और प्राथमिक सूचना मिलने के बाद हम यह तलाश करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या कोई प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं? उसका अन्दाजा आने के बाद, रेड करने का हुक्म दिया जाता है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सौ जगहों पर रेड डालने के बाद, हो सकता है 5 या 10 जगहों पर, जैसी हमें जानकारी दी गयी थी, वह जानकारी गलत साबित हुई, वह जानकारी पूरी तरह सही नहीं पायी गयी, लेकिन ज्यादातर घरों पर छापे डालने के बाद जो सम्पत्ति हम लोगों को मिलती है, कभी सोना मिलता है, कभी ज्यूलरी मिलती है, उसे देखने के बाद यदि चंद लोगों के बारे में गलत जानकारी मिली है तो इसलिए सभी लोगों पर छापे न डाले जायें, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी मैं माननीय सदस्य को इतना जरूर बताना चाहता हूं···(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप रेड डालनी बंद कर दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं माननीय सदस्य को इतना आश्वासन अवश्य देना चाहता हूं कि किसी प्रकार का छापा डालने से पहले जहां से हमें जानकारी मिली है, उन सारे सोर्सेज के बारे में, पूरी तलाश करके कि यह सोर्स विश्वसनीय है या नहीं, उसके बाद हम अपनी दखल देने की कोशिश करेंगे। यदि चन्द मर्तबा गलती हो जाती है तो भी हम किसी को हैरेस करने के उद्देश्य से रेड नहीं डालें, ऐसी कभी हमारा तरीका नहीं रहेगा।

श्री हरिन पाठक : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में देश भर में सभी राज्यों में, कितनी आयकर से सम्बन्धित रेडस की गयी हैं, उनकी संख्या क्या है और उनमें प्राप्त काले धन और सम्पत्ति की राशि क्या है?

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न जो पूछा गया था, वह ज्यूलरी के सिलसिले में था, एक लाख से नीचे जिनके पास ज्यूलरी है, और स्त्री धन के बारे में सवाल था, इसलिए इस वक्त मेरे पास वह जानकारी उपलब्ध नहीं है, जो माननीय सदस्य चाहते हैं। इससे पहले मैं एक प्रश्न के उत्तर में यह ब्यौरा सदन के सामने रख चुका हूं और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि उस ब्यौरे की एक प्रति मैं आपके पास भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन।

प्रो० राम वचेस कापसे।

बैंकों पर सरकार का नियन्त्रण

[अनुवाद]

+

*64. **प्रो० राम गणेश कापसे :**

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के कार्यकरण पर सरकार का कितना और क्या नियन्त्रण है;

(ख) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के बैंकों को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने हेतु कानून बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियन्त्रित करने वाले सम्बद्ध कानूनों में दी गयी शक्तियों के अनुसार, इन बैंकों के कार्यकरण पर नियन्त्रण रखती है। यह नियन्त्रण, आवश्यकतानुसार, विस्तृत आंकड़ा सूचना प्रणाली, निदेशक मण्डलों में प्रतिनिधित्व, मुख्य कार्यपालिकों के साथ समय-समय पर आयोजित बैठकों, अर्हता प्राप्त लेखाकारों द्वारा की जाने वाली बाह्य लेखा-परीक्षा के माध्यम से रखा जाता है। केन्द्रीय बैंकिंग अधिकरण अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए भी बैंकिंग परिचालनों पर निगरानी रखी जाती है सरकार द्वारा गठित समितियों और कार्यकारी दलों द्वारा बैंकों के कार्यकरण के विशेष पहलुओं की जांच की जाती है। बैंकों को समय-समय पर उनके परिचालनों के विशिष्ट पहलुओं पर भी हिदायतें तथा मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्रों के बैंकों से उस कानूनी ढांचे के अन्तर्गत कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जिसके द्वारा उनका गठन किया गया है। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार, संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण से सम्बन्धित एक समेकित रिपोर्ट भी प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख रखी जाती है। वित्त मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति और संसद की कई अन्य समितियों की बैठकों में भी बैंकों के कार्यकरण की जांच की जाती है। सरकार का इस संबंध में अलग से कोई भी विधान अधिनियमित करने का विचार नहीं है।

प्रो० राम गणेश कापसे : मैं जानता हूं कि क्या यह बात सही है कि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैये और भाई-भतीजावाद के कारण अयोग्य व्यक्तियों को नामजद किया गया था और इस कमी को ठीक करने के लिए क्या दीर्घकालिक कदम उठाये गये हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि हमें पहले ही कुछ व्यक्तियों की विभिन्न मंडलों में नियुक्ति के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। हमने पहले ही रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में एक नियुक्ति बोर्ड का गठन कर दिया है। यह बोर्ड, निदेशक मंडल में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नामों की सिफारिश करता है और मन्त्री महोदय इस बारे में अन्तिम निर्णय लेते हैं। हमने उन शिकायतों की जांच करने का कार्य भी एक समिति को सौंप दिया है, जो संबंध

सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनैतिक दलों के सदस्यों द्वारा गत समय में किए गए पक्षपातपूर्ण रवैये के संबंध में की गई हैं। एक वित्त मन्त्री के नाते मैं इस मामले में किसी प्रकार की राजनीति नहीं लाना चाहता और जो भी शिकायतें हमें प्राप्त होंगी, हम उनकी जांच करायेंगे। केवल उन्हीं व्यक्तियों को इस मामले की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है जो राजनीति से अलग हैं और जो इन मामलों का मूल्यांकन प्रशासनिक मूल्यों के आधार पर करेंगे। जब मुझे लगभग दो सप्ताह में यह रिपोर्ट मिल जायेगी, तो मैं इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात किए बिना कठोर रवैया अपनाऊंगा। जहां तक सम्भव होगा, केवल योग्य व्यक्तियों को ही बोर्ड में नियुक्त किया जाएगा क्योंकि अन्ततः जो भी नियुक्तियां होंगी, उन पर खुले रूप से एतराज किया जा सकेगा, जैसे 'एक्स', 'वाई' की तुलना में अधिक योग्य है। परन्तु हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि पक्षपात के कारण यदि किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ है, तो अब ऐसा नहीं होगा।

प्रो० राम गणेश कापसे : महोदय, सरकार एक स्थायी और हमेशा बनी रहने वाली संस्था है। मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक दूसरे पक्षों का सम्बन्ध है, दीर्घकालिक आधार पर इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि सभी सावधानियों के बाद भी पिछली सरकार के समय में मन्त्रालय द्वारा मौखिक निर्देशों के कारण बैंकों में अनियमितताओं के सैकड़ों मामले सामने क्यों आए थे। अतः, इस प्रक्रिया को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे दूसरे प्रश्न को पहले प्रश्न से जोड़ रहे हैं जिसका सम्बन्ध बोर्ड में नियुक्तियों से है, परन्तु इसका सम्बन्ध बैंकों के सामान्य कामकाज से है।

प्रो० राम गणेश कापसे : बैंकों के सामान्य कामकाज में अनेकों ऐसे मामले मौजूद हैं जिनमें गलत व्यक्तियों को करोड़ों रुपये का कर्ज दे दिया गया है जिसकी आप उस समय आलोचना करते थे जब आप विपक्ष में थे। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है। यदि आप कुछ कार्यवाही कर रहे हैं, तो यह हमेशा के लिए होना चाहिए न कि केवल आपके शासन काल के लिए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि सरकार एक निरन्तर जारी रहने वाली संस्था है। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। 'एक्स' अथवा 'वाई' पर दायित्व सौंपते समय, हम एक संस्थागत पद्धति को विकसित करने का प्रयास करते हैं जिससे मनमानी को प्रोत्साहन देने के लिए मामलों को निजी विवेक पर नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि विभिन्न बोर्डों में केवल नियुक्तियों के बारे में तो अनियमितताएं हुई हैं, बल्कि अनेक संस्थाओं अथवा निजी व्यक्तियों को कर्ज दिए जाने और विद्यमान बाधाओं को दूर किए जाने के बारे में भी अनेक आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। उनके सामने एक ठोस उदाहरण पेश करने के लिए मैं उत्तर के और विस्तार में नहीं जाना चाहता, अक्सर संसद सदस्य हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि एक इकाई विशेष ठप्प पड़ी है, 2,20,000 से अधिक इकाइयां ठप्प पड़ी हैं और इकाई को कुछ मदद की जरूरत है। अब, हमने एक दिशा-निर्देश तैयार किया है : यदि बड़ी संख्या में बीमार मिले हैं, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बी० आई० एफ० आर० और दूसरी बैंकिंग संस्थाएं उन्हें आवश्यक ऋण सुविधाएं और सहायता प्रदान करायेंगी यदि ये संस्थाएं इस बात का पता लगायें कि कौन-कौन-सी ऐसी

इकाइयां हैं जिन्हें यदि कुछ मदद दे दी जाए, तो वे काम करने योग्य हो सकती हैं और पुनः उत्पादन करना आरम्भ कर देंगी तो बेहतर होगा। हमारे यहां जो कुछ सामान उपलब्ध है, हम इसे सभी इकाइयों में वितरित करेंगे। हम उन इकाइयों को प्राथमिकता देंगे जो हमारे द्वारा दिए गए कर्जों और सहायता से पुनः कार्य करने में सक्षम हो सकेंगी और उसी के आधार पर हम ऋण देने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार, अनेक प्रकार के परिवर्तनों और सुधारों के लिए हम मानदण्डों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि इस कार्य के करने में नीति और व्यवहार में कुछ अन्तर आ जाए। हम उस अन्तर को कम करने का प्रयास करेंगे तथा विपक्ष में रहते हुए मैंने जो कुछ कहा था, उसे मैं सत्ता में रहते हुए कार्यान्वित करने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या बैंक सर्विस को आफिस आफ प्राफिट माना गया है और क्या बैंक कर्मचारी संसद या विधान सभा का चुनाव लड़ सकते हैं ? अगर हां तो उसके लिए सक्षम कौन-सा अधिकारी है जो स्वीकृति प्रदान करेगा। इसके अलावा मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का जो उत्तर दिया है क्या उसके अन्तर्गत सरकार का कोई विधेयक लाने का विचार नहीं है ? शिकायतें आने के बावजूद भी इस बारे में आप कुछ सोच क्यों नहीं रहे हैं ? क्या आप प्रेजेंट सिस्टम को ही ठीक मानते हैं ! शिकायतें आने की वजह से क्या आप यह नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा विधेयक लाया जाए जिससे सरकार का कंट्रोल बैंकिंग सिस्टम पर ज्यादा हो सके और वह ज्यादा सक्षम हो सके।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं, इसके साथ उन्होंने यह सवाल भी पूछा है कि क्या बैंक कर्मचारी चुनाव लड़ने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं ? मैं उनको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं। इस सवाल पर हमारे देश के अन्दर काफी लम्बे अर्से से चर्चा चल रही है। एक समय था जब यूनिवर्सिटी और स्कूलों के जो टीचर्स और प्रोफेसर्स थे उन्हें इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं था लेकिन कोठारी कमीशन की रपट में बताया गया है कि प्रोफेसर्स और टीचर्स को जब तक उनके काम में रोड़ा पैदा नहीं होता है तब तक चुनाव लड़ने का और विभिन्न संस्थाओं का सदस्य बनने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आप भी तो ऐसे आए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं तो रिटायर होने के बाद आया हूं। बाकी जहां तक बैंक कर्मचारियों का सवाल है यह अभी तक तय नहीं हुआ है। रेलवे या गवर्नमेंट के मुलाजिमों और बैंक व इंश्योरेंस के मुलाजिमों में फर्क होता है, लेकिन इनके बारे में अभी तक अन्तिम फैसला नहीं हुआ है। जनतांत्रिक देशों के अन्दर चाहे कोई बैंक या इंश्योरेंस के कर्मचारी हों या अन्य कारपोरेट बाडी के सदस्य हों उन्हें पूरी आजादी इलेक्शन लड़ने की होती है। बाकी आपका सुझाव स्वागत योग्य है। अगर जरूरत हुई तो बिल भी लायेंगे। (व्यवधान)

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने कहा था कि जो बहुत सी शिकायतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए सरकार कोई बिल क्यों नहीं लेकर आ रही है ताकि बैंकों के ऊपर सरकार का कंट्रोल बढ़े। इलेक्शन का मामला मैंने अलग उठाया था। बैंकों की बैंकिंग के बारे में आम जनता की जो शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए जरूरी है कि

सरकार का उस पर नियंत्रण बढ़े और वहां रैगुलर काम हो। क्या इसके लिए आप कोई विधेयक लायेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मूल प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें तफसील के साथ इन बातों के सिलसिले में बताया है। लोगों व संसदीय संस्था का पार्टिसिपेशन बैंकों के कारोबार में रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने इसकी अलग-अलग प्रक्रियाएं बनाई है। इसके अलावा बोर्ड, नॉन आफिशियल बोर्ड के मैम्बरों की जिम्मेदारी क्या है, मानिटरिंग करने का अधिकार रिजर्व बैंक को कितना है, पार्लियामेंट के लिए एकाउंटेबिल्टी कितनी है, इसकी हमने एक निश्चित प्रक्रिया बनाई है। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि एस्टिमेट कमेटी जो कि पार्लियामेंट की कमेटी है, उसको सारे प्रांतों में जाकर बैंकों की बर्किंग के बारे में तलाश करने का पूरा अधिकार है। कई पार्लियामेंट के मैम्बरों ने जितनी शिकायतें बैंकिंग की बर्किंग के बारे में की हैं, उसके बारे में कई रिपोर्ट दी है। अभी मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट का अधिकार है कि हिन्दुस्तान में जितने पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, इन पब्लिक सेक्टर के हर बैंक की रिपोर्ट पेश की जाती है, वह पार्लियामेंट के सभा पटल पर रखी जाती है। इतना ही नहीं लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हिन्दुस्तान के सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों की एक समूची रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, वह पार्लियामेंट के सामने आती है और मेरी राय है, मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया था, पुरानी पार्लियामेंट में कि कोई भी दस्तावेज जब पार्लियामेंट के सभा पटल पर रखा जाता है तो हर पार्लियामेंट के मैम्बर को अधिकार है कि इन कागजात के बारे में वह चर्चा करे तो जब हमारे सारे बैंकों की रिपोर्ट और इण्डीविजुअल बैंकों की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाती है तो जो साथी उस पर चर्चा करना चाहते हैं, सारे पार्लियामेंट के सदस्यों को अधिकार है, उसकी चर्चा इस सदन में करें और कोई भी इरेंगुलेरिटी है तो एक्सपोज करने का पूरा अधिकार हम लोगों को है।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : श्रीमती गांधी ने सन् 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ताकि बैंकिंग प्रथाओं सामाजिक न्याय दिलाने और प्राथमिकता के क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने में सहायक हो सके। बैंकों द्वारा सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों पर केन्द्रीय सरकार के पर्याप्त नियन्त्रण की जरूरत है। अतः वित्तीय और व्यवसायिक बैंक सिद्धान्तों के साथ-साथ सामाजिक न्याय के बीच एक उचित संतुलन बनाना है। जनता दल सरकार, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों और राजनीतिज्ञों की शक्ति को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को गंभीरता से नहीं ले रही है।

मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता। लोक पाल विधेयक और प्रसार भारती विधेयक जैसे विधेयकों को ही लें। इन दोनों में संसदीय नियंत्रण और राजनीतिक कार्यपालिका की शक्ति कम की जा रही है। यह तो लगभग सब कुछ नाश कर देने की नीति की तरह है। वे जानते हैं कि वे अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले नहीं हैं। वे सदा के लिए राजनीतिक कार्यपालिका की शक्तियां घटा देना चाहते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में इस पृष्ठभूमि को देखते हुए मैं वित्त मन्त्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों पर बैंकिंग विभाग की शक्तियों को घटाने और राष्ट्रीयकृत बैंकिंग व्यवस्था को पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रणाधीन लाकर वित्त मन्त्रालय के बैंकिंग विभाग को लगभग समाप्त करने

का कोई प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि ऐसा एक प्रस्ताव है। हम वित्त मन्त्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : माननीय सदस्य ने बैंकिंग प्रणाली में अनावश्यक रूप से राजनीति लाने का प्रयास किया है। मैंने कभी संसद के नियंत्रण को कम करने का संकेत नहीं दिया। इस सदन में बैंकिंग विषय पर बोलते हुए मैंने अपने पहले भाषण में निःसन्देह यह कहा था कि बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के कार्य को और प्रभावी बनाने और इन्हें विश्वसनीय एवम् लाभकारी संगठन बनाने के लिए इनको उत्तरदायित्व के अध्यधीन कार्यकारी स्वायत्तता देना आवश्यक है और जो मैंने कहा था उसमें से उत्तरदायित्व हटा दिया गया है। अतः केवल स्वायत्तता देकर और उत्तरदायित्व को छोड़कर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। आपकी पिछली सरकार की तरह इस नई सरकार का बराबर प्रयास यही है कि हम एक ओर बैंकों की कार्यकारी स्वायत्तता और दूसरी ओर इनके उत्तरदायित्व में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए हमारा यह प्रयास होगा कि प्राक्कलन समिति जैसी संसद की विभिन्न समितियों को बैंकिंग संस्थाओं से संबंधित अधिक से अधिक समस्याओं पर विचार करने का निवेदन किया जाए। वे उन पर अपना प्रतिवेदन दें और उन्हें सदन के पटल पर रखा जाए। अन्य इतने गैर-मुद्दों पर विचार करने की अपेक्षा मैं चाहता हूं कि यदि हम उन समस्याओं पर विचार कर पाएं तो मेरा विचार है कि संसद अपने अधिकार को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग कर पाने में सक्षम होगी।

श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या आप वित्त मन्त्रालय के बैंकिंग विभाग की शक्तियां घटाने वाले हैं?

प्रो० मधु दंडवते : जी नहीं। मैं वित्त मन्त्रालय के बैंकिंग अनुभाग की शक्तियां कम करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। परन्तु साथ ही मैं बीमा और बैंकिंग व्यवस्था के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप के पक्ष में भी नहीं हूं।

श्री नानी भट्टाचार्य : क्या माननीय मन्त्री महोदय सभा को राष्ट्रीयकृत बैंकों में बट्टे खाते डाली गई राशि की मात्रा के बारे में बतायेंगे क्योंकि 1980 से इनकी संख्या लगातार बढ़ी है।

प्रो० मधु दंडवते : स्थिति एक जैसी नहीं है। यदि आप लाभ शब्द को पसन्द नहीं करते तो कुछ बैंकों ने पर्याप्त फालतू पैसा भी जमा किया है। परन्तु साथ ही मैं यह कहूंगा कि ग्राहकों की कुछ आदतों के कारण कुछ अनुभागों में बट्टे खाते बढ़ रहे हैं। यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं अपने हाथ में लिया और यह इस सीमा तक था कि कुछ बैंकों में इस झुकाव विशेष को देखकर भारतीय रिजर्व बैंक ने चिन्ता प्रकट की। चाहे ये बैंक निजी थे या राष्ट्रीयकृत, इसका कोई अन्तर नहीं पड़ता। अतः हम आपके द्वारा उठाई गई आशंकाओं का ध्यान रखेंगे। हम यह सुनिश्चित करने के सभी संभव कदम उठायेंगे ताकि बैंकों में बट्टे खाते को यथासंभव कम से कम किया जा सके। (व्यवधान)

इस बारे में, केन्द्र और राज्य सरकारें काफी कार्य कर सकती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया है कि यदि ऋण लेने वाले निर्धारित अवधि में ऋण चुका देते हैं तो सरकार उन्हें कुछ वित्तीय सहायता देती है। इससे समय पर ऋण चुकाने पर अधिक लाभ होता है। जहां तक कर्नाटक का संबंध है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल वहां सरकार चला रहा है, मुझे याद है कि इस प्रयोग को काफी सफलता मिली है। मुझे आशा है कि अन्य दूसरे राज्य भी इसका अनुकरण करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, क्या यह सच है कि नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 19.87 की पालना में 26-11-87 को रीजनल रूरल बैंक (ग्रामीण बैंक) के कर्मचारियों में और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों में वेतन भत्ता में समता लाने के लिए किया गया है ? जिसमें भारत सरकार के नोटिफिकेशन पैरा-8 में लिखा गया है—

[अनुवाद]

न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम और बाध्य है।

[हिन्दी]

क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस, श्री एस० ओबल रेड्डी, जो इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने आज्ञा दी कि वेतन भत्ते समान होंगे ? क्या यह सच है कि इसको देने के बाद भी कांग्रेस सरकार के समय में अण्डरटेकिंग्स को दिए गए ? आपकी सरकार जो कि अधिक प्रगतिशील है, आप स्वयं समाजवादी दर्शन के ज्ञाता हैं, जिन्होंने इस प्रश्न पर हमेशा ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को समर्थन दिया है, क्या आप इसको इम्पलीमेंट करेंगे और करेंगे, तो कब तक करेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष जी, उन्होंने रीजनल रूरल बैंक के कर्मचारियों के बारे में सवाल उठाया है। उनके ट्रेड यूनियन के साथी मुझे चार दिन पहले ही मिले थे, मैंने उनके सामने जाकर आश्वासन भी दिया है और मैं दूसरे सदन का जिक्र नहीं कर सकता हूं, राज्य सभा का जिक्र नहीं कर सकता हूं—

[अनुवाद]

और अन्य स्थानों पर मैं कह सकता हूं।

[हिन्दी]

एक सदस्य ने सवाल उठाया था, उनको भी आश्वासन दिया है कि ट्रेड यूनियन के साथियों के साथ सलाह-मशिवरा करके, जो ट्रिब्यूनल और कोर्ट के निर्णय आयें, उसके आधार पर यह मामला कैसे हल करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनकी सलाह-मशिवरा से उनको संतोष होगा कि इस तरह करेंगे।

श्री राजबीर सिंह : कब तक करने वाले हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : हमने ट्रेड यूनियन को बताया है, उन्होंने मान लिया है।

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने एकाउन्टेबिलिटी की बात कही है, एकाउन्टेबिलिटी एन्श्योर करने के लिए मेरे दो सुझाव हैं। मैं जानना चाहूंगी, क्या वित्त मन्त्री महोदय उन सुझावों को मानने के लिए तैयार हैं या नहीं ? पहला सुझाव यह है कि नेशनलाइज्ड बैंक बोर्ड्स में जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्या मन्त्री महोदय यह प्रतिनिधित्व बोर्ड्स को देने वाले हैं या नहीं ? इसी के दूसरे हिस्से में (बी में) जो सी० ए० जी० के० बारे में है, क्या उसके एम्बीट में नेशनलाइज्ड बैंक के एकाउन्ट्स को वित्त मन्त्री जी लाने वाले हैं या नहीं ?

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है इसमें जो पहला सुझाव है वह कानून के आधार पर है। हम लोगों के कानून के आधार पर जो बोर्ड का स्ट्रक्चर है उसमें जो वर्कर बैंक में काम करते हैं उनके यूनियन का जो नुमान्दा होगा और उसमें जो आफिसर्स होंगे, उनके आफिसर्स एसोसिएशनका एक नुमाइन्दा होगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी गया था। उन्होंने यह भी निर्णय दिया है कि जो मेजोरिटी यूनियन हर इण्डस्ट्री में, बैंकिंग इण्डस्ट्री और बैंकिंग में होगी, उनको आप लोगों को चुनना चाहिए। उन्होंने इसमें इतनी आजादी दी है कि यूनियन उसके बारे में सुझाव दे दे और बोर्ड उसके बारे में अपना फैसला दे। इसलिए हमारा फैसला यह है कि हर बैंक में जो मेजोरिटी यूनियन होगी उनकी तरफ से तीन लोगों का पेनल दिया जाएगा। इन तीन लोगों में से ही एक सदस्य बोर्ड में लिया जाएगा और आफिसर्स एसोसिएशन का जिम्मेदार प्रतिनिधि वहां पर होगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिया है यह सौ फीसदी हमें मंजूर है। जहां तक सी० ए० जी० का सवाल, हम उसके बारे में विचार करेंगे, इस पर अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं किया गया है। इसलिए मैं कोई गलत विचार आपके सामने नहीं रखूंगा।

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा : राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण को सुधारने के लिए बैंकों पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण माननीय मन्त्री महोदय ने पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं। (व्यवधान) मैं माननीय मन्त्री महोदय से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में होने वाले कुल घाटे के कारण जानना चाहता हूं और इनके उचित कार्यकरण के लिए सरकार का क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संबंध है, यह सही है कि कुछ बैंक घाटे में चल रहे हैं। इसके लिए एक केलकर समिति स्थापित की गई थी, जिसने स्थिति को सुधारने के लिए अनेक सिफारिशें कीं। इस समिति से अलग एक सुझाव यह दिया गया था कि घाटे में चलने वाले बैंकों को उनके प्रायोजक बैंकों में ही मिला दिया जाए। परन्तु हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके विपरीत हम केलकर समिति की कुछ सिफारिशें स्वीकार करेंगे जिसमें इन्होंने निवेश नीति को बदलने के लिए प्रति बैंक पूंजी का आधार बढ़ाने के लिए कहा है। परन्तु जैसा कि मैंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की यूनियनों को आश्वासन दिया है कि हम इस मामले में उनसे परामर्श करके अन्तिम निर्णय लेंगे। (व्यवधान)

नौवें वित्त आयोग द्वारा समान वेतनमान देने की सिफारिश

+

*66. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील :**

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवें वित्त आयोग ने उन राज्यों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश की है जिनका विचार अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान देने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नौवें वित्त आयोग ने केरल राज्य के वर्ष 1990-95 की अवधि के लिए केरल सरकार

के राज्यस्व व्यय की संगणना करते हुए इस कार्य के लिए 513.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की सिफारिश की है;

(ख) नौवें वित्त आयोग ने उपरोक्त अवधि के लिए केरल के सम्बन्ध में कितने राजस्व अधिशेष या घाटे की संगणना की है; और

(ङ) क्या अधिशेष या घाटे में समान वेतन देने के कारण राज्य द्वारा किए जाने वाले व्यय को भी शामिल किया गया है ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) नवें वित्त आयोग ने उन राज्यों के लिए किसी विशिष्ट वित्तीय सहायता की सिफारिश नहीं की है जिनका विचार अपने कर्मचारियों को वही वेतनमान देने का है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य है।

(ग) 1990-95 के लिए केरल के मानकीय राजस्व व्यय की संगणना करते हुए नवें वित्त आयोग ने वे वेतन में समानता के लिए 513.27 करोड़ रुपये के प्रावधान का अनुमान लगाया है।

(घ) करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से का अन्तरण करने के पश्चात् केरल का योजना-भिन्न राजस्व अधिशेष 2.29 करोड़ रुपये हैं।

(ङ) जी, हां।

श्री सुरेश कोडीकुन्नील : नवें वित्त आयोग ने कुछ राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता देने की सिफारिश नहीं की है। जो राज्य अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन-मान देना चाहते हैं, उनकी मदद के लिए केन्द्र सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक नवें वित्त आयोग का सम्बन्ध है, हमने इसकी विस्तृत सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है क्योंकि हम आयोग की रिपोर्ट को आमतौर पर लागू कर देते हैं।

सर्वप्रथम वित्त आयोग के प्रतिवेदन ने यह निर्धारित किया है कि व्यक्तिगत आयकर से वसूले गए राजस्व का 85 प्रतिशत राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। दूसरे उत्पादन शुल्क से वसूले गए राजस्व का 45 प्रतिशत राज्यों को दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि कुछ राज्यों में घाटा हुआ है और कुछ अन्य राज्यों में राजस्व वसूली अच्छी हुई है। वास्तव में उन्होंने 15 राज्यों की सूची भी दी है जिन्होंने वेतन में समानता के लिए प्रावधान भी सुझाने का प्रयास किया है जिन आठ राज्यों में कुछ में योजनेतर राजस्व घाटा है वहां अनुदान देने की सिफारिश की गई है आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन आठ राज्यों के मामले में जो सिफारिश की गई है, और जहां तक योजनेतर राजस्व घाटा अनुदानों का सम्बन्ध है, हमने वे आवेदन स्वीकार कर लिए हैं और हम उन्हें पूरा करेंगे मैं सम्माननीय सभा को यह बताना चाहूंगा कि संशोधित गाडगिल फार्मूला जिसमें सहायता दी जाएगी वह अनेक श्रेणियों पर आधारित है। उदाहरण के लिए जनसंख्या के आधार पर अर्थात् 60 प्रतिशत वरीयता दी जाएगी। राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 20 प्रतिशत वरीयता दी जाएगी। तत्पश्चात् अर्थव्यवस्था के वित्तीय प्रबन्ध को 10 प्रतिशत प्राथमिकता दी जाएगी। आखिर में विशेष वर्ग के राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए भी 10 प्रतिशत वरीयता दी जाएगी। इसके आधार पर हम प्रत्येक राज्य द्वारा जमा की गई कुल राशि का हिसाब लगाएंगे और उसके आधार पर हम सहायता दे पाएंगे।

अन्त में, इस गाडगिल फार्मूला को और संशोधित करने का कार्यक्रम है ताकि घाटे वाले राज्य

अधिक सहायता प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय विकास परिषद इन उपायों पर विचार करने का प्रयास करेगी और एक अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी।

श्री सुरेश कोडीकुन्नील : यदि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए वेतन में समानता का निर्णय करें तो कुल अनुमानित प्रावधान में कितनी सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं कोई भी वायदा नहीं करना चाहता। परन्तु जहां तक वित्त आयोग का सम्बन्ध है उसने पहले से ही विवरण तैयार कर लिया है। उन्होंने अनेक राज्यों के लिए खर्च होने वाली कुल राशि का भी वर्णन किया है। हमने कोई वचन नहीं दिया है परन्तु वे अनुमान तैयार हैं।

श्री पलाई के० एस० मैथ्यू : प्रश्न के भाग (ग) में कहा गया है कि क्या नौवें वित्त आयोग ने लगभग 500 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। लेकिन उत्तर में कहा गया है कि वित्त आयोग ने अनुमान लगाया था —इन दो शब्दों के बीच बहुत बड़ा अन्तर है। मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केरल सरकार ने वेतन में समानता के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव दिया है। क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में किसी विशेष सहायता की मांग की है ? क्या केरल सरकार ने वित्त आयोग के सम्मुख इसकी सिफारिश की मांग की थी ?

प्रो० मधु दण्डवते : न केवल केरल राज्य अपितु कई अन्य राज्यों ने भी कुछ सुझाव दिए। यह मामला हमारे विचाराधीन है। हमें इस तथ्य का भी आभास है कि यदि यह वेतन में समानता विभिन्न राज्यों में स्वीकार की जाती है तो इस पर कितना खर्चा आयेगा।

श्री पलाई के० एस० मैथ्यू : क्या उन्होंने कोई ठोस प्रस्ताव दिया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, यह सही है। हमने इसे अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया है क्योंकि हम एक राज्य विशेष के सम्बन्ध में निर्णय लेकर अन्य राज्यों को इससे वंचित नहीं कर सकते। जब तक हम सभी राज्यों के बारे में निर्णय नहीं करते हैं तब तक मैं नहीं समझता कि हम इस दिशा में कोई अन्तिम निर्णय ले सकते हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, काश्मीर में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी हैं, काश्मीर की घाटी में करल ग्रामीण···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह सवाल नवें फाइनेंस कमीशन के बारे में है। आपका सवाल ठीक नहीं है।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, मुझे मालूम है। समान वेतन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं करल शब्द हटाए देती हूं। कामराज करल बैंक जो काश्मीर घाटी में है और जम्मू काश्मीर बैंक के द्वारा संचालित है और दूसरे देहाती बैंकों में काम करने वाले···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह फायनेंस कमीशन के बारे में है इसमें आपका विषय नहीं आता।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र

सरकार के कर्मचारियों को जो वेतन भत्ता दिया जाता है उसी के आधार पर बिहार सरकार दे रही है। बिहार राज्य के मुख्य मन्त्री ने गाडगिल फार्मूले को रिजैक्ट किया है। वहां की गरीबी और आबादी के आधार पर अनुदान मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी चाहें तो जवाब दे सकते हैं। मूल प्रश्न केरल के बारे में है।

श्री जनार्दन यादव : केन्द्रीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह बिहार भी ले रहा है। बिहार को केन्द्र सरकार और क्या मदद करना चाहती है।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, यह विस्तृत सवाल है। इन्होंने एक निर्दिष्ट सवाल पूछा है। उसके बारे में मुझे अलग से लिखें तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन इस सवाल से इसे न जोड़ें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हुन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि वित्त आयोग द्वारा उचित समीक्षा के लिए क्या सरकार सभी केन्द्र, राज्य कर्मचारियों और अध्यापकों के लिए एक वेतन आयोग गठित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हुन्नान मोल्लाह आपका प्रश्न वेतन आयोग से सम्बन्धित है। मैं नहीं समझता कि यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

श्री हुन्नान मोल्लाह : जी नहीं। मैं नहीं जानता कि उन्हें इसके लिए कितने धन का प्रावधान करना पड़ेगा। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वित्त आयोग और वेतन आयोग में समानता केवल 'आयोग' शब्द पर ही है। महोदय, अतएव मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 'आफ-शोर फंड' शुरू किया जाना

*67. **श्री प्रकाश कोको शह्याभट्ट** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक, भारत में पूंजी-निवेश के उद्देश्य से विदेशों से धन जुटाने के अपने प्रयास के सिलसिले में 5 करोड़ डालर का एक "आफ शोर फंड" आरम्भ करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सूत्र तैयार किया गया है; और

(ग) इस प्रकार प्राप्त किये गये धन को किन योजनाओं पर खर्च करने का विचार है?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने इण्डियन मैग्नम फंड एन० वी० की 500 लाख अमेरिकी डालर की दूसरी लेप (ट्रांश) जुलाई, 1990 में ही शुरू कर दी है।

(ग) इस आय का भारत में मुख्यत: पूंजी बाजार परिचालनों के माध्यम से इक्विटियों और इक्विटी सम्बद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : अध्यक्ष जी, इन्होंने सेंकिड स्कीम के बारे में बताया, फर्स्ट स्कीम लगायी थी उसमें कितना पैसा मिला ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय इसका अर्थ यह नहीं है कि क्रम में इसका दूसरा नम्बर है। ऐसा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : इस योजना में हम कितना फोरेन से ले सके ?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, 156 मिलियन डालर का हमारा इरादा है हमारी उम्मीद है इससे भी ज्यादा इकट्ठा हो सकता है।

उड़ीसा में रत्न भण्डार

[अनुवाद]

*68. श्री एम० डेनिस : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा में हटडोईकल्लु के निकट डोईकल्लु मुनीगुडा रेलवे सेक्टर पर भारी मात्रा में रत्नों के भण्डार का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) कोरापुट जिले की बिस्साम-कटक तहसील में रायपुर-विजयनगरम लाइन पर वहीखल रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 कि० मीटर दक्षिण में रेल लाइन पर तामड़ा (बिक्रांतमणि या गार्नेट) और हेमबैदूर्य (क्राइसो-बेरिल) नामक अर्द्ध-कीमती रत्नों के होने की सूचना है। यह प्राप्ति स्थल लगभग 50 × .0 मीटर सीमित क्षेत्र में है और रेलवे लाइन के निकट है।

श्री एम० डेनिस : यह पता चला है कि दुर्लभ पत्थरों की उपलब्धता के सम्बन्ध में रेलवे विभाग द्वारा खनन विभाग को जानकारी देने में देरी की गई। इसी बीच आम व्यक्ति, तस्कर और अन्य लोग गैरकानूनी (नाजायज) खनन कार्य में लग गये और वह दुर्लभ पत्थरों को ले गये जिससे सरकार को भारी हानि उठानी पड़ी।

क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से तस्करी द्वारा गैर-कानूनी खनन से सरकार को हुई अनुमानित हानि के बारे में जान सकता हूं ? क्या किसी को दुर्लभ पत्थर ले जाने और गैर-कानूनी खनन के सम्बन्ध में सजा दी गई है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : यदि यह प्रश्न इसी क्षेत्र से सम्बन्धित है तो इस सम्बन्ध में पर्याप्त सुरक्षा उपाय कर लिए गये हैं। लेकिन यदि इसका सम्बन्ध सभी से है तो मेरा उत्तर दूसरा होगा।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चाय व्यापार का अध्ययन करने के लिए पैनल

*63. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय व्यापार में दोषों का अध्ययन करने के लिए किसी पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है और इसका निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या इस विषय में प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में कर्मचारियों की कमी

[हिन्दी]

*65. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की महानगरों में स्थित शाखाओं में कर्मचारी आवश्यकता से अधिक संख्या में हैं, जबकि इन बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में उनकी संख्या कम है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण बैंक शाखाओं में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(घ) इस संबन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित नीति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1987 में जारी सरकारी मार्ग निर्देशों के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न पाकेटों में अपने आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को कमी वाले क्षेत्रों में तैनात करें। बताया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को ग्रामीण शाखाओं की कमियों को पूरा करने के लिए उन्हें पुनः तैनात करने की आवश्यकता के बारे में परामर्श दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस संबंध में सरकार कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गयी है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम और संयुक्त राज्य अमरीका के होटल कारपोरेशन के बीच संविदा

[अनुवाद]

*69. श्री बालचेन्द्र दत्त :

श्री बुद्ध भूषण तिवारी : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने संयुक्त राज्य अमरीका के रेडीसन होटल कारपोरेशन के साथ कोई संविदा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संविदा की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या मैसर्स रेडीसन के साथ संविदा करने से पहले अन्य अन्तर्राष्ट्रीय होटल संगठनों के साथ बातचीत की गई थी; और

(घ) अन्य होटलों की तुलना में रेडीसन का ही चयन किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते की मुख्य शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) रत पर्यटन विकास निगम ने जो अन्य जानी-मानी अन्तर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं के साथ प्रारंभिक बातचीत की थी। एक पार्टी ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी जबकि दूसरी पार्टी की रुचि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की प्रबन्ध-व्यवस्था पर नियन्त्रण से जुड़ी हुई थी। भारत पर्यटन विकास निगम इसके लिए सहमत नहीं था क्योंकि यह सरकार के हित में नहीं था। तथापि, मैसर्स रेडीसन होटल कारपोरेशन आफ यू० एस० ए० से प्राप्त प्रस्ताव को अनुबन्ध में दी गई विस्तृत शर्तों के अनुसार परस्पर लाभप्रद समझा गया।

इसके अलावा, निम्नलिखित तथ्य भी मैसर्स रेडीसन होटल कारपोरेशन के पक्ष में गए :—

(1) रेडीसन होटल को यू० एस० की चोटी की दस कंपनियों में माना जाता है। यह प्रसिद्ध टी० जी० आई० फ्राइडेज का संचालन करने के अलावा, प्लाजा होटलों, सभी स्वीट होटलों, कालोनी रिसार्ट्स और इन्नस का प्रबन्ध तथा परिचालन करता है।

(2) यह कम्पनी सबसे अधिक तेजी से बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला है—शुरू में 1983 में इसके पास 39 होटल थे तथा 1989 के अन्त तक 30 होटल इसके पास थे।

(3) इस कम्पनी को यू० एस० कनाडा और मैक्सिको में 78 मात्रा अभिकरणों और बिक्री साधनों वाले सबसे बड़े यात्रा संगठन का सहयोग प्राप्त है।

इस कम्पनी में यू० एस०ए० की "आस्क मिस्टर फोस्टर ट्रैवल सर्विस" और "फर्स्ट टूअर्स" जैसी फर्में तथा स्थापित रिजार्टक शामिल हैं।

इसे कनाडा में लासन का सहयोग प्राप्त है जिसके 100 स्थानों पर कार्यालय हैं।

(4) मसर्स रेडीसन ने प्रतिवर्ष भारत पर्यटन विकास निगम के 10 कार्यपालिकों तक को अपने खर्चे पर भारत से बाहर प्रशिक्षण देने की पेशकश की है जिसकी अवधि 6 सप्ताह से 9 माह के बीच होगी इस प्रशिक्षण पर प्रति वर्ष 500,000 यू० एस० डालर खर्च होने का अनुमान लगाया गया है जिसका खर्च मैसर्स रेडीसन उठाएगा और इस तरह भारत पर्यटन विकास निगम को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

(5) मैसर्स रेडीसन होटल्स ने एक कार्यचालन नियम-पुस्तिका का निकाली है जिसे स्थानीय होटल परिचालकों की सुविधानुसार संशोधित किया जा सकता है।

(6) मैसर्स रेडीसन होटल्स की एक विस्तृत "प्रबन्ध सूचना प्रणाली" है।

(7) इस कम्पनी का डिजाइन और निर्माण का एक आन्तरिक समूह है जो भारत पर्यटन विकास निगम को अपनी तकनालाजी अद्यतन बनाने के अलावा निगम की गई परियोजनाओं की योजना तैयार करने करने में सहायता कर सकता है।

(8) मैसर्स रेडीसन होटल्स को अनुरक्षण तथा सुरक्षा में सुविज्ञता प्राप्त है।

(9) मैसर्स रेडीसन होटल्स तकनीकी जानकारी के लिए निवेश (इम्पुट) मुहैया कराने में सहायता कर सकता है जिसमें रसोई घर उपकरण, लांड्री और अन्य गृह-व्यवस्था उपकरण शामिल हैं।

(10) मैसर्स रेडीसन होटल्स अपनी स्थानीय संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए प्रसिद्ध है जिससे यातायात में वृद्धि करने में सहायता मिलती है; इनमें "रेस्तरां संवर्धन" के लिए "साहसिक सप्ताहांत" और "अद्वितीय एकमुश्त यात्राएं" शामिल हैं।

(11) समझौते के अनुसार, मैसर्स रेडीसन होटल्स अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री सम्मेलनों में भारत पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त रूप से भाग लेगा। बर्लिन, जर्मनी में वार्षिक आई० टी० बी० कन्वेंशन के सम्बन्ध म, मैसर्स रेडीसन भारत पर्यटन विकास निगम के दो विपणन प्रतिनिधियों के हवाई किराए, भोजन तथा आवास पर होने वाले खर्च का भुगतान करेगा।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम और मैसर्स रेडीसन होटल्स कारपोरेशन के बीच हुए समझौते की प्रमुख शर्तें नीचे दी गई हैं :—

—यह समझौता 10 वर्ष के लिए है;

—इसमें मैसर्स रेडीसन होटल्स कारपोरेशन आफ मिन्नीयापोलिस यू० एस० ए० द्वारा विपणन, तकनीकी और परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था शामिल है;

—इस समझौते के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ भारत पर्यटन विकास निगम की निम्नलिखित सम्पतियों को मिलेंगे :—

(1) अशोक होटल, नई दिल्ली, जो मैसर्स रेडीसन होटल्स कारपोरेशन का एक संबद्ध होटल होगा;

(2) होटल अशोक बंगलौर
बंगलौर — इन सम्पतियों को अशोक
(3) ललित महल पैलेस मैसूर — रेडीसन का नाम दिया जाएगा।
(4) कोवलम अशोक रिसोर्ट, कोवलम

मैसर्स रेडीसन होटल्स कारपोरेशन भारत पर्यटन विकास निगम को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा :—

(1) भारत पर्यटन विकास निगम को आपरेटिंग मैनुअल मुहैया कराएगा ताकि इसके होटलों में मानकीकृत प्रक्रिया और प्रणाली को लागू किया जा सके।

(2) प्रति वर्ष दस कार्यपालकों तक को अपने खर्चे पर भारत से बाहर प्रतिक्षण देगा जिसकी अवधि 6 सप्ताह से 9 माह के भीतर होगी।

(3) विपणन, वित्त तथा परियोजना प्रबन्ध में भारत से बाहर अपने खर्चे पर 20 श्रम-माह का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।

(4) उपकरण प्राप्त करने, लांड्री, सुरक्षा प्रणाली, दूरभाष प्रणाली, कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, सफाई तथा अनुरक्षण सुविधाओं तथा साथ ही व्यापारिक बैठक संबंधी सुविधाओं में तकनीकी सुविज्ञता प्रदान करेगा।

(5) अशोक रेडीसन सम्पत्तियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से भारत पर्यटन विकास निगम और मैसर्स रेडीसन होटल कारपोरेशन के बीच "आन लाइन रिजर्वेशन सिस्टम" स्थापित करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के साथ सक्रिय रूप से कार्य करेगा तथा सहयोग दिया।

समझौते की शर्तें

रेडीसन होटल्स कारपोरेशन को समझौते में यथा परिकल्पित देय फीस इस प्रकार होगी :—

(1) प्रबंध विकास (प्रशिक्षण) निरन्तर व्यय और तकनीकी तथा परिचालन परामर्शी सेवाओं के लिए एकमुश्त 100,000 यू० एस० डालर।

(2) इस समझौते में शामिल चार होटलों की कमरा आय का 3% फ्रेंचाइस फीस के रूप में।

(3) पारस्परिक आधार पर प्रत्येक निष्पादित आरक्षण के लिए आरक्षण फीस के रूप में 6 यू० एस० डालर।

विश्व बैंक दल द्वारा आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

*10. श्री राममोहन रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक दल ने 1990 के आंध्र प्रदेश के समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित क्षति सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन प्रयोजनों के लिए सहायता की सिफारिश की गई है; और

(ग) विश्व बैंक से अब तक कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) विश्व बैंक के भारतीय विभाग के कृषि प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान क्षेत्रों का मई, 1990 में दौरा किया था।

(ख) और (ग) भारत सरकार/आंध्र प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच हुई बातचीत के

परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश में पुनर्निर्माण कार्यों का वित्त पोषण करने के लिए विश्व बैंक द्वारा एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। परियोजना के सम्बन्ध में बातचीत अभी की जानी है और विश्व बैंक से अभी तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का रुपए का अवमूल्यन करने का सुझाव

[हिन्दी]

*71. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रुपए की इस समय बाजार कीमत क्या है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को रुपए का अवमूल्यन करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) 7-8-1990 की स्थिति के अनुसार मुख्य करेंसियों के के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौके पर खरीद दर निम्नानुसार है :—

	विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई में रुपया
1. अमरीकी डालर	17.31
2. ड्यूश मार्क	10.98
3. जापानी येन	0.1148

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

*72. **श्रीमती बालबराजेश्वरी** :

श्री मदन लाल खुराना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लगातार हो रही भारी मूल्य वृद्धि से उत्पन्न स्थिति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला और इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री द्वारा क्या सुझाव दिए गए;

(ग) मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) किन-किन मुख्यों मदों के मूल्य में भारी वृद्धि हुई हैं और उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने को उच्च

प्राथमिकता देती है। मूल्य स्थिति की सतत समीक्षा की जाती है और मूल्यों को उचित सीमा के अन्तर्गत रखने के लिए मांग तथा पूर्ति दोनों ही दिशाओं में कदम उठाए गए हैं। इनमें, मक्की की वृद्धि पर नियंत्रण रखना, सरकारी खर्च की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करके और उस पर नियंत्रण लगाकर बजटी घाटे का अनुवीक्षण करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना, जहां तक व्यवहार्य हो आयातों द्वारा घरेलू पूर्ति बढ़ाना और जमाखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल हैं। इन उपायों से कुछ वस्तुओं के मूल्यों में मन्दी आई है जो वर्ष के आरम्भ में चिन्ता का विषय बने हुए थे। लेकिन कुछ मदों, विशेष रूप से खाद्य तेलों के सम्बन्ध में, कम पूर्ति के कारण स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 21 जुलाई, 1990 तक, थोक मूल्य सूचकांक में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज की गई 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा कम है।

(घ) हाल के महीनों में जिन मदों की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है, वे हैं: चीनी, चाय, खाद्य तेल, सीमेंट और नमक। दालों, फलों एवं सब्जियों जैसी मदों की कीमतों में भी मुख्यत: मौसमी उपादानों के कारण वृद्धि हुई है। सरकार ने इन्हें नियन्त्रित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें अधिक मात्रा में लेवी वाली और खुली बिक्री (फ्री सेल) चीनी जारी करना, खाद्य तेलों का आयात करना, चाय के निर्यात की गति धीमी करना, सीमेंट और नमक परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप इनमें से अनेक मदों की कीमतों में हुई वृद्धि संयत हो गई है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वानिकी कार्यक्रम

*73. **श्री टी० बशीर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को दो वर्षों के लिए और जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, हां।

(ख) अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की विश्व बैंक को सिफारिश कर दी गई है।

गोवा निवासियों के आभूषण वापस करने के लिए पुर्तगाल के साथ समझौता

[हिन्दी]

*74. **श्री हरीश पाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गोवा निवासियों के आभूषण वापस प्राप्त करने के लिए पुर्तगाल सरकार के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे सारे आभूषण लौटाने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) सरकार राजनयिक माध्यम से बैंकोनेशन अस्ट्रामैरिनो (बी० एन० यू०), लिस्बन (पुर्तगाल) के संरक्षण में रखे हुए स्वर्ण आभूषणों और सुरक्षा के लिए रखी गई अन्य चीजों की वापसी से सम्बन्धित मामले पर सम्बन्धित पुर्तगाली प्राधिकारियों से बातचीत करती रही है। इन स्वर्ण आभूषणों और सुरक्षा में रखी गई अन्य चीजों की वापसी के संबंध में बी० एन० यू० लिस्बन के साथ विचार विमर्श करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मई, 1990 में लिस्बन का दौरा किया था। बी० एन० यू०, लिस्बन गोवा और दमन स्थित अपनी तत्कालीन शाखाओं के पास गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषण एवं उनके कार्यालयों के पास सुरक्षा में रखी हुई अन्य वस्तुओं को वापस करने के लिए सहमत हो गया है। बैंकों ने एक समझौता प्रारूप को अंतिम रूप देकर आद्याक्षरित किया है जो इन स्वर्ण आभूषणों और सुरक्षा में रखी गई अन्य चीजों की बी० एन० यू०, लिस्बन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को वापसी में मदद देगा।

निर्यात संगठनों का कार्य-निष्पादन

[अनुवाद]

*75. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पुअर परफॉरमेन्स बाई एक्सपोर्ट हाउसेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक निर्यात संगठनों ने अपना निर्यात लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है जिसके कारण विदेशी मुद्रा की आय में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात सदनों का दर्जा पिछले तीन वर्ष के औसत निर्यात निष्पादन के आधार पर प्रदान किया जाता है। जो कि विहित पात्रता सीमा की अपेक्षा अधिक होना चाहिए, इसके अलावा सरकार द्वारा उनके लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पान के पत्तों का निर्यात

*76. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा पान के पत्तों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में पान के पत्तों को शामिल करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अजय कुमार मेहता) : (क) से (ग) पान के पत्तों के निर्यात की अनुमति बिना किसी निर्यात लाइसेंस औपचारिकताओं के और बिना कन्ट्रोल के मुक्त रूप से दी जाती है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अन्य बातों के साथ-साथ पान के पत्तों के निर्यातकों की भी सहायता करता है। पान के पत्तों के पंजीकृत निर्यातक 5% आर० ई० पी० आयात लाइसेंसों के लिए पात्र हैं।

सरकारी व्यय कम करने हेतु उपाय

*77. श्री सी० पी० मुद्दालगिरियप्पा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सरकारी व्यय कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जो उपाय करने का निर्णय किया गया है उनसे कोई निश्चित परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) गैर-विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे महंगाई भत्ते पर अतिरिक्त वचनबद्धताओं को, उनके लिए किए गए स्थापना सम्बन्धी व्यय के प्रावधान के अन्तर्गत ही पूरा करें। मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे अपने-अपने बजट के अन्तर्गत ही उनके द्वारा मांगी गई पूरक राशियों की समतुल्य बचतों का पता लगाएं। मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के सम्पूर्ण क्षेत्र की समीक्षा उन कार्यों एवं गतिविधियों को कम करने के उद्देश्य से करें जो अब प्रासंगिक नहीं हैं अथवा जिन्हें किसी अन्य तरीके से और अधिक किफायती ढंग से निष्पादित किया जा सकता है। मंत्रालयों/विभागों को यात्रा पर व्यय के साथ-साथ पेट्रोल, स्टाफ कारों आदि के प्रयोग को सीमित करने के लिए भी निदेश दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इन सभी उपायों के कुल प्रभाव का आकलन कुछ समय के बाद ही किया जा सकता है।

कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन

*78. श्रीमती सुभाषिनी अली :

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनियों को किन कारणों से उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा अपने तुलन पत्रों में दर्शाने को कहा जाता है; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा यह पता लगाने के लिए इन आंकड़ों को एकत्र किया जाता है कि कौन-सी कम्पनियां विदेशी मुद्रा का अपव्यय कर रही हैं ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) कम्पनियों के लाभ और हानि खाते में विदेशी मुद्रा व्यय से सम्बन्धित सूचना का प्रकटन शेयर धारियों व अन्य सम्बन्धितों की सूचना तथा उपयोग के लिए होता है।

(ख) इस समय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के आंकड़े संकलित नहीं किए जाते है।

राज्य द्वारा कृषि ऋण माफ करना

*79. श्री ए० चार्ल्स :

श्री अजीत कुमार पांजा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफ करने शुरू कर दिये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऋण माफ करने के तरीके तथा इसके लिए अवधि निर्धारित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई विशेष अनुदेश जारी किये हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस प्रकार ऋण माफ करने पर आपत्ति उठायी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) भारत सरकार ने, किसानों, भूमिहीन कृषकों, कारीगरों तथा बुनकरों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 10,000 रुपये तक की ऋण राहत प्रदान करने के वास्ते "कृषि एवं ग्रामीण राहत योजना, 1990" नामक एक योजना तैयार की है। जहां तक सहकारी क्षेत्र के बैंकों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से भी इसी पैटर्न पर योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, सत्रह राज्यों ने सरकारी समितियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की योजना अपनाना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकारें अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप दे रही हैं और दस राज्य सरकारों ने अपनी योजनाएं भारत सरकार तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को पहले ही भेज दी हैं।

वित्त मन्त्री जी विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से मिले थे। कुछ मुख्य मंत्री प्रधान मन्त्री जी से भी मिले थे। ऋण राहत और राज्य सरकारों के बजट पर पड़ने वाले बोझ से संबंधित मुद्दों पर जून, 1990 में राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार-विमर्श भी किया गया था। उस समय राज्यों के मुख्य मन्त्री भी उपस्थित थे।

मई, 1990 में भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना की प्रतिलिपि राज्य सरकारों को भेजते समय यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकारें सहकारी समितियों के लिए इसी पैटर्न पर योजना बना सकती हैं और उसे शीघ्र कार्यान्वित कर सकती हैं। भारत सरकार ने जून, 1990 में राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि राज्य सरकारी बैंक, सहकारी समितियों की ऋण राहत की लागत के

50 प्रतिशत के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से रियायती ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।

"भारत सहायता संघ" द्वारा सहायता

[हिन्दी]

*80. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

कुमारी उमा भारती : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेरिस में जून, 1990 में लिए गए निर्णय के अनुसार, भारत सहायता संघ (एड इंडिया केसोर्टियम) वर्ष 1990-91 के दौरान भारत को कितनी सहायता देगा;

(ख) क्या भारत सहायता संघ द्वारा दी गई वर्तमान सहायता पिछले वर्ष दी गई सहायता की तुलना में कम है और यदि हां, तो कितनी तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सहायता ऋण के रूप में दी जा रही है और यदि हां, तो भारत को ऋण की किश्त एवं उसके ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान करना होगा ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के संभावित सहायता स्तरों के संकेत 6.0-6.5 अरब अमेरिकी डालर की राशि के वचनबद्धता स्तर की ओर संकेत करते हैं। इसमें एक दाता देश की वचनबद्धता शामिल नहीं है जिसकी घोषणा बाद में की जानी थी। वर्ष 1989-90 में 6.7 अरब अमेरिकी डालर का संकेत देने वाले वचनबद्धता स्तर की घोषणा की गई थी। तुलनात्मक आधार पर इस वर्ष के सहायता के संकेत पिछले वर्ष के स्तर के बराबर ही हैं।

(ग) सहायता के स्वरूप, अर्थात् ऋण एवं अनुदान, मूलधन की वापसी अदायगी की राशि और ब्याज की अदायगी के बारे में विस्तृत निर्धारण केवल तभी हो सकेगा जब प्रत्येक दाता अभिकरण के साथ सहायता संबंधी बातचीत पूरी हो जाएगी।

शहरों का दर्जा बढ़ाना

[अनुवाद]

705. श्री बलवन्त मनवर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नगरपूर्ति भत्ते के प्रयोजनार्थ 48 शहरों का दर्जा बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से गुजरात में कितने शहरों का दर्जा बढ़ाया गया है तथा इनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गुजरात के जामनगर, भावनगर, बड़ौदा, राजकोट शहरों का दर्जा बढ़ाने के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो शहरों का हाल ही में दर्जा बढ़ाए जाने की प्रक्रिया में इन शहरों का दर्जा न बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

वित्त संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकार ने मकान किराया भत्ते/नगर

प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजन के लिए 48 ऐसे शहरों का दर्जा बढ़ा दिया है जिनका जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार अगली उच्चतर श्रेणी के लिए अपेक्षित स्तर से 10% तक कम रह गई थी। इन 48 शहरों में से केवल 4 शहरों का ही नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजन के लिए दर्जा बढ़ाया गया है।

(ख) गुजरात में निम्नलिखित शहरों का दर्जा बढ़ा दिया गया है :—

(1) सूरत — मकान किराया भत्ते के लिए "ख-1" श्रेणी के रूप में दर्जा बढ़ाया गया है।

(2) बड़ोदरा — मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते — दोनों के लिए "ख-1" श्रेणी के शहर के रूप में दर्जा बढ़ा दिया गया है।

(3) पेटलाद
(4) साबरकुंडला
(5) विरामगाम
(6) बिसनगर

— मकान किराया भत्ते के लिए "ग" श्रेणी के शहर के रूप में दर्जा बढ़ाया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। गुजरात में जामनगर, भावनगर और राजकोट शहर ऊपर (क) में उल्लिखित मानदण्ड के अन्तर्गत दर्जा बढ़ाए जाने के लिए काबिल नहीं बैठते बड़ोदर (बड़ोदरा) का दर्जा ऊपर (ख-2) में उल्लेख किए गए अनुसार अब बढ़ा दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शाखाएं खोलना

706. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने प्रत्येक राज्य में अपनी शाखाओं का विस्तार करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 30 जून, 1990 की अवधि तक प्रत्येक राज्य में कितनी शाखाएं स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक शाखा स्थापित की गई है; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान कर्नाटक में अपनी शाखाओं का विस्तार करने के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का भावी कार्यक्रम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग चरणों में जिला विकास कार्यालय खोलने के वास्ते एक कार्यक्रम तैयार किया है। वर्ष 1989 (30 जून, 1990 तक की स्थिति के अनुसार) में खोले गए कार्यालयों की संख्या 42 थी और वर्ष 1990-91 में खोले जाने वाले इन कार्यालयों की संख्या अनुमानतः 75 होगी। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह भी बताया है कि 30 जून, 1990 तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कर्नाटक में 3 जिला कार्यालय पहले ही खोल दिए हैं। आशा है कि वर्ष 1990-91 के दौरान, तीन और जिलों में ऐसे कार्यालय खोल दिए जायेंगे।

विवरण

राज्य का नाम	पता लगाए गए जिलों की संख्या			30 जून, 1990 तक खोले गए जिला विकास कार्यालयों की संख्या
	फेज-I	फेज-II	कुल	
		(अन्तरिम)		
1. आंध्र प्रदेश	3	7	10	3
2. असम	1	3	4	1
3. बिहार	3	5	8	3
4. गुजरात	3	2	5	3
5. हिमाचल प्रदेश	1	2	3	1
6. हरियाणा	2	6	8	2
7. कर्नाटक	2	5	7	2
8. केरल	3	3	6	3
9. महाराष्ट्र	3	8	11	3
10. पंजाब	2	2	4	2
11. उड़ीसा	3	3	6	3
12. राजस्थान	3	4	7	3
13. पश्चिम बंगाल	3	3	6	3
14. उत्तर प्रदेश	4	10	14	4
15. मध्य प्रदेश	1	7	8	1
16. तमिलनाडु	3	5	8	3
17. गोवा	1	—	1	1
18. जम्मू एवं कश्मीर	2	—	2	1
कुल	43	75	118	42

राजस्थान में अजमेर में पर्यटन का विकास

[हिन्दी]

707. **प्रो० राजा सिंह रावत** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को चालू वर्ष के दौरान अजमेर में पर्यटन का विकास करने और इसे पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए राजस्थान सरकार से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं। तथापि, पर्यटन का संवर्धन करने के लिए अभिनिर्धारित तीन यात्रा परिपथों में अजमेर को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बालाघाट (मध्य प्रदेश) में मैंगनीज का खनन

708. **श्री एस० सी० वर्मा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में दशकों से मैंगनीज का खनन किया जा रहा है और वहां पर भारी मात्रा में मैंगनीज अयस्क भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी वहां मैंगनीज अयस्क के कितने भंडार हैं;

(ग) सरकार की मैंगनीज के प्रयोग के बारे में क्या योजना है;

(घ) क्या मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड ने मैंगनीज के प्रयोग से लौह मैंगनीज के उत्पादन के बारे में एक योजना तैयार की है, यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में लौह मैंगनीज का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 1-1-85 की स्थिति के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के द्वारा तैयार की गई खनिज सूची के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मैंगनीज अयस्क का कुल प्रमाणित भंडार लगभग 62.72 लाख मी० टन है।

(ग) कच्चे लोहे के उत्पादन में मैंगनीज अयस्क का उपयोग सीधे किया जाता है तथा स्टील मिक्सिंग में इसका उपयोग फेरो-मैंगनीज/सिलिको-मैंगनीज के रूप में किया जाता है। थोड़ी मात्रा में मैंगनीज डायआक्साइड अयस्क का उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में भी किया जाता है। प्रयोक्ता उद्योग के बढ़ने से मैंगनीज अयस्क की उपयोगिता बढ़ेगी।

(घ) वर्ष 1982 में बालाघाट में 44 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से 60,000 टन वार्षिक क्षमता के लौह मैंगनीज संयंत्र की स्थापना करने के लिए मैंगनीज ओर (इंडिया) लि० का एक

प्रस्ताव था। विश्व बाजार में फेरोमैंगनीज की मांग में कमी आने तथा विपणन में होने वाली परिणामिक समस्याओं के कारण बड़े संयंत्र की स्थापना करने के प्रस्ताव को त्याग दिया गया था।

(ङ) इस क्षेत्र में किसी नए फेरो-मैंगनीज संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है। वहां पहले से ही खनन किए जा रहे अयस्क की क्वालिटी को सुधारने पर बल दिया जा रहा है।

कर्नाटक में पर्यटन-केन्द्रों का विकास

[अनुवाद]

709. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से पर्यटन-केन्द्रों का विकास करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) कर्नाटक राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 1990-91 के लिए इस राज्य के संबंध में सात स्कीमों की निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित की गई है :—

1. पट्टादकल में मार्गस्थ सुविधाएं।
2. मार्गस्थ सुविधाएं, हुंगुंद, लोकापुर और बनवासी प्रत्येक में एक-एक।
3. हम्पी में अतिरिक्त आवास और पर्यटक परिसर।
4. पैदल-भ्रमण उपकरण/टैंटों में आवास।
5. कृष्णराज सागर और तुंगभद्रा बांध के लिए नौकाएं।
6. भीमेश्वरी शिविर में फिशिंग हट्स।
7. मुक्तेश्वर और बी० आर० पहाड़ियों में हिल कोटेजेस।

तथापि, राज्य सरकार से विस्तृत अनुमानों सहित परियोजनाएं अभी प्राप्त होनी हैं।

आकाशवाणी/दूरदर्शन में कर्मचारियों की संख्या

710. **श्री छविराम अर्गल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार वाचकों/उद्घोषकों सहित राजपत्रित, गैर-राजपत्रित और श्रेणी-चार के कर्मचारियों (तकनीकी और गैर-तकनीकी) की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उनमें से सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या फिल्म प्रभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों को नहीं भरा गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन में 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 39,539 है।

(ख) से (घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन में विभिन्न पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रोजगार कार्यालयों इत्यादि जैसी एजेंसियों के माध्यम से अखिल भारतीय, क्षेत्रीय और स्थानीय आधार पर की जाती है। अत: कर्मचारियों की श्रेणियों और आरक्षित रिक्तियों को न भरे जाने से संबंधित सूचना केन्द्रीय आधार पर नहीं रखी जाती है। तथापि, आरक्षित रिक्तियों की बकाया को, यदि कोई हो, सरकार द्वारा चलाए गए विशेष भर्ती अभियान में शामिल कर लिया गया है।

धनबाद में ऋण शिविर

711. श्री ए० के० राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1990 में धनबाद, बिहार में कोई ऋण शिविर लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने यह शिविर लगाया था;

(ग) क्या उपयुक्त, धनबाद ने ऋणों के लाभार्थियों का चयन किए जाने में अनियमितताओं का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी तरफ से धनबाद में कोई ऋण मेला आयोजित नहीं किया। अलबत्ता, उपायुक्त, धनबाद के कहने पर शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मामलों के लिए 10 जुलाई, 1990 को ऋण मेला आयोजित किया जाना था और बैंकों से भी इसमें भाग लेने का अनुरोध किया गया था। हिताधिकारियों को ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले उपायुक्त ने जिला उद्योग केन्द्र को प्रत्येक हिताधिकारी की हैसियत की जांच करवाने के लिए कहा था।

भारत में स्थायी रूप से निवास के उद्देश्य से वापस आने वाले भारतीयों द्वारा कारों का आयात

712. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी रूप से निवास के लिए स्वदेश वापस आने वाले भारतीयों के लिए मोटर-वाहनों से संबंधित नई आयात नीति में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप देश में "लेफ्ट हैंड ड्राइव" कारों को भारी संख्या में आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणिल चौधरन) : (क) और (ख) कारों के लिए

वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत विदेश में कम से कम दो वर्ष रहने के बाद वापस आने वाला भारतीय नागरिक कार का आयात कर सकता है बशर्ते कि उसने यह कार भारत वापस आने से कम से कम एक वर्ष पहले खरीदी हो। इस अनुबन्ध के अधीन कार चाहे लैफ्ट हैंड ड्राइव हो अथवा राइट हैंड ड्राइव हो, उसका आयात किया जा सकता है।

खाड़ी के देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अभियान

713. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी के देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु एक व्यापक अभियान शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) देश की पर्यटन संभाव्यता पर अभियान इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से चलाए जाते हैं। इसके अलावा, खाड़ी के देशों में स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय भारत का संवर्धन करने के लिए विभिन्न व्यापारिक मेलों, प्रदर्शनियों और उत्सवों में भाग लेते हैं। भारत के लिए एकमुश्त यात्राएं शुरू करने तथा उनको बढ़ावा देने के लिए स्थानीय यात्रा अभिकर्ताओं को प्रोत्साहन देने संबंधी सहायता भी प्रदान की जाती है। पत्रकारों और अन्य प्रचार माध्यम के व्यक्तियों का भी अभिनिर्धारण किया जाता है और उन्हें भारत से सुपरिचित कराने के लिए दौरों पर भेजा जाता है और वे बदले में भारत का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में प्रचार करते हैं।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

714. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार, एशियाई विकास बैंक के लिए भारत ने कितना अंशदान किया है; और

(ख) इसी तारीख की स्थिति के अनुसार एशियाई विकास बैंक से भारत ने कितनी धनराशि का ऋण प्राप्त किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) 1767.15 लाख डालर।

(ख) 31 मार्च, 1990 को एशियाई विकास बैंक की कुल वचनबद्धताएं 17735.0 लाख डालर की थीं, जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र को 259.0 लाख डालर के इक्विटी/ऋण शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक से सहायता

715. **श्री कल्पनाथ राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश को वहां पर समुद्री तूफान के कारण हुए विनाश से उबरने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान की जाएगी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार विश्व बैंक से इस प्रकार की ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए सहमत है; और

(ग) विश्व बैंक के प्रस्ताव के संबंध में यदि आगे कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) जी, नहीं। एक पुनर्निर्माण परियोजना के वित्त पोषण को विश्व बैंक द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। ऋण की राशि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसे प्राथमिक संकेत हैं कि यह राशि लगभग 2000 लाख डालर होगी।

क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में कार्यक्रम

716. श्री मनोरंजन भक्त : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के कौन-कौन से केन्द्रों से क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान और अधिक क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) इस समय दूरदर्शन नेटवर्क के सभी 19 केन्द्र यथासंभव सम्बन्धित क्षेत्र की क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं के कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इन केन्द्रों के नाम संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इस समय सातवीं योजना की आगे लाई गई स्कीमों के अंग के रूप में जिन 29 अतिरिक्त कार्यक्रम निर्माण केन्द्र का काम चल रहा है, उनके चालू हो जाने पर वहां से भी क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जायेंगे। ऐसे अतिरिक्त केन्द्रों के नाम संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। चूंकि दूरदर्शन के लिए आठवीं योजना के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है अतः आठवीं योजना के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली नई परियोजनाओं के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

विवरण-1

	केन्द्र का नाम
1.	दिल्ली
2.	मुम्बई
3.	मद्रास
4.	कलकत्ता
5.	अहमदाबाद
6.	जयपुर
7.	त्रिवेन्द्रम
8.	हैदराबाद
9.	जालंधर

केन्द्र का नाम

10. बंगलौर
11. लखनऊ
12. कटक
13. श्रीनगर
14. गुवाहाटी
15. पणजी
16. गोरखपुर
17. रांची
18. राजकोट
19. नागपुर

विवरण-2

कार्यान्वयनाधीन कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों के नाम

1. विजयवाड़ा
2. डिब्रूगढ़
3. सिल्चर
4. ईटानगर
5. पटना
6. मुजफ्फरपुर
7. डाल्टनगंज
8. हिसार
9. शिमला
10. जम्मू
11. गुलबर्गा
12. भोपाल
13. रायपुर
14. पुणे
15. इम्फाल

16. शिलांग
17. तूरा
18. कोहिमा
19. भुवनेश्वर
20. गंगटोक
21. मदुरै
22. अगरतला
23. बरेली
24. इलाहाबाद
25. सिलीगुड़ी
26. आईजोल
27. पोर्ट ब्लेअर
28. चण्डीगढ़
29. पांडिचेरी

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनीज का आधुनिकीकरण

718. श्री सनत कुमार मण्डल :

श्री चित्त बसु : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनीज (इसकोज) के बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) स्थित संयंत्र को पुनः चालू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा गठित दस्तूर को अध्ययन आयोग का इस्पात विभाग द्वारा मूल्यांकन कर लिया गया है, और यदि हां, तो स्थिति के बारे में उनके विचार क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनीज के आधुनिकीकरण में हुए विलम्ब से इसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है और जापानी सहायता को किन-आधारों पर अस्वीकार किया गया ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (इस्को) के बर्नपुर कारखाने के आधुनिकीकरण को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी गई है। जापानी परामर्शी कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में बहुत अधिक परियोजना लागत से बहुत कम प्राप्ति के कारण सरकार ने आधुनिकीकरण निवेश के सम्बन्ध में एक अन्य व्यावसायिक विकल्प मांगा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लागत में कमी करने की संभावनाओं, विद्यमान सुविधाओं का उपभोग, स्वदेशी अधिकरणों के लिए विस्तृत कार्य, तथा परियोजना के लिए सप्लाई एवं सेवाओं हेतु अधिक प्रतिस्पर्धा में० एम० एन० दस्तूर एण्ड कं० द्वारा

प्रस्तुत रिपोर्ट की स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) के परामर्श से जांच कर ली गई है। पूंजी निवेश संबंधी संशोधन प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

सरकार परियोजना के लिए संयंत्र, उपकरण तथा सेवाओं के विदेशी पैकेजों के लिए पूर्व-पात्रता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों से टेंडर आमंत्रित करने पर विचार कर रही है ताकि उपकरणों और सेवाओं के प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी सप्लाईकर्त्ताओं में अधिक प्रतिस्पर्धा हो सके। यह दृष्टिकोण लागत में कमी लाने तथा विदेशी मुद्रा के प्रवाह और स्वदेशी अवयवों में वृद्धि करने वाला है।

मैं० इस्सर द्वारा विदेशी सहयोग से स्पंज लोहे का निर्माण

719. **श्री शैलेन्द्र महतो :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इस्सर ने स्पंज लोहे के निर्माण के लिए किसी विदेशी सहयोग के लिए समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहयोगकर्ता को किए जाने वाले संभावित भुगतान और परियोजना व्यय तथा वाणिज्यिक उत्पादन के समय अनुमानित उत्पादन लागत सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मैं० इस्सर को स्पंज लोहे के निर्माण के लिए शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी परियोजना को अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स इस्सर ने गुजरात के हजिरा में स्पंज लोहा संयन्त्र की स्थापना के बारे में आस्ट्रिया की मैसर्स वोयेस्ट अल्पाइन के साथ विदेशी सहयोग के लिए एक समझौता किया है। इस संयंत्र ने उत्पादन करना शुरू कर दिया है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(I) **विदेशी सहयोग शुल्क :** सरकार ने रूपांकन, इन्जीनियरी, परामर्शी, तकनीकी जानकारी, पर्यवेक्षण आदि के लिए 463 लाख डी० एम० के भुगतान की मंजूरी दे दी थी।

(II) **परियोजना लागत :** कम्पनी द्वारा यथा सूचित परियोजना की लागत 375 करोड़ रुपये है।

(III) **उत्पादन लागत :** कम्पनी द्वारा सूचित प्रति मी० टन हाटब्रिक्विटेड स्पंज आयरन की उत्पादन लागत लगभग 1620 रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन कार्यालय

720. **श्री एम० एस० खान :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में एक पर्यटन कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इसे किस स्थान पर खोला जायेगा ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि आय को कराधान से मुक्त रखना

721. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आयकर योग्य है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य व्यवसायों से होने वाली आय पर भी आय-कर से छूट दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) कृषि-जन्य आय का कराधान संविधान के अधीन राज्य का विषय है। इसलिए, यह केन्द्रीय सरकार द्वारा कराधान के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता है। इस प्रकार, कृषि-जन्य आय को आयकर से छूट दी गई है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आयद किया जाता है।

(ग) और (घ) अन्य विविध स्रोतों को भी या तो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से आयकर से छूट दी गई है। इन स्रोतों में ये शामिल हैं :—निर्यात से प्राप्त आय, कतिपय विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त ब्याज, विदेशी मुद्रा में अर्जित धन-राशि तथा मुर्गी-पालन से प्राप्त आय।

सिक्कों के निर्माण में आत्मनिर्भरता

722. **श्री डी० अमात** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान सरकार की टकसालों में कितनी मात्रा/मूल्य के सिक्कों का निर्माण हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान यदि सिक्कों का आयात किया गया है तो मूल्य-वार और मूल्य वर्ग-वार कितने सिक्कों का आयात किया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के टकसालों को अब परिचलन आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सिक्कों की पर्याप्त मात्रा में निर्माण हेतु सक्षम बनाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान सरकारी टकसालों में सिक्कों के उत्पादन की मात्रा/मूल्य निम्नलिखित था :—

	उत्पादन (लाख अदद)	मूल्य (लाख रुपए)
1987-88	29450	10600
1988-89	31830	10850
1989-90	28440	13870

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान 17.09 करोड़ रुपये की कुल लागत के निम्नलिखित मूल्य वर्ग के 12500 लाख अदद स्टेनलैस स्टील के सिक्के आयात किए गए थे :—

मूल्यवर्ग	मात्रा (लाख अदद)
50 पैसे	3000
25 पैसे	4000
10 पैसे	5500

सिक्कों को आयात : 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के मूल्यवर्गों में स्टेनलैस स्टील के सिक्के जारी करने के संबंध में सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आम शिकायतों का निवारण

[हिन्दी]

723. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1989 के बाद से उन्हें आम जनता की ओर से शिकायतों के निवारण के लिए कितनी याचिकाएं प्राप्त हुई हैं तथा इनमें से कितनी याचिकाओं का निपटान कर दिया गया, और

(ख) कितने मामलों का निपटाना अभी शेष है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सेवारत तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, आम जनता, संसद सदस्यों आदि से वित्त मन्त्री को सम्बोधित बहुत से अभ्यावेदन तथा अन्य पत्र प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। इन पत्रों पर वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों के उस संबंधित अनुभागों में कार्यवाही की जाती है जिनका उस विषय से सम्बन्ध होता है। ऐसे पत्रों को जिनमें वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित मामले नहीं उठाए जाते हैं उन्हें समुचित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों को भिजवा दिया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि वित्त मंत्री/वित्त मंत्रालय को सम्बोधित विभिन्न पत्रों पर यथा सम्भव शीघ्र उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। आम जनता से प्राप्त ऐसे पत्रों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

आई० टी० डी० सी० के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा होटलों में आवास के तौर पर प्रयोग किए जा रहे कमरों के नवीकरण/सज्जा पर किया गया व्यय

[अनुवाद]

724. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक आई० टी० डी० सी० होटल सम्पत्तियों में आई० टी० डी० सी० के कार्यकारी अधिकारियों के आवासों के नवीकरण/सज्जा पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) को ऐसी स्थिति में कितनी आय होती, यदि वह अपने कमरों/होटल-आवास को, जिन्हें आई० टी० डी० सी० के कार्यकारी अधिकारियों ने अपने आवास के तौर पर रखा हुआ है, ग्राहकों को प्रत्येक होटल के किराये की दरों पर उठाया जाता ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) इस बारे में हुए खर्च का अलग से हिसाब-किताब नहीं रखा गया है।

(ख) होटल के कार्यपालकों को ये कमरे रिहायश के उद्देश्य से व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार दिए गए हैं। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में किराये पर दिये जाने योग्य कमरों का अधिभोग 100% से कम रहा इस प्रकार यदि ये कमरे अतिथियों को उपलब्ध करा दिए जाते तो भी इनसे कोई अतिरिक्त निवल आय नहीं हुई होती।

विशिष्ट व्यक्तियों के विदेशों के दौरों में कमी करना

725. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशिष्ट व्यक्तियों के विदेशों के दौरों में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों के विदेशों के दौरों पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) नए मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विदेशों के दौरों की अनुमति दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विदेश यात्रा पर व्यय को 1989-90 के वास्तविक व्यय के 75% तक अथवा चालू वर्ष के बजट प्रावधान तक, इनमें से जो भी कम हो, सीमित रखें।

(ग) यह सूचना सुलभता से उपलब्ध नहीं है तथा इसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित करना होगा। इस सूचना को एकत्र करने काफी समय और श्रम लगेगा तथा इससे प्राप्त होने वाला परिणाम इस सूचना को एकत्र करने में लगने वाले समय और श्रम के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) विदेशी दौरे तभी स्वीकृत किए जाएंगे जब वे अपरिहार्य हों।

बैंकों द्वारा ऋण पत्रों को स्वीकार करना

726. श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अब तक सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बैंकों द्वारा ऋण के लिए ऋण पत्र स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं।

(ख) ऐसी शिकायतों की जांच की जाती है और उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

काफी उत्पादकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा

727. श्री बी० राजा रवि वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा काफी उत्पादकों को दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा पर इस समय लागू ब्याज की दर कितनी है;

(ख) क्या इसे कम करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) प्राथमिकता क्षेत्र से सम्बन्धित मार्ग निर्देशों की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले काफी उत्पादक, कृषि कार्यों के लिए दिए जाने वाले अल्पावधि ऋणों पर लागू होने वाली रियायती ब्याज दर के पात्र हैं। कृषकों को दिए जाने वाले अल्पावधि ऋण निम्नलिखित हैं :—

	कृषकों के लिए अल्पावधि ऋण	ब्याज दर (अधिकतम वार्षिक)
(क)	7,500 रुपये तक	10.00
(ख)	7,500 रुपये से अधिक और 15,000 रुपये तक	11.50
(ग)	15,000 रुपये से अधिक और 25,000 रुपये तक	12.00
(घ)	25,000 रुपये से अधिक	14 से 15.50

प्राथमिकता क्षेत्र से सम्बन्धित मार्ग निर्देशों की परिभाषा के बाहर वाले काफी उत्पादकों (मुख्य रूप से बागवानी) को बिना किसी अधिकतम निर्धारित सीमा के, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 16.00 प्रतिशत (न्यूनतम) वार्षिक ब्याज की दर से ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

ब्याज की वर्तमान निर्धारित दर इस समय उपयुक्त मानी जाती है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर ढांचे की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है, उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं।

लौह अयस्क का निर्यात

728. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान लौह अयस्क का निर्यात बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में कितनी अधिक वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1990-91 के दौरान लौह अयस्क का निर्यात और बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमान है कि वर्ष 1989-90 के दौरान 33.7 मिलियन टन लौह अयस्क निर्यात किया गया जो वर्ष 1988-89 की तुलना में मात्रा की दृष्टि से 1.5% अधिक है।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान भी लौह अयस्क का निर्यात वर्ष 1989-90 के निर्यात के स्तर तक ही होने की सम्भावना है।

तस्करी की रोकथाम

730. **श्री लाल गोपाल सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान तस्करों से जब्त ब्राउन शुगर सहित अन्य पदार्थों की कीमत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का तस्करी की रोकथाम के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) यह कह पाना संभव नहीं है कि विगत छः महीनों के दौरान तस्करी-सम्बन्धी गतिविधियों में वृद्धि हुई है अथवा नहीं। तथापि, जनवरी से जून, 1990 के विगत छः महीनों के दौरान, सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण देश में 315.22 करोड़ (अनन्तिम) रुपये मूल्य का सोना, चांदी, संश्लिष्ट वस्त्र, इलेक्ट्रानिक माल आदि जैसा निषिद्ध माल पकड़ा गया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान, विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में 1049 किलोग्राम (अनन्तिम) हेरोइन भी पकड़ी गई है। हेरोइन के मूल्य के बारे में कोई ठीक-ठीक अनुमान इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह इसकी शुद्धता उद्गम स्थान आदि पर निर्भर करता है।

(ग) तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है तथा निषिद्ध माल की तस्करी पर नियंत्रण रखने तथा इसको रोकने के लिए तस्करी रोधी तंत्र विशेषतया समुद्र तट, भू-सीमाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाहों तथा हवाई अड्डों के सुगम्य क्षेत्रों पर सतर्क रहता है। एक्स-रे असबाब मशीनों तथा धातु खोजियों उपकरणों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। तस्करी को

रोकने एवं इसका पता लगाने वाली सभी सम्बन्धित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है।

गोआ में खनन कार्य हेतु सर्वेक्षण

731. **श्री गोपालराव मायकर :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने गोआ में खनिजों की खोज के लिए गवेषण कार्य प्रारम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने कोई गवेषण कार्य आरम्भ नहीं किया है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण गोवा में खनिजों के लिए गवेषण कार्य काफी समय से करता चला आ रहा है।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए गवेषण कार्यों के परिणामस्वरूप गोवा के चुनिंदा क्षेत्रों में निम्नलिखित निक्षेपों का पता लगा है :—

(i) हेमाटाइट अयस्क	10600 लाख मी० टन
(ii) मेगनेटाइट अयस्क	1430 लाख मी० टन
(iii) बौक्साइट	100 लाख मी० टन
(iv) मैंगनीज अयस्क	26 लाख मी० टन

मुम्बई में हीरे की तस्करी

732. **श्री बसन्त साठे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ समय से बम्बई से हीरों की तस्करी में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो हीरों की तस्करी करने वाली किन-किन पार्टियों को पकड़ा गया और कितने मूल्य के हीरे जब्त किए गए;

(ग) क्या सरकार ने बम्बई में हीरा निर्यातकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की व्यवस्था की है; और

(घ) उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) यह कहना संभव नहीं है कि हाल ही में मुम्बई से हीरों की तस्करी में काफी वृद्धि हुई है अथवा नहीं। तथापि, वर्ष 1990 के दौरान मुम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने लगभग 3.28 करोड़ रुपये के मूल्य के हीरे पकड़े हैं तथा इसमें तथाकथित रूप से अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. आसिफ जालीवाला
2. एम० एम० पारिख
3. प्रकाश मेहता

4. अब्दुल रशीद अब्दुल कादर मेमन

5. मोहम्मद करीम काजी उर्फ इकबाल अब्दुल मेमन

6. अहमद फारूक

7. अनारकन

(ग) और (घ) जी, हां। 31 मई, 1990 को मैसर्स इन्टर गोल्ड इंडिया, एस० ई० ई० पी० जैड, अन्धेरी के श्री एम० एम० पारिख नामक एक व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह एस० ई० ई० पी० जैड, बम्बई से गुप्त रूप से लगभग 1.06 करोड़ रुपये मूल्य के हीरों को ले जाने का प्रयास कर रहा था।

तमिलनाडु के समुद्र तट पर एल० टी० टी० ई० और तस्करों के बीच सम्बन्ध

733. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल एलम तथा तस्करों के बीच, जिनका तमिलनाडु के समुद्री तट पर तस्करी धन्धा जोरों पर है, कोई सम्बन्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्र में तस्करी रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि तंजोर समुद्री तट पर सक्रिय कुछ तस्कर श्रीलंका के उग्रवादियों को उनकी गतिविधियों में सहायता कर रहे हैं। तथापि, ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है जिससे उनके बीच ऐसे सम्बन्ध होने का पता चलता हो।

(ग) तमिलनाडु समुद्री तट पर तस्करी की गतिविधियों के बारे में सीमाशुल्क प्राधिकारी सतर्क रहते हैं। इस समुद्री तट पर तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है। तट-रक्षकों, नौ-सेना और राज्य पुलिस का सक्रिय सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है।

दूरदर्शन पर दिखाए गए विज्ञापनों की संख्या

[हिन्दी]

734. **श्री सुखेन्द्र सिंह** :

श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की संख्या में पिछले तीन वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान वर्ष-वार दिखाए गए विज्ञापनों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरदर्शन के वार्षिक कुल प्रसारण समय में से इन विज्ञापनों को दिखाने में कुल कितना समय दिया गया; और

(घ) क्या विज्ञापनों की अधिकता के कारण लोकप्रिय कार्यक्रमों के समय में कटौती करनी पड़ी, जिससे उनकी लोकप्रियता पर प्रभाव पड़ा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) चूंकि विज्ञापन भिन्न-भिन्न केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं और पिछले कुछ समय से इनकी संख्या में काफी वृद्धि हो गई है, इसलिए गत तीन वर्षों में प्रसारित विज्ञापनों की सही-सही संख्या की गणना करने में लगने वाला श्रम उससे निकलने वाले परिणामों से कहीं अधिक होगा। फिर भी पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापारिक विज्ञापनों के प्रसारण के कुल समय में उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हुई है और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित 10% के अधिकतम सीमा की तुलना में यह समय अभी भी लगभग 2.5 प्रतिशत ही है।

(ङ) जी नहीं। विज्ञापन दिखाने के लिए किसी कार्यक्रम की अवधि में कटौती नहीं की जाती है।

केरल में पर्यटन विकास

[अनुवाद]

735. श्री पी० सी० चाको : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पर्यटन विकास के कार्यों में पूंजी-निवेश हेतु विदेशी राष्ट्रिकों को अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पर्यटक केन्द्रों के बारे में विदेशों में प्रचार किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर वेकड़ी, मन्नड़, एरुमेली, सबारीमेला, कैलाडी, भरणगम्म, पामुडी और गुरुवैयूर जैसे केरल के तीर्थ केन्द्रों के बारे में किए गए प्रचार का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) विदेशी राष्ट्रिकों को भारत में होटल उद्योग में साम्य सहभागिता (इक्विटी पार्टीसिपेशन) की अनुमति दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल में वेकड़ी, सबरीमाला, कालाडे, पोनमुडी और गुरुवयूर सहित भारत के पर्यटक केन्द्रों का विदेशी मार्किटों में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए प्रचार किया जा रहा है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

736. श्री अमल दत्त : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में पश्चिम जर्मनी की मानेस्मान डेमाग और कलकत्ता की बिड़ला तकनीकी सेवा लिमिटेड को कितने मूल्य के आदेश दिए गए; और

(ख) उपर्युक्त दो कम्पनियों द्वारा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के संबंध में किए जाने वाले कार्यों की कार्य-वार सूची का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) पश्चिम जर्मनी की मैसर्स मैन्नेसमन्न डिमाग तथा मैसर्स बिड़ला टैकनिकल सर्विसेज को दिए गए आर्डरों के मूल्य क्रमश: 30०.61 करोड़ रुपये तथा 461.60 करोड़ रुपये है।

(ख) संघों के नेता के रूप में कार्य कर रही पश्चिम जर्मनी की मैसर्स मैन्नेसमन्न डिमाग, रॉ मेटिरियल हैंडलिंग पैकेज तथा बेसिक आक्सीजन फर्नेस पैकेज के लिए इन कार्यों के प्रति उत्तरदायी है : मूल इंजीनियरी, रूपांकन तथा आयातित उपस्कारों की इंजीनियरी (सोवियत संघ की मैसर्स एज्ज-प्रोमेक्सपोर्ट को छोड़कर) आयातित उपस्कर की सप्लाई, स्थापना की देखरेख, परीक्षण, चालू करना तथा निष्पादन गारंटी का प्रदर्शन। नेता के रूप में एम० डी० एच० निर्धारित समय तथा लागत के भीतर पैकेजों को पूरा करने के लिए सभी कार्यकलापों के एकीकरण, अंत:पृष्ठ तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

संघ के सदस्य के रूप में मैसर्स बिड़ला टेकनिकल सर्विसेज इन कार्यों को करेगा; परियोजना प्रबन्धन कार्य, देशी उपस्कर के लिए मूल तथा विस्तृत इंजीनियरी, देशी उपस्कर की सप्लाई, आयातित आपूर्तियों के लिए पत्तन पर संभव कार्य, (पोर्ट हैंडलिंग) तथा पत्तन-निर्बाधिता, आयातित तथा देशी आपूर्तियों के लिए अन्तर्देशीय परिवहन से संबंधित कार्य।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकारियों की पदोन्नति सम्बन्धी नीति

737. **डा० पी० बल्लल पेकमान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी नीति में उचित संशोधन करने तथा अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने हेतु "जोन आफ कन्सिडरेशन" की धारा शामिल करने का निर्देश दिया है;

(ख) क्या इन बैंकों ने उक्त धारा को लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो इसे किन-किन बैंकों ने लागू किया है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के हितों की सुरक्षा के लिए इस धारा को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

मिथला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं

[हिन्दी]

738. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा तथा मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी की कुल कितनी-कितनी शाखाएं हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) सरकार का इन बैंकों की नई शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों ने गांवों के गरीब लोगों को कितनी राशि के ऋण दिए हैं;

(घ) क्या इन बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए तथा कुटीर उद्योगों को लघु उद्योगों उत्पादनकारी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिलों में क्रमश: मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 79 शाखाएं और मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 89 शाखाएं कार्य कर रही हैं। इन शाखाओं की अवस्थिति को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) शाखा विस्तार कार्यक्रम 31-3-1990 को समाप्त हो गया है। अगली शाखा विस्तार नीति संबंधी मार्गनिर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक अन्तिम रूप दे रहा है। इस समय यह बताना संभव नहीं होगा कि इन बैंकों की नई शाखाएं कहां-कहां खोली जायेंगी।

(ग) मार्च 1989 (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) के अन्त की स्थिति के अनुसार इन दोनों बैंकों का कुल बकाया ऋण निम्नलिखित है :

(लाख रुपए)

	जून 1987	जून 1988	मार्च 1989
मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1460.33	1694.43	1997.31
मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1190.41	1492.46	1707.23

(घ) और (ङ) बैंकों को लघु उद्योग क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऋण भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराना पड़ता है। इन मार्गनिर्देशों के उल्लंघन सम्बन्धी यदि कोई मामला सामने आता है तो उसकी जांच की जाती है और उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जाती है।

विवरण

दरभंगा जिले में मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और मधुबनी जिले में मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं के नाम

मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

जिला दरभंगा

अलीपुर, अंदमा, बथांत, बचरासी, बहेरा, बाजितपुर, बारह समैल, बौरम, बेर, भालपट्टी, बिरौल, बिशनपुर, बिठौली, चनौर, छोटाइपट्टी, देकुली, दोचरा, दुलारपुर, गनौल, हाथिडीह, हरिहरपुर, हरिपुर, हयोढ़ी, हिरौली, हिरनी, जगरनाथपुर, जमालपुर, जयन्तीपुर डाक, जोरजा, कबीरपाक, कहुआ, काजिबांध, करजापट्टी, कतरीर, करबु, लगमा, मचैठा, माधोपुर, महिनाम, मल्लीसिवा,

अंधरेरा, आंक बेहट, मोहम्मद पुर, मौर, मुरैठा, मुरिया, नावादा, निमैठी, परारी, परारी जयदेवपट्टी, पचरा, पटोर, पटोरी, पोखराम, पटोई, राघोपुर, रैयाम, राड़ी, रसिवारी, रतनपुर, सक्षौर, सड़वाड़ा, साहपुर, शिवनगर, शिवनगर घाट, सिमरी, सिसो, सोनकी, सुमंकरपुर, सुघराइन, सुरहाघट्टी, तारा-ताही, तरौनी, चलवाड़ा, थाघोपुर, तमोल, उचरा, उजाना, उजान।

मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

जिला मधुबनी

अंधरामठ, अररिया संग्राम, औंसी, बलिया, बरहा, बरहारा, बसैठा बसुआरी, बेला, बेलौंछा, बलहा, बेल्हवार, बेनीपट्टी, भैरवस्थान, भटबौरा, भटसिमर मौर, भवानीपुर, भेजा, भौच, भगवान पुर, भूपट्टी, बीरपुर, बीरखैर, बीसनपुर, बेरहार, चतरा, छारापट्टी, चिकुआ, दहीभात माधोपुर, दीप, धनजरी, दुल्लीपट्टी, एकहथा, गजहारा, गनौली, गाराटोल, हरिपुर, हरलाखी, हथियाही, हेरो-पट्टी, झंझारपुर, ज्योथ, ककरौल, कालिकापुर, कलमा, कमलावाड़ी, कपसिया, करही, खाजेडीह, खिरहार, कोइलख, लोहट, लखनौर, मेघपुर, मधुबनी, मधुआ, महादेवमठ, महेश्वरवा, महिनाथपुर, मंहरैल, मनमोहन, मरहिया, नरार, पदमा, पैठघाट, पाली, परिहारपुर, परसाही, परसौनी, पुलपरस, पिपराही पिगोखर, रघौली, राजाराम पट्टी, रामपट्टी, बुदरापुर, साहरघाट, सिमरा, सिमरी, सिघासो, सिसवर, सुगौना, सुगापट्टी, सुकी, तमुरिया, रारडिहा, थाहर, उचैठ, उसराही, देवधा।

पर्यटन कम्पलेक्सों के लिए आशय-पत्र

[अनुवाद]

739. श्री वामन राव महाडीक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान समुद्र तट पर पर्यटन कम्पलेक्सों तथा लैरगाहों और समुद्री लैरगाहों का निर्माण करने के लिए कितने आशय-पत्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने को अनिवासी भारतीयों द्वारा अकेले संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए आशय-पत्र मंजूर करने के लिए क्या आधारभूत मानदण्ड हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) सरकार पर्यटक परिसरों तथा अवकाश/समुद्र विहार-स्थलों के निर्माण हेतु आशय पत्र जारी नहीं करती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अधिकारियों द्वारा पेट्रोल और पेट्रोल उत्पादों की खपत

740. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के वाहनों द्वारा पेट्रोल और पेट्रोल उत्पादों की खपत में 20 प्रतिशत की कटौती लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, खपत में अपेक्षित कटौती करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) सरकार ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रालयों से सम्बद्ध स्टाफ द्वारा वाहनों के उपयोग को समुचित बनाने और कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे 1990-91 से अपनी पेट्रोल और डीजल की खपत में वर्ष 1989-90 के दौरान की खपत से 20% की कमी करें। इन विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह भी कहा गया है कि वे इन अनुदेशों की अनुपालना की निगरानी के लिए उपयुक्त विधि तैयार करें। राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि वे पेट्रोल की खपत में कमी लाएं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के साथ कार्य करने वाले कर्मचारी किस किस्म की यात्राओं के लिए स्टाफ कारों का उपयोग कर सकते हैं, उसका उल्लेख स्टाफ कार नियमावली में किया गया है। इसके अलावा, ये अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि मंत्रियों और उनके वैयक्तिक स्टाफ द्वारा उपयोग में लाई गई कारों में पेट्रोल की खपत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

742. श्री सुबास देशमुख : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने कब से कार्य प्रारम्भ किया तथा इसका मुख्यालय कहां स्थित है;

(ख) क्या सरकार को इस बैंक का कार्यालय अल्प विकसित क्षेत्रों और नागपुर के लघु उद्योगों के लाभ के लिए नागपुर में खोले जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) महाराष्ट्र में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की शाखाएं किन-किन स्थानों पर हैं; और

(घ) इस राज्य में अगर इस बैंक की कोई शाखाएं खोली जाती हैं तो वे किन स्थानों पर खोली जायेंगी और कब तक खोली जायेंगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 2 अप्रैल, 1990 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है और देश के विभिन्न राज्यों में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय और 20 शाखा कार्यालय हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के मुख्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने 28 अप्रैल, 1990 को किया था और यह लखनऊ में कार्य भी कर रहा है। आरम्भ में इसने हर राज्य में एक कार्यालय खोला है तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी में भी इसका एक-एक कार्यालय है। महाराष्ट्र में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का कार्यालय 229, नारीमन भवन, विनय के शाह मार्ग, नारीमन प्वाइंट, बम्बई में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र के लिए भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई में स्थित है।

सरकार को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का कार्यालय नागपुर में खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री

743. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों मे नशीले पदार्थों की गैर कानूनी बिक्री और खपत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत छः माह के दौरान नशीले पदार्थों के व्यापारियों पर कितने छापे मारे गए हैं;

(घ) क्या इसकी गैर-कानूनी बिक्री को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) वर्ष 1989 तथा 1990 की तदनुरूपी अवधियों के दौरान अभिग्रहण के नीचे दिए गए तुलनात्मक आंकड़ों से ऐसी कोई वृद्धि का पता नहीं चलता है । ये केवल उपलब्ध संकेत मात्र हैं ।

औषध का नाम	1989 (जून तक)		1990 (जून तक)	
	मामलों की संख्या	जब्त की गई मात्रा (कि०ग्रा० मे)	मामलों की संख्या	जब्त की गई मात्रा (कि०ग्रा० मे)
अफीम	126	576	236	246
मारफीन	5	16	26	2 किलो + 1388 एंप्यूल्स
हेरोइन	125	1262	502	1049
गांजा	139	23727	655	7622
हशीश	98	2531	376	1564
मेथाक्वूलोन	6	283	44	682
कोकीन	—	—	1	1

(ग) ऊपर दिए गए मामलों की संख्या से सफल छापों की संख्या का संकेत मिलता है ।

(घ) और (ङ) सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अवैध व्यापारियों के लिए निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था और औषध व्यापारियों द्वारा अर्जित की गई सम्पत्ति जब्त करना : औषध और अवैध व्यापारियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था है जिसमें कुछ परिस्थितियों में दूसरी बार दोष सिद्ध पाए जाने पर मृत्यु दंड शामिल है, निवारक कार्यप्रणाली को मजबूत करना बनाना (विशेषकर सीमाओं तथा सहजभेद्य क्षेत्रों के आस-पास) अधिकारियों तथा सूचना देने वालों के लिए प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार योजना को उदार बनाना, शामिल है ।

राजस्थान में डी-2 श्रेणी के नगरों की घोषणा

[हिन्दी]

744. श्री शेषल सिंह मक्कासर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ऐसे नगरों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान बी-2 श्रेणी के नाम घोषित किया गया है; और

(ख) राजस्थान सरकार ने कितने नगरों को बी-2 श्रेणी का नगर बनाए जाने की सिफारिश की है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) अगस्त, 1987 से लेकर पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित शहरों को "ख-2" श्रेणी के शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है :—

(1) गुवाहाटी	मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति
(2) गुन्टूर	भत्ते — दोनों के लिए।
(3) गोरखपुर	
(4) चण्डीगढ़	केवल मकान किराया भत्ते के प्रयोजन
(5) अजमेर	के लिए।
(6) थाने	केवल नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के लिए।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान सरकार ने शहरी विकास मन्त्रालय को सम्बोधित अपने 16-1-90 के एक पत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किए जाने के लिए बीकानेर का "ख-2" श्रेणी के शहर के रूप में पुनर्वर्गीकरण करने का अनुरोध किया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका था क्योंकि बीकानेर "ख-2" श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए निर्धारित मौजूदा मानदण्ड को पूरा नहीं करता है।

मानव निर्मित कपड़े पर शुल्क

745. श्री काशीराम राणा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद में यह घोषणा की थी कि सूती कपड़े जैसे मानव निर्मित कपड़ों पर लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कपड़े के बजाय धागों पर लगाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वित्त मन्त्री जी ने वर्ष 1990-91 के बजट को प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में निम्नानुसार कहा था :—

"हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा के बारे में अधिकाधिक चिंता व्यक्त की जा रही है। आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि उनकी कठिनाइयों के मुख्य कारणों में से एक कारण यह है कि प्रसंस्करण स्तर पर ही व्यापक रूप से कर अपवंचनाओं की वजह से इस क्षेत्र को दी गयी सभी संबंधी राहतें निष्प्रभावी हो जाती हैं। इस प्रकार, इस विचार से लगभग सभी सहमत है कि उत्पादक शुल्क को वस्त्रों से हटा कर धागों पर लगा दिया जाएं, जिसका मैं भी समर्थन करता हूं। तथापि, मानव-निर्मित वस्त्रों के मामले में, समस्त शुल्क बिक्री कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में है। अतः शुल्क-प्रणाली में कोई भी परिवर्तन राज्यों के साथ परामर्श करने के पश्चात् ही किया जा सकता है। इस संबंध में मेरा शीघ्र ही मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करने का प्रस्ताव है।"

(क) और (ख) जैसा कि बजट भाषण में उल्लेख किया गया है, इस मामले पर मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है।

मत्स्य नौकाओं की स्वामित्व वाली कम्पनियों का अधिग्रहण

[अनुवाद]

746. **श्री प्यारे लाल हान्डू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य नौकाओं की स्वामित्व वाली ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिन्हें पोत परिवहन विकास निधि, समिति (उत्पादन) अधिनियम, 1986 की धारा 9 के संदर्भ में उनके अधिग्रहण के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जैसाकि 1 जनवरी, 1989 की अवधि के दौरान संशोधन किया गया था;

(ख) इन कम्पनियों में से कितनी कम्पनियों का वास्तव में अधिग्रहण किया गया; और

(ग) अधिग्रहण करने के बाद इन कम्पनियों का कितना कारोबार हुआ है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय नौवहन ऋण और निवेश निगम ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार के पदनामित व्यक्ति के रूप में और नौवहन विकास निधि समिति (उत्पादन) अधिनियम 1986 की धारा 9 के अन्तर्गत भारतीय नौवहन ऋण और निवेश निगम ने भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति द्वारा सहायता प्राप्त 6 जाल पोतों (ट्रालर) के स्वामित्व वाली कंपनियों से संबंधित पोतों के बारे में रिसीवर नियुक्त किया है।

(ख) आज तक इन 6 जालपोतों के स्वामित्व वाली कंपनियों में से रिसीवर ने 3 कंपनियों से संबंधित 5 पोतों का अधिग्रहण किया है।

(ग) पोत चालक दल के आंदोलन सहित औद्योगिक संबंधों की स्थिति, पोतों के बकाया पत्तन प्रभार को न चुकाए जाने के कारण भाग (ख) में उल्लिखित पोत परिचालन में नहीं है। फलतः रिसीवर द्वारा उनका अधिग्रहण कर लेने के पश्चात् पोतों से किसी प्रकार का बिक्री कारोबार नहीं हुआ है।

राजस्थान में दूरदर्शन के प्रसारण क्षमता में वृद्धि

[हिन्दी]

747. **श्री नन्दलाल मीणा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मंदसौर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में विद्यमान दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या योजना है कि इससे राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों के अधिकतम लोगों को लाभ हो ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश में मंदसौर में कार्यरत अल्प क्षमता (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बांसवाड़ा के ट्रांसमीटर को किसी उंचाईदार स्थान पर, 100 मीटर ऊंचे टावर पर लगाने का विचार है, जिसके

परिणाम स्वरूप इसकी कवरेज क्षेत्र में सुधार होने की उम्मीद है। दूरदर्शन नेटवर्क का, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में, यथासंभव, यथाशीघ्र विस्तार करने का सरकार का निरन्तर प्रयास रहता है, परन्तु इस उद्देश्य को, इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए, केवल चरण बद्ध ढंग से ही पूरा किया जा सकता है।

चीन के मन्त्री का दौरा

[अनुवाद]

748. श्री आर० एम० राकेश

श्री बोनिफराव होडल्या नाबोल : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के धातु मन्त्री ने जून, 1990 के दौरान भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ भारतीय नेताओं द्वारा हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उनकी यात्रा के दौरान किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो समझौते की विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) विचार-विमर्श धातुकर्मी क्षेत्र में दोनों देशों में परस्पर व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं से संबंधित थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

रामायण और महाभारत से दूरदर्शन को हुई आय

749. श्री गुलाब चन्द कटारिया : सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामायण और महाभारत धारावाहिकों से दूरदर्शन को अलग-अलग कुल कितनी आय हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : दूरदर्शन द्वारा इन दो धारावाहिकों के प्रसारण से अर्जित सकल विज्ञापन आय नीचे दी गई है :

रामायण	25.75 करोड़ रुपये
महाभारत	59.75 करोड़ रुपये

ताजे फलों का निर्यात

750. श्री राममूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम और अन्य ताजे फलों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो अप्रैल, 1990 से अब तक किन-किन देशों को कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उसके कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ग) क्या इस प्रकार के उत्पादों के निर्यातकों को कोई राजसहायता अथवा नकद सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरुणिल चौधरम) : (क) जी, हां।

(ख) आम तथा अन्य ताजा फल मुख्यत: संयुक्त अरब अमीरात, साऊदी अरब, बेहरीन, ब्रिटेन तथा बंगलादेश को निर्यात किए जाते हैं। अप्रैल तथा मई 1990 में निर्यात की गई मात्रा तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :

	अप्रैल, 1990		मई, 1990	
	मात्रा (एम० टी०)	अर्जित विदेशी मुद्रा (लाख रु०)	मात्रा (एम० टी०)	अर्जित विदेशी मुद्रा (लाख रु०)
आम	1600	365	2100	490
अन्य फल	2880	375	635	99

(स्रोत: एपीडा, नई दिल्ली)

(ग) और (घ) हवाई जहाज द्वारा ताजे फलों के निर्यात पर 22 प्रतिशत की दर से तथा समुद्र द्वारा निर्यात पर 10 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता की जाती है।

उड़ीसा में नए टी० वी० रिले केन्द्र

752. **श्री रवि नारायण पाणि** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में नए टी० वी० रिले-केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये रिले-केन्द्र कब से कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) सातवीं योजना से आगे लाई गई स्कीम के अंग के रूप में भवानी पटना में लगाए जा रहे उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सेवा के लिए चालू हो जाने का कार्यक्रम है। चूंकि आठवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अभी तक धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है, इसलिए आठवीं योजना के अन्तर्गत राज्यों में स्थापित टी० वी० परियोजना का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

सरकारी खर्चे में कटौती करना

753. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी खर्चे में कटौती करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो खर्चे में कटौती करने सम्बन्धी उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे उपायों के परिणामस्वरूप के सरकारी खर्चे में अनुमानत: कितनी राशि की कटौती होने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकारी खर्च की विशिष्ट मदों में कटौती का निर्णय किया गया है अथवा मोटे तौर पर कटौती के लिए कहा गया है;

(ङ) सरकारी खर्च की विशिष्ट मदों का किस आधार पर पता लगाया गया;

(च) क्या खर्च में कटौती सम्बन्धी उपायों का लक्ष्य बजट सम्बन्धी घाटे में वृद्धि कम करना है अथवा बजट सम्बन्धी घाटे में वृद्धि को रोकना है;

(छ) सरकारी खर्च में कटौती का देश की अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ज) क्या खर्च में कटौती सम्बन्धी उपायों से सरकारी कर्मचारियों की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षार्थ क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (च) सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चालू वर्ष के बजट में बजट घाटा न बढ़े । इसे ध्यान में रखते हुए व्यय को नियंत्रित करने के लिए कतिपय उपाय किए गए हैं। मन्त्रालयों/विभागों से चालू वित्त वर्ष में महंगाई भत्ते की किस्तों पर होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा करने के लिए कहा गया है । विदेशी यात्रा बजट और पेट्रोल की खपत पर कटौती लागू की गई है । अनेक समुद्रपारीय कार्यालय बन्द कर दिए गए हैं । सरकारी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है ।

(छ) अविकासात्मक व्यय में वृद्धि को नियन्त्रित करने से कीमतों पर दबाव तथा भुगतान शेष की स्थिति में सुधार होगा ।

(ज) किफायत सम्बन्धी उपायों से सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

चारा मशीनों पर लगने वाले सीमा शुल्क की वसूली

7554. **श्री शंकर सिंह बघेला :**

श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फोडर प्रोडक्शन (प्रा०) लि० के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अन्तर्गत चारा मशीनों पर लगने वाले लगभग 3.4 करोड़ रुपये के उस सीमा शुल्क की वसूली में कितनी प्रगति हुई है जिसे सीमा-शुल्क आयुक्त, मद्रास के 12 फरवरी, 1990 के आदेश के अन्तर्गत लगाया गया था; और

(ख) सम्बन्धित फर्मों और व्यक्तियों पर कितना जुर्माना किये जाने का विचार किया गया है और कितनी चारा मशीनों को जब्त किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) इस मामले में मैसर्स संजीवनी फोडर प्रोडक्शन प्रा० लि० द्वारा आयात की गयी चारा उत्पादन करने वाली मशीनों पर उद्ग्रहणीय लगभग 3.4 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क की वसूली करने तथा मशीनों को जब्त करने और सम्बन्धित फर्मों/व्यक्तियों पर अर्थ दण्ड लगाए जाने के लिए 12 फरवरी, 1990 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । न्यायिक कल्प कार्यवाहियों में सीमा शुल्क समाहर्ता मद्रास द्वारा इस मामले में न्याय निर्णयन किया जा रहा है । प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म पर लगाए जाने वाले अर्थ

ब्याज की मात्रा तथा मशीनों की जब्ती न्याय निर्णयन करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार पर निर्भर करती हैं।

कर्नाटक में धार्मिक स्थलों का पर्यटक केन्द्रों में विकास

755. **श्री एच० सी० श्रीकांतय्या** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने जापानी सहायता से बेलूर, हालेबिद और श्रवण बेलगोडा मन्दिरों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि की सहायता मांगी गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन स्थानों को पर्यटक केन्द्रों में विकसित करने हेतु जापानी सहायता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) राज्य के विभिन्न केन्द्रों पर पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव जापानी सहायता के लिए प्रस्तुत किया। जापान के ओइ० सी० एफ मिशन ने परियोजना का मूल्यांकन किया और प्रस्तावों के पुनः संशोधन का सुझाव दिया है, जिस पर ओइ० सी० एफ० 1991 के फांडिंग कार्यक्रम के दौरान विचार कर सकें। कर्नाटक सरकार द्वारा परियोजना प्रस्तावों में आवश्यक संशोधन/आशोधन किए जा रहे हैं।

निर्यात करने वाली कम्पनियों का भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के साथ पंजीकरण

756. **प्रो० रूप चन्द्र पाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यातक समुदाय से निर्यात नीति में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक का निर्यात करने के लिए उन्हें भारतीय निर्यात संगठन के पास पंजीकरण की अनिवार्यता की व्यवस्था के कारण हो रही कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरुंगिल ओथरन) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों में पंजीकरण कराने संबन्धी प्रावधानों में अब संशोधन कर दिए गए हैं। बहु-उत्पादों का एक ऐसा निर्यातक जिसके निर्यातों का पोत पर्यन्त नि.शुल्क (एफ० ओ० बी०) मूल्य पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष में 10 लाख रुपयों से अधिक रहा हो। उसे प्रत्येक संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद/वस्तु बोर्ड में पंजीकरण कराने का विकल्प है। ऐसे मामले में निर्यातक को भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (फिओ) में पंजीकरण कराने की आवश्यकता है।

दिल्ली वित्तीय निगम में अनियमितताएं

[हिन्दी]

757. **श्री विजयेन्द्र यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली वित्तीय निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऋण स्वीकृत करने

वितरण करने और ऋणों की वसूली में मानदण्डों तथा प्रक्रियाओं का कथित उल्लंघन किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए सरकार का केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से आरोपों की जांच कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) दिल्ली वित्त निगम, कर्मचारी संघ ने दिल्ली प्रशासन समेत विभिन्न प्राधिकारियों को अभ्यावेदन भेजे हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि निगम के वरिष्ठ अधिकारी ऋण स्वीकृत करने, संवितरण करने तथा ऋणों की वसूली में निगम के मानदण्डों तथा प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन में शामिल थे। कुछ प्रेस रिपोर्टों में भी अनियमितताओं तथा कदाचारों का उल्लेख किया गया था। इन आरोपों की जांच दिल्ली वित्त निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गयी थी तथा इसकी रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन को भेजी गई थी। ये आरोप सिद्ध नहीं हुए।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

[हिन्दी]

758. श्री रेशम लाल जांगड़े :

श्री डी० अमात : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई, राऊरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, विशाखापट्टनम इस्पात संयन्त्रों और सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात संयंत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए, वर्षवार कितने पद आरक्षित हैं;

(ख) जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त संयन्त्रों में श्रेणी-I, श्रेणी-II, श्रेणी-III और श्रेणी-IV के कुल कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और इनमें से वर्गवार और संयंत्रवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) इन संयन्त्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित, वर्गवार रिक्त पदों की संख्या कितनी है और इन पदों को अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त पद भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश चोरवाजी) : (क) प्रधान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये सीधी भर्ती में क्रमश 15 प्रतिशत तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत के आरक्षण और खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अन्यथा अखिल भारतीय आधार पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीधी भर्ती में क्रमश: $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ग्रुप "सी" में भर्ती के लिए आरक्षण का प्रतिशत भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। उन राज्यों जिनमें सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने स्थित हैं, उनके सम्बन्ध में प्रतिशतता ब्यौरा निम्नलिखित है :—

कारखाना	राज्य	अनुसूचित जाति के लिए प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिशतता
भिलाई इस्पात कारखाना	म० प्रदेश	14	23
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	पश्चिम बंगाल	22	6
मिश्र इस्पात कारखाना "इस्को"	तदैव तदैव		
राऊरकेला इस्पात कारखाना	उड़ीसा	15	23
बोकारो इस्पात कारखाना	बिहार	15	9
सेलम इस्पात कारखाना	तमिलनाडु	19	
विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना	आंध्र प्रदेश	15	6

(ख) 1-1-90 की स्थिति के अनुसार इस्पात कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ग्रुपवार तथा कारखाना वार और अनुसूचित-जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की ग्रुपवाद संख्या जो इस्पात कारखानों में इस समय रिक्त है, निम्नानुसार है :

ग्रुप	ए	278
	बी	25
	सी	653

अनुसूचित जाति/अनुसूचितजनजाति के उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण ये रिक्तियां है, विशेष रूप से कार्य विशिष्टता को पूरा करने ऐसे अनुभवी तकनीकी कार्मिकों की इसके बावजूद कि उन्हें अनुभव, आयु तथा शैक्षिक अर्हता-अंकों जैसे मानदण्डों में छूट है।

(घ) इस्पात कारखाने विशेष उपायों से उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित पदों को भरने के लिये प्रयास कर रहे हैं, जो इस प्रकार है :

(i) अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति की विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों के भरने के लिए रहे केवल उनके लिए विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं।

(ii) ग्रुप "बी", "सी" एवं "डी" की रिक्तियां विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की जा रही हैं।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित रिक्तियों का प्रचारण दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर किया जा रहा है।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कल्याण संगठनों तथा स्थानीय सांसदों को पत्र भेजे जा रहे है ।

(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अनेक पदों के सम्बन्ध में विशिष्टियों अर्थात शैक्षिक योग्यताओं अनुभव, आयु में छूट दी जा रही है ।

(vi) उस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो छूट देने के पश्चात भी न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं कर पाए हैं ।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के संयन्त्रों में कुल जनशक्ति तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या 1-1-1990 की स्थिति के अनुसार

क्र० सं० संयंत्र इकाई	ग्रुप "ए"					ग्रुप "बी"				
	कुल जन शक्ति	अ० जा०	%	अ०ज० जा०	%	कुल जन शक्ति	अ०जा०	%	अ०ज० जा०	%
1. सेल										
क) बी० एस० पी०	4754	225	4.70	48	1.00	7800	310	4.00	135	1.70
ख) डी० एस० पी०	2672	120	4.49	15	0.56	2886	180	6.23	27	0.94
ग) आर०एस०पी०	3323	130	3.91	69	2.09	4073	104	2.55	272	6.68
घ) बी०एस०एल०	4499	116	2.58	94	2.09	5668	257	4.53	271	4.78
ङ) ए० एस० पी०	959	52	5.42	4	0.42	1889	89	4.71	17	0.90
च) एस० एस० पी०	234	28	11.97	2	0.85	54	5	9.26	1	1.85
छ) इस्को	1493	47	3.14	14	0.93	2423	57	2.35	53	2.18
2. बी० एस० पी०	1882	193	10.25	23	1.2	325	40	12.30	4	1.2

	ग्रुप "सी" (सफाई वालों को छोड़कर)					ग्रुप "सी" (केवल सफाई वाले)					कुल			
कुल जन-शक्ति	अ० जा०	%	अ० ज० जा०	%	कुल जन शक्ति	अ० जा०	%	अ० ज० जा०	%	कुल जन शक्ति	अ०जा०	%	अ०ज० जा०	%
45533	6107	13.40	3547	8.00	866	608	70.20	57	7.70	58953	7259	12.30	3887	6.61
24283	3065	12.62	461	2.00	661	631	95.46	30	4.54	30502	3996	13.10	533	1.75
28312	2703	9.55	6881	24.30	644	640	99.38	4	0.62	35353	3577	0.84	7225	19.85
39683	5410	13.63	4967	1202	1059	913	85.21	132	12.45	50909	6699	13.15	5464	10.73
4154	547	13.17	120	2.89	74	28	37.83	1	1.35	7076	715	10.12	142	2.01
924	149	16.13	24	2.60	63	51	80.95	—	—	1275	233	18.27	27	2.12
32016	4685	14.53	1345	4.20	660	629	96.30	1	0.60	35592	5418	14.81	1915	3.87
4965	627	12.62	154	3.10	2705	421	15.56	95	3.51	9077	1281	14.11	276	3.0

कोल्हापुर में बम्बई उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना

[अनुवाद]

759. **श्री उदयसिंह राव नानासाहिब गायकवाड** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल्हापुर में बम्बई उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना स्थायी तौर पर करने के बारे कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नगिरि और सिंदुदुर्ग नामक पांच जिलों की जनता से कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार का कोल्हापुर में कब तक उपरोक्त पीठ की स्थापना करने का विचार है ?

इस्पात और खान तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) मुम्बई उच्च न्यायालय की कोल्हापुर में एक खण्ड पीठ की स्थापना के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह अभ्यावेदन राज्य प्राधिकारियों को भेज दिया गया है। यदि इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होता है तो केन्द्रीय सरकार आगे कार्रवाई कर सकती है।

काले धन का पता लगाना

760. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** :

श्री राम बहादुर सिंह :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री ई० एम० एस० फकीर मोहम्मद :

श्री हेत राम :

श्री चित्त बसु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1990 के आरम्भ में अब तक विद्यमान काले धन का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए है;

(ख) करेंसी नोट/स्वर्ण आभूषणों और अभिशंसी दस्तावेजों आदि के रूप में कितनी रकम का काला धन पकड़ा गया है/जब्त किया गया है; और

(ग) किन-किन व्यक्तियों/फर्मों आदि से काला धन पकड़ा गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) कर अपवंचन के माध्यम से पैदा हुए काले धन का पता लगाना निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है। आयकर विभाग लेखा-बाह्य आय तथा धन का पता लगाने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण की कार्यवाहियां करता है, उचित मामलों में तलाशियां लेता है तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियां करता है तथा मामलों की एक चुनिन्दा संख्या में गहन जांच पड़ताल करता है।

जनवरी, 1990 से जून, 1990 की अवधि के दौरान ली गई तलाशियों में अभिगृहीत की गई प्रथम दृष्टया लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

अवधि	जनवरी, 1990 से जून, 1990 तक
तलाशियों की संख्या	2018
अभिगृहीत की गई प्रथम दृष्टया लेखा बाह्य परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	
नकदी	13.19
जेवर जवाहिरात	21.55
अन्य	37.02
कुल :	71.76

इसके अलावा, कतिपय अपराध आरोपणीय दस्तावेज भी अभिगृहीत किए गए थे।

(ग) इस अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर ली गई तलाशियों को देखते हुए, जिन व्यक्तियों तथा फर्मों की तलाशियां ली गई थीं उनके ब्यौरे का संकलन करने में किया जाने वाला प्रयास तथा इसके लिए अपेक्षित समय इसके प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

बैंकों द्वारा फटे-फटे छोटे नोटों को स्वीकार न करना

[हिन्दी]

761. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फटे-फटे छोटे नोटों और मैले नोटों को बैंक भी स्वीकार नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या प्रत्येक जिला केन्द्र में ऐसे नोटों को बदलने के प्रबन्ध करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उन सभी शाखाओं को जिनके पास करेंसी चेस्ट हैं, मैले और फटे-फटे नोटों को बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया है। ऐसी शाखायें न केवल जिला मुख्यालयों में स्थित हैं बल्कि अन्य शहरी और अर्द्ध शहरी केन्द्रों में भी स्थित हैं।

जब भी मैले और फटे-फटे नोटों को स्वीकार न करने से सम्बन्धित शिकायतें जनता से प्राप्त होती हैं तब भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा उन शिकायतों को सम्बद्ध बैंक के साथ उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उठाया जाता है।

विज्ञापनों और अखबारी कागज के लिए नई नीति

[अनुवाद]

762. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अप्रैल, 1990 के "हेरल्ड" में "न्यू पालिसी फार न्यूजप्रिंट एण्ड एडवर्टिजमेंट सून" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई नीति को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1990 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति पहले ही 18 मई, 1990 को संसद के समक्ष रखी जा चुकी है और विज्ञापन नीति को युक्तियुक्त बनाने का विषय सरकार के विचाराधीन है।

न्यू बैंक आफ इण्डिया में धोखाधड़ी

763. श्री मान्धाता सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिल्ली स्थित न्यू बैंक आफ इण्डिया के रिकार्ड में एक धोखाधड़ी पकड़ी है जिसके परिणाम स्वरूप कुल लगभग नौ करोड़ रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो धोखाधड़ी कब पकड़ी गई थी; और

(ग) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे न्यू बैंक आफ इण्डिया में किसी भी धोखाधड़ी की घटना का पता नहीं चला है जिसकी वजह से बैंक को हानि हुई हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि वर्ष 1989-90 के वार्षिक तुलना-पत्र और लाभ हानि लेखे को अन्तिम रूप देने के पश्चात, न्यू बैंक आफ इण्डिया के ध्यान में यह बात आयी कि खर्च की एक मद का वर्गीकरण गलत कर दिया गया था जिससे बैंक द्वारा पहले तैयार किये गये लाभ के आंकड़ों में विकृति आ गयी। भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के अनुसार न्यू बैंक आफ इण्डिया ने वर्ष 1989-90 का तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा फिर से तैयार कर लिया है बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने तुलन-पत्र को प्रमाणित कर दिया है और बैंक के निदेशक मण्डल ने उसे स्वीकार कर लिया है। बैंक ने कुछ सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है जो इस लेखा सम्बन्धी चूक के लिए जिम्मेदार थे।

आयकर अधिकारियों का राजस्व प्राप्ति के एक मंडल में नियत अवधि से अधिक समय तक करने का प्रभाव

764. श्री लीलाधर डाभोर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार एक वार्ड/मण्डल/रेंज/चार्ज में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य करने वाले आयकर अधिकारियों/सहायक आयुक्तों/उप आयुक्तों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार का एक वार्ड/मंडल में नियत अवधि से अधिक समय तक रुकने वाले अधिकारियों को स्थानांतरित करने हेतु क्या कार्रवाई का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) दिनांक 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में एक ही वार्ड/सर्किल/रेंज/चार्ज में एक उपायुक्त, आठ सहायक आयुक्त, सत्ताईस आय कर अधिकारी तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य करते रहे हैं।

(ख) किसी वार्ड/सर्किल विशेष में तीन वर्ष की अवधि तक रहने के मामले को किसी वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन के आधार पर ही देखा जाता है। दिनांक 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार, ऐसे कोई उपायुक्त/सहायक आयुक्त/आयकर अधिकारी नहीं थे, जो किसी रेंज/सर्किल/वार्ड में तीन वर्षों से अधिक अवधि से हों, सिवाय विशेष वेतन वाले पदों को धारित करने वाले छः अधिकारियों के जिन्हें प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण अपेक्षाकृत अधिक लम्बे समय तक रोका गया है।

पंजाब में पर्यटन के विकास हेतु वित्तीय सहायता

765. श्री कमल चौधरी : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गत एक वर्ष के दौरान पंजाब में पर्यटन के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों पर विचार किया गया है और इस प्रयोजन के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने पंजाब राज्य में वर्ष 1990-91 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं/स्कीमों को प्राथमिकता दी है :

1. मोहाली में यात्री निवास
2. चंडीगढ़ और जालंधर के मध्य नवांशहर में मार्गस्थ सुविधाएं
3. बरनाला में मार्गस्थ सुविधाएं
4. फरीदकोट में मार्गस्थ सुविधाएं
5. कपूरथला में मार्गस्थ सुविधाएं
6. पंजाब में मेलों और त्यौहारों हेतु टेन्ट
7. भटिंडा में पर्यटक परिसर
8. जल क्रीड़ा उपकरण

विस्तृत अनुमानों सहित परियोजनाओं/स्कीमों की प्रतीक्षा की जा रही है। तथापि, वर्ष 1989-90 के दौरान, पर्यटन विभाग ने संगोल में एक पर्यटक परिसर के निर्माण के लिए 15.93 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

[हिन्दी]

766. श्री तेज नारायण सिंह :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचे और प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) वर्तमान में बिहार राज्य में 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो राज्य के 38 जिलों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1820 शाखाओं ने मार्च 1989 के अन्त तक 455.34 करोड़ रुपए की जमाराशियां जुटाई और इनके अग्रिमों की बकाया राशि 348.85 करोड़ रुपए बैठती है, इस प्रकार इनका ऋण जमा अनुपात 94 प्रतिशत अखिल भारतीय अनुपात के मुकाबले में 77 प्रतिशत है। बिहार राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रति बैंक औसत कारबार, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 42.83 लाख रुपए के सम्मिलित औसत के मुकाबले में 44.19 लाख रुपये बैठता है।

घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति की निगरानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा की जाती है और सम्बन्धित बैंकों एवं उनके प्रायोजक बैंकों को उपचारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अर्थक्षम बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न वित्तीय और प्रबन्धकीय उपाय किए जाते हैं।

केरल सरकार द्वारा अनिवासी भारतीय कोष की स्थापना

[अनुवाद]

767. श्री एस० कृष्ण कुमार :

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनिवासी भारतीय कोष की स्थापना की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या अनुमती दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों को माफ करना

[हिन्दी]

768. श्री राम प्रसाद चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है जो अभी तक वसूल की जानी बाकी है; और

(ग) क्या स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करते समय क्षेत्रीय सन्तुलन को ध्यान में रखा गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली से ग्रामीण और गैर-ग्रामीण क्षेत्रवार सूचना प्राप्त नहीं होती है। वर्ष 1988-89 के दौरान 1.02 लाख हिताधिकारियों को इस योजना के अन्तर्गत 404.61 करोड़ रुपये के ऋण आबंटित किए गए थे। राज्यों के लिए हिताधिकारियों का राज्य-वार लक्ष्य भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्दिष्ट किया जाता है। जिलों के लिए लक्ष्य राज्यों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

सरकार द्वारा मितव्ययिता कार्यक्रम चलाया जाना

[अनुवाद]

769. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मितव्ययिता कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है;

(ख) 1990-91 के दौरान विदेशी मुद्रा में और रुपए में कितनी राशि की बचत किए जाने की आशा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रगति की जांच करने के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकारी खर्च को नियन्त्रण में रखने के लिए निम्नलिखित हिदायतें जारी की हैं :

(I) सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे महंगाई भत्ते पर अतिरिक्त वचनबद्धताओं को, उनके लिए किए गए स्थापना सम्बन्धी व्यय के प्रावधान के अंतर्गत ही पूरा करें;

(II) मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे अपने-अपने बजट के अन्तर्गत ही, उनके द्वारा मांगी गई पूरक राशियों की समतुल्य बचतों का पता लगाएं;

(III) मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के सम्पूर्ण क्षेत्र की समीक्षा उन कार्यों एवं गतिविधियों को कम करने के उद्देश्य से करें जो अब प्रासंगिक नहीं है, अथवा जिन्हें किसी अन्य तरीके से और अधिक किफायती ढंग से निष्पादित किया जा सकता है;

(IV) मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे अपने नियन्त्रणाधीन संवर्धनकारी एजेंसियों के विदेशों में स्थित कार्यालयों को बन्द कर दें;

(V) वाशिंगटन तथा लन्दन में सप्लाई मिशनों को बन्द करने का निर्णय लिया गया है;

(VI) हिदायतें जारी की गई हैं कि विदेश यात्रा सम्बन्धी खर्च को घटाकर 1989-90 के वास्तविक खर्च अथवा चालू वर्ष के बजट प्रावधान, इनमें से जो भी कम हो के 75 प्रतिशत तक किया जाए।

(VII) ये हिदायतें भी जारी की गई है कि सरकारी वाहनों में पेट्रोल और डीजल की खपत को वर्ष 1989-90 की खपत के मुकाबले 20 प्रतिशत तक कम किया जाए।

(ख) इन सभी उपायों के कुल प्रभाव का पता कुछ समय बाद ही लग सकेगा।

(ग) सभी मन्त्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे मासिक लक्ष्यों की दृष्टि से अपनी प्राप्तियों और खर्च की मानिटरिंग करने की व्यवस्था करें और यदि इनमे ज्यादा भिन्नताएं हो तो वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट भेजें।

पारस्परिक निधि सम्बन्धी मार्ग निर्देश

770. श्री के० एस० राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही मे पारस्परिक निधि से सम्बन्धित नए मार्गनिदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन नए मार्गनिदेशों का ब्यौरा क्या है और इनमें क्या लक्ष्य निहित है;

(ग) हाल ही के महीनों में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शुरू किए गए पारस्परिक निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन निधियों में निवेश करने वाले व्यक्तियों को कर से छूट मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) आयकर अधिनियम की धारा (10) के खण्ड 23(डी०) के अंतर्गत अधिसूचित म्युच्अल निधियों की यूनिटों में निवेशकर्ताओं को कर में निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध है।

(I) म्युच्अल निधियों की इकाइयों सहित कुछ विशिष्ट परिसम्पत्तियों से आय के सम्बन्ध में सकल आय से कुल अधिकतम 10,000 रुपये तक की कटौती;

(II) इक्विटी लिंक बचत योजना के अनुसार निर्मित किसी योजना के अन्तर्गत किसी म्युच्अल निधि की इकाइयों में पूर्ण निवेश के सम्बन्ध में आय से कटौती। कटौती की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये तक की गई है।

(III) म्युच्अल निधि की इकाइयों में निवेश के 20 प्रतिशत के बराबर की राशि (अधिकतम 25,000 रुपये तक के निवेश तक) की आयकर से कटौती, बशर्ते कि म्युच्अल निधि अपनी धनराशि को पूंजी के पात्र निर्गम में निवेश करेगी।

(IV) शेयरों के मामले में आयकर अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत इसी प्रकार की रियायती कर व्यवस्था म्युच्अल निधि की इकाइयों की बिक्री से प्राप्त होने वाले दीर्घावधिक पूंजी लाभ के अनुसार होता है।

विवरण

म्युच्अल निधियों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं

ऐसे संस्थान जो विभिन्न निवेशकर्ताओं से प्राप्त निधियों का सामूहिक रूप से प्रबन्ध करते हैं, आमतौर पर म्युच्अल निधियों के नाम से जाने जाते हैं। ये, बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों, विशेष रूप से छोटे निवेशकर्ताओं को विविधीकृत पोर्टफोलिओं का लाभ प्रदान करने वाले, पूंजी बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग हैं।

भारत में म्युच्अल निधियों के विकास और व्यवस्थित कामकाज को सुकर बनाने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की हैं :

I. स्थापना :

1. सभी म्युच्अल निधियों के सम्बन्ध में, सिवाय उनके जो किसी संविधि के अन्तर्गत स्थापित हुए हैं, पूंजी निर्गम नियन्त्रक, वित्तीय कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ऐसा अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद, उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड के पास पंजीकृत कराना होगा। विद्यमान म्युच्अल निधियों को, इन रूपरेखाओं के जारी होने के 90 दिन के अन्दर, अपने आपको भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड के पास पंजीकृत करा लेना चाहिए।

2. म्युच्अल निधियां, सांविधिक निधियों को छोड़कर, भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत न्यासों के रूप में गठित की जाएंगी। न्यास के गठन के सम्बन्ध में न्यासों के रूप में गठित की जाएंगी। न्यास के गठन के सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार करने के वास्ते प्रायोजक संस्थान मुक्त होंगे।

3. प्रायोजक संस्थान को निधि के संग्रह में कम-से-कम 2 करोड़ रुपए का अंशदान करना होगा, जिसे बाद में म्युच्अल निधि की किसी एक स्कीम में अभिदान के रूप में परिवर्तित कराया जा सकता है।

II. प्रबन्ध :

म्युच्अल निधियों का प्रबन्ध ऐसे व्यावसायिकों द्वारा किया जाए जिनके पास उद्योग, पूंजी बाजार तथा अन्य संगत क्षेत्रों का अनुभव/उचित अर्हताएं हों। न्यासी बोर्ड के न्यासियों में से कम-से-कम 40 प्रतिशत व्यक्ति उपयुक्त क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्ति होने चाहिए, जो प्रवर्तकों से सम्बद्ध न हों अथवा उनका प्रतिनिधित्व न करते हों, अर्थात वे स्वतन्त्र बाहरी सदस्य होने चाहिए।

III निवेश उद्देश्य तथा नीतियां :

1. प्रमुखत: म्युच्अल निधियों से आशा की जाती है कि वे शेयरों (स्टाक्स), बांडों, प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार प्रपत्रों में राशि का निवेश करेंगी। मुद्रा बाजार प्रपत्रों में निवेश की राशि सामान्यत: उनकी अल्पावधिक नकदी आवश्यकताओं के लिए, उनकी

परिसम्पत्तियों के 25 प्रतिशत तक सीमित रहनी चाहिए। यह सीमा, स्कीम के पहले छः महीनों के दौरान लागू नहीं होती।

2. अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर महासंघ उधार के मामलों को छोड़कर, म्युच्अल निधियां, मियादी उधारों का काम नहीं करेंगी।

3. अचल सम्पत्ति में निवेश करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ स्थापित निधियों को छोड़कर, म्युच्अल निधियां, अपने उपयोग के लिए सम्पत्ति प्राप्त करने को छोड़कर, अचल सम्पत्ति प्राप्त करने से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं करेंगी। तथापि, वे आवास वित्त के कार्य में लगे संस्थानों द्वारा जारी किए गए बांडों और ऋण-पत्रों में अभिदान कर सकती है।

4. केवल विदेश में स्थापित निधियां ही, और वह भी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से, विदेश में खाता खोल सकती हैं या भारत से बाहर स्थापित किसी बैंक के साथ कोई एजेन्सी व्यवस्था का काम कर सकती हैं।

IV. निवेश सीमा :

1. कोई भी म्युच्अल निधि किसी कम्पनी के शेयरों में अपनी परिसम्पत्ति का 5 प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं करेगी। कोई भी म्युच्अल निधि किसी स्कीम के अंतर्गत किसी कम्पनी के 5 प्रतिशत शेयरों से अधिक में निवेश नहीं करेगी।

2. म्युच्अल निधियों को, खरीदी गई पावती (स्क्रिप) की सुपुर्दगी लेनी चाहिए और पावती के बेचे जाने की स्थिति में उसकी सुपुर्दगी देनी चाहिए। खरीदी गई पावती निधि के नाम में अन्तरित की जानी चाहिए।

3. म्युच्अल निधियों को सामान्य कार्य के दौरान, राशि उधार नहीं लेना चाहिए अथवा अपनी परिसम्पत्तियों को गिरवी नहीं रखना चाहिए। यदि किसी अस्थाई आपात स्थिति से निपटने के लिए ऐसा किया जाता है तो तुरन्त ही भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

4. एक म्युच्अल निधि को सामान्यतः दूसरी म्युच्अल निधि में निवेश नहीं करना चाहिए। यदि असाधारण मामलों में ऐसा किया जाता है तो यह अस्थाई अवधि के लिए होना चाहिए और यह उसकी परिसम्पत्तियों की 5 प्रतिशत की सीमा के अन्दर होना चाहिए।

V. प्रकटन, मूल्य नीति और मूल्यांकन :

1. प्रत्येक स्कीम के लिए प्रस्ताव पुस्तिका व अन्य प्रचार सामग्री में स्कीम के निवेश उद्देश्यों का स्पष्टतः और प्रमुख रूप से उल्लेख होना चाहिए।

2. किसी स्कीम के यूनिटों/शेयरों की खरीद और बिक्री मूल्यों से बीच अधिकतम अन्तर, बिक्री मूल्य के आधार पर लगाए गए हिसाब से 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. किसी स्कीम के सम्बन्ध में की गई घोषणाओं में निवेशों के मूल्यांकन के लिए अपनाई

जाने वाली पद्धति का उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा, लगातार मूल्यांकनों के बीच छः महीने से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

VI. विवरण नीति :

1. म्युच्अल निधियों को, उनके द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित आय का 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक यूनिटधारियों के बीच वितरित करना चाहिए। अर्जित की जाने वाली ऐसी वर्तमान आय को वार्षिक खातों के बन्द करने के तत्काल बाद ही वितरित कर दिया जाना चाहिए। ऐसी निधियों के मामलों में, जहां आय को निधि, अर्थात संचयी निवेश स्कीमें या विशुद्धतः विकास प्रधान निधियों में शामिल करने का प्रस्ताव हो, तो निवेशकर्ताओं को प्रस्ताव करते समय पूर्ण प्रकटन किया जाना चाहिए।

2. धारित निवेश पर मूल्यह्रास और अप्राप्य या सन्देहपूर्ण कर्जों के लिए प्रावधान को, यदि कोई हो, कोई लाभांश घोषित करने से पहले, लेखापरीक्षकों की संतुष्टि पर ही व्यवस्थित की जानी चाहिए।

3. मुक्त स्कीमों के लिए लाभांशों में अत्यन्त वार्षिक भिन्नताओं से बचने की दृष्टि से, म्युच्अल निधियों को, अपनी अधिशेष आय का एक भाग समायोजित करके, एक लाभांश समानीकरण निधि का निर्माण करना चाहिए।

VII. लेखा विवरण :

1. म्युच्अल निधियों को, शुरू की गई प्रत्येक स्कीम के सम्बन्ध में अलग-अलग खाते रखने चाहिए जिनमें प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों को अलग-अलग दिखाया जाए।

2. म्युच्अल निधियों को, प्रत्येक स्कीम के सम्बन्ध में एक लेखा-विवरण तैयार करना चाहिए जिसमें परिसम्पत्तियों और देनदारियों, आय और व्यय के सम्बन्ध में ब्यौरे दिए गए हों।

3. म्युच्अल निधियों के कामकाज की एक अथवा अधिक ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की जाएगी जो लागू कानून के अन्तर्गत लेखापरीक्षकों का काम करने के लिए योग्य हों।

4. लेखा पद्धति और प्रकट सम्बन्धी आवश्यकताएं भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

VIII. सामान्य :

1. ये रूपरेखाएं, विदेश में कायम की गई भारत की वैधीय निधियों, अर्थात इंडिया फंड, इंडिया ग्रोथ फंड इंडिया मेग्नम फंड इत्यादि पर लागू नहीं होंगी, जिनका अनुमोदन वित्त मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा किया जाना जारी रहेगा और वे अपनी-अपनी स्कीमों द्वारा अधिशासित होंगे।

2. शेयरों में संस्थात्मक लेन-देन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी की गई प्रकटन

सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाएं, वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा प्रवर्तित म्युच्अल निधियों पर भी लागू होंगी।

एफ० संख्या 1/44/एस०ई०/86-भाग-IV

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून, 1990

आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि ऋणों की वसूली

771. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत :**

श्री आर० एन० राकेश :

श्री बी० एन० रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि ऋणों की वसूली स्थगित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश में हाल के समुद्री तूफान से, प्रभावित व्यक्तियों को तेजी से राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 1990 में वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। अगस्त 1984 के इसके मार्ग निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अल्पावधिक उत्पादन ऋणों को माध्यावधिक ऋणों में परिवर्तित करने, वर्तमान सावधि ऋण की किस्तों का पुनर्निर्धारण करने और प्रभावित व्यक्तियों को नए फसल/सावधि ऋण देने के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे उसके नवम्बर 1988 के मार्गनिर्देशों के अनुसार क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत करने/पुनर्निर्माण करने के प्रयोजन के लिए आवास वित्त प्रदान करें। प्रभावित परिवारों को 500/-रुपये तक के उपभोक्ता ऋण भी दिए जा सकते हैं।

उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के न्यायाधीशों और महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

772. **श्री कृपाल सिंह :**

श्री हुकमदेव नारायण यादव :

श्री के० डी० सुलतान पुरी : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है और इनमें से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों और महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सरकार को

अभ्यावेदन भेजा गया है जिसमें इन श्रेणियों के लोगों के नाम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अब तक न्यायालय-वार कितने मामलों में स्वीकृति प्रदान की है; और

(घ) सरकार का उच्च न्यायालयों में इन समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये और क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) नियुक्तियां करते समय जाति, समुदाय आदि की बाबत जानकारी विशेष रूप से नहीं मांगी जाती है। अत: यह बताना सम्भव नहीं है कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों/जनजातियों अल्पसंख्यक समुदायों आदि के सदस्यों की बाबत, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों से कितनी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं या निपटायी गयी हैं। तथापि सरकार ने मुख्य न्यायमूर्तियों और मुख्य मन्त्रियों से अनुरोध किया है कि वे इन वर्गों के विधि व्यवसायियों में से ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएं जिससे कि उन्हें न्यायालयों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयातित धातुओं की गैर-कानूनी बिक्री सम्बन्धी गिरोह

773. **श्री कमल नाथ :**
श्री संजय लाल :
श्री आर० एन० राकेश :
श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयातित धातुओं की औद्योगिक प्रयोग हेतु गैर-कानूनी बिक्री में संलग्न एक बड़े गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस मामले में शामिल लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे गिरोहों के पुन: पनपने से रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणिल चोधरन) : (क) से (घ) आयात-निर्यात नीति और क्रियाविधि सम्बन्धी पुस्तिका के अनुसार खनिज और धातु व्यापार निगम अनेक लघु उद्योग इकाईयों का अलौह धातु देता है। उक्त अलौह धातु सम्बन्धित प्रायोजक अभिकरण (दिल्ली में लघु उद्योग एकको के उद्योग आयुक्त की सिफारिशों के आधार पर रिलीज किया जाता है। अथवा आपूर्ति के प्राधिकृत स्त्रोतों से की गई खरीद में से पिछले 2 वर्षों में से किसी भी वर्ष की प्रमाणिक खपत, इनमें से जो भी अधिक हो उतनी मात्रा रिलीज की जाती है।

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने वास्तविक प्रयोक्ताओं के रूप में एम० एम० टी० सी० से प्राप्त किए गए अलौह-धातुओं की बिक्री में कथित रूप से शामिल 3 व्यक्तियों के व्यापारिक तथा आवासीय परिसरों की तलाशी ली थी। जांच से पता चला है कि अनेक जाली फर्में स्थापित की गई थीं और इन फर्मों ने वास्तविक प्रयोक्ता शर्तें पर धातुओं की खरीद की थी। तथापि, धातुओं को खुले बाजार में प्रीमियम पर बेचा गया था। अब तक पता लगाए गए मामलों में एम० एम० टी० सी० से ले जाई गई धातुएं 8.5 करोड़ रु० की थी। इन 3 व्यक्तियों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और आयात-निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली प्रशासन के उपायुक्त ने इस प्रकार की जाली फर्मों के पंजीकरण समाप्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है और दिल्ली प्रशासन की सलाह पर एम० एम० टी० सी० ने नवम्बर, 1989 में इन फर्मों की आपूर्तियां बन्द कर दी थी।

यूनाइटिड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के पास बीमा के लम्बित पड़े मामले

[हिन्दी]

774. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटिड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि० के पास उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों के बीमा के कई मामले काफी लम्बे समय से लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या लाभग्राहियों के हितार्थ इन क्षेत्रों में कम्पनी का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रीय कार्यालय कब तक खोला जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) यूनाइटिड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली शाखाओं के पास लंबित पड़े दावों की अवधि-वार ब्यौरे से संबंधित सूचना निम्न प्रकार हैं :

अवधि	लम्बित पड़े दावों की संख्या		
	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	चमोली
6 महीने तक	5	12	शून्य
6 महीने से एक वर्ष	3	20	शून्य
एक वर्ष से 3 वर्ष	1	शून्य	शून्य
3 वर्ष से अधिक	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

मध्य प्रदेश में विदेशी पर्यटक

775. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विदेशी

पर्यटकों की संख्या क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश की यात्रा की और उनसे इस अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित आंकड़े संकलित नहीं किए जा रहे हैं।

भारत को विश्व बैंक सहायता

776. प्रो० महादेव शिवनकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से वर्ष-वार कितनी धनराशि की विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गये प्रयासों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्व बैंक से प्राप्त ऋण/उधार की वर्ष-वार धनराशि निम्नानुसार है : —

(लाख डालर)

वर्ष	ऋण/उधार
1985-86	13144
1986-87	12941
1987-88	22063
1988-89	24701
1989-90	20124

(ख) विदेशी सहायता से वित्तपोषित परियोजनाओं की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। अनुमोदनों के लिए प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है और परियोजना की प्रगति का परिवीक्षण किया जा रहा है, ताकि पहले से वचनबद्ध किए गए ऋणों/उधारों के संवितरण में सुधार किया जा सके।

ऋण सम्पत्ति के संरक्षक द्वारा दावों का निपटान

[अनुवाद]

777. श्री हनुमान मोल्लाह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऋण सम्पत्ति के संरक्षक के कार्यालयों को सभी वास्तविक दावों के संतोषजनक निपटान होने तक खोले रखने का है;

(ख) सरकार के पास इस समय कितने दावे विचाराधीन हैं और वे अन्तिम निर्णय के लिए किस चरण में हैं;

(ग) अब तक कितने मामलों को निपटाया गया है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने का प्रस्ताव है जो पहले अपने दावे दर्ज नहीं कर सके थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) बम्बई और कलकत्ता स्थित शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालयों के कार्य को दिल्ली में मंत्रालय को अन्तरित कर दिया जाएगा और अन्ततः इन कार्यालयों को बन्द कर दिया जाएगा। किसी भी तरह से दावों के निपटान से सम्बन्धित कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) और (ग) अनुग्रही योजना के अन्तर्गत दर्ज किए गए कुल 57/493 दावों में से 50,420 दावों के मामलों को निपटा दिया गया है। 7073 दावों को निपटाना शेष है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोवालम में केरल विकास निगम के होटल के कमरों के निर्माण के लिए भूमि का आबंटन

778. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोवालम में केरल पर्यटन विकास निगम के होटल और भारत पर्यटन विकास निगम के होटल के बीच खाली पड़ी भूमि को वर्तमान केरल पर्यटन विकास निगम के होटल में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने और 100 कमरों वाले एक नये प्रखण्ड के निर्माण हेतु आबंटित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केरल पर्यटन विकास निगम को केरल के कोवलम समुद्र-तट पर भूमि देने की स्थिति में नहीं है।

उच्चतम न्यायालय में अल्पसंख्यक समुदाय के न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व

779. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या है;

(ख) इनमें से पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध न्यायाधीशों तथा महिला-न्यायाधीशों की संख्या क्या है; और

(ग) उक्त श्रेणियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत छब्बीस पदों में से पच्चीस न्यायाधीश पदासीन हैं।

(ख) उच्चतम न्यायालय में एक महिला न्यायाधीश है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दो न्यायाधीश अनुसूचित जाति के है।

(ग) सरकार पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध व्यक्तियों और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सभी संभव प्रयास करती है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

780. श्री अनादि चरण दास : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि वहां आरक्षण सम्बन्धी नियमों को कार्यान्वित किया जाए ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों द्वारा कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को दिए गए ऋण

[हिन्दी]

781. श्री जनार्दन तिवारी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1988, 1989 और 1990 (30 जून तक) में औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को कितनी-कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किए हैं;

(ख) उक्त वर्षों में इन दोनों क्षेत्रों से ऋणों की वसूली का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है;

(ग) 3 जून 1990 की स्थिति के अनुसार ऋणों के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन आवेदकों को शीघ्र ही ऋण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को जून 1988 और जून 1989 के अन्त तक उपलब्ध कराए

गए ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए)

	जून 1988	जून 1989
कृषि	12285	14,133
उद्योग	37231	47,412

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के केवल प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की वसूली से सम्बन्धित कार्य निष्पादन की निगरानी करता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जून 1987 और जून 1988 के अन्त की स्थिति के अनुसार कार्यनिष्पादन क्रमश: 57.1 प्रतिशत और 57.2 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों से अनुरोध किया है कि प्राथमिकता क्षेत्र के 25,000 रुपये तक के अग्रिमों से सम्बन्धित आवेदनों का निपटारा एक पखवाड़े के भीतर और 25,000 रुपये से अधिक के आवेदनों का निपटारा 8 से 9 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।

"इनसेट-1 डी" उपग्रह का उपयोग कर आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

[अनुवाद]

782. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के वर्तमान कार्यक्रमों के समय में वृद्धि करके तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करके एवं उन दूरदर्शन केन्द्रों पर, जहां दूसरा चैनल नहीं है, दूसरा चैनल चालू करके "इनसेट-1 डी" उपग्रह का उपयोग करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) अन्तरिक्ष खण्ड में क्षमता की उपलब्धता का न तो मौजूदा सेवाओं के समय को बढ़ाने से और न ही चुने हुए स्थानों पर दूरदर्शन के दूसरे चैनल की सेवा आरम्भ करने से सीधा सम्बन्ध है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए जमीन पर ट्रांसमीटर लगाने होते हैं।

देवगढ़ (बिहार) का तीर्थस्थान के रूप में विकास

783. **श्री प्रताप सिंह** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से देवगढ़ को एक तीर्थस्थान के रूप में विकसित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार का इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि आवंटित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में पर्यटन विकास हेतु सहायता

784. प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री टी० अब्दुर : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास हेतु कोई नये प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में चालू वर्ष के दौरान राज्य को कुल कितनी वित्तीय सहायता आवंटित किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (घ) वर्ष 1990-91 के लिए केरल सरकार के परामर्श से निम्नलिखित स्कीमों को प्राथमिकता दी गई है :—

1. ट्रेकिंग हेतु 50 टेन्ट ।

2. कोचिन से कोट्टायम के बीच तटीय सुख-सुविधाएं ।

3. त्रिवेन्द्रम में यात्री केन्द्र ।

4. पथिरीनिमानम में पर्यटक कुटीर ।

5. कोचिन और कोवलम हेतु जल-क्रीड़ा उपकरण ।

तथापि, राज्य सरकार से विस्तृत अनुमानों सहित परियोजनाओं के प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सहकारी ऋणों पर ब्याज पर राजसहायता देने की मांग

785. श्री ए० विजयराघवन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने यह अभ्यावेदन किया है कि सहकारी ऋणों की समय पर अदायगी किए जाने पर उन पर लगाये जाने वाले ब्याज पर 5 प्रतिशत राजसहायता प्रदान की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजित पांजा) :(क) से (ग) केरल की राज्य सरकार ने भारत

सरकार तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को जनवरी 1990 में एक योजना भेजी थी, जो ऋणकर्ताओं द्वारा उधार ली गई रकम की ब्याज दर पर सब्सिडी दिए जाने, अर्थात् ब्याज की दर से 5% कम ब्याज वसूल करने तथा ब्याज सब्सिडी की यह रकम सहकारी समितियों को राज्य सरकार द्वारा अदा किए जाने से संबंधित थी। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ब्याज सब्सिडी योजना के पक्ष में नहीं है अत: राज्य सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

बैंकों में कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं में एकरूपता

[हिन्दी]

786. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाले वेतन और अन्य सुविधाओं में एकरूपता लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कर्मकारों का वेतनमान एक समान है। अलबत्ता, ऐतिहासिक कारणों से भारतीय स्टेट बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के स्केल-V और ऊपर के अधिकारियों के वेतनमान में थोड़ा अन्तर है।

कुवैत को भैंस के मांस का निर्यात

[अनुवाद]

787. **श्री ई० एस० एम० याकीर मोहम्मद** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मांस निर्यातकों को दिए जाने वाला 10 प्रतिशत नकद प्रोत्साहन बन्द कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह महंगा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी वजह से कुवैत ने भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले भैंस के मांस का बहिष्कार किया है, जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता (सी० सी० एस०) के मामलों में निर्णय सरकार की एक अन्त: मंत्रालयी समिति द्वारा निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत लागत आंकड़ों पर विचार करने के पश्चात लिया जाता है। कुछ मांस निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत लागत आंकड़ों की जांच करने के पश्चात समिति ने भैंस के फ्रोजेन मांस पर नकद मुआवजा सहायता देने के लिए कोई औचित्य नहीं पाया और इसीलिए इस पद पर दी जाने वाली नकद मुआवजा सहायता 1-6-1990 से वापिस ले ली गई है।

कुवैत में हमारे राजदूतावास ने जानकारी दी है कि जहां तक उन्हें पता चला है कुवैत भारतीय

भैंस के मांस का बहिष्कार नहीं है। अभी यह कहा जा सकता है कि नकद मुआवजा सहायता को वापस लेने से अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हुई है।

(ग) मांस निर्यातकों को समस्त लागत आंकड़े फिर से प्रस्तुत करने का परामर्श दिया है ताकि नकद मुआवजा सहायता प्रदान करने प्रश्न पर समीक्षा को सरल बनाया जा सके।

सरकारी व्यय में कमी

788. **श्री इरा अग्वारालु :**

श्री परसराम भारद्वाज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी व्यय में कटौती करने हेतु मंत्रालयों को आवंटित की गई धन-राशि में 10 प्रतिशत और अपने विदेशी यात्रा व्यय में 20 प्रतिशत कटौती करने के अतिरिक्त अनेक आर्थिक उपाय खोजे करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकार ने सरकारी खर्च को नियंत्रण में रखने के लिए हिदायतें जारी की हैं।

(ख) सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे महंगाई भत्ते पर अतिरिक्त वचनबद्धताओं को, उनके लिए किए गए स्थापना संबंधी व्यय के प्रावधान के अन्तर्गत ही पूरा करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे अपने-अपने बजट के अन्तर्गत ही, उनके द्वारा मांगी गई अतिरिक्त खर्च के लिए प्रावधान की राशियों की समतुल्य बचतों का पता लगाएं। मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के सम्पूर्ण क्षेत्र की समीक्षा उन कार्यों एवं गतिविधियों को कम करने के उद्देश्य से करें जो अब प्रासंगिक नहीं हैं अथवा जिन्हें किसी अन्य तरीके से और अधिक किफायती ढंग से निष्पादित किया जा सकता है। मन्त्रालयों को हिदायतें दी गई हैं कि वे अपने नियंत्रणाधीन संवर्द्धनकारी एजेंसियों के विदेशी कार्यालयों को बन्द कर दें। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह भी कहा गया है कि वे विदेश यात्रा संबंधी खर्च को घटाकर वर्ष 1989-90 के वास्तविक खर्च के अथवा चालू वर्ष के बजट प्रावधान के, इनमें से जो भी कम हो, के 75 प्रतिशत तक कर दें। सरकारी वाहनों में पेट्रोल और डीजल की खपत को भी वर्ष 1989-90 की खपत के मुकाबले 20 प्रतिशत कम किया जाना है।

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत

[हिन्दी]

789. **श्री राजवीर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को प्रसारण की सुविधा का पूरा लाभ प्राप्त है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र का विस्तार करना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) इस समय उत्तर प्रदेश की 87.6% प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 86.8 है। बरेली में उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर, मुस्यारी में एक अति अल्प शक्ति (2 × 10 वाट) ट्रांसमीटर तथा मसूरी और चुर्क में एक-एक ट्रांसपोजर के चालू हो जाने पर उत्तर प्रदेश की करीब 92 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 91.6 होगा। सातवीं योजना की आगे लाई गई स्कीमों के अंग के रूप में इन पर काम हो रहा है। सरकार का राज्य में जितनी जल्दी हो सके दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करने का प्रयास है लेकिन ऐसा करना इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विदेशी ऋण

[अनुवाद]

790. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विदेशी ऋण लेने में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और वर्तमान स्थिति के अनुसार कुल कितना विदेशी ऋण (विदेशी मुद्रा में) है;

(ख) सरकार द्वारा लिए जाने वाले विदेशी ऋण का प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत ब्याज के रूप में दे दिया जाता है और निर्यातों से अर्जित आय में से इसके लिए कितने प्रतिशत ब्याज के रूप में दे दी जाती है;

(ग) सरकारी खर्च में कमी करने के लिए यदि कोई प्राथमिकताएं हैं तो वे कौन-कौन सी हैं और इसके लिए कौन-कौन से क्षेत्रों का पता लगाया गया है और क्या सरकारी राज-सहायता में कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) 1988-89 की तुलना में 1989-90 के दौरान सरकारी उधारों (स्वदेशी तथा विदेशी) में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया विदेशी ऋण लगभग 467510 लाख अमरीकी डालर के हैं, जो कि प्रचलित विनिमय दर के अनुसार 80132 करोड़ रुपये के बराबर हैं। कुल ऋण परिशोधन अदायगी (अर्थात् मूलधन की वापसी और ब्याज का भुगतान) देश के निर्यातों और सकल अदृश्य आय का लगभग 21.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) सभी मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वे प्रशासनिक व्यय के भार में कमी करने के लिए सतत प्रयास करें और चल रहे सभी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की सावधानीपूर्वक जांच करें। व्यय का बारीकी से परिवीक्षण करने के उपाय भी किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह बजटीय लक्ष्यों से अधिक न हो।

तस्करी-विरोधी सलाहकार्तालय की स्थापना करने का प्रस्ताव

791. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बर्मा सीमा पर तस्करी की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बर्मा के साथ लगने वाली देश की सीमा पर तस्करी-विरोधी समाहर्तालय की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत-बर्मा बार्डर तस्करी के लिए निरन्तर संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। तथापि, यह कहना सम्भव नहीं है कि इस प्रकार की तस्करी संबंधी गतिविधियों में किसी समय विशेष में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है अथवा नहीं। इस बार्डर के आर-पार से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए सीमाशुल्क निवारण उप-समाहर्तालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

काफी बोर्ड द्वारा गड़बड़ी की जांच

792. श्री जी० एस० वासवराज :

श्री कैलाश मेघवाल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड द्वारा की गई जांच से यह पता चलता है कि संसाधित कार्यों से काफी का भारी दुरुपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया है; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) काफी बोर्ड द्वारा की गई जांच से पता चला है कि चार काफी संसाधन कारखानों ने लगभग 7[illegible].29 लाख रुपये मूल्य की 325.41 मी० टन काफी का दुरुपयोग किया। जिन तीन काफी कारखानों की वजह से पूल को काफी के मूल्य में 11 लाख रुपये से कम की क्षति हुई थी उनके संबंध में लगाए गए अर्थदण्ड के साथ-साथ काफी का मूल्य वसूल करने के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं और यह वसूली संबंधित संसाधन कारखानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संसाधन पारिश्रमिक बिलों की राशियों में से की जा रही है।

चौथे काफी संसाधन कारखाने से संबंधित मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

महंगाई भत्ते का भुगतान रोकना

793. श्री उत्तम राठौड़ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 3500 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई, 1990 से देय महंगाई भत्ते का नगद भुगतान रोकने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1 जुलाई, 1990 से देय महंगाई भत्ते का एक श्रेणी के कर्मचारियों को भुगतान करने तथा अन्य श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) जी, हां। यह निर्णय लिया गया है कि 3500/- रु० प्रतिमाह से अधिक वेतन लेने वाले केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को 1 जुलाई, 1990 से देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त की राशि का नकद भुगतान नहीं किया जाएगा बल्कि इसके बजाय इस राशि को उनके अपने-अपने भविष्य निधि खातों में जमा कर दिया जाएगा। चूंकि कम वेतनभोगी कर्मचारियों पर मूल्य-वृद्धि का अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, अत: 3500/- रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का नकद भुगतान किया जाएगा।

अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वर्ण आभूषण का आयात

794. **श्री बबनराव ढाकणे :**
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री गोपाल पचेरवाल :
श्री पलाई के० एम० मैय्यू : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से आने वाले अनिवासी भारतीय तथा अन्य लोगों को निर्धारित शुल्क अदा करने के पश्चात् निश्चित मात्रा में सोना लाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनिवासी भारतीयों को स्वर्ण/स्वर्ण आभूषण आयात करने की अनुमति देने से क्या लाभ होंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) इस संबंध में एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है, परन्तु अभी तक प्रस्ताव नहीं किया गया है और इसीलिए, ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

अनिवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से छूट

795. **श्रीमती चेन्नुपति विद्या :**
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :
श्री बी० एन० रेड्डी :
श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों को विदेशों में उनकी सम्पत्ति की घोषणा करने, स्वदेश लौटाये जाने वाले पूंजी निवेश और विदेशी मुद्रा अनिवासी एफ० सी० एन० आर० जमा राशि को रोकने की विदेशी मुद्रा अधिनियमन के अन्तर्गत छूट देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनिवासी भारतीयों को बुनियादी ढांचे, विद्युत उत्पादन और पूंजीगत समान जैसे क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने हेतु कृप्रेरित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) एक प्रस्ताव की जांच की

जा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यदि अनिवासी भारतीय औद्योगिक/कारोबारी उद्यमों की स्थापना हेतु या विशिष्ट अल्पावधिक कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए अस्थायी अवधि के लिए भारत आना चाहे, तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के विभिन्न उपबन्धों के अधीन, उनके द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों की घोषणा करने से छूट प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) नीतियों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए और भावी अनिवासी भारतीय निवेशकों के लिए अड़चनें दूर करने के लिए, सरकार नीतियों और योजनाओं की निरन्तर समीक्षा करती है।

नामीबिया के सहयोग से संयुक्त उद्यम

797. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नामिबिया के सहयोग से संयुक्त उद्यम लगाने की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में दिल्ली में नामिबिया के मंत्री से इस संबंध में कोई बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणिल चौधरन) : (क) से (ग) दिनांक 8 जून, 1990 को नई दिल्ली में नामीबिया के खान एवं ऊर्जा मंत्री के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप भारत निम्नलिखित बातों से सहमत हुआ है :

(क) नामीबिया सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नामजद किए जाने वाले 50 अभ्यर्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण देना।

(ख) नामीबिया के चुनींदा क्षेत्रों में 10 अधिकारियों/विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त करना, और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र में पायलट परियोजनाएं स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए अध्ययन करना।

भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में अफ्रीका कोष के तहत सहायता देने पर भी सहमत हो गया है :

1. जल संसाधन और पम्पों की सप्लाई तथा छोटे जलाशयों की सुविधाओं के क्षेत्र में सम्भाव्यता अध्ययन।

2. औषधियां तथा चलता-फिरता चिकित्सालय।

3. शिक्षा के क्षेत्र में संभाव्यता अध्ययन और

4. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता।

भारत सरकार से सरकार को 100 मिलियन रुपए के ऋण देने पर भी सहमत हो गया है, ताकि भारत से पूंजीगत माल तथा ऐसी अन्य मदों का आयात किया जा सके, जिन पर दोनों देशों के बीच परस्पर सहमति हो।

बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलना

[हिन्दी]

798. **श्री जनार्दन यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखा विस्तार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के बारे में क्या निर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 31 जुलाई, 1990 तक कितनी शाखाएं खोलने की सिफारिश की गई है; और

(ग) नई शाखाएं खोलने के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं तथा उपरोक्त तारीख तक खोली गई वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) 1985-90 के लिए पिछली शाखा लाइसेंसिंग नीति दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त हो गई है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेश जारी नहीं किए हैं चूंकि अगली शाखा लाइसेंसिंग नीति के मार्ग निर्देशों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पिछली नीति के अनुसार बिहार सरकार द्वारा सिफारिश की गई शाखाओं की संख्या, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवंटित केन्द्रों की संख्या और वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई शाखाओं की संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवंटित की गई शाखाओं की संख्या	खोली गई शाखाएं	
		वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
1115	622	334	60

रोसड़ा, बिहार में उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किया जाना

799. **श्री बसई चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रोसड़ा, बिहार में उच्च शक्ति प्राप्त टेलीविजन रिले केन्द्र की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, दूरदर्शन का देश के कवर न हुए भागों में यथाशीघ्र दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का प्रयास है परन्तु यह उद्देश्य दूरदर्शन विस्तार की योजनाओं के अन्तर्गत पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए चरण-बद्ध ढंग से ही पूरा किया जा सकता है।

कुछ अनिवासी भारतीयों द्वारा धोखाधड़ी

[अनुवाद]

800. श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :

श्री आर० गुण्डू राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में हाल ही में कुछ अनिवासी भारतीयों द्वारा धोखाधड़ी करने की घटनाएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भारत का बार-बार दौरा करने वाले अनिवासी भारतीयों की इन गतिविधियों पर रोक लगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अखिल दास्त्री) : (क) जबकि समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, परन्तु उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार कुछ अनिवासी भारतीयों द्वारा हाल ही में निवेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत धोखाधड़ी किए जाने का कोई भी सबूत सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार के पूर्व और पश्चिमी चम्पारण जिलों का विकास

801. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पूर्व और पश्चिम चम्पारण जिलों का इनकी इतिहास के महत्वता को देखते हुए पर्यटकों के आकर्षण के लिए विकास करना है और उन्हें पर्यटन मानचित्र पर शामिल करना है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इन जिलों में पर्यटन के विकास के लिए बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राज्य को इस प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरदाल अलिक) : (क) पर्यटन का विकास करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तथापि, राज्य सरकार के परामर्श से संवर्धन हेतु बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिलों के पर्यटक अभिरुचि के कुछ स्थल, अभिनिर्धारित तीन यात्रा परिपथों में से एक में शामिल किए गए हैं।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 1990-91 में वाल्मीकि नगर में पर्यटक परिसर के निर्माण हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता को प्राथमिकता प्रदान की है। प्रस्ताव अभी-अभी प्राप्त हुआ है और समीक्षाधीन है।

पालमपुर, कांगड़ा में टेलीविजन टावर

802. **श्री डी० डी० खनोरिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालमपुर, कांगड़ा में टेलीविजन टावर के निर्माण की संभावना की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) सरकार का प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले सहित देश के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का यथाशीघ्र विस्तार किया जाए लेकिन यह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

हिमाचल प्रदेश में होटलों के निर्माण के लिए दी गई राज-सहायता

[हिन्दी]

803. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकार होटलों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राज-सहायता प्रदान की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : केन्द्र सरकार गैर-सरकारी होटलों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों को राज्य-सहायता नहीं देता।

वर्ष 1990 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

804. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान कितने दूरदर्शन केन्द्र खोले गये हैं अथवा खोलने का विचार है;

(ख) इन्दौर दूरदर्शन केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या उसकी पूरी क्षमता उपयोग में आ रही है; और

(घ) इस केन्द्र से लाभान्वित होने वाले स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक चालू किए गए दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान चालू किये जाने वाले केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन्दौर के उच्च शक्ति (10 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर से लगभग 120 कि०मी० के क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है जिसमें किनारे के क्षेत्र भी शामिल हैं जहां एलीवेटिड तथा मल्टी-एलिमेंट एंटीना, बूस्टरों आदि की मदद में संतोषजनक सिग्नल प्राप्त करना संभव है।

(ग) जी, हां ।

(घ) इन्दौर का उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर मध्य प्रदेश के इन्दौर, उज्जैन, झाबुआ, रतलाम, धार, पश्चिम निमाड़, देवास, सिहोर तथा शाजापुर जिलों को पूर्णत: अथवा अंशत: सेवा प्रदान करता है ।

विवरण

1. 1-1-90 तथा 10-8-90 के बीच चालू किए गए दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या

1. कार्यक्रम निर्माण सुविधा (पी० जी० एफ०) केन्द्र — 1
2. उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर – 2
   [अल्प शक्ति (100 वाट) के स्थान पर 1 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर]
   1 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर एक अन्य उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 कि० वा०)
3. उच्च शक्ति (1 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर—2
   [अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (100 वाट) के स्थान पर 1 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर]
4. अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर—5
5. अति अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर—3
6. ट्रांसपोजर—4

2. वर्ष 1990-91 की शेष अवधि के दौरान शुरू किए जाने वाले दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या

1. टी० वी० स्टूडियो केन्द्र	—9*
2. उच्च शक्ति (10 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर (1 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान एक और उच्च शक्ति (1 कि० वा०)	—3
3. उच्च शक्ति (1 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर	—1
4. अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर	—1
5. अति अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर	—2
6. ट्रांसपोजर	—2

उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाना

[अनुवाद]

805. श्री नकुल नायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के अनेक लोगों ने उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण लिये हैं, लेकिन उन्होंने कोई उद्योग स्थापित नहीं किया है;

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के कितने लोगों ने उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण लिया;

(च) इनमें से कितने लोगों ने उद्योग स्थापित नहीं किए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा में दिसम्बर, 1984, 1985, 1986, 1987 और जून, 1988 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार लघु उद्योग औद्योगिक इकाइयों की ऋणकर्ता खातों की संख्या क्रमशः 59075, 65907, 74940, 103557 और 127694 थी जिनका वित्तपोषण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया गया। अलबत्ता, वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। ऋणकर्ताओं द्वारा बैंक ऋणों के दुरुपयोग के मामले में, उनसे उधार दी गई राशि की वसूली प्रतिभूतियां लागू करके तथा जहां आवश्यक हो, मामले को न्यायालय में ले जाकर की जाती है।

स्वर्णकारों की इमारतों पर छापा

806. **श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्पादन सीमा शुल्क के कर्मचारियों द्वारा समुद्र तटीय क्षेत्र सहित देश के विभिन्न भागों में कई स्वर्णकारों की इमारतों पर छापे मारे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश के अन्दर सोना और चांदी खरीदने तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले जाने के मामले में स्वर्णकारों को परेशान किये जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के कुछ अधिकारियों के आवासों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

807. **श्री गंगा चरण लोधी** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम के कुछ उच्च अधिकारियों के आवासों पर, उनके पास अपनी आय से अधिक सम्पत्ति होने के मामलों के कारण छापे मारे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां। अभी हाल ही में, दिनांक 26-6-90 को भारत पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ कार्यपालक के आवास पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा गया था।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मामला जांच की प्रारम्भिक अवस्था में है। इसलिये अभी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

किसानों तथा कारीगरों द्वारा सहकारी बैंकों से ऋण

808. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में सहकारी बैंक छोटे और सीमान्त किसानों तथा करीगरों के लिए 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार 10,000 रुपये तक के ऋणों को माफ करने के किसी आवेदन पर विचार नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी गई सलाह में आधार पर सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के लिये ऋण राहत योजना तैयार करने के वास्ते कई राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कदम उठाये गये हैं। योजना के सुचारु और शीघ्र कार्यान्वयन के वास्ते राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सभी सहकारी बैंकों को उपयुक्त मार्ग निर्देश जारी किये हैं। इन मार्गनिर्देशों और योजना के अन्तर्गत हिताधिकारियों का पता लगाने की प्रक्रिया के आधार पर राज्यों में यह काम अलग-अलग चरणों में है और छोटे किसानों/सीमान्तिक किसानों सहित पता लगाए गए सभी हिताधिकारी योजना के अन्तर्गत राहत प्राप्त करने के पात्र होंगे।

"मोडवेट स्कीम" के सम्बन्ध में कार्यकारी दल की रिपोर्ट

809. **श्री अन्तराव देशमुख** :

कुमारी उमा भारती : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यकारी दल, जिसे "मोडवेट स्कीम" की पुनरीक्षा करने के लिए गठित किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा क्या-क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन सिफारिशों को निकट भविष्य में कार्यान्वित करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) इस दल द्वारा की गयी महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं :—

(I) पैट्रोलियम सैक्टर तम्बाकू उत्पादों, माचिसों तथा सिनेमा फिल्मों, टेक्सटाइल तथा पूंजीगत माल के सम्बन्ध में माडवेट स्कीम लागू करने की सिफारिश नहीं की जाती है। तथापि, पेट्रोलियम की कुछ मदों तथा टेक्सटाइल के माल के सम्बन्ध में वर्तमान मुआदाई अधिसूचना को मॉडवेट-स्कीम के अन्तर्गत लाया जाए।

(II) वाहित-ग्रस के सम्बन्ध में माडवेट स्कीम को लागू करने की सिफारिश की जाती है।

(III) भारत में व्यापक मूल्य वर्धित कर लागू करने का अभी उपयुक्त समय नहीं आता है।

(IV) इस आनुमानिक (नोशनल) क्रेडिट स्कीम को समाप्त कर दिया जाना चाहिये जिसके अन्तर्गत उस शुल्क की अपेक्षा उच्चतर दरों पर निविष्टि क्रेडिट की अनुमति दी जाती है, जिसे लघु उद्योग एककों द्वारा निर्मित उत्पादों के सम्बन्ध में वास्तव में अदा किया गया है क्योंकि इस पद्धति के परिणामस्वरूप माडवेट स्कीम में कुछ विकृतियां पैदा हो गई हैं और इसका दुरुपयोग किया गया है। यह भी देखा गया है कि इस स्कीम से बहुत छोटे-छोटे एककों के साथ भेदभाव होता है।

(V) उत्पादन शुल्क नियमों तथा वर्तमान कार्यविधियों को, युक्तिसंगत सरल बनाने के लिए तथा माडवेट स्कीम के कार्यचालन में सुधार लाने के लिये संशोधित किया जाना चाहिये।

(VI) माडवेट स्कीम से बढ़ गये अतिरिक्त काम को निपटाने के लिए विभाग के कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने, कम्प्यूटरीकरण की सुविधा देने और अधिकारियों को प्रशिक्षण तथा विषय-विशेष की जानकारी देने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

(ग) भारत सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

भारत के पर्यटन मानचित्र में जम्मू क्षेत्र के पर्यटक स्थलों को सम्मिलित करना

810. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू क्षेत्र में सैरेनसर, मनसर, ताता पानी, नूवी छम्ब, कुद, पटनी टाप और मान तलई नामक स्थानों को विदेशी और देश के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु भारत के पर्यटन मानचित्र पर शामिल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक किया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्रों में वैष्णो देवी, तात्ता पानी और कुद को शामिल किया गया है।

कर्मचारियों को वाहन भत्ता

[हिन्दी]

811. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या वित्त मन्त्री सरकारी कर्मचारियों को वाहन भत्ते का भुगतान के बारे में 16 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 818 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में, इस बीच कोई अंतिम निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को सवारी भत्ता देने के संबंध में मध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिये गये अधिनिर्णय पर संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र तथा अनिवार्य मध्यस्थ की स्कीम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

कर अपवंचन के लिए विदेशी शेयर पूंजी वाली कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना

[अनुवाद]

812. श्री कड़िया मुण्डा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी शेयर पूंजी वाली कम्पनियों को उत्पाद और सीमा शुल्क अपवंचन के लिए, जिनका अधिनिर्णय लंबित है, कितने कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और इसके अन्तर्गत कितनी धनराशि की वसूली लंबित पड़ी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की किस्त

813. श्री राम सागर (संबलपुर) :
श्री कमल चौधरी :
श्री कल्पनाथ सोनकर :
श्री बालगोपाल मिश्र :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 1990 से महंगाई भत्ते की एक और किस्त देय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो किस दर से और इसका नकद भुगतान कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) निरन्तर रूप से बढ़ते जा रहे मूल्यों को कम करने के लिए क्या ठोस उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान सम्बन्धी वर्तमान प्रणाली के अनुसार 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ता सितम्बर के वेतन के साथ दिया जाना होता है और वह

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1980=100) के बारह महीने के औसत सूचकांक में 608 के औसत सूचकांक से ऊपर प्रतिशत वृद्धि से सम्बद्ध दरों पर तथा विभिन्न वेतन रेंजों के आधार पर निराकरण के फार्मूले के अनुसार निर्धारित किया जाता है। 3500 रु० प्रतिमाह से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों के बारे में यह निर्णय किया गया है कि उन्हें महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नकद नहीं किया जाएगा बल्कि इसके बजाय यह राशि उनके अपने-अपने भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जाएगी।

(ग) सरकार मुद्रास्फीति की रोकथाम करने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। बजटीय घाटे में कमी करके, मुद्रास्फीति को संकुचित करके तथा सरकारी व्यय में किफायत बरत के राजकोषीय और वित्तीय अनुशासन रखने के लिए उपाय प्रारम्भ किये गये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्थित की जा रही है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड और इस्पात विकास बोर्ड के खातों में जमा धनराशि

814. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल उद्योग विकास बोर्ड और इस्पात विकास बोर्ड के खातों में कुल कितनी धनराशि जमा है;

(ख) यह धनराशि किस उद्देश्य हेतु निर्धारित की गई है और इसका किन कार्यों में उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या इस धनराशि के कुछ भाग का उपयोग बजट के घाटे को कम करने के लिये किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार से उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) 1989-90 के अन्त में तेल उद्योग विकास बोर्ड के खातों में 530.81 करोड़ रुपए की और इस्पात विकास बोर्ड के खाते में 40.12 करोड़ रुपये की राशि शेष थी।

(ख) ये धनराशियां, क्रमशः तेल उद्योग के विकास तथा इस्पात संयंत्रों के पुनर्वास, प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित और उपयोग में लाई जाती हैं।

(ग) जी, नहीं। लेकिन, ये निधियां तेल और इस्पात क्षेत्रों के आन्तरिक संसाधनों के रूप में उनकी वार्षिक योजना का आकार निर्धारित करते समय हिसाब में ले ली जाती हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी सहायता के लिए राजस्थान सरकार का प्रस्ताव

815. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कितनी योजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) राजस्थान सरकार ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल कितनी धनराशि की सहायता का अनुरोध किया है;

(ग) इनमें से अब तक कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई है; और

(घ) राज्य सरकार ने इन योजनाओं के लिए अब तक कितनी धनराशि का ऋण लिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) इस समय राजस्थान में 11 परियोजनाएं हैं, जिन्हें विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त नौ परियोजना प्रस्ताव हैं, जो विदेशी सहायता के विचारार्थ राजस्थान सरकार से प्राप्त हुए हैं। ये जांच-पड़ताल के विभिन्न चरणों में हैं। परियोजनाओं की अन्तिम लागत और संबंधित विदेशी सहायता का इस समय निर्धारण नहीं किया गया है, क्योंकि ये परियोजना के अन्तिम रूप से अनुमोदित कार्यक्षेत्र, प्रतिपक्षी निधियों की उपलब्धता और उपलब्ध विदेशी वचनबद्धताओं पर निर्भर होगा।

चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे सम्बन्धी संलग्न विवरण-1 और विदेशी सहायता के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पता लगाई परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

राजस्थान में परियोजनाओं के ब्यौरे, जिनके लिए विदेशी सहायता की वचनबद्धता की गई है

क्रमांक	परियोजना का नाम	एजेन्सी	ऋण/उधार अनुदान की राशि (दाता करेन्सी)	करार की तारीख	टिप्पणियां
1.	वर्षा वाले क्षेत्रों में जल संभर (वाटरशेड) विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना	विश्व बैंक	310 लाख डालर	8-2-1984	बहुराज्यीय परियोजना, जिसमें राजस्थान एक सहभागी राज्य है
2.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-I	—यथोपरि—	391 लाख डालर	12-12-1984	—यथोपरि—
3.	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी	—यथोपरि—	1650 लाख डालर	24-2-1985	—यथोपरि—
4.	राष्ट्रीय बीज	—यथोपरि—	1500 लाख डालर	12-12-1988	—यथोपरि—
5.	एकीकृत जल-संभर विकास	—यथोपरि—	600 लाख डालर	15-5-1990 को विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित	—यथोपरि—
6.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	—यथोपरि—	2800 लाख डालर	16-9-1989	—यथोपरि—
7.	तकनीशियन शिक्षा	—यथोपरि—	2600 लाख डालर	1-5-1990 को विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित	—यथोपरि—
8.	सरसों के बीज विकास का कार्यक्रम	ई० ई० सी०	ई० सी० यू० 280	7-5-1986	—
9.	बकरी विकास तथा चारा उत्पादन के लिए भारत-स्विस परियोजना	स्विटजरलैंड	एस०आर०एफ०280	1-4-1989	—
10.	राजस्थान लघु सिंचाई कार्यक्रम	जर्मन संघीय गणराज्य	डी० एम० 12.3	29-4-1988	—
11.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना (इंजीनियरी सेवाएं)	जापान	येन 840	27-3-1990	—

विवरण-2

ऐसे परियोजना प्रस्तावों का विवरण, जो राजस्थान सरकार से प्राप्त हुए हैं और जो विचाराधीन हैं।

क्रमांक	परियोजना का नाम
1.	नर्मदा नहर परियोजना
2.	राजस्थान सी० ए० डी० फेज-II
3.	सिद्धमुख और नोहर सिंचाई परियोजना
4.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II का फेज-I
5.	राजस्थान जल-पूर्ति-II
6.	राजस्थान सिंचाई परियोजना
7.	अरावली पहाड़ियों का वनारोपण
8.	इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र चरण-II में वनारोपण और चारागाह विकास
9.	राजस्थान लघु सिंचाई कार्यक्रम फेज-II

हिमाचल प्रदेश में मन्दिरों के खजाने से लिया गया सोना

[हिन्दी]

816. श्री महेश्वर सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड योजना, 1980 (1965 में आरम्भ की गई) के अन्तर्गत कुल्लु और मंडी जिलों के मन्दिरों के खजानों मे कुछ सोना लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन मन्दिरों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) कौन-कौन से मंदिरों का सोना स्वर्ण बांड प्रस्तुत करने पर अब वापस कर दिया गया है और किन-किन मन्दिरों का सोना अभी वापस किया जाना शेष है ?

वित्त मन्त्रालय उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) कुल्लु जिले के मन्दिरों द्वारा सोने का निवेश राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड 1980 में किया गया था; हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले के मन्दिरों से बांडों में कोई निवेश नहीं हुआ था।

(ख) और (ग) कुल्लु जिले के 52 मन्दिरों, जिन्होंने स्वर्ण बांड योजना में निवेश किया था, 8 मन्दिरों, जिन्हें बांड प्रस्तुत करने पर सोना वापस कर दिया गया था और 44 मन्दिरों, जिनका सोना अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मन्दिरों द्वारा सोने को राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1990 में निवेश किया गया।

क्र०सं०	निवेशकर्त्ता का नाम	निवेश किए गए सोने की मात्रा (ग्राम)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास भी जमा सोना (ग्राम)	धारकों को वापस किया गया सोना
1	2	3	4	5
1.	देवता मार्कण्डा, मंगलौर जिला कुल्लू	34	34	
2.	देवता नीलकंठ जिला कुल्लू	6	6	
3.	देवता बीवानी महादेव-कुल्लू	7	7	
4.	देवता खुडी जोल, रघुपुर कुल्लू	37	37	
5.	देवी दर्रा फातीलीट	10	10	
6.	देवता छंबु-कुल्लू	42	—	42 ग्राम
7.	श्री गारा दुर्गा देवी	11	11	
8.	देवी चिमनासन	3	3	
9.	देवता रियासी नाग	7	7	
10.	कसम्भा देवी	8	8	
11.	ठाकुर मुरलीधर	8	8	
12.	देवता भोला नाग	1	1	
13.	देवता भीला मार्कण्डा	4	4	
14.	देवता विष्णारी कोट	3	3	
15.	देवता छर्वांग	16	16	
16.	देवता लक्ष्मी नारायण	27	27	
17.	देवता त्रिपुरी महादेव	13	13	
18.	देवता लक्ष्मी नारायण	23	—	23 ग्राम

1	2	3	4	5
19.	देवता शंकर महादेव	38	—	38 ग्राम
20.	देवता ईश्वर महादेव	32	32	
21.	देवता छमाऊ नाग	49	49	
22.	देवता शमशीती महादेव	83	83	
23.	देवता जीवन नारायण	8	—	8 ग्राम
24.	देवता बीजू महादेव	41	41	
25.	देवता नैना	26	26	
26.	देवता जगन्नाथ भाइखली	15	15	
27.	देवता छंचु	44	—	44 ग्राम
28.	देवता लक्ष्मी नारायण	10	10	
29.	देवता संचूर	11	—	11 ग्राम
30.	देवता बुढी जोल	11	11	
31.	पाछला देवी	16	16	
32.	देवता मझूमी नाग	3	3	
33.	देवता बतन्ती	1	—	1 ग्राम
34.	देवता गुम्बच सब	28	28	
35.	देवता पान्डीर	20	20	
36.	कसुम्भा देवी	3	3	
37.	ठाकुर मुरलीधर	2	2	
38.	देवता कामेश्वर महादेव	9	9	
39.	देवता छबुमी नाग	1	1	
40.	देवता सिराची नाग	1	1	
41.	देवता हिडम्बा मनाली	21	—	21 ग्राम
42.	देवता लक्ष्मी नारायण	11	11	
43.	देवता ब्रहमा पति	8	8	
44.	देवता टकरारी नाग	8	8	
45.	देवता भोला नाग	12	12	

1	2	3	4	5
46.	देवता भोला मर्कण्डा	5	5	
47.	देवी बिगली नाग	17	17	
48.	देवता जालन्धी	18	18	
49.	देवता तराली नाग	2	2	
50.	देवता कुद्दनी महादेव	32	32	
51.	देवता बिजहफी कोट	10	10	
52.	देवता चेवा नाग	2	2	
	जोड़	858	670	188
		(82)	(44)	(8)

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

[अनुवाद]

817. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में जोनों के क्या नाम हैं;

(ख) प्रत्येक जोन में कौन-सा क्षेत्र आता है;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या समान अर्थात 15 प्रतिशत है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इनकी समान संख्या सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 30-6-89 को राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंक-वार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से अनुसूचित जातियों से संबंधित कर्मचारियों के संबंध में क्षेत्रवार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, 31-12-1989 की स्थिति के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार था :

संवर्ग	अनुसूचित जाति
अधिकारी	13502
लिपिक	41522
अधीनस्थ स्टाफ	23703
सफाई कर्मचारी	11018

(च) और (छ) सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की पुस्तिका (7वां संस्करण) के पैरा 2.1 के अनुसार, लिपिकीय एवं अधीनस्थ स्टाफ संवर्गों की भर्ती के मामले में पुस्तिका के परिशिष्ट VII के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है और जो स्थूल रूप से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुरूप है। बैंकों के अधिकारी संवर्गों में भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है और अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से पदों में आरक्षण स्थूल रूप से अखिल भारतीय स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुरूप है।

विवरण

क्र०सं	बैंक का नाम	अंचल कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	भोपाल	भोपाल, बिलासपुर, जबलपुर, झांसी, सतना, सीतापुर
		कलकत्ता (पूर्वोत्तर)	भुवनेश्वर, कलकत्ता-I, कलकत्ता-III, मिदनापुर
		कलकत्ता (उत्तर/पूर्वोत्तर)	बारासात, बहरामपुर, कलकत्ता-II, गुवाहाटी
		नई दिल्ली	चण्डीगढ़, नई दिल्ली
		पटना	भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, रांची।
		कानपुर	हमीरपुर, कानपुर
		लखनऊ	लखनऊ, गोंडा
		मेरठ	खेड़ी, मेरठ छावनी, मुरादाबाद, नैनीताल
2.	आन्ध्रा बैंक	भुवनेश्वर	बेरहामपुर, भुवनेश्वर
		बम्बई	—
		कलकत्ता	—
		गुंटूर	गुंटूर, तेनाली, ओंगोल
		हैदराबाद	हैदराबाद, सिकन्दराबाद
		मद्रास	बंगलौर
		नई दिल्ली	—

1	2	3	4
		तिरुपति	अनन्तपुर, करनूल, नैलौर
		विजयवाड़ा	विजयवाड़ा, एलूरु, मछलीपटनम, भीमवरम ।
		विशाखापतनम	विशाखापत्तनम, राजमुन्दरी, काकीनाडा, श्रीकाकुलम
		वारंगल	वारंगल, करीमनगर, निज़ामाबाद
3.	बैंक आफ बड़ौदा	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहर-I, अहमदाबाद शहर-II, मेहसाणा, जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ, राजकोट
		बड़ौदा	बड़ौदा शहर, बड़ौदा जिला, आनन्द, नडियाड, पंच महल
		सूरत	सूरत शहर, सूरत जिला, भरूच, वालसाड़ और डमज्स, नवसारी
		कलकत्ता	कलकत्ता शहर, मुखाहाटी, पटना, जमशेदपुर, कलकत्ता
		जयपुर	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर
		लखनऊ	लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर
		मेरठ	बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर हल्द्वानी
		मद्रास	मद्रास-I, मद्रास-II, हैदराबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम
		बम्बई	बम्बई शहर, बम्बई पश्चिम, बम्बई पूर्व और ठाने जिला
		बम्बई मुख्य कार्यालय	—
		पुणे	पुणे, पुणे-II, पनजीम, नासिक, नागपुर

1	2	3	4
		नई दिल्ली	नई दिल्ली (दक्षिण), दिल्ली (उत्तर/पश्चिम), करनाल, भोपाल, रायपुर, चण्डीगढ़
4.	बैंक आफ इण्डिया	पटना	धनबाद, गिरीडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची
		बम्बई महानगर	पणजी
		बम्बई उत्तर अंचल	ठाणे
		बम्बई दक्षिण अंचल	
		कलकत्ता	बारासात (कलकत्ता), बर्दवान, सिलीगुड़ी
		अहमदाबाद	गांधीनगर, राजकोट, सूरत, बडोदरा
		भोपाल	भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, खांडवा, उज्जैन
		नागपुर	चन्द्रपुर
		नई दिल्ली	जयपुर
		चण्डीगढ़	—
		भुवनेश्वर	भुवनेश्वर, केआनझर
		पुणे	अलीबाग, कोल्हापुर, पुणे, रत्नागिरी, सोलापुर
		मद्रास	कोयम्बतूर बंगलौर
		लखनऊ	आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी
		हैदराबाद	—
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	बम्बई	बम्बई शहर, बम्बई सब अर्बन, कलकत्ता
		पुणे	पुणे शहर, ग्रामीण पुणे
		नई दिल्ली	नई दिल्ली
		कोल्हापुर	कोल्हापुर, सतारा, रत्नागिरी
		औरंगाबाद	औरंगाबाद, सोलापुर
		नासिक	नासिक, जलगांव

1	2	3	4
		ठाणे	ठाणे ग्रामीण, ठाणे और रायगढ़ अहमदाबाद
		दक्षिणी क्षेत्र	बंगलौर, हैदराबाद
		विदर्भ क्षेत्र	नागपुर, अकोला, चन्द्रपुर क्षेत्र, नागपुर
		भोपाल	भोपाल, जबलपुर
6.	केनरा बैंक	बंगलौर सर्कल कार्यालय	बंगलौर (पूर्वी), बंगलौर (पूर्वी) बंगलौर (दक्षिणी), दवनगौर, गुलबर्गा, कोलार, मैसूर
		बम्बई सर्कल कार्यालय	अहमदाबाद, भोपाल, बम्बई, नागपुर, पुणे, ठाणे
		कलकत्ता सर्कल कार्यालय	भुवनेश्वर, कलकत्ता, गुवाहाटी, पटना, रांची
		चंडीगढ़ सर्कल कार्यालय	अमृतसर, चण्डीगढ़ जयपुर, जालंधर, करनाल
		दिल्ली सर्कल कार्यालय	दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ लखनऊ-I लखनऊ-II, मेरठ
		हैदराबाद सर्कल कार्यालय	हैदराबाद शहर, हैदराबाद मोफस्सिल, विजयवाड़ा, विसाखापतनम
		मद्रास सर्कल कार्यालय	मद्रास (पूर्व), मद्रास (पश्चिम) सलेम, तंजौर, त्रिची, वैल्लौर
		मदुरई सर्कल कार्यालय	कोयम्बतूर, डिंडीगल, इरोड, मदुरई (पूर्व), मदुरई (पश्चिम), तिरूनलवेली, टुटीकोरीन
		मंगलौर सर्कल कार्यालय	चिकमंगलूर, गोवा, हुसन, हुबली, कारवार, मंगलूर, मरकारा, शिमोगा, उडीपी
		त्रिवेन्द्रम सर्कल कार्यालय	कालीकट, कन्नानौर, एर्णाकुलम, पालघाट, माल्लापरम, त्रिचूर, त्रिवेन्द्रम
7.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	बम्बई	दक्षिण बम्बई, उत्तर बम्बई, ठाणे पणजी

1	2	3	4
		पुणे	अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, नासिक
		नागपुर	अकोला, अमरावती, जलगांव, नागपुर
		मद्रास	मद्रास, मदुरै, कोयम्बतूर, त्रिची, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, पांडिचेरी
		भोपाल	भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, इन्दौर, रतलाम, सागर
		अहमदाबाद	अहमदाबाद, आनन्द, बड़ौदा, जामनगर, राजकोट, सूरत
		नई दिल्ली	नई दिल्ली-I, नई दिल्ली-II, कोटा
		चंडीगढ़	अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, शिमला, अम्बाला, रोहतक, चंडीगढ़
		कलकत्ता	कलकत्ता (उत्तर), कलकत्ता (दक्षिण), दुर्गापुर, भुवनेश्वर
		आगरा	बरेली, मेरठ, आगरा, इटावा
		लखनऊ	लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, झांसी
		—	गुवाहाटी
8.	कारपोरेशन बैंक	बम्बई	बम्बई, गोवा, अहमदाबाद
		मंगलौर	उदीपी, कोचीन, हुबली, हुसन
		बंगलौर	बंगलौर, मद्रास, हैदराबाद, गुंटूर
		दिल्ली	दिल्ली, कलकत्ता
9.	देना बैंक	अहमदाबाद	अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद शहरी क्षेत्र, गांधीनगर, पालनपुर मेहसाना
		राजकोट	राजकोट, भुज, भावनगर
		बड़ोदरा	बडोदरा, आनन्द, सूरत
		पूना	पूना, नासिक

1	2	3	4
		बम्बई मैट्रो जोन-I	बम्बई शहर, बम्बई शहरी क्षेत्र
		बम्बई मैट्रो जोन-II	बम्बई मेन आफिस, आई० एफ० शाखा, बम्बई, थाना क्षेत्रीय बम्बई
		भोपाल	रायपुर, इन्दौर
		बंगलौर	बंगलौर, मद्रास
		नई दिल्ली	नई दिल्ली, लखनऊ
		कलकत्ता	कलकत्ता
10.	इण्डियन बैंक	बम्बई	बम्बई, पूना, अहमदाबाद
		कलकत्ता	कलकत्ता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना
		कोयम्बटूर	कोयम्बटूर, धर्मपुरी, सलेम
		दिल्ली	चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ
		इरनाकुलम	बंगलौर, कोचीन, हुबली, त्रिवेन्द्रम
		हैदराबाद	चित्तूर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापटनम
		मद्रास	मद्रास दक्षिण-I, मद्रास दक्षिण-II कांचीपुरम, वैल्लोर
		त्रिची	कुडालोर, मदुरै, त्रिची, पाण्डिचेरी
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	बम्बई	बम्बई-I, बम्बई-II, अहमदाबाद
		कलकत्ता	कलकत्ता, भुवनेश्वर
		हैदराबाद	हैदराबाद, विजयवाड़ा, बंगलौर
		मद्रास	मद्रास, सलेम, कांचीपुरम, वैल्लोर
		मदुरै	मदुरै, तिरुनलवैली, कराईकुडी
		नई दिल्ली	नई दिल्ली, चण्डीगढ़, लखनऊ
		त्रिची	त्रिची, तंजावुर, पांडिचेरी
		त्रिवेन्द्रम	कोचीन, त्रिवेन्द्रम, कोयम्बटूर
12.	न्यू बैंक आफ इण्डिया		अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, भटिंडा, बम्बई, कलकत्ता,

1	2	3	4
			चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर, जालंधर, लखनऊ, लुधियाना, मद्रास, मेरठ, रोहतक
13.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स		अमृतसर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, नई दिल्ली, कलकत्ता, गाजियाबाद, रोहतक, जयपुर, लखनऊ, बम्बई
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	अमृतसर	अमृतसर-I, अमृतसर-II, जालंधर-I, जालंधर-II, गुरदासपुर
		चंडीगढ़	चण्डीगढ़-I, चण्डीगढ़-II, लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट भटिंडा
		नई दिल्ली	नई दिल्ली, दिल्ली, देहरादून, जयपुर, मेरठ, बरेली, लखनऊ
		बम्बई	बम्बई, भोपाल, मद्रास, गुवाहाटी
15.	पंजाब नेशनल बैंक	पटना	पटना-ए, पटना-बी, रांची, आरा, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर
		लुधियाना	लुधियाना, अमृतसर, फिरोजपुर, होशियारपुर, भटिंडा, जालंधर, कपूरथला, चण्डीगढ़, बी० ओ०
		मद्रास	मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद
		दिल्ली	दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली
		कलकत्ता	बर्दवान, कलकत्ता, शिवनापुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर
		भोपाल	भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायपुर
		बम्बई	अहमदाबाद, पुणे, बम्बई, नागपुर, राजकोट
		जयपुर	भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर
		चण्डीगढ़	चण्डीगढ़, धर्मशाला, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक, शिमला, श्रीनगर, हमीरपुर

1	2	3	4
		लखनऊ	लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली, वाराणसी, काशीपुर, फैजाबाद
		मेरठ	आगरा, बुलन्दशहर, देहरादून, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़
16.	सिंडिकेट बैंक	अहमदाबाद	अहमदाबाद, भोपाल
		बंगलौर	बंगलौर पूर्व, बंगलौर पश्चिम, मैसूर
		बेलगांव	बेलगांव, बेल्लारी, बिजापुर, हुबली
		बम्बई	बम्बई, थाने
		कलकत्ता	कलकत्ता, पटना, भुवनेश्वर
		दिल्ली	चण्डीगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद
		हैदराबाद	अनन्तपुर, कुडापाह, हैदराबाद शहरी, हैदराबाद ग्रामीण
		कारवाड़	कारवाड़, पणजी, शिमोगा
		लखनऊ	आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ
		मद्रास	मद्रास, कोयम्बटूर
		मंगलौर	मंगलौर, उडुपी
		पुणे	नागपुर, पुणे
		त्रिवेन्द्रम	कन्नानूर, इरनाकुलम, त्रिवेन्द्रम
		विजयवाड़ा	नेल्लोर, ओंगोल, विजयवाड़ा
17.	यूको बैंक	अहमदाबाद	अहमदाबाद, बड़ोदरा
		भोपाल	भोपाल, इन्दौर, रायपुर
		भुवनेश्वर	भुवनेश्वर, कटक, सम्बलपुर
		बम्बई	बम्बई, नागपुर, पुणे
		कलकत्ता	कलकत्ता/बर्दवान, हावड़ा, साल्ट लेक; सूरी
		चण्डीगढ़	चण्डीगढ़-I, चण्डीगढ़-II, जालंधर
		जयपुर	जयपुर, जोधपुर, अजमेर
		लखनऊ	लखनऊ, बरेली, वाराणसी
		मद्रास	मद्रास, तिरुचिरापल्ली
		पटना	पटना, भागलपुर, रांची

1	2	3	4
		शिमला	शिमला, धर्मशाला (कांगड़ा)
		बंगलौर	बंगलौर, इरनाकुलम, हैदराबाद
		दिल्ली	नई दिल्ली, श्रीनगर
		गुवाहाटी	गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर
18.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	कलकत्ता	गुवाहाटी, पटना, रांची, कलकत्ता, बर्दवान, भुवनेश्वर
		नई दिल्ली	नई दिल्ली, जालंधर, करनाल, चण्डीगढ़ जयपुर
		मद्रास	त्रिवेन्द्रम, कोझीकोड, इरनाकुलम, मदुरई, कोयम्बटूर, मद्रास
		बंगलौर	बंगलौर, बेलगांव, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापतनम
		अहमदाबाद	अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, मेहसाना
		पुणे	कोल्हापुर, नासिक, पुणे, नागपुर, पणजी
		लखनऊ	आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली
		भोपाल	जबलपुर, इन्दौर, रायपुर, रीवा
		बम्बई महानगर अंचल-I	
		बम्बई महानगर अंचल-II	बम्बई दक्षिण, बम्बई उत्तर, थाने
19.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	कलकत्ता-I	कलकत्ता (उत्तर), कलकत्ता (दक्षिण), कलकत्ता (मध्य)
		कलकत्ता-II	24 परगना (उत्तर), बारासात, 24 परगना (दक्षिण), बरईपुर, पश्चिम बंगाल IV हावड़ा, 24 परगना (मध्य), कलकत्ता, हुगली, नदिया
		पश्चिम बंगाल	बर्दवान, दुर्गापुर, पुरुलिया, मिदनापुर (उत्तर), मिदनापुर (दक्षिण), उत्तर बंगाल, सिलिगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद

1	2	3	4
		भुवनेश्वर	भुवनेश्वर, सम्बलपुर
		नई दिल्ली	नई दिल्ली, लखनऊ
		गुवाहाटी	गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर, इम्फाल, सिलचर, अगरतला
		पटना	पटना, रांची, कटिहार
		बम्बई	बम्बई, मद्रास
20.	विजया बैंक	बंगलौर	बंगलौर उत्तर, बंगलौर दक्षिण, मैसूर, हसन, हैदराबाद, विजयवाड़ा
		बम्बई	बम्बई, पुणे, अहमदाबाद
		कलकत्ता	कलकत्ता, गुवाहाटी
		दिल्ली	नई दिल्ली, चण्डीगढ़, लखनऊ
		मद्रास	मद्रास, कालिकट, त्रिवेन्द्रम
		मंगलौर	मंगलौर, उदीपी, हुबली, बेलगांव, शिमोगा, पट्टूर।

भारतीय निवेश केन्द्रों का बन्द होना

§18. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**

श्री पी० एम० सईद :

डा० सी० सिलवेरा :

श्री माधवराव सिंधिया :

प्रो० के० वी० थामस :

श्री नानी भट्टाचार्य : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशों में स्थित भारतीय निवेश केन्द्रों, पर्यटक कार्यालयों और इंडिया सप्लाई मिशनों को बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन देशों में भारतीय निवेश केन्द्रों को बन्द करने का विचार किया गया है;

(ग) भारतीय निवेश केन्द्रों को इस प्रकार बन्द कर दिए जाने से कितनी बचत होने की संभावना है;

(घ) क्या अनिवासी भारतीय, भारतीय निवेश केन्द्रों के बन्द किए जाने के विरुद्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) टोक्यो, न्यूयार्क, लन्दन, फ्रांकफर्ट, आबुधाबी और सिंगापुर स्थित भारतीय निवेश केन्द्र के समुद्रपारीय कार्यालयों को बन्द करने का प्रस्ताव है।

(ग) इससे 2.80 करोड़ रुपये तक की वार्षिक बचत होने की संभावना है। (भारतीय निवेश केन्द्र के 1990-91 के बजट अनुमानों पर आधारित)।

(घ) और (ङ) सरकार को कुछ अनिवासी भारतीयों से भारतीय निवेश केन्द्र के समुद्रपारीय कार्यालयों के बन्द किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। समुद्रपारीय भारतीय मिशनें और नई दिल्ली स्थित भारतीय निवेश केन्द्र अनिवासी भारतीयों से संबंधित मामले को देखेंगे।

दूरदर्शन/आकाशवाणी के कर्मचारियों की मांगें

819. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी के आन्दोलनकारी कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या-क्या हैं; और

(ख) इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम कर्मचारी संघ की मुख्य मांग भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा का गठन है।

(ख) सरकार ने प्रस्तावित सेवा का जल्द से जल्द गठन करने के लिए कदम उठाये हैं।

आयकर के छापे

820. **डा० सी० सिलवेरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से जुलाई, 1990 के दौरान देश के विभिन्न भागों में आयकर अधिकारियों द्वारा कुछ छापे मारे गए हैं;

(ख) क्या ये छापे उन निर्धारितियों के मकानों तथा भवनों पर भी मारे गए हैं जिनके विरुद्ध आयकर की कोई राशि बकाया नहीं पड़ी थी; और

(ग) यदि हां, तो इन छापों के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयकर की बकाया राशि, आयकर अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत करने हेतु कोई मापदंड नहीं है।

आयकर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि तलाशी लेने के किसी भी मामले को महानिदेशक अथवा निदेशक अथवा मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त अथवा ऐसे किसी उपनिदेशक अथवा उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है, जिसे इसके बारे में बोर्ड द्वारा उस स्थिति में शक्ति प्रदान की गई हो, जब उसके पास उपलब्ध सूचना के परिणामस्वरूप उसे निम्नलिखित बातों के लिए विश्वास करने का कारण हो :—

(i) किसी व्यक्ति ने ऐसी लेखा-पुस्तकों अथवा अन्य दस्तावेजों को जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया हो अथवा प्रस्तुत नहीं कर सका हो, जो धारा 132 की उपधारा 1 के खंड (क) में उल्लिखित किसी सम्मन अथवा नोटिस के अन्तर्गत अपेक्षित हों, अथवा

(ii) जिस व्यक्ति को उपर्युक्तानुसार कोई सम्मन अथवा नोटिस जारी किया गया हो अथवा जारी किया जा सकता हो, ऐसा व्यक्ति कोई भी लेखा-पुस्तकें अथवा अन्य दस्तावेज पेश नहीं करेगा जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के लिए लाभदायक हों अथवा संगत हों, अथवा

(iii) ऐसा व्यक्ति, जिसके पास कोई धनराशि, सोना-चांदी, जेवर-जवाहरात अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुएं अथवा सामान हो, जो पूर्णतया अथवा अंशतया ऐसी आय अथवा सम्पत्ति हो, जिसे आयकर अधिनियम के प्रयोजनार्थ घोषित नहीं किया गया हो अथवा घोषित नहीं किया जाएगा।

इन शर्तों में से किसी भी शर्त का समाधान होने पर ही तलाशियां प्राधिकृत की जाती हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय फिल्मों का निर्यात

821. **श्री नाथू सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से कितनी फिल्में निर्यात की गई हैं;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है; और

(ग) सरकार का भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई भारतीय फीचर फिल्मों की संख्या और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि का ब्योरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। निगम द्वारा निर्यात सम्बन्धी कागजात वित्त वर्ष-वार रखे जाते हैं।

(ग) निर्यात के लिए फिल्मों का चयन, खरीददारों की पसन्द पर आधारित होता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयास करता है। इस दिशा में निगम द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों का ब्योरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 1987-88, 1988-89 और 1989-90 में सरणीकरण (कैनेलाइजेशन) और सीधे निर्यात के अन्तर्गत पास किये गये लदान बिलों का विवरण।

(मूल्य : लाख रुपए)

	1987-88		1988-89		1989-90	
	फिल्मों की संख्या	मूल्य (रु०)	फिल्मों की संख्या	मूल्य (रु०)	फिल्मों की संख्या	मूल्य (रु०)
1. थियेटर/टी०वी० अधिकार	473	730.68	381	694.60	507	986.95
2. वीडियो अधिकार	137	176.06	160	325.20	210	529.44
कुल	610	906.74	541	1019.80	725	1516.39

विवरण-2

भारतीय फीचर फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा उठाये गये कदम :

1. कीमतों को बाजार के प्रोत्साहन योग्य स्तरों पर विनियमित करने के लिए निर्यात सरलीकरण प्रक्रियाओं को दोषरहित बनाया गया है, जिसमें ये शामिल हैं :

   —संविदाओं का पंजीकरण

   —लागत परामर्शदात्री समिति (जिसमें फिल्म उद्योग के विशेषज्ञ होते हैं) की सिफारिश के आधार पर कीमत का अनुमोदन ।

   — ऋण संबंधी दस्तावेजों का पृष्ठांकन

2. प्रादेशिक और केन्द्रीय फिल्म सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं । इन समितियों की बैठकों में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को निर्यात बढ़ाने के उपायों के बारे में परामर्श देने के लिए फिल्म उद्योग और निर्यात-कर्ताओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है ।

3. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम नियमित रूप से मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में भाग लेता है जहां विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय फिल्मों के प्रिंट/कैसेट दिखाये जाते हैं ।

4. जिन देशों में विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है, वहां व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते हैं । इनमें उद्योग और रा० फि० वि० नि० के प्रतिनिधि शामिल होते हैं ।

5. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों/फिल्मोत्सवों के आयोजन के साथ-साथ फिल्म बाजार आयोजित किये जाते हैं ताकि निर्माता निर्माता, भावी खरीददारों को अपनी फिल्में दिखा सकें ।

6. विदेशी प्रतिनिधियों को भारतीय बाजारों के लिए या अन्यथा नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है, ताकि खरीददारों और भारतीय निर्यातकर्ताओं के लिए एक मिलन स्थल तैयार किया जा सके ।

7. फिल्म समारोहों/बाजारों के दौरान, रा० फि० वि० नि० मुख्य विदेशी फिल्म पत्रिकाओं में विज्ञापन देता है ताकि भारतीय फिल्मों के बारे में अधिक जानकारी दी जा सके ।

8. रा० फि० वि० नि०, फिल्म समारोहों/बाजारों के दौरान, निर्यात बढ़ाने के लिए वीडियो कैसेट सबटाइटल प्रिंट और भारतीय फिल्मों की प्रचार सामग्री आदि जैसी विपणन सहायक सामग्री तैयार करता है ।

9. रा० फि० वि० नि० ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ एकान्तिक करार किए हैं जिनके तहत निगम भारतीय फिल्मों की बिक्री के लिए जोरदार प्रयास किये जाते हैं ।

10. विदेशी टी० वी० नेटवर्कों को भारतीय फिल्में देखने के लिए जोरदार प्रयास किये जाते हैं ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा विवेकाधीन कोटे से आबंटन

[हिन्दी]

822. श्री हर्षवर्धन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा वर्ष 1989-90 और जून, 1990 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक महीने कितने स्वेच्छाधिकार विवेकाधीन कोटे के अन्तर्गत कितना इस्पात आबंटित किया गया है तथा उन व्यक्तियों की क्या श्रेणियां हैं, जिन्हें यह कोटा आबंटित किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : "सेल" ने (इस्को को छोड़कर) मुख्य उत्पादकों के भण्डार में से अप्रैल, 89 से जून, 90 के दौरान "क", "ख" और "ग" स्तर के प्राथमिकता वाले ग्रुपों के वास्तविक उपभोक्ताओं को इस्पात की मदों की निम्नलिखित मात्रा आबंटित की :—

	(हजार टन)
अप्रैल-जून, 89	2.4
जुलाई-सितम्बर, 89	1.2
अक्तूबर-दिसम्बर, 89	1.4
जनवरी-मार्च, 90	0.6
अप्रैल-जून, 90	0.3

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र की स्थापना

[अनुवाद]

823. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री गोदीनाथ मुजपति : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पारादीप में उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित एक समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) पराद्वीप में समुद्र तट आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु उड़ीसा सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को हिन्दी में डब किए जाने का प्रस्ताव

825. श्री परशराम भारद्वाज : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को हिन्दी में डब किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे हिन्दी जानने वाले लोग अन्य राज्यों की संस्कृति और परम्पराओं जिनसे वे परिचित नहीं हैं, से अवगत हो सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार के समक्ष कौन-कौन-सी बाधाएं आ रही हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को हिन्दी मे डब करने में बहुत सी तकनीकी और सौंदर्य विषयक सीमाएं हैं और इस काम पर काफी खर्च आता है। अत: दूरदर्शन द्वारा दिखाई जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों में सामान्यतया अंग्रेजी उप-शीर्ष रहते हैं और ऐसे उप-शीर्ष न होने की स्थिति में फिल्म दिखाने से पूर्व फिल्म की कहानी का सार दे दिया जाता है। हिन्दी में उप-शीर्षक देना अधिक उपयुक्त होता किन्तु इसके लिए देश में उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त एवं महंगी हैं।

सिक्यूरिटि प्रेस नासिक एवं गांधीनगर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के रिक्त पद

8 26. डा० वीलतराव सोमूजी अहेर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्यूरिटि प्रेस नासिक और गांधीनगर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। गांधीनगर में कोई प्रतिभूति मुद्रणालय नहीं है।

विवरण

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रिक्त आरक्षित पदों की संख्या और इन पदों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई

	(क) अनुसूचित जाति की रिक्तियां
(i) समूह "ख" — 1 पद	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नाम भेज दिया गया है, उस पर आगे कार्रवाई हो रही है।
(ii) समूह "ग"—1 पद	पद विज्ञापित किया गया है। प्राप्त हुए आवेदन संवीक्षाधीन हैं।
(iii) अवर्गीकृत कर्मचारी — 7 पद	एक पद को भरने के लिए रोजगार कार्यालय को मांग पत्र भेजा गया है। दो पदों को फीडर संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरा जा रहा है। बाकी चार पदों को भरने के लिए व्यक्तियों का पहले ही चयन किया जा चुका है और उन्हें नियुक्त करने सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

(ख) अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियां

(iv) समूह "ग"—4 पद — एक पद के लिए, विज्ञापन के जवाब में प्राप्त आवेदन संवीक्षाधीन हैं।

एक अन्य पद के लिए अतिरिक्त कर्मचारी कक्ष से अपेक्षित "अनापत्ति प्रमाणपत्र" मांगा गया है।
शेष दो पदों के लिए, कर्मचारी चयन आयोग, बम्बई को मांग पत्र भेजा गया है।

(v) समूह "घ"—3 पद — अतिरिक्त कर्मचारी कक्ष और रोजगार कार्यालय बम्बई को मांग पत्र भेजे गए हैं।

(vi) अवर्गीकृत कर्मचारी—11 पद — तीन पदों के लिए रोजगार कार्यालय को मांग पत्र भेजा गया है। तीन पद फीडर संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं। एक स्थान के लिए उम्मीदवार की नियुक्ति की जा रही है।

4 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन हो चुका है और उन्हें नियुक्त करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

असम में मतदाता सूचियों की पुनरीक्षा

827. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने असम में मतदाता सूचियों की पुनरीक्षा के लिये हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या यह सच है कि असम विधान सभा का कार्यकाल 1990 में समाप्त हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने असम के विधान सभा और संसदीय चुनाव दोनों एक साथ कराये जाने के लिये क्या कदम उठाये है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) असम राज्य में चालू निर्वाचक नामावलियां, जिन्हें 23 दिसम्बर, 1989 को अन्तिम रूप से प्रकाशित किया गया था अर्हता की तारीख के रूप में 1-4-89 के प्रति निर्देश से तैयार की गई थीं। कलेंडर वर्ष में परिवर्तन के साथ निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए अर्हता की तारीख में भी परिवर्तन हो गया है और अब अर्हता की तारीख 1-1-90 है। निर्वाचक नामावलियों को अर्हता की नई तारीख से प्रति निर्देश से अद्यतन बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचक नामावलियों में केवल पात्र व्यक्ति ही सम्मिलित किए जाएं और निर्वाचक नामावलियों में कोई अपात्र व्यक्ति सम्मिलित न

किया जाए, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण के लिए आदेश दिया है :—

(i) नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	:	28-5-90
(ii) दावा और आक्षेप फाइल करने के लिए अन्तिम तारीख	:	21-8-90
(iii) दावा और आक्षेप के निपटारे के लिए अन्तिम तारीख	:	5-9-90
(iv) अनुपूरक का मुद्रण और नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन	:	25-9-90

आयोग ने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसरों को विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम के अधीन स्वप्रेरणा से शक्तियों का प्रयोग करके यह सुनिश्चित करें कि नामावलियों में किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित न किया जाए और नामावलियों से किसी पात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने से रह न जाए।

(ग) असम की विद्यमान विधान सभा की अवधि 8-1-1991 को समाप्त होनी है।

(घ) असम में निर्वाचन नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण प्रगति पर है। पुनरीक्षण पूरा होने के पश्चात आयोग लोक सभा के स्थानों के लिए निर्वाचन कराने तथा राज्य विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन कराने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम पर विचार करेगा।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए सातवें और आठवें वित्त आयोग के विशेष पैकेज

828. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवें और आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का दर्जा बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को भवनों का आवंटन प्रोत्साहन भत्ता अथवा वहां तैनात कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ता देने जैसे विशेष पैकेज दिए गए थे;

(ख) क्या ऐसे आवंटन नौवें वित्त आयोग द्वारा भी किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय जनजाति क्षेत्रों के लिए भी इस तरह का आवंटन करेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार ने इस प्रक्रिया को जारी रखने हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नौवें वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित दो स्कीमों अर्थात (i) आवास इकाईयों और (ii) गांवों के लिए पूंजीगत परिव्यय हेतु 1989-90 के लिए उन्नयन अनुदानों की सिफारिश की है। कमी वाले राज्यों के मामले में आयोग द्वारा सिफारिश किये गये सहायता अनुदान में जनजातीय क्षेत्रों में तैनात किये गये कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी जारी रखे जाने के कारण उत्पन्न हुई देयता को शामिल किया गया था। अधिशेष वाले राज्यों के मामले में ऐसी अदायगी करने के पश्चात अधिशेष का मूल्यांकन किया गया था।

नौवें वित्त आयोग ने 1990-91 की अवधि के लिए अपनी दूसरी रिपोर्ट में राजस्व प्राप्तियों

और लाभों का मूल्यांकन करते समय मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। आयोग ने सेवाओं के उन्नयन हेतु किसी विशेष सहायता अनुदान की सिफारिश नहीं की है क्योंकि ऐसे राज्यों में जहां ये सेवायें औसत से निम्न स्तर की हैं, इन सेवाओं के उन्नयन की आवश्यकता पर आयोग द्वारा अपनाये गये मानकों में ध्यान रखा गया है। कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकारों की सलाह दी है कि जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी की स्कीम अन्तरित निधियों के अन्तर्गत किए गए प्रावधानोंसे चालू रखी जाए। जहां तक जनजातीय क्षेत्रों में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण और जनजातीय गांवों में अवसंरचनात्मक विकास का संबंध है, चूंकि इनमें नया पूंजी निवेश शामिल है अतः वे योजना कार्यक्रमों का हिस्सा बन जायेंगे।

दिल्ली में "नोटेरी पब्लिक" की नियुक्ति

829. **श्री जगन्नाथ सिंह :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में "नोटेरी पब्लिक" की नियुक्ति किए जाने हेतु सरकार को वर्ष 1989 के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) अब तक की गई नियुक्तियों का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह नियुक्तियां कब तक की जाएंगी ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) केवल एक।

(ख) आवेदन सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात, नामंजूर कर दिया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अरंडी के तेल का निर्यात

830. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरण्डी तेल के कुछ निर्यातकों ने "एगमार्क" अधिकारियों से अरण्डी तेल वी० पी० के नाम से प्रमाण पत्र प्राप्त किये हैं;

(ख) क्या अरण्डी तेल निर्यातकों ने सरकार से भी अरण्डी तेल "वी० पी०" के निर्यात हेतु दी जाने वाली काफी नकद मुआवजा समर्थन राशि जुलाई, 1986 से जून, 1989 के बीच प्राप्त की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उन अरण्डी के तेल के निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने नकद मुआवजा समर्थन राशि सरकार से प्राप्त की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) अरण्डी के तेलन का निर्यात विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनिवार्य ग्रेडिंग और एगमार्क के प्रमाणन के अध्यधीन किया जाता है। भारत से निर्यात किए गए अरण्डी तेल की क्वालिटी के बारे में विपणन और निरीक्षण निदेशालय को आयातकों से कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) दिनांक 1-7-1986 से औषधीय-ग्रेड के अरण्डी तेल के निर्यात पर 5% की दर से नकद मुआवजा सहायता का भुगतान किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भीलवाड़ा (राजस्थान) में तामड़े की निकासी

831. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पर्याप्त मात्रा में तामड़ा पाया जाता है; और

(ख) यदि हां, उस क्षेत्र में तामड़े की वाणिज्यिक खपत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में तामड़ा (विक्रांतमणि वालामेंट) पाया जाता है।

(ख) तामड़े के विदोहन हेतु खनन पट्टे मंजूर किए जा रहे हैं और इस समय पांच खनन पट्टों पर काम हो रहा है।

खनन को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव

832. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन मिनरल इण्डस्ट्रीज ने अनुरोध किया है कि खनन को उद्योग का दर्जा दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के अन्तर्गत, खनन को वित्त-पोषण के प्रयोजन से उद्योग माना गया है।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत भी खनन को उद्योग के रूप में शामिल किये जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया था, किन्तु यह व्यवहार्य नहीं पाया गया।

साधारण बीमा निगम की आवास वित्त सम्बन्धी एक नई सहायक कम्पनी

[हिन्दी]

833. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम की आवास वित्त सम्बन्धी एक नई साधारण कम्पनी गठित की गई है, जैसा कि 21 जुलाई, 1990 के "बिजनेस स्टेन्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) उक्त सहायक कम्पनी में कुल कितनी धनराशि निवेश की गई है;

(ग) इस नई संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, श्रमिकों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) किसानों, श्रमिकों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण देने हेतु कितनी प्रतिशत धनराशि नियत की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) साधारण बीमा निगम गृह वित्त लिमिटेड (जी० जी० बी० एल०) को 12 दिसम्बर, 1989 को एक कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया है।

(ख) यद्यपि कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपए है तथापि प्रारम्भिक अभिदत्त व चुकता पूंजी पांच करोड़ रुपए हैं। 5 करोड़ रुपए की राशि में से साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियां 49.5 प्रतिशत, अर्थात 247.50 लाख रुपए तक का अभिदान करेंगी और शेष 50.5 प्रतिशत राशि अन्य वित्तीय संस्थाओं, अर्थात आई० सी० आई० सी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, यू० टी० आई०, एच० डी० एफ० सी० और एस० बी० आई० कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड से जुटाई जा रही है।

(ग) और (घ) किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए कोई विशिष्ट प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है लेकिन निम्न व मध्यम आय समूह के व्यक्तियों को विशेष तरजीह दी जाएगी। कम्पनी, अखिल भारतीय आधार पर कार्य करेगी। प्रारंभिक तौर पर इसके केन्द्र देश के महत्वपूर्ण शहरों में स्थापित किये गए हैं। अनु० जा०/अनु० जन जा० में संबंधित आवेदकों, युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों से प्राप्त आवास ऋण के लिए आवेदन पत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मलाजखंड तांबा परियोजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

[अनुवाद]

834. श्री कंकर मुंजारे : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलाजखंड तांबा परियोजना में विभिन्न श्रेणियों में कितने हरिजन/आदिवासी/विकलांग कर्मचारी हैं; और

(ख) इस परियोजना के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) मलंजखंड तांबा परियोजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग कर्मचारियों की संख्या (वर्ग-वार) इस प्रकार है :—

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	विकलांग
क	11	2	—
ख	1	1	—
ग	100	134	5
घ	81	379	4

(ख) मलंजखंड तांबा परियोजना में कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर खर्च की जा रही कुल राशि 2,35,43,312 रु० वार्षिक है।

वर्ष 1989-90 के दौरान किया गया निर्यात

835. श्री जगपाल सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(ख) इसी अवधि के दौरान "निर्यात प्रोत्साहन" योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणिल चौधरन) : (क) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1989-90 के दौरान भारत ने 27681 करोड़ रुपए का निर्यात किया।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं पर बाजार विकास सहायता के रूप में 2014.34 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

"कचरा बीनने वालों पर बनी फिल्म का कचरा बना डाला"
शीर्षक से समाचार

[हिन्दी]

836. डा० बंगाली सिंह :

श्री हरीश पाल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मई, 1990 के "नवभारत टाइम्स" में "कचरा बीनने वालों पर बनी फिल्म का कचरा बना डाला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस फिल्म का दूरदर्शन पर प्रसारण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बाहरी निर्माताओं को सौंपे गए सभी दूरदर्शन कार्यक्रमों की उपयुक्तता को देखने के लिए एक समिति द्वारा उनका पूर्वावलोकन किया जाता है। समाचार में उल्लिखित "मैली सुगन्ध" नामक दूरदर्शन कार्यक्रम का पूर्वावलोकन वर्तमान समिति द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। तथापि, दूरदर्शन से इस कार्यक्रम को अन्तिम निर्णय के लिए शीघ्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। निर्माता को अब पूरा भुगतान कर दिया गया है।

न्यायिक प्रणाली

837. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री के० मुरलीधरन :

श्री चित्त बसु : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की न्यायिक प्रणाली जटिल और इसमें अधिक समय लगता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे क्या कदम उठाये गये हैं जिससे न्याय सरल, सर्वसुलभ बन जाये और शीघ्र मिलने लगे ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) न्यायालयों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने, 11वें वित्त आयोग को न्यायिक सुधारों के अध्ययन का कार्य सौंपा था जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ; न्याय-प्रशासन प्रणाली को विकेन्द्रित करना, प्रक्रियाविधि में सुधार करना, न्यायपालिका में नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार लाना, मुकदमों को कम खर्चीला बनाना आदि था। आयोग ने 18 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। सरकार ने, न्यायालय में बकाया मामलों की समस्या के अध्ययन के लिए मुख्य न्यायमूर्तियों की तीन सदस्यीय एक समिति भी गठित की है।

सिन्धी कार्यक्रमों का प्रसारण

839. श्री एस० सी० वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जा रहे सिन्धी कार्यक्रमों की अवधि में प्रति सप्ताह आधे घंटे की वृद्धि करने तथा आकाशवाणी, मुम्बई से आधे घंटे के सिंधी कार्यक्रम प्रसारित करने की व्यवहार्यता की समीक्षा की है;

(ख) क्या सरकार आकाशवाणी, पुणे से सिंध भाषा के कार्यक्रमों को प्रसारित करने पर भी विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली दूरदर्शन से सिंधी भाषा में कार्यक्रमों की नियमित प्रसारण शुरू करने का विचार है; और

(घ) लोगों को सिंधी संस्कृति से अवगत कराने के लिए उनके मंत्रालय का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई द्वारा चैनल II पर महीने में दो बार 30 मिनट की अवधि का सिंधी कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था। हाल में केन्द्र ने इस कार्यक्रम की आवृत्ति महीने में दो बार से बढ़ाकर तीन बार कर दी है।

आकाशवाणी बम्बई पहले से ही सप्ताह में दो बार आधे घंटे का सिंधी कार्यक्रम प्रसारित कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) आकाशवाणी के चौदह केन्द्र सिन्धी, संस्कृति और विरासत से लोगों को परिचित कराने के लिए सिंधी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी के 29 केन्द्रों से प्रसारित होने वाले विविध भारती कार्यक्रमों में सिंधी गीत भी सम्मिलित होते हैं। आकाशवाणी की विदेश सेवा द्वारा प्रतिदिन 2½ घंटे के सिंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

दूरदर्शन द्वारा भी समय-समय पर सिन्धी संस्कृति पर उपयुक्त कार्यक्रम दिखाए जाते हैं।

कर्नाटक में दूरदर्शन प्रसारणों की परिधि के अंतर्गत लाए जाने वाले नए स्थान

[अनुवाद]

840. श्री जनार्दन पुजारी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दो वर्षों में कर्नाटक में दूरदर्शन के प्रसारणों की परिधि के अन्तर्गत लाये जाने वाले स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कर्नाटक में किन-किन केन्द्रों में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) सातवीं योजना की आगे लाई गई स्कीम के अंग के रूप में धारवाड़ और शिमोगा में एक-एक अर्थात कुल दो उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं, जिनके 1991 के दौरान सेवा के लिए चालू करने का कार्यक्रम है। तथापि योजना आयोग द्वारा अभी तक आठवीं योजना का आवंटन नहीं किया गया है। इसलिए इसके अन्तर्गत राज्य में स्थापित की जाने वाली दूरदर्शन परियोजनाओं का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

दूरदर्शन पर धार्मिक वाराहिकों का प्रसारण

841. श्री जनार्दन पुजारी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दू धर्म के अनन्य धार्मिक-विषयों पर आधारित धारावाहिकों को दूरदर्शन पर प्रसारण करने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) दूरदर्शन का यह प्रयास रहता है कि सामाजिक-सांस्कृतिक विषयों पर उच्च कोटि के सार्वभौमिक महत्व के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

काजू का निर्यात

843. श्री चुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान काजू के निर्यात में रिकार्ड में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश से काजू के निर्यात में केरल राज्य का कितना योगदान है;

(घ) क्या पिछले वर्ष की तुलना में काजू के निर्यात में केरल के योगदान में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी-जून, 1989-90 के दौरान काजू की गिरी का निर्यात निम्नानुसार था :—

	एम० टी०	करोड़ रु०
जनवरी-जून, 1989 (अन०)	19311	155.47
जनवरी-जून, 1990 (अनु०)	20 95	170.06

अन=अनन्तिम

अनु०=अनुमानित

(ग) से (ङ) उत्पत्ति के राज्यों के आधार पर निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते है।

तमिलनाडु तट पर तस्करी-गतिविधियां

8444. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु तट पर, विशेषकर तन्जोर जिले में, वर्ष 1989-90 के दौरान तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) इस तट पर तस्करी के कितने मामले दर्ज किए गए तथा जब्त किये गये सामान की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस तट पर तस्करी की इन गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) तमिलनाडु समुद्री तट और तन्जौर जिले के तटीय क्षेत्र पर क्षेत्राधिकारिक सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या और अभिगृहीत निषिद्ध माल का मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है :—

वर्ष	तन्जौर समुद्री तट		सम्पूर्ण तमिलनाडु समुद्री तट	
	मामलों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)	मामलों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)
1987-88	232	51.87	918	437.66
1988-89	103	103.29	561	508.29
1989-90	190	86.46	575	1546.98

वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान इन समुद्री तटों पर तस्करी की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई है अथवा नहीं इसका कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) तथापि, तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को उपयुक्त रूप से सतर्क कर दिया गया है। इस समुद्री तट पर पर तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ ताल-मेल बनाए रखा जा रहा है। तट-रक्षकों और नौ-सेना का सक्रिय सहयोग भी लिया जा रहा है।

बैंकों द्वारा सेवा प्रभार में वृद्धि करना

845. श्री वी० एम० रेड्डी :

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाताधारियों से लिए जाने वाले विभिन्न सेवा प्रभारों में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक सेवा प्रभारों की वृद्धि में कमी करने/वृद्धि को वापस लेने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के निवेश लागत को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई, 1990 से अपने सेवा प्रभारों में संशोधन किया है। दो लाख रुपए से अधिक के ऋण आवेदनों पर कार्रवाई करने, 2500 रुपए से अधिक के ड्राफ्ट/एम० टी०/टी० टी० के प्रेषणों (माईकर एम० आई० सी० आर०) चेक बुकों व्यक्तिगत बचत खातों को छोड़कर), खातों की विवरणी की दूसरी प्रति एवं पास बुक की दूसरी प्रति जारी करने, अन्तर्देशीय गारंटियां, भुगतान न करने के अनुदेश, स्थायी अनुदेश आदि जैसी कुछ सेवाओं से संबंधित प्रभारों में वृद्धि की गई है।

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं।

(घ) चूंकि किया गया संशोधन बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के निवेश लागत से संबंधित है अत: इसके बारे में तत्काल कोई पुनर्मूल्यांकन विचाराधीन नहीं है।

अधिमान परिवर्तनीय डिबेन्चरों का परिसमापन न करने के लिए कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

846. श्री एम० डेनिस : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिमान परिवर्तनीय डिबेन्चरों का परिसमापन न करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध की कार्यवाही का अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस संबंध में पूंजी निर्गम नियंत्रक को कोई अनुदेश जारी किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) अधिमान्य परिवर्तनीय डिबेंचर नामक कोई प्रपत्र नहीं है। इसलिए फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

तकनीकी परामर्शदात्री संगठन

847. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के गठन के पश्चात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम द्वारा गठित तकनीकी परामर्शदायी संगठनों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या इन संगठनों के बन्द होने की संभावना है क्योंकि ये पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को कम लागत पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इन संगठनों द्वारा छोटे उद्यमियों की मदद करने हेतु इसे मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) तकनीकी परामर्शी संगठनों का गठन मूलतः औद्योगिक सम्भाव्यता सम्बन्धी सर्वेक्षण करने और अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों के विकास के लिए तकनीकी परामर्शी सेवा प्रदान करने हेतु किया गया है। अतः भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना के बाद भी प्रायोजक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को तकनीकी परामर्शी संगठनों की सेवाओं की आवश्यकता होगी। तकनीकी परामर्शी संगठन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ कार्यात्मक रूप से जुड़े रहेंगे।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान तकनीकी परामर्शी संगठनों को सर्वेक्षण, विशेष अध्ययन अक्षमवृत्ति विकास कार्यक्रमों आदि के क्षेत्र में विशेष कार्य सौंप रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कार्मिकों के प्रशिक्षण में उन्हें सहयोग दे रहा है ताकि वे अपने संगठनों में आवश्यक विशेषज्ञ का विकास कर सकें। पिछले वर्षों में प्रायोजक संस्थाओं ने भी उनकी शेयर पूंजी में वृद्धि की है। जहां तक लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के कार्यों का संबंध है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उनके आधुनिकीकरण और पुनर्वास सम्बन्धी कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने सम्बन्धी एक योजना चला रहा है जिसके अन्तर्गत तकनीकी परामर्शी संगठनों को आर्थिक सहायता दी जाती है। तकनीकी परामर्शी संगठनों को यह भी सलाह दी गई है कि वे एक ऐसा व्यापार-मन्त्र बनाएं जिससे उनके उन्नयन के साथ-साथ उनके कार्यचालनों में अर्थक्षमता भी आए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बताया है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए उपलब्ध नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर, गुवाहाटी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, और पंजाब के कई तकनीकी परामर्शी संगठनों ने नकद अधिशेष जुटाने में सफलता हासिल की है। आशा की जाती है कि अन्य तकनीकी परामर्शी संगठन भी उचित व्यापार-तन्त्र और उच्च व्यापार कारबार से अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बना लेंगे।

श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश और नेपाल के साथ किए जाने वाले व्यापार की मात्रा

848. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश और नेपाल के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और देश-वार कितनी मात्रा में व्यापार किया गया और प्रत्येक मामले में व्यापार में प्रगति/गिरावट की प्रवृत्ति के क्या कारण हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कुल विदेश व्यापार की स्थिति क्या थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल शोधरन) : (क) और (ख) श्रीलंका, पाकिस्तान बंगलादेश और नेपाल के साथ भारत के व्यापार के वर्षवार और देशवार ब्यौरे तथा उसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(मूल्य करोड़ रुपए में)

देश	1987-88	1988-89	1989-90
श्रीलंका	113.34	174.46	120.70
पाकिस्तान	50.71	109.01	105.18
बंगलादेश	201.60	276.47	477.63
नेपाल	138.34	132.02	139.68
कुल भारतीय विदेश व्यापार	38140.20	47973.79	62093.35

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

इन पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में सामान्यत: वृद्धि होती रही है। श्रीलंका के साथ व्यापार में जो कमी आई है वह राजनीतिक और तत्संबंधी मुद्दों के कारण आई है।

सोने की तस्करी

850. श्री सनत कुमार मण्डल :
श्री कड़िया मुन्डा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की टकसाल द्वारा सोने को परिष्कृत/पुन: चालित करने को बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इससे बाजार में सोने का कृत्रिम अभाव पैदा हो गया है और सोने की तस्करी को बढ़ावा मिला है;

(ग) इससे सोने के बाजार भाव पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार का इस नई स्थिति से निपटने तथा सोने की तस्करी और कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को रद्द कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए, भारत सरकार की टकसालों द्वारा जनता/व्यापारियों हेतु सोने को संसाधित करना अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया था। सोने को संसाधित किए जाने सम्बन्धी ऐसी प्रक्रिया को अब पुन: चालू कर दिया है। सोना देश में तस्करी द्वारा लाए जाने के लिए परम्परागत रूप से आकर्षण की वस्तु रही है। तथापि, ऐसी तस्करी के सम्बन्ध में कोई तर्कसंगत अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। चूंकि सोना एक अनिवार्य जिन्स नहीं है, इसलिए सरकार ने सोने के मूल्य को नियंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा है। तथापि,

सोने की तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें तस्करी-रोधी अभियान को तेज करना, सोने की तस्करी का पता लगाने तथा सोने की तस्करी को रोकने में लगी हुई सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखना तथा तस्करी-रोधी कार्यालयों को एक्स-रे मशीनों, धातु-खोजी आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों को मुहैया करना शामिल है।

रुपए का अवमूल्यन

851. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए के मूल्य में गिरावट आई है और यदि हां, तो कितनी;

(ख) क्या डालर आदि जैसी कुछ अन्य बड़ी मुद्राओं की तुलना में भी रुपए के मूल्य में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या रुपए के विदेशी मूल्य में और भी गिरावट आने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समय अप्रत्यक्ष रूप से रुपये के लगातार हो रहे अवमूल्यन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) और (ख) पौंड स्टर्लिंग और कुछ अन्य करेंसियों जैसे कि अमरीकी डालर, ड्यूश मार्क और येन की तुलना में रुपये का लेवी में अवमूल्यन हुआ है। 1985-86 से 1989-90 (अप्रैल-मार्च) की अवधि के लिए इन करेंसियों की तुलना में रुपए के वार्षिक औसत मूल्य के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वार्षिक औसत (अप्रैल-मार्च) (विदेशी करेन्सी की प्रति इकाई में रुपए)

क्रम सं०	करेन्सी	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1.	अमरीकी डालर	12.23	12.78 (—4.3)	12.97 (—1.5)	14.48 (—10.4)	16.65 (—13.0)
2.	पौंड स्टर्लिंग	16.85	19.07 (—11.6)	22.09 (—13.7)	25.60 (—13.7)	26.92 (—4.9)
3.	ड्यूश मार्क	4.56	6.30 (—27.6)	7.40 (—14.9)	8.05 (—8.1)	9.09 (—11.4)
4.	येन	0.0562	0.0802 (—29.9)	0.0941 (—14.8)	0.1130 (—16.7)	0.1166 (—3.1)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में रुपए के अवमूल्यन (—) की प्रतिशतता को निर्दिष्ट करते हैं।

(ग) और (घ) रुपए की विनिमय दर समय-समय पर मुद्राओं की टोकरी के मूल्य के संदर्भ में,

मुख्यत: उन देशों की मुद्राओं के संदर्भ में, जो भारत के व्यापार में प्रमुख भागीदार हैं, निर्धारित की जाती है। घटती-बढ़ती विनिमय दरों के युग में रुपए के मूल्य में उतार-चढ़ाव जो इन मुद्राओं के मूल्यों में घट-बढ़ पर निर्भर करता है, एक सामान्य बात है।

इस्पात की मांग और उत्पादन

852. श्री राजमोहन रेड्डी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान सहायक इस्पात क्षेत्र सहित, इस्पात की अनुमानित मांग और उत्पादन ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1994-95 तक इस्पात का उत्पादन करने के लिए कोई योजना बनाई गई/लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या निकट भविष्य में लौह अयस्क का निर्यात बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान तैयार इस्पात की कुल आकलित मांग और उत्पादन तथा वर्ष 1990-91 के लिए अनुमानित मांग और उत्पादन इसमें गौण इस्पात क्षेत्र भी शामिल है, का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(हजार मी० टन)

वर्ष	आकलित मांग	उत्पादन
1989-90	14810	12963
1990-91	15352	14302

(ख) और (ग) वर्ष 1994-95 के लिए तैयार मृदु इस्पात का उत्पादन लक्ष्य 229.2 लाख मी० टन है।

(घ) लौह अयस्क के निर्यात के बन्द के संबंध में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र में अमोनियम फास्फेट का उत्पादन

853. श्री राजमोहन रेड्डी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा "पुष्कला" नामक अमोनियम फास्फेट का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया; और

(ख) इसका निपटान किस प्रकार तथा किस मूल्य पर किया गया ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में 4461 टन अमोनियम फास्फेट (न्यि

अमोनियम फास्फेट) का उत्पादन किया गया था जिसे "पुष्कला" के व्यापारिक नाम के अन्तर्गत बेचा गया था।

(ख) 3400 टन अमोनियम सल्फेट 1560 रुपए प्रति मी० टन के मूल्य पर आन्ध्र प्रदेश के संस्थागत अभिकरणों को बेचा गया था। अधिशेष को वर्ष 1990-91 के स्टाक के रूप में आगे ले जाया गया।

कच्चे लोहे की कतरन का आयात

854. **श्री बलवन्त मणवर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कच्चे लोहे की कतरन को खुला सामान्य लाइसेंस सूची के अन्तर्गत मदों के लिए अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल शीवरन) : (क) और (ख) जी, हां। खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कच्चे लोहे की छीलन के आयात को इस आधार पर अनुमति देने हेतु सुझाव प्राप्त हुए है कि ढली वस्तुओं के निर्माण में पिंड लोहे (पिग आयरन) के स्थान पर कच्चे लोहे की छीलन का प्रयोग करने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

(ग) कच्चे लोहे की छीलन के आयात को मुक्त रूप से स्थानांतरणीय आर० ई० पी० लाइसेंसों के पूरे मूल्य तक तथा अतिरिक्त लाइसेंसों पर उपलब्ध मात्रा तक पहले से ही अनुमति है ; जहां तक खुले सामान्य लाइसेंस का सम्बन्ध है इस मामले पर इस्पात मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके जांच की जा रही है।

कुमाऊं की पहाड़ियों में कुटीर (कोटेजिज) और रेस्तरां का निर्माण

855. **श्री एम० एस० पाल** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमाऊं की पहाड़ियों में कुटीर (कोटेजिज) और रेस्तरां का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग ने वर्ष 1990-91 के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से कुमायूं क्षेत्र में मुक्तेश्वर और रामगढ़ में दो मार्गस्थ सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। तथापि, राज्य सरकार से अनुमानों सहित विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में खुली खान में खनन तकनीक का विकास

856. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर ने अपनी राजपुरा-अनुज स्थित खानों में खुली खान में खनन के (ओपन कास्ट माइनिंग) विकास के लिए एक आस्ट्रेलियाई कम्पनी के साथ कोई तकनीकी सहयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना हेतु कितनी किन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने आवेदन किया था और आस्ट्रेलियाई तकनीक को चुनने के क्या कारण थे ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश चौरसानी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक की ब्याज दरों का निर्धारण

857. श्री कैलाश मेघवाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक की ब्याज दरों (ऋण तथा जमा-राशि) के निर्धारण में कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या इन्हें सरकार द्वारा एकपक्षीय ही निर्धारित किया जाता है तथा कार्यान्वित करने के लिए बैंकों को भेज दिया जाता है अथवा बैंकों द्वारा पर्याप्त परामर्श के पश्चात् इन्हें निर्धारित किया जाता है;

(ग) क्या ब्याज की दरों तथा सेवा प्रभार को परिवर्तित करने से पूर्व ग्राहकों के प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया जाता है;

(घ) क्या बैंकों में शाखा स्तर सहित सभी स्तरों पर सलाहकार परिषदें हैं तथा क्या वे परिषदें सक्रिय हैं;

(ङ) क्या इस पर निगरानी रखने के लिए कोई व्यवस्था है और ग्राहकों के लिए बैंक सेवा की प्रभाविता का आकस्मिक अध्ययन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किए जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार एवं जमाराशियों की ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती हैं। बैंकों की उधार सम्बन्धी ब्याज दरों के ढांचे का निर्धारण कई पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों/जनसंख्या समूहों को मंजूर की गई सापेक्ष प्राथमिकताएं, अर्थव्यवस्था की विकास दर, मुद्रास्फीति की दर, मौद्रिक प्रसार की गति, बैंकों के संसाधन जुटाने की लागत और बैंकों की लाभप्रदता आदि। इस प्रकार की दरों का निर्धारण करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक देश की समग्र गतिविधियों, विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं मांगों तथा उधार की मांग को ध्यान में रखता है।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंक, उन विशिष्ट मामलों में, जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं, सलाहकार समितियों का गठन करते हैं। इसके अलावा, ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए, बैंकों के शाखा स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र विकसित किए हैं।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों ने आवधिक आधार पर प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से नमूना सर्वेक्षण किए हैं ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सेवाओं को सुधारने के लिए आरम्भ किए गए विभिन्न उपायों की सक्षमता एवं प्रभावकारिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण और बैंकों के अपने आंतरिक निरीक्षणों के दौरान सेवा की प्रभावकारिता की जांच भी की जाती है।

भारतीय पूंजी निवेश केन्द्रों पर खर्च की गई धनराशि

858. **श्री डी० अमात** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान भारतीय पूंजी-निवेश केन्द्रों पर कुल कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इन केन्द्रों पर प्रतिवर्ष खर्च की गई धनराशि में से कितनी धनराशि विदेशी मुद्रा के रूप खर्च की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत कुल विदेशी पूंजी-निवेश का वर्ष-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) इस निवेश में से भारतीय पूंजी-निवेश केन्द्र के माध्यम से कितनी धनराशि प्राप्त की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारतीय निवेश केन्द्रों पर 1988-89 में कुल 309.78 लाख रुपये और 1989-90 में 360 लाख रुपये का व्यय किया गया था। इसमें से 1988-89 में 208.73 लाख रु० और 1989-90 में 264.07 रु० की राशि विदेशी मुद्रा में व्यय की गई थी। कलैण्डर वर्ष 1988 और 1989 में विदेशी निवेश अनुमोदनों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1988—239.75 करोड़ रुपये

1989—316.66 करोड़ रुपये

भारतीय निवेश केन्द्र एक संवर्धनात्मक अभिकरण हैं। इसका उद्देश्य हमारी विदेशी निवेश तथा अनिवासी भारतीय निवेश सम्बन्धी नीतियों के बारे में सूचना का प्रसार करना तथा संभावी निवेशकों को सहायता प्रदान करना है। ऐसे निवेश अनुमोदनों की मात्रा बताना कठिन है जिनका श्रेय सीधा ही भारतीय निवेश केन्द्र के प्रयासों को दिया जा सकता है।

करेंसी नोटों के मामले में आत्मनिर्भरता

859. **श्री डी० अमात** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का मूल्यांक-वार करेंसी नोटों की आवश्यकता का अनुमान क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष वास्तव में छापे गये और परिचालित किये गये करेंसी नोटों, उनका मूल्य, मूल्य-वर्ग का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या मांग की तुलना में छापे गये नोटों की कमी थी; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अमित मित्रा) : (क) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गयी है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) करेंसी/बैंक नोटों की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) देवास और नासिक स्थित मौजूदा दो नोट मुद्रण प्रेसों में से प्रत्येक में प्रति पारी 11 घंटे कार्य के हिसाब से दो पारी शुरू की गई हैं।

(ii) सरकार ने दो नई नोट मुद्रण प्रेसें, एक सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में और दूसरी मैसूर (कर्नाटक) में स्थापित करने का निर्णय किया है।

(iii) एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये मूल्य वर्ग के नोटों के स्थान पर उत्तरोत्तर सिक्के बनाने का निर्णय किया गया है ताकि इस प्रकार बची क्षमता का उच्च मूल्य वर्ग के नोटों का मुद्रण करने में उपयोग किया जा सके।

विवरण-1

भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी/बैंक नोटों की आवश्यकता और उनका मूल्य (मूल्य वर्ग-अनुसार)

मूल्य वर्ग	1987-88		1988-89		1989-90	
	भारतीय रिजर्व बैंक का मांग पत्र (दस लाख अदद में)	मूल्य (करोड़ में)	भारतीय रिजर्व बैंक का मांग पत्र (दस लाख अदद में)	मूल्य (करोड़ में)	भारतीय रिजर्व बैंक का मांग पत्र (दस लाख अदद में)	मूल्य (करोड़ में)
1 रुपया	1500	150	500	50	550	55
2 रुपये	2100	420	3050	610	2000	400
5 रुपये	2950	1475	4100	2050	2000	1000
10 रुपये	2650	2650	3900	3900	2750	2750
20 रुपये	950	1900	1350	2700	800	1600
50 रुपये	1000	5000	1300	6500	1750	8750
100 रुपये	1150	11500	1800	18000	2500	25000
500 रुपये	50	2500	75	3750	150	7500

विवरण-2

मूल्य, मूल्यवर्ग और वर्षवार बाजार में छोड़ी गई और वापिस लिए गए नोटों का ब्यौरा

मूल्य वर्ग	1987-88		1988-89		1989-90	
	उत्पादन (दस लाख अदद में)	मूल्य (करोड़ में)	उत्पादन (दस लाख अदद में)	मूल्य (करोड़ में)	उत्पादन (दस लाख अदद में)	मूल्य (करोड़ में)
1 रुपया	700	70	399	39.9	364	36.4
2 रुपये	1505	301	1494	298.8	1562	312.4
5 रुपये	1210	605	1357	678.5	1232	616
10 रुपये	1400	1400	1455	1455	1366	1366
20 रुपये	640	1280	533	1066	438	876
50 रुपये	836	4180	802	4010	720	3600
100 रुपये	582	5820	592	5920	537	5570
500 रुपये	5	250	24	1200	21	1050

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रबन्ध तथा विपणन संबंधी सेवाओं की पेशकश

860. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने देश के गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक होटलों को अपनी प्रबन्ध तथा विपणन सम्बन्धी सेवाओं की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक होटल परियोजना को ऐसी सेवाओं की पेशकश करने की क्या शर्तें थीं तथा प्रत्येक पेशकश से भारत पर्यटन विकास निगम को कितना लाभ हुआ;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम की अपनी इकाइयों/प्रतिष्ठानों को भी गैर-सरकारी क्षेत्र तथा राज्य सरकारों/निगमों को अन्तरित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने सात छोटे यात्री गृह राज्य निगमों को और एक रेस्तरां दिल्ली पर्यटन विकास निगम को अन्तरित किया है। उनको अन्तरित करने का प्रमुख कारण दूर-दराज इलाकों में होने के कारण कार्यचालन/प्रबन्धकीय कठिनाई होना गैर-किफायती आकार (4 से 6 कमरे) होना, और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निगमों द्वारा बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण सुनिश्चित कराया जाना था।

विवरण

क्रम सं०	होटल का नाम	शर्तें
1.	होटल एग्जीक्यूटिव अशोक, पुणे	(1) ग्रुप विज्ञापन और ग्रुप विपणन सेवाओं के लिए प्रतिवर्ष सकल परिचालन आय का 3%; और (2) प्रबन्धकीय प्रोत्साहन शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष ब्याज के बाद सकल परिचालन लाभ का 10%
2.	होटल शालिनी पैलेस अशोक, कोल्हापुर (अब समाप्त कर दिया है)	(1) भारत पर्यटन विकास निगम मुख्यालय के दिशा-निर्देशन और पर्यवेक्षण प्रभार के लिए 1000/- रु० प्रति कमरा प्रतिवर्ष; और (2) ग्रुप विज्ञापन और ग्रुप विपणन सेवाओं के लिए सकल परिचालन आय का 3% प्रतिवर्ष; और (3) प्रबन्धकीय प्रोत्साहन शुल्क के रूप में सकल परिचालन लाभ का 10%
3.	होटल प्रेसीडेन्सी अशोक, कोचिन (अब समाप्त कर दिया है)	(1) ग्रुप विज्ञापन और ग्रुप विपणन सेवाओं के लिए सकल परिचालन आय का 3% प्रतिवर्ष; और (2) प्रबन्ध प्रोत्साहन शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष ब्याज पश्चात् कुल परिचालन लाभ का 10%
4.	होटल भास्कर पैलेस अशोक, हैदराबाद	(1) ग्रुप विज्ञापन और ग्रुप विपणन सेवाओं के लिए सकल परिचालन आय का 3% प्रतिवर्ष; और (2) प्रबन्ध प्रोत्साहन शुल्क के रूप में ब्याज पश्चात सकल परिचालन लाभ 5% और एकमुश्त 2 लाख रुपये की राशि प्रतिवर्ष

1	2	3
6.	होटल रत्नाडा अशोक, जोधपुर (अब समाप्त कर दिया है)	(1) ग्रुप विज्ञापन और ग्रुप विपणन सेवाओं के लिए सकल परिचालन लाभ का 3% प्रतिवर्ष; और (2) प्रबन्ध प्रोत्साहन शुल्क के रूप में ब्याज पश्चात कुल परिचालन लाभ का 10% प्रतिवर्ष

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च

861. श्री अशोक अप्पलनरसू देसमुख : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 1986-87 से मार्च, 1990 तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और कितनी खर्च की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा के खर्च में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यकारी स्तर पर व्यक्तिगत रूप से/समूह में किए गए दौरों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम को इन दौरों से क्या उपलब्धि/लाभ हुआ ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष	विदेशी मुद्रा	
	अर्जित	व्यय की गई
	(करोड़ रु० में)	
1986-87	18.92	6.58
1987-88	19.93	8.68
1988-89	21.85	10.36
1989-90 (अनन्तिम)	28.36	13.46

अर्जित विदेशी मुद्रा में ट्रेवल एजेंटों द्वारा प्राप्त तथा भारत पर्यटन विकास निगम को भारतीय मुद्रा में अदा की गई विदेशी मुद्रा आय को शामिल नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा के खर्च में वृद्धि का प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दुकान-मुक्त दुकानों में विदेशी मुद्रा के बदले बिक्री के लिए सामान का आयात करना है।

(घ) और (ङ) भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यपालकों द्वारा जो विदेशी दौरे लगाए गए उनमें उन्होंने विदेशी परियोजनाओं/उद्यमों, विदेशों में भारतीय खाद्य पर्वों का आयोजन करने, विपणन निकायों (जैसे विश्व पर्यटन संगठन, प्रशांत एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, अमेरिकन सोसायटी

आफ ट्रेवल एजेंट, आदि) के वार्षिक सम्मेलनों में भाग लेने से सम्बन्धित हैं। यद्यपि व्यापार जुटाने के रूप में प्रत्येक विदेशी दौरे से कितना लाभ हुआ बताना सम्भव नहीं है, तथापि इसने भारत पर्यटन विकास निगम की बढ़ी हुई लाभप्रदता को प्राप्त करने में मदद की है।

पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में इंडियन रिफ्रैक्टरीज लि०

[हिन्दी]

862. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में इण्डियन रिफ्रैक्टरीज लि० की मैग्नेसाइट परियोजना का कार्य बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का इस फैक्टरी को बन्द करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस फैक्टरी में कार्य पुन: शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड ने भिलाई स्थित अपने तापसह संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट का उत्पादन करने हेतु पिथौरागढ़ (देवलथल) में एक रोटरी किल्न कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। तापसह उद्योग की परिस्थितियों मे हो रहे परिवर्तनों के कारण इस परियोजना की वित्तीय तथा आर्थिक सक्षमता संदेहास्पद हो गई। अतएव, इस परियोजना के कार्यान्वयन का निर्णय नहीं लिया जा सका।

पूर्वांचल बैंक लिमिटेड का सैंट्रल बैंक आफ इंडिया के साथ विलयन

863. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वांचल बैंक लिमिटेड को सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के साथ विलय करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को पूर्वांचल बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों से इस विलयन के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) विलयन के विरुद्ध प्राप्त अन्य अभ्यावेदनों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सरकार ने पहले यह निर्णय लिया था कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी को, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के पास उसकी ग्रेमर चारिता को भारतीय स्टेट बैंक को हस्तांतरित कर, भारतीय स्टेट बैंक की एक अनुषंगी कम्पनी में परिवर्तित कर दिया जाए। पूर्वांचल बैंक कर्मचारी संघ तथा असम प्रोविन्शियल बैंक कर्मचारी संघ दोनों ने ही अभ्यावेदन दिए जिनमें अनुरोध किया गया था कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड का विलय या तो सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के साथ या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ कर दिया जाए। बैंक के कर्मचारियों और जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वांचल बैंक लि० का विलय सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के साथ कर दिया जाए।

मध्य प्रदेश के निवासियों का भारतीय यूनिट ट्रस्ट में निवेश

864. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के निवासियों द्वारा 31 मार्च, 1990 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट में कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने इस धन में से कुछ धनराशि मध्य प्रदेश के विकास के लिए व्यय की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अपने वित्तीय वर्ष 1989-90 (जून-जुलाई) के दौरान मध्य प्रदेश में कुल 31.30 करोड़ रुपये के यूनिटों की बिक्री की थी।

(ख) और (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अपनी निधियों का निवेश, कम्पनियों के इक्विटी शेयरों और ऋण-पत्रों जैसी विभिन्न प्रतिभूतियों में करता है, और ये मुख्यत: विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से गौण बाजार परिचालनों के जरिए की जाती हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से अपने निवेशों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ऐसे निवेशों के अतिरिक्त, निगमित क्षेत्र को आवधिक ऋण, निक्षेप आदि के तौर पर प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा मध्य प्रदेश में निगमित क्षेत्र को 1988-89 के दौरान दी गई ऐसी प्रत्यक्ष सहायता की राशि 71 करोड़ रुपये थी।

ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति

[अनुवाद]

865. श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि 25,000 रुपयों तक की राशि के ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति न मांगने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ बैंक ऐसी प्रतिभूति न दे सकने वाले व्यक्तियों को ऋण नहीं देते है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इन शिकायतों की जांच स्वयं बैंक अधिकारी कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों द्वारा स्वयं के विरुद्ध की जा रही इस जांच का औचित्य क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों में विद्यमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार बैंकों को 25,000 रुपये तक और इस राशि सहित के ऋणों के लिए सम्पार्श्विक प्रतिभूति, अन्य पक्ष की गारन्टी की मांग नहीं करनी चाहिए। 25,000 रुपये से अधिक के ऋणों के उन मामलों में, जहां प्राथमिक प्रतिभूति अपर्याप्त है या कोई अन्य मान्य कारण है, अचल सम्पत्ति के रूप में सम्पार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पक्ष की गारन्टी की मांग

की जा सकती है अन्यथा अर्थक्षम प्रस्तावों को केवल ऐसी सम्पार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पक्ष की गारंटी की कमी के कारण नामंजूर नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध सभी शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए बैंकों के साथ उठाया जाता है। बैंक कर्मचारियों की चूक, यदि कोई हो तो, उसकी गम्भीरता को देखते हुए बैंक प्रबन्धन सेवा विनियमों के अनुसार, जैसा उन्हें उचित लगता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं।

राजस्थान में जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करना

[हिन्दी]

866. **श्री नन्दलाल मीना :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आदिवासियों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने के लिए राजस्थान में जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतापगढ़, घाटियाबन्द, बखाड़ा, गोगुण्डा, झाडोल और आबू पर्वत में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वी० धनंजय) : (क) और (ख) यद्यपि जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत आने वाले राजस्थान के चित्तौड़गढ़ उदयपुर तथा सिरोही जिलों के कुछ भागों में दूरदर्शन सेवा पहले से ही उपलब्ध है, परन्तु प्रश्न में बताए गए इलाकों में मौजूदा ट्रांसमीटरों से दूर होने के कारण फिलहाल दूरदर्शन सेवा प्राप्त नहीं हो रही है। सरकार का दूरदर्शन नेटवर्क का विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में, जहां तक संभव हो सके यथाशीघ्र विस्तार करने का निरन्तर प्रयास रहता है, परन्तु यह उद्देश्य इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए, केवल चरणबद्ध ढंग से ही पूरा किया जा सकता है।

भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

867. **श्री नन्दलाल मीना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 से वर्ष 1990-93 के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा भारत को किन-किन परियोजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है;

(ख) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए कितने अधिकारी विदेश भेजे गए थे; और

(ग) उनमें से कितने प्रशिक्षित अधिकारी इस समय उन विभागों में कार्य कर रहे हैं, जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अमित मित्रा) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद नामक ऐसा कोई संगठन नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। 1988 के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 144.3 लाख अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता से 12 परियोजनाएं मंजूर की गई थीं 1989 के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 207.2 लाख अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता से 22 परियोजनाएं मंजूर की गई थीं इन परियोजनाओं के नाम और प्रत्येक की वित्तीय सहायता को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है 1990-93 की अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के नाम और उनके लिए मंजूर की गई राशियों को इस अवस्था में नहीं बताया

जा सकता क्योंकि इसका पूर्वानुमान लगाना कि 1993 के अन्त तक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस परियोजना को आर्थिक सहायता के लिए स्वीकार किया जाएगा, जल्दबाजी होगी।

(ख) और (ग) एक बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ परियोजना दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद संबंधित परियोजना प्राधिकरणों और प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों द्वारा परियोजना के उद्देश्यों का अनुपालन सीधे ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ किया जाता है। परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए विदेश में भेजे गए अधिकारियों की संख्या और उनमें से उन विभागों में फिलहाल कार्यरत, प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती, जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था।

विवरण

1988-89 के दौरान स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंशदान की स्वीकृत राशि (अमेरिकी डालर)
(क)	1988 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	
1.	सिलाई मशीन विकास केन्द्र	615,120
2.	माइक्रो इलैक्ट्रानिक्स	2,3000,000
3.	विद्युत प्रक्षण प्रौद्योगिकी	1,000,000
4.	भारतीय वन्य जीवन संस्थान	295,000
5.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध शिक्षा	940,000
6.	पी० डी० आई० एल० में एन० डी० टी० सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	695,000
7.	पी० डी० आई० एल० में उन्नत संलरण विकास	560,000
8.	आदिवासी स्वास्थ्य अध्ययन	227,300
9.	भूमिका प्रौद्योगिकी संस्थान	928,750
10.	जवाहर लाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास केन्द्र	4,110,200
11.	खनिज संसाधनों में कार्मिकों का प्रशिक्षण	357,500
12.	सिविल विमानन प्रशिक्षण केन्द्र	2,402,360
	उप जोड़ (1988)	14,431,230

	(क) 1989 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	
1.	भूकम्प जोखिम निर्धारण के लिए नए उपकरणों का विकास	521,500
2.	विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान (पी० ए०)	30,000
3.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	1,385,580
4.	ओद्य-रसायनिक इंजीनियरी तथा अपेय औद्योगिकी उच्च अध्ययन	1,382,600
5.	भूपृष्ठ जल जल विज्ञान प्रयोगशाला (पी० ए०)	44,500
6.	राष्ट्रीय ड्रिलिंग केन्द्र की स्थापना	1,877,000
7.	बंगलौर में बम्बू कर्या केन्द्र	1,227,450
8.	चुनिंदा क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण सेवा परीक्षा	1,091,500
9.	एन० सी०/सी० एन० सी० प्रशिक्षण सुविधाएं तथा कार्यक्रम, ए० टी० आई०	700,000
10.	अधिप्राप्ति सेवाओं की व्यवस्था उच्च प्रौद्योगिकी उपस्कर	572,300
11.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ए० वी० टी० एस० कार्यक्रम	511,000
12.	एल्यूमिनियम सिलीकोन एलाइज	700,000
13.	बी० आई० सी० पी० और डी० जी० टी० डी० कर्मचारियों का प्रशिक्षण	217,000
14.	होटल तथा खानपान संस्थानों का आधुनिकीकरण	1,880,335
15.	इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजिंग प्रौद्योगिकी केन्द्र	2,791,400
16.	अकाष्ठ-मूलदी और कागज उद्योग	1,900,000
17.	नाशककीट विकास केन्द्र, एच० आई० एस० (चरण-II)	2,187,000
18.	प्रबन्ध परामर्श द्वारा विकास (चरण-III)	400,000
19.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (पी० ए०)	28,000
20.	धातु निर्माण में अनुसंधान तथा विकास टी० एम० एच० आई० (सी० ए०)	85,000
21.	टी० ओ० के० टी० ई० एस०-चरण-III	500,000
22.	राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम सुदृढ़ीकरण	696,000
	उपजोड़ (1989)	20,729,465
	कुल जोड़ (1988 और 1989)	95,149,695

बागों की स्थापना के लिए ऋणों पर ब्याज दर

868. श्री एस० सी० वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक बागों की स्थापना के लिए ऋण देते हैं;

(ख) क्या फसल बाग लगाने के 5 से 7 वर्ष बाद मिलती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का बागों को लगाने हेतु बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की ब्याज दर को कम करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) इस समय बैंकों द्वारा कृषि प्रयोजनों, जिसमें बागबानी भी शामिल है, के लिए दिये गये ऋणों पर लगाये जाने वाले ब्याज की दर को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

किसानों आदि को ऋण में राहत

869. प्रो० यदुनाथ पांडेय :
श्री सी० डी० पाण्डेय।
श्री गुलाब चन्द कटारिया :
श्री जी० एस० बासवराज :
श्री जनार्दन पुजारी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री जनक राज गुप्त :
श्री युवराज :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री बाल गोपाल मिश्र :
श्री टी० बशीर :
श्री कपिल देव शास्त्री :
श्री भवानी शंकर होटा :
श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घोषित ऋण राहत योजना से अभी तक कितने किसानों तथा अन्य वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा है;

(ख) राज्यवार तथा बैंकवार, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण राहत योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाने वाली अनुमानित राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) कृषि तथा ग्रामीण ऋण-राहत योजना का कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों में अलग-अलग चरणों में चल रहा है जब तक बैंक वार का ब्यौरा

प्रस्तुत नहीं कर देते, तब तक उन किसानों तथा अन्य श्रेणी के ऋणकर्ताओं की सही संख्या के बारे में बताना संभव नहीं है जिन्हें इस योजना से लाभ पहुंचा है। इसी तरह, ऋण राहत योजना में अन्तर्ग्रस्त राशि तथा उसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के हिस्से का ब्योरा, बैंकों द्वारा इस योजना के तहत राहत के पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने के पश्चात् ही तैयार किया जा सकता है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कुछ कम्पनियों की आयात एवं निर्यात विशेषताएं

[अनुवाद]

870. श्री हरिन पाठक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां या पहले इस अधिनियम के अन्तर्गत रही कम्पनियां, जो अपनी इक्विटी पूंजी को 40 प्रतिशत से कम करके तकनीकी रूप से अब भारतीय कम्पनियां बन गई हैं; अपनी अधिकांश आवश्यक वस्तुओं का दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र से आयात कर रही है और अपना अधिकांश निर्यात रुपये की मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा, दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र में आयात तथा रुपये मुद्रा क्षेत्र को निर्यात का उल्लेख करते हुए, किए गए आयात और निर्यात का पृथक-पृथक रूप से ब्योरा क्या है; कॉलगेट पामोलिव; नेसले, फिलिप्स इंडिया; सीमीन्स; आई० टी० सी० लिमिटेड; बुक बांड; और लिप्टनस ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) आयात तथा निर्यात संबंधी आंकड़े सम्पूर्ण देश के लिए रखे जाते हैं न कि फेरा या गैर-फेरा जैसी कम्पनियों के वर्गीकरण के अनुसार, और न ही उक्त आंकड़े कम्पनी-वार रखे जाते हैं।

बिक्री कर और चुंगी समाप्त करने तथा आय कर के बारे में ज्ञापन

871. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिक्री कर और चुंगी समाप्त करने तथा आय कर के बारे में दिल्ली इलेक्ट्रिकल्स ट्रेडर्स एसोसिएशन और अन्य निकायों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) आयकर में परिवर्तन करने और बिक्री कर को समाप्त करने के सम्बन्ध में सुझाव देते हुए विभिन्न स्रोतों से कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(ख) प्रस्तावों की जांच की गयी थी। वर्ष 1990-91 के बजट में किए गए उल्लेख के अनुसार आयकर नियम में कुछ परिवर्तन किए गए थे। केन्द्रीय बिक्री कर और दिल्ली बिक्री कर की जैसी को समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था।

भारतीय निर्यातकों द्वारा किए गए स्विचों के सौदे के सम्बन्ध में जांच

872. श्री प्रकाश चौधरी लहुआभट्ट : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय निर्यातकों और पूर्वी यूरोपीय खरीददारों के बीच हुए स्विचों के सौदे की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन निदेशालय को "रुपये के समाशोधन" सम्बन्धी व्यापार की कार्य प्रणाली के बारे में जांच करने का कोई निर्देश दिया गया है;

(ग) क्या जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

काले धन के प्रसार को रोकने के लिए कार्य योजना

873. श्री प्रकाश कोको शह्याबद्दु :

श्री ई० एस० एम० पाकीर मोहम्मद :

श्री हेत राम :

श्री पी० नरसा रेड्डी :

श्री कल्पनाथ राय :

श्री डी० अमात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में काले धन के प्रसार को रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इसे कब तक लागू किया जाएगा; और

(घ) इस योजना से काले धन के प्रसार पर कितनी रोक लग जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सरकार कर-अपवंचन की रोकथाम करने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है। कर अपवंचन के माध्यम से पैदा हुए काले धन का पता लगाना निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है। सरकार काले धन की उत्पत्ति, बढ़ोत्तरी एवं उसके इस्तेमाल पर नियंत्रण रखने के लिए समय-समय पर यथोचित समझे जाने वाले आवश्यक विधायी तथा प्रशासनिक उपाय करती रहती है। इसके बारे में किए गए उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :—

(i) सुव्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण की कार्यवाहियां करना;

(ii) समुचित मामलों में तलाशी लेने तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियां करना;

(iii) केन्द्रीय सूचना शाखा द्वारा सूचना का एक सुनियोजित ढंग से संस्थापन करना;

(iv) किन्हीं चुनिन्दा मामलों की गहन जांच-पड़ताल करना;

(v) आयकर अधिनियम के अध्याय XX ग के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय अधिसूचित नगरों में अचल सम्पत्ति का पूर्व-क्रय अधिकार रखना।

विगत तीन वित्त वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान किए गए सर्वेक्षणों तथा की गयी तलाशियों के परिणाम निम्नानुसार हैं।

वित्त वर्ष	जिन परिसरों का सर्वेक्षण किया गया उनकी संख्या	जोड़े गए नए कर-निर्धारितियों की संख्या	ली गयी तलाशियों की संख्या	अभिगृहीत की गयी प्रथमदृष्टया लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	सुपुर्द की गई छिपाई गई आय की राशि (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5	6
1987-88	6,19,032	5,23,376	8464	145.02	147.49
1988-89	7,29,459	4,98,176	7505	152.70	249.35
1989-90	8,17,803	4,67,711	3984	128.02	193.44
1990-91 (जून, 90 तक)	70,016	41,588	752	22.60	35.11

मार्च, 1990 तक केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम के अध्याय XX ग के अधीन 463 सम्पत्तियों की खरीद करने हेतु आदेश पारित किए थे, जिनमें से 166 सम्पत्तियों को उनके 59.43 करोड़ रु० के क्रय-मूल्य के मुकाबले 80.72 करोड़ रु० में बेचा गया था।

निर्यात-आयात नीति 1990-93 में संशोधन

874. श्री प्रकाश कोको शास्त्रवद्द :

श्री मनोरंजन भक्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई निर्यात-आयात नीति, 1990-93 में अनेक संशोधनों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह संशोधन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन संशोधनों को नीति में कब तक शामिल कर दिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नीलकण्ठन) : (क) से (घ) आयात-निर्यात नीति

की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी स्थिति के अनुसार आवश्यक समझा जाता है, तब सभी संगत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए इस नीति में आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। जब कभी इस नीति में कोई परिवर्तन किए जाते हैं तब उन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

जमाखोरों और मुनाफाखोरों को बैंकों से ऋण

875. **श्री प्रकाश कोको शहभट्ट :**

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए अपने जोरदार प्रयासों के तहत जमाखोरों और मुनाफाखोरों को बैंकों से ऋण सुविधा बन्द करने के लिए कड़े उपाय करने का निर्णय लिया है;

(ख) कुल कितने जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों को 1 जनवरी, 1990 से बैंकों से ऋण नहीं दिए गए हैं;

(ग) इस निर्णय से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने में किस सीमा तक मदद मिली है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या अन्य कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि संवेदनशील वस्तुओं के लिए बैंक ऋण चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अध्याधीन किया जाता है ताकि सप्लाई मूल्य की खराब स्थिति के समय इन वस्तुओं की सट्टेबाजी हेतु जमाखोरों के लिए बैंक वित्त पोषण का दुरुपयोग न किया जा सके। चयनात्मक मूल्य नियंत्रण उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मार्जिन की उगाही, ऋण और ब्याज दर के स्तर की सीमा का निर्धारण शामिल है। प्रत्येक संवेदनशील वस्तु के मूल्य उत्पादन की स्थिति को देखते हुए चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपायों को कड़ा बनाया जाता है या उन्हें सुगम बनाया जाता है।

वर्ष 1990 के दौरान अब तक, तिलहन और खाद्य तेलों के लिए बैंक अग्रिमों पर मार्जिन मई, 1990 और जुलाई, 1990 में दो बार बढ़ाया गया और यह वृद्धि प्रत्येक बार 15 प्रतिशत बिन्दु थी। जारी किए गए चीनी के स्टाक के लिए बैंक अग्रिमों पर मार्जिन को भी चीनी की कीमत में वृद्धि के संदर्भ में जुलाई, 1989 में बढ़ाया गया है।

मूल्य वृद्धि को रोकने के उपायों में बजट घाटे को कम करना, सरकारी व्यय में कड़ाई से कमी करना सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखना, घरेलू आपूर्ति को यथासम्भव निर्यात के माध्यम से बढ़ाना और जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल है।

किसानों के ऋण माफ करने के सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लाभ

876. **श्री एम० शेखिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों के ऋण माफ करने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस जांच में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें सम्मिलित हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्पंज आयरन की कोयला आधारित प्रोसेसिंग

877. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अब भी स्पंज आयरन की कोयला आधारित प्रोसेसिंग की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में स्थापित किए गए कोयले पर आधारित अधिकांश स्पंज लोहा संयंत्र सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

इजरायल का भारत के फिल्म निदेशक और तबला वादकों को निमंत्रण

878. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल ने इजरायल के फिल्मोत्सव में भाग लेने के लिए भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और तबला वादकों को आमंत्रित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस यात्रा के लिए आवश्यक अनुमति दी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां। छठे येरूशलम फिल्म समारोह के आयोजकों ने समारोह में भाग लेने के लिए कुछ फिल्म निर्देशकों को आमंत्रित किया था।

इस मंत्रालय को इजरायल द्वारा तबला वादकों को भेजे गये किसी आमंत्रण की जानकारी नहीं है।

(ख) येरूशलम फिल्म समारोह के आयोजकों ने मई, 1989 में फिल्म समारोह निदेशालय को सूचित किया था कि वे श्री मृणाल सेन और श्याम बेनेगल को आमंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने श्री सेन की फिल्म "एक दिन अचानक" और श्री बेनेगल की फिल्म "त्रिकाल" के लिए भी अनुरोध किया था। "एक दिन अचानक" फिल्म को 1990 के येरूशलम फिल्म समारोह में भी आमंत्रित किया गया था।

(ग) और (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वेच्छा से समारोह में भाग लेने वाले निर्देशक को

उपयुक्त सलाह दे सकता था किन्तु इस मामले में किसी भी निर्देशक ने ऐसी अनुमति के लिए मंत्रालय से सम्पर्क नहीं किया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का वेतनमान

[हिन्दी]

879. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**

श्री प्रतापराव बी० भोसले :

श्री ए० के० राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों द्वारा दायर की गयी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप स्थापित किए गए न्यायाधिकरण ने इन कर्मचारियों को इनके प्रायोजित बैंकों के कर्मचारियों के ही समान वेतनमान, भत्ते और अन्य लाभ 1 सितम्बर, 1987 से देने का निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो न्यायाधिकरण के उपयुक्त आदेशों के अनुपालन में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर इसके फलस्वरूप प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त वार्षिक भार पड़ेगा;

(घ) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस अतिरिक्त वार्षिक भार को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस निर्णय को देखते हुए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) ट्रिब्यूनल के निर्णय की कानूनी दृष्टि से संवीक्षा की जा रही है।

(ग) से (ङ) उक्त संवीक्षा के पूरा होने के बाद निर्णय के इन पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की ऋण माफी योजनाओं में असमानताएं

880. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी योजनाओं में असमानताएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों से इस बारे में समान नीति अपनाने और बिना किसी भेदभाव के समान लाभ देने का प्रावधान करने के लिए निर्देश देने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई ऋण राहत योजना वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा घोषित योजना की तुलना में उदार है। भारत सरकार अपनी योजना में निर्धारित मान-

बंदों के आधार पर 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी। योजना को उधार बनाने के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इस्पात का निर्यात

[अनुवाद]

881. **श्रीमती वासव राजेश्वरी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना के अन्त तक 20 लाख टन इस्पात का निर्यात करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात के विकास के लिए कोई ठोस फार्मूला तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह नीति कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) से (ङ) लोहे और इस्पात से सम्बन्धित आठवीं योजना कार्य दल इस प्रस्ताव से सहमत है कि आठवीं योजना के अन्त तक लगभग 20 लाख मी० टन लोहे और इस्पात मदों का निर्यात किया जा सकता है। विशिष्ठ उत्पादों का निर्यात उपलब्ध अधिशेष और अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी पर निर्भर करेगा।

इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए लोहे और इस्पात से सम्बन्धित कार्य दल द्वारा सिफारिश की गई प्रमुख नीति में ये शामिल हैं : विद्यमान एकीकृत इस्पात संयंत्रों का पुनरुत्थान और प्रौद्योगिकीय उन्नयन, अतिरिक्त क्षमता का सृजन तथा गौण क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

882. **श्रीमती वासव राजेश्वरी :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री अवनराव डाकणे :
श्री राम मंगल सिंह :
श्री नग्गू बाबा :
श्री कल्पनाथ सोनकर :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राव वाडियर :
श्री कल्पनाथ राय :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायालयवार न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये कब से रिक्त हैं;

(ख) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) ये पद कब तक भरे जाएंगे ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के विद्यमान रिक्त पद भरे जाने के बारे में संबंधित सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया चल रही है। यह बताना संभव नहीं है कि ये पद कब तक भर दिए जाएंगे ।

विवरण

1-8-90 को यथाविद्यमान

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	रिक्त पर		वह तारीख जिससे पद रिक्त हैं
		स्थायी	अपर	
1.	इलाहाबाद	3	5	15-10-84 (अ) 15-10-84 (अ) 15-10-84 (अ) 15-10-84 (अ) 07-02-85 (अ) 28-03-90 (स्था०) 20-04-90 (स्था०) 10-05-90 (स्था०)
2.	आंध्र प्रदेश	3	2	26-11-82 (अ) 29-11-82 (अ) 20-03-90 (स्था०) 16-04-90 (स्था०) 10-07-90 (स्था०)
3.	मुम्बई	1	—	08-06-90 (स्था०)
4.	कलकत्ता	—	—	
5.	दिल्ली	1	—	28-04-90 (स्था०)
6.	गुवाहाटी	1	—	22-02-90 (स्था०)
7.	गुजरात	—	—	
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	
9.	जम्मू-कश्मीर	2	—	01-11-89 (स्था०)
10.	कर्नाटक	—	—	03-11-89 (स्था०)
11.	केरल	—	1	0-7-90 (अ)

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	—	3	20-11-89 (अ) 0-07-90 (अ)
13.	मद्रास	—	—	0-07-90 (अ०)
14.	उड़ीसा	2	—	01-08-90 (स्था०)
15.	पटना	—	—	12-04-90 (स्था०)
16.	पंजाब और हरियाणा	1	—	31-12-89 (स्था०)
17.	राजस्थान	1	—	30-06-90 (स्था०)
18.	सिक्किम	1	—	05-01-89 (स्था०)
	योग	16	11	
	उच्चतम न्यायालय	1	—	18-12-89

सुपर-301 मामले पर अमरीका से बातचीत

883. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

श्री एस० कृष्णा कुमार : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका, दोनों देश सुपर-301 मामले पर आगे बातचीत करने को सहमत हो गए है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में भारत के किसी शिष्टमण्डल ने अमरीका का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सुपर-301 से संबंधित विवाद कब तक हल हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी नहीं। भारत ने बदले की धमकी दबाव में आकर बात करने का सदैव अस्वीकार किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 14 जून, 1990 को अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि (यू० एस० टी० आर०) ने निश्चय किया है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी बीमा प्रदायकों पर आरोपित अवरोध और कुछ तथाकथित रूप से आरोपित व्यापार प्रतिबंधक निवेश उपाय तर्कसंगत नहीं है और अमरीकी वाणिज्य को प्रतिबंधित करते हैं या उस पर बोझ बने हैं। तथापि व्यापार से संबंधित निवेश उपायों और सेवाओं पर अलग दौरा वार्ता में भारत सरकार की भागीदारी के माध्यम से परिणाम को सम्भावना को देखते हुए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधियों ने निश्चय किया है कि यू० एस० व्यापार अधिनियम की धारा 301 के

अधीन प्रतिक्रियाशील कार्रवाई करना इस समय उचित नहीं है इसलिए भारत के खिलाफ शुरू की गई जांच पड़ताल को समाप्त कर दिया गया है और भारत की प्रक्रियाओं की स्थिति की समीक्षा अगले दौर की वार्ताओं के निष्कर्ष के बाद करने का प्रस्ताव है ताकि उस समय यह निश्चित किया जा सके कि क्या धारा 301 के अधीन कार्रवाई उचित होगी।

विश्व बैंक विकास रिपोर्ट, 1990

884. **श्रीमती वासव राजेश्वरी :**

श्री गुलाब चन्द कटारिया :

श्री हर्षवर्धन :

श्री कल्पनाथ राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा हाल ही में वर्ष 1990 की विश्व बैंक विकास रिपोर्ट जारी किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है।

(ख) इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या टिप्पणियां की गई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजित प्रसादी) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1990 की विश्व विकास रिपोर्ट में इसके विषय के रूप में विश्व में गरीबी और गरीबी को दूर करने के उपायों को ध्यान में रखा गया है। इस रिपोर्ट में अगले दशक में समस्त विश्व में गरीबी की प्रवृत्तियां और इसे कम करने की संभावनाओं की जांच करते समय भारत का भी उल्लेख किया गया है। राजकोषीय सुधार करते रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए विश्व बैंक विकास रिपोर्ट में भारत के लिए 1990 के दशक के लिए पर्वत प्रति सकल देशीय उत्पाद में 3.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह पूर्वी एशिया और चीन को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों/देशों के समूहों के लिए अनुमानित वृद्धि की अपेक्षा अधिक है।

(ग) विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक का एक वार्षिक प्रकाशन है और इसके प्रत्येक संस्करण से विश्व आर्थिक विकास से संबंधित किसी एक प्रमुख सामयिक विषय पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षण केवल सुझावों के रूप में हैं।

चुनाव सुधार सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

885. **श्री डी० बशीर :**

श्रीमती चेन्नुपति विद्या :

श्री पी० नरसा रेड्डी :

श्री के० प्रधानी :

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या विधि और न्याय मंत्री चुनाव सुधार सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट के बारे में 25 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 10471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चुनाव सुधार सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) निर्वाचन सुधार समिति की सिफारिशों के आधार पर चार विधेयक अर्थात् :—(1) संविधान (सत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 (2) संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 (3) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990 (4) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा-शर्तें) विधेयक, 1990 संसद के बजट सत्र के दौरान पहले ही पुर:स्थापित किए जा चुके हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इन विधेयकों पर संसद द्वारा विचार किया जाना है और पारित किया जाना है।

दूरदर्शन पर प्रादेशिक फिल्मों के प्रसारण के बारे में नियम

886. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री प्रतापराव वी० भोसले : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन पर प्रादेशिक फिल्मों के प्रसारण के बारे में हाल ही में नए नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) अन्य प्रादेशिक फीचर फिल्मों (कथा-चित्रों) की तुलना में, पिछले छह महीनों के दौरान दूरदर्शन पर कन्नड़ भाषा की कितनी फीचर फिल्में दिखाई गईं; और

(घ) दूरदर्शन पर अधिक संख्या में कन्नड़ फिल्मों को दिखाए जाने के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। संशोधित मार्ग-निर्देश को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जनवरी जुलाई, 1990 के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर पांच कन्नड़ फीचर फिल्में दिखाई गई थीं। उसी अवधि के दौरान अन्य भाषाओं में प्रसारित फीचर फिल्मों की संख्या इस प्रकार है:

असमिया	—1
बंगला	—5

गुजराती	—1
मराठी	—3
मलयालम	—4
उड़िया	—1
तमिल	—4
तेलगू	—4

(घ) वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।

विवरण

केवल उन प्रादेशिक भाषा फीचर फिल्मों को राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिखाए जाने पर विचार किया जाता है जिन्होंने निम्नलिखित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से कोई एक पुरस्कार प्राप्त किया हो या जो निम्नलिखित में से कोई मानदण्ड पूरा करती हो।

I. राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्राप्त पुरस्कार

(क) वर्ष की सर्वोत्तम या द्वितीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (सभी भाषाओं में संयुक्त रूप से)।

(ख) किसी निर्देशक की सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए इन्दिरा गांधी पुरस्कार।

(ग) लोकप्रिय और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वोत्तम फिल्म के लिए पुरस्कार।

(घ) राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए नर्गिस दत्त पुरस्कार।

(ङ) परिवार कल्याण पर सर्वोत्तम फिल्म।

(च) अन्य सामाजिक विषयों जैसे—मद्यनिषेध, महिला एवं शिशु कल्याण, दहेज विरोध, नशीली दवाओं का दुरुपयोग आदि पर सर्वोत्तम फिल्म।

(छ) किसी प्रादेशिक भाषा में सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का "रजत कमल" पुरस्कार।

II. अन्य मानदण्ड

(क) किसी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव में भारतीय पैनोरमा और मुख्य-धारा खंडों में प्रविष्टि।

(ख) फिल्में जिन्होंने रजत जयन्ती मनायी हो (लगातार 25 सप्ताह तक चली हों) और जिन्हें "यू" प्रमाणपत्र प्राप्त हो।

खासा कोठारी रोड के पुन: खोले जाने से तस्करी गतिविधियों में वृद्धि

887. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खासा कोठारी रोड़ के पुन: खोले जाने के कारण उत्तर की ओर से तस्करी गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से इस बात का पता नहीं चलता है कि खासा कोठारी मार्ग के पुनः खोल दिए जाने के कारण उत्तरी क्षेत्र की ओर से तस्करी गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी रोधी तन्त्र को मजबूत बना दिया गया है। तस्करी को रोकने तथा इसका पता लगाने वाली सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जाता है। तस्करी को रोकने के लिए समय-समय पर इस सीमा पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। तस्करी के सुगम्य क्षेत्र में निरन्तर कर्मचारियों को तैनात किया जाता है तथा उपकरण लगाए जाते हैं। धातु खोजी यंत्रों, वाकी-टाकी और रात में उपयोग में लायी जाने वाली दूरबीनों आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिक-से-अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

मारुति वैनों के प्रयोग के अनुदेश

888. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
डा० सी० सिलवेरा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोल की बचत करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को एम्बेस्डर कारों के स्थान पर मारुति वैनों का प्रयोग करने के अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) 1985 में केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को अनुदेश जारी किए गए थे कि वे स्टाफ कारों के रूप में प्रयोग के लिए एम्बेस्डर/फियेट कारों के अतिरिक्त मारुति कारें भी खरीद सकते हैं। तदनन्तर, मारुति कारें और जिप्सीज खरीदना भी मंजूर कर दिया गया था। ईंधन के उपभोग में किफायत बरतने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन अनुदेशों को हाल ही में पुनः दोहराया गया है।

रविवार के दिन सरकारी वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना

889. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
डा० सी० सिलवेरा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पैट्रोल की खपत कम करने की दृष्टि से रविवार के दिन सरकारी वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तत्संबंधी मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकारों को भी अनुदेश जारी किए गए हैं

(ख) यदि हां, तो ये अनुदेश कब तक कार्यान्वित किए जाएंगे; और

(ङ) इस निर्णय के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

पांडवों का स्वर्गारोहण दिखाने के लिए महाभारत धारावाहिक का प्रसारण पुन: चालू किए जाने की मांग

890. श्री एस० पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई संगठनों और आम जनता ने यह मांग की है कि "रामायण" धारावाहिक में "उत्तर रामायण" की तरह, महाभारत में भी पांडवों का स्वर्गारोहण दिखाने के लिए इस धारावाहिक का प्रसारण पुन: चालू किया जाए;

(ख) क्या महाभारत के निर्माताओं ने स्वर्गारोहण प्रदर्शित करने के लिए दूरदर्शन धारावाहिक की कड़ियां तैयार करने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

(ग) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

कम्पनियों की निर्यात-सम्बन्धी बाध्यता

891. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियां अपनी निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए अन्य कम्पनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन कम्पनियों को जिन वस्तुओं के निर्माण का लाइसेंस दिया गया है, केवल अपनी उन्हीं निर्मित वस्तुओं का ये निर्यात करें ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) निर्यात दायित्व के दृष्टिकोण से पूंजीगत माल के आयात के मामले में यह आवश्यक है कि निर्यात की गई वस्तुओं के विनिर्माण में आयात के लिए अनुमत पूंजीगत माल का प्रयोग किया गया हो। निर्यात उत्पादन के लिए निवेशों के आयात के लिए लाइसेंस देने से दायित्व के मामले में यह आवश्यक है कि यदि वह विनिर्माता निर्यातक है तो निर्यात की गई वस्तुओं का विनिर्माण लाइसेंसधारी द्वारा ही किया गया हो। यदि लाइसेंसधारी व्यापारी निर्यातक है, तो अपने निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए उसे अपने सहयोगी विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित माल प्राप्त करने की सुविधा की अनुमति होगी ।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चाचाई जलप्रपात पर परिवहन एवं ठहरने की सुविधाओं की व्यवस्था

[हिन्दी]

892. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी संख्या में विदेशी एवं भारतीय पर्यटक चाचाई जल प्रपात और बेलासाव के प्राचीन मन्दिर देखने के लिए प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के रीवा जिले की यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पर्यटक स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए इन स्थानों पर समुचित परिवहन एवं ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन स्थानों पर उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) विशिष्ट पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन संसाधनों का मूल्यांकन करने और उनका विकास करने का दायित्व मुख्यत: राज्य सरकार का है।

नई निर्यात-आयात नीति का प्रभाव

893. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री हरि केवल प्रसाद : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1989 से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान कितने-कितने मूल्य का सामान आयात तथा निर्यात किया गया और गत वर्ष इसी अवधि के दौरान के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या इस नई निर्यात-आयात नीति के परिणामस्वरूप निर्यात में वृद्धि तथा निर्यात-आयात के अन्तर में कमी आयी है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिसम्बर, 1989 से मई, 1990 तक की अवधि और दिसम्बर, 1988 से मई, 1989 तक की उसी अवधि के दौरान हुए आयात और निर्यात के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :—

मूल्य : करोड़ रुपए

अवधि	आयात	निर्यात	घाटा
दिस० 89 से मई, 90	20127	15957	4170
दिस० 88 से मई, 89	14990	12140	2850

(स्रोत : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता)

दिसम्बर, 1988 से मई, 1989 तक की अवधि की तुलना में दिसम्बर, 1989 से मई, 1990 तक की अवधि के दौरान निर्यात और व्यापार अन्तर में वृद्धि हुई है। किन्तु, चूंकि नई आयात एवं

निर्यात नीति दिनांक 1-4-1990 से ही प्रभावी हुई है इसलिए, इस समय इस नयी नीति के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

राजस्व वसूल करना

[अनुवाद]

894. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 30 जून, 1990 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान राजस्व वसूल करने के बारे में ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के इन्हीं तिमाहियों की तुलना में कितना राजस्व वसूल हुआ;

(ख) क्या इस तिमाही के दौरान राजस्व वसूल करने में कोई वृद्धि हुई है, यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजस्व वसूल में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 की पहली तिमाहियों में कुल राजस्व वसूलियां निम्न प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपये में)

1988-89	1989-90	1990-91
(जून तक)	(जून तक)	(जून तक)
8372.06	9467.69	10213.13

तिमाही में राजस्व वसूलियों में सुधार हुआ है।

(ग) करों की वसूली के लिए सुधार के समय-समय पर उपयुक्त प्रशासनिक तथा अन्य उपाय किए जाते हैं।

भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड से सोने की चोरी

895. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, गोल्ड कौंडा शाफ्ट, कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक से सोने की कथित चोरी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने सोने की कथित चोरी की जांच करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या यह मामला जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड से सोने की कथित चोरी को प्रमाणित करने का कोई आधार नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में न्यूनतम जमा राशि

896. **श्री एच० सी० श्रीकांतय्या** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में न्यूनतम जमा राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्धन ग्रामीणों की बचत की आदत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) बैंक बचत खाते में आवश्यक न्यूनतम जमा राशि 5 रुपये ही है। तथापि, मुद्रा आपूर्ति आदि में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए भारतीय बैंक संघ ने 1-4-90 से अपने मूल नियमों (ग्राउंड रूल्स) में संशोधन किया है जिसके अनुसार चेक बुक वाले बैंक बचत खाते में पहले के 100 रुपये के स्थान पर अब न्यूनतम बकाया जमा राशि 250 रुपये होनी चाहिए। भारतीय बैंक संघ और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, इससे निर्धन ग्रामीण लोगों की बचत की आदत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वे 5 रुपये की उसी न्यूनतम जमा राशि के साथ बचत खाते में बचत कर सकते हैं।

बाल फिल्म परिसर, बंगलौर का निर्माण

897. श्री एच० सी० श्रीकांतय्या : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में बाल फिल्म परिसर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है और यह कब तक पूरा होगा;

(घ) फिल्म परिसर का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान इसके निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) बंगलौर में बाल फिल्म परिसर बनाने की संभाव्यता पर परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) लगभग एक वर्ष में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा तथा उसके बाद लगभग दो वर्ष में इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है।

(घ) और (ङ) वर्तमान अनुमान के अनुसार परिसर पर लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वर्ष 1990-91 के दौरान इस परियोजना के लिए 4 लाख रुपये की योजना राशि रखी गई है।

संयुक्त राज्य अमरीका के आयातकों द्वारा भुगतान न करना

898. श्री० रूपचन्द पाल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातक संयुक्त राज्य अमरीका के आयातकों द्वारा भुगतान न किए जाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत से किए गए निर्यात के लिए भुगतान करने में चूक करने के ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं; और

(ग) भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणिल चौधरन) : (क) जी, नहीं। ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं बढ़ रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जो मामले मिले हैं, वे सामान्यत: तीन प्रकार के हैं :

(I) जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका के आयातक ने क्षतिग्रस्त या घटिया माल की शिकायत की है।

(II) जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका का आयातक दीवालिया हो गया है या दिए गए पते पर नहीं मिला है।

(III) जिसमें आयातक ने माल तो प्राप्त कर लिया है, परन्तु भुगतान नहीं किया है। निर्यातक को भुगतान दिलाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा सहायता दी जाती है। भुगतान प्राप्त करने के लिए उसे सर्वाधिक उपयुक्त कार्यवाही की सलाह दी जाती है।

दिल्ली वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋण

[हिन्दी]

899. **श्री मित्रसेन यादव** : क्या वित्त मंत्री दिल्ली वित्त निगम द्वारा दिए ऋणों के बारे में 25 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10458 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली वित्त निगम के ऋण वितरण लक्ष्यों को प्राप्त न करने के लिए जिम्मेवार अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि उनमें से किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि सहायक से लेकर उप महाप्रबन्धक तक के विभिन्न स्तरों पर, जो निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से सभी जिम्मेदार हैं, मामलों पर कार्रवाई की जाती है।

चूंकि समग्र रूप से संवितरण विभाग के अधिकारियों का कार्य निष्पादन निर्धारित स्तर तक का नहीं पाया गया था इसलिए अन्य बातों के साथ-साथ सम्बन्धितों के विरुद्ध उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

सोवियत संघ और जापान के साथ संयुक्त उद्यम

900. श्री हरिशंकर महाले : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ और जापान के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के बारे में कदम उठाए हैं;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान या उससे पूर्व व्यापार के प्रसार के लिए सोवियत संघ और जापान के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत और सोवियत संघ तथा भारत और जापान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणिल चीखरन) : (क) सरकार ने सोवियत संघ तथा जापान के साथ ऐसा कोई संयुक्त उद्यम स्थापित नहीं किया है । तथापि, सरकार विभिन्न वाणिज्यिक संगठनों को संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ।

जहां तक सोवियत संघ का सम्बन्ध है, सोवियत संघ के साथ संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास विभाग को नोडल प्राधिकरण मानते हुए सहयोग के नए रूपों पर एक नए भारत-सोवियत कार्यकारी दल का गठन किया गया है ।

जहां तक जापान का सम्बन्ध है सरकार संयुक्त उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है तथा इस सम्बन्ध में इसने जापान के साथ संयुक्त उद्यम को सरल बनाने के लिए अन्तर मंत्रालयी दल का गठन किया है ।

(ख) और (ग) जहां तक सोवियत संघ का सम्बन्ध है वर्ष 1990 के लिए व्यापार योजना संलेख पर दिनांक 10 जनवरी, 1990 से निर्णय ले लिया गया है जिसमें भारत से सोवियत संघ को 5300 करोड़ रुपये निर्यात तथा सोवियत संघ से भारत को 3500 करोड़ रुपये आयात करने का विचार है । इस संलेख के अनुसार भारत से सोवियत संघ को निर्यात की जाने वाली मुख्य मदें हैं : कृषि उत्पाद, खनिज उत्पाद, चर्म-मदें, रासायनिक मदें, वस्त्र मदें तथा इंजीनियरी मदें । सोवियत संघ से आयात की जाने वाली प्रमुख मदें हैं; कच्चा तेल, तेल-उत्पाद, गैर-फेरस धातुएं, औद्योगिक कच्चे पदार्थ, उर्वरक, उर्वरों के लिए मशीनें एवं औजार, इस्पात आदि शीघ्र ।

जहां तक जापान का सम्बन्ध है, भारत और जापान के बीच वर्ष 1958 में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ । समझौते में व्यापारिक मामलों में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे को परमाधिक राष्ट्र का व्यवहार प्रदान करने की व्यवस्था है ।

(घ) सोवियत संघ तथा जापान, दोनों के साथ व्यापार के विस्तार एवं विविधीकरण के उपाय किए जा रहे हैं । व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डलों की यात्राओं, प्रदर्शनियों, मेलों में भाग लेना, सेमीनारों का आयोजन, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । संयुक्त उद्यमों जैसे सहयोग के नए तरीकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

जहां तक सोवियत संघ का सम्बन्ध है, चूंकि आयात से निर्यात के लिए रुपया प्राप्त होता है इसलिए सोवियत संघ के साथ सन्तुलित रुपया व्यापार व्यवस्था जिसे अब 31-12-1995 तक बढ़ा

दिया गया है, को ध्यान में रखकर आयात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वस्तुएं, विशेषकर अच्छी श्रेणी के सामान एवं मूल्य-वर्धित उत्पादों के बाजार-प्रवेश पर बल दिया जा रहा है।

जहां तक जापान का सम्बन्ध है समय-समय पर व्यापार की समीक्षा की जाती है तथा प्रतिनिधिमण्डलों के आदान-प्रदान, व्यापार-मेलों एवं प्रदर्शनियों आदि के द्वारा भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में भोजन तथा आवास की सुविधाएं

902. श्री हरिशंकर महाले : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भारत पर्यटन विकास निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा किन-किन स्थानों पर भोजन तथा आवास की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के नासिक जिले में पर्यटन के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) क्या देश में कुछ स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस कार्य पर खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम की महाराष्ट्र में भोजन तथा आवास की निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

भारत पर्यटन विकास निगम :

(1) औरंगाबाद में 66 कमरों वाला 2-स्टार होटल औरंगाबाद अशोक जो भारत पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व में है तथा वह ही इसको चलाता है।

(2) एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का पुणे में 71 कमरों वाला होटल एग्जीक्यूटिव अशोक जिसकी प्रबन्ध-व्यवस्था भारत पर्यटन विकास निगम कर रहा है।

महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम :

महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, भण्डारा, बुलढाना, कोल्हापुर, नागपुर, नासिक, उसमानाबाद, पुणे, सतारा, सोलापुर, शिर्डी, परभनी, रत्नगिरि, रायगढ़, थाने और वर्धा जिलों में पर्वतीय स्थानों समुद्रतटों, धार्मिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थानों आदि जैसे अलग-अलग स्थानों पर 36 अवकाश विहार-स्थलों का संचालन कर रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में पर्यटन का विकास करने के लिए कोई धनराशि खर्च नहीं की है।

(ग) और (घ) पर्यटन का विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन विभाग उनसे मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध संसाधनों में से प्रस्तावों के गुण-दोष तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

गुजरात और मध्य प्रदेश में एकत्रित सोने के नमूने

903. श्री हरिशंकर महाजेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत वर्ष 1988 में गुजरात और मध्य प्रदेश में सोने के कितने नमूने एकत्रित किए गए;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार का उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सभी स्वर्णाभूषणों में शुद्धता का प्रतिशत चिन्हित करने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त संराज्य में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वर्ष 1988 के दौरान स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 30 के प्रयोजनार्थ गुजरात और मध्य प्रदेश में कोई नमूने एकत्रित नहीं किये गये ।

(ख) उपर्युक्त "क" को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपर्युक्त "ग" को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्यात संवर्धन परिषदों की भूमिका

[अनुवाद]

904. श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इनसे संभावित निर्यातकों को किस प्रकार और कितनी सहायता मिली है;

(ग) क्या ये परिषदें, निर्यात सम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में निर्यातकों को जानकारी देने के लिए संगोष्ठियां आदि भी आयोजित करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणिल चौधरन) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्यात संवर्धन परिषदें बाजार आसूचना सुविधा कराने में विशेषज्ञदलों, अध्ययन दलों, संगोष्ठियों आदि के आयोजन तथा साथ ही व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों आदि के आयोजन के जरिए निर्यातकों की सहायता करती हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित नीतियों तथा कार्यविधियों के सम्बन्ध में निर्यातकों को शिक्षित करने और साथ ही निर्यात संवर्धन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने हेतु सम्बन्धित अधिकरणों को सिफारिशें लेने सम्बन्धी कार्यक्रम अवश्य शामिल किए जाते हैं ।

लन्दन स्थित नौवहन कम्पनी को यूको बैंक द्वारा ऋण दिया जाना

905. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूको बैंक को लन्दन स्थित एक नौवहन कम्पनी को ऋण देने के कारण घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके बारे में कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) यूको बैंक की लन्दन स्थित शाखा ने लन्दन की एक नौवहन कम्पनी को, जहाज की खरीद के वास्ते आस्थगित भुगतान गारन्टी के रूप में कुछ सुविधाएं प्रदान की थीं। समझौते के अनुसार, गारन्टी की रकम की वापसी अदायगी 10 किस्तों में की जानी थी। बताया गया है कि कम्पनी ने छः किस्तों का पूरा तथा सातवीं किस्त का आंशिक रूप से भुगतान किया था। चूंकि कम्पनी ने पूरा भुगतान नहीं किया था, अतः आस्थगित भुगतान गारन्टी बैंक के जिम्मे पड़ गयी। राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और बैंकरों में प्रचलित रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसरण में बैंकों के ग्राहकों के कार्यों के बारे में आगे और ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने यूको बैंक के कलकत्ता स्थित केन्द्रीय कार्यालय में उपलब्ध रिकार्डों की जांच की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक अपने विचारों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

बीड़ी निर्माताओं द्वारा कर चोरी

906. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :**

श्री राम बहादुर सिंह :

श्री हेत राम :

श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :

श्री आर० गुन्डू राव :

श्री परसराम भारद्वाज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि बीड़ी निर्माता अस्वीकृत बीड़ियों (जिन्हें 'छांट' बीड़ी कहा जाता है) और जो कि कुल उत्पादन का अनुमानतः लगभग 20 प्रतिशत होता है, पर एक वर्ष में कर-चोरी करके भारी अनर्जित लाभ कमा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) "छांट बीड़ियों" (रिजेक्ट्स बीड़ियां) की या तो घटिया बीड़ियों के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी करने पर निकासी की जाती है

या नयी बीड़ियों के निर्माण में आगे और इस्तेमाल करने के लिए तम्बाकू प्राप्त करने हेतु इन्हें खोल दिया जाता है और इन नयी बीड़ियों की निकासी भी शुल्क की अदायगी करने के बाद ही की जाती है अथवा इन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाता है तथा उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क को माफ कर दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी व्यय में कटौती प्रभाव

907. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों को उनके व्यय में 10 प्रतिशत कटौती करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में कटौती करने का प्रस्ताव है तथा इसके फलस्वरूप कितनी बचत होने का अनुमान है;

(ग) बचत आंकड़े किस आधार पर प्राप्त किए गए हैं;

(घ) क्या व्यय में इस प्रस्तावित कटौती के कारण कुछ चालू परियोजनाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं में विलम्ब होगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या व्यय में 10 प्रतिशत कटौती से मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी तथा विदेशी ऋण चुकाया जा सकेगा, विशेषकर जबकि इन परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा तो मूल्य वृद्धि के कारण इनकी लागत में भी अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) सम्भावित अतिरिक्त खर्च से सम्बन्धित प्रस्तावों की समीक्षा से पता चला है कि यदि मांगे गए अतिरिक्त आवंटन मंजूर किए जाने हैं और घाटे को बजटीय स्तर पर ही रखा जाना है तो सभी मंत्रालयों के बजट में 10 प्रतिशत की कटौती करना आवश्यक होगा।

सम्भावित बचतों के क्षेत्रों का पता लगाते समय मंत्रालयों को अपनी योजनाओं/परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने और कम प्राथमिकता वाली एवं गैर-जरूरी मदों पर खर्च में कटौती करने की छूट है। किसी परियोजना अथवा योजना के लिए वर्तमान प्रावधानों में विशेषतया अभी कोई कटौती लागू नहीं की गई है।

बजट घाटे को नियंत्रण में रखने से उपर्युक्त उपायों द्वारा मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

पैराक्सलीन पर सीमा शुल्क में वृद्धि

908. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या वित्त मन्त्री पैराक्सलीन के मूल्यों के बारे में दिनांक 20 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 5804 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पैराक्सलीन के मूल्य में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस पर सीमा शुल्क बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं, विशेष रूप से जब कि इसका राजस्व वसूली पर और स्वदेशी उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) से देशी पैराक्सलीन के उचित विक्रय मूल्य का पता लगाने के लिए कहा गया है। औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि पैराक्सलीन पर किस उचित स्तर पर आयात शुल्क लगाया जाए।

दत्तक लेने के सम्बन्ध में कानून

909. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर हिन्दू समुदायों में दत्तक सम्बन्धी कानून बच्चा दत्तक लेने में बाधक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गैर-हिन्दू समुदायों द्वारा बच्चा दत्तक लेने के बारे में हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार एक समान कानून बनाने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक प्रस्तुत किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी हां। हिन्दू दत्तक ग्रहण विधि, ऐसे व्यक्तियों को जो हिन्दू नहीं हैं, लागू नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दत्तक ग्रहण के विषय में एक समान विधि का उपबंध करने के लिए वर्ष 1972 और वर्ष 1980 में भी बालक दत्तक ग्रहण विधेयक, संसद में पुरःस्थापित किया गया था, किन्तु कुछ अल्पसंख्य समुदायों द्वारा उसका घोर विरोध किए जाने के कारण इन प्रस्तावों को छोड़ दिया गया। राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा पत्र में यह कथित है कि धार्मिक और नृजातीय अल्पसंख्यकों को उनकी स्वीय विधियों का अनुसरण करने में पूर्ण संरक्षण मिलेगा और उनकी स्वीय विधि तथा विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

अघोषित धन के प्रयोग हेतु "फिक्की" के सुझाव

910. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :
श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री सतम राठौड़ :
श्री राम सजीवन :
श्री कल्पनाथ राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अबोधित धन को आवास और अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं, विकास निर्माण कार्यों तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने जैसे कार्यों में निवेश करने से सम्बन्धित कोई नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "फिक्की" और अन्य संगठनों से इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में नीति पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) जो सुझाव प्राप्त हुए हैं वे सामाजिक-आर्थिक प्रयोजनों, जैसे गंदी बस्तियों को हटाने निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिए आवास प्रदान करने, ग्रामीण-क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करने तथा सड़कों एवं पुलों का निर्माण करने आदि के बारे में हैं। ये सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

कश्मीर घाटी के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या से गिरावट के कारण राजस्व की हानि

911. श्री माग्धाता सिंह :

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी में प्रतिकूल स्थिति व्याप्त होने के कारण पर्यटन के चालू मौसम के दौरान कुल कितने राजस्व की हानि हुई;

(ख) विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में हुई कुल हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का कश्मीर घाटी के उन लोगों को किस प्रकार सुझावना देने का विचार है जिनकी आजीविका का मुख्य साधन पर्यटकों के आगमन पर निर्भर है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, 1989 के दौरान कश्मीर घाटी में पर्यटक व्यय लगभग 87 करोड़ रुपए (35 करोड़ रुपए विदेशी पर्यटकों द्वारा तथा 52 करोड़ रुपए इस देश के पर्यटकों द्वारा) था। चालू वर्ष के दौरान, घाटी की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत कमी आई है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान पर्यटक व्यय में आई कमी का अनुमान पर्यटक याताकाल के समाप्त होने के बाद ही लगाया जा सकता है।

(ग) राज्य में मौजूदा हालत की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था के सभी घटकों पर कुप्रभाव पड़ा है इसलिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने सामान्य तौर पर लोगों के आर्थिक पुनर्वास का कार्य करना शुरू कर दिया है। अतः पर्यटन उद्योग में लगे लोगों को अलग से सुझावना देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटक बसों में एयरकंडीशनिंग यूनिट

912. श्री अजीत कुमार पांजा : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक बसों में एयरकंडीशनिंग यूनिट लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या एयरकंडीशनिंग यूनिटों का आयात करने का विचार किया गया है और यदि हां तो इसमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी; और

(ग) एयरकंडीशनिंग यूनिटों का आयात करने के क्या कारण हैं जबकि अच्छी किस्म की एयरकंडीशनिंग यूनिट देश में ही उपलब्ध है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने आगामी दो वर्षों में यात्रा व्यवसाय के लिए 300 वातानुकूलन एककों को आयात करने सम्बन्धी पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और शुल्क 50% तक कम कर दिया जाएगा । इसमें लगभग छह करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा लगेगी ।

(ग) यात्रा व्यवसाय देश में बने वातानुकूलन एककों के कार्य निष्पादन से संतुष्ट नहीं थी; ये एकक गर्मी के मौसम में खराब हो जाते हैं और यही कारण है कि वातानुकूलन एककों के आयात का निर्णय लिया गया है ।

पंजाब में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

913. श्री कमल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितने आकाशवाणी केन्द्र हैं; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान पंजाब में कितने नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री वी० उपेन्द्र) : (क) इस समय पंजाब राज्य में जलंधर में केवल एक आकाशवाणी केन्द्र है ।

(ख) अनुमोदित सातवीं योजना के अंश के रूप में वर्ष 1990-91 में भटिंडा और पटियाला में एक-एक अर्थात कुल दो स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र चालू करने का कार्यक्रम है । यहां पर 2 × 3 किलो-वाट एफ० एम० ट्रांसमीटर बहु प्रयोजनीय स्टूडियो और संग्रहण सुविधाएं उपलब्ध होंगी ।

विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति

914. श्री एस० कृष्ण कुमार :
श्री नाथू सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा भंडार की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) गत छः महीनों के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातक कम्पनियां वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ङ) क्या विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) 31 जुलाई, 1990 को विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) 5050.12 करोड़ रुपए के थे।

(ख) सरकार ने औद्योगिक कुशलता के उन्नयन प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों पर कच्ची सामग्री की आपूर्ति, आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के जरिए निर्यातों को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। पिछले छः महीनों के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : 1990-93 के लिए नई आयात-निर्यात नीति की घोषणा, केन्द्रीय बजट 1990-91 में निर्यातों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था, पंजीकृत निर्यातकों द्वारा 25 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्कीम, बसतें की दे अधिक निर्यात दायित्व उठाएं, इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातकों को उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति स्कीम में प्रमुख संशोधन किए गए हैं ताकि विद्यमान स्कीम को सरल और कारगर बनाया जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति स्कीम की राशियों आदि में अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) और (घ) निर्यात घरानों के लिए कोई लक्ष्य विनिर्धारित नहीं किए जाते हैं, तथापि वे, उनके द्वारा निर्धारित निवल विदेशी मुद्रा आयों को बनाए रखने पर प्रोत्साहनों के पात्र हैं।

(ङ) और (च) 31-3-90 और 31-7-90 के बीच की अवधि के दौरान देश के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) 737.05 करोड़ रुपए की कमी हुई। निर्यात को बढ़ावा देने और आवश्यक आयात में कटौती करने के लिए बहुत-से उपाय करके मुद्रा भंडार की स्थिति को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। विदेशी सहायता के त्वरित संवितरण सहित अदृश्य आय और पूंजीगत प्राप्तियों के जरिए विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

शेयर आवेदकों के द्वारा जमा की गई राशि को वापस न करना

[हिन्दी]

915. श्री राम प्रसाद चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जे० सी० टी० लिमिटेड, केटेक्स पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड और बीजियोकेम बी० सी० आर० लिमिटेड द्वारा क्रमशः जून, 1989 और जनवरी, 1990 में आमन्त्रित किए गए आवेदनों के उत्तर में इनमें से प्रत्येक कम्पनी द्वारा कितने आवेदकों को शेयर/डिबेंचर आवंटित किए गए;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने जिन आवेदकों को शेयर/डिबेंचर आवंटित नहीं किए हैं उन्हें उनकी धनराशि अब तक नहीं लौटाई है;

(ग) सरकार का लघु निवेशकों (आवेदकों की धनराशि अवैध तरीके से रखने वाली इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) ऐसी शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जिन आवेदकों को संबंधित कंपनियों द्वारा शेयरों/ऋण पत्रों का आवंटन कर दिया गया है उनकी संख्या नीचे दी हुई है :—

कम्पनी का नाम	शेयर/ऋण पत्र आबंटित किए गए आवेदकों की संख्या
जे० सी० टी० लिमिटेड	59483 (इक्विटी शेयर)
सीटेक्स पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	30846 (इक्विटी शेयर)
वीडियो-कोन वी० सी० आर० लिमिटेड	31647 (डिबेंचर्स)
	6650 (इक्विटी शेयर)

(ख) सम्बन्धित क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंजों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कम्पनियों ने उन आवेदनों के वापसी आदेश भेजने का कार्य पहले ही पूरा कर दिया है, जिन्हें शेयर/ऋण पत्र आबंटित नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 73 के उपबन्धों में उन आवेदकों के हितों की रक्षा करने की व्यवस्था है जिन्हें शेयर/ऋण पत्र आबंटित नहीं किए गए हैं।

विदेशी ऋण

916. **श्री राम प्रसाद चौधरी :**
प्रो० महादेव शिवनकर :
श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :
श्री जे० चोक्का राव :
श्री नाथू सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 और 1 जुलाई, 1990 को क्रमशः कितनी धनराशि का घरेलू और विदेशी ऋण था और उस पर कितना ब्याज देय था;

(ख) क्या 1 जनवरी, 1990 के आंकड़ों की तुलना में 1 जुलाई, 1990 को विदेशी मुद्रा भंडार में कोई वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी ऋण कम करने और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) 31-3-1990 तक की स्थिति के अनुसार देश पर बकाया स्वदेशी और विदेशी ऋण की कुल राशि क्रमशः 2,38,096 करोड़ रुपए और 80,132 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्ष 1989-90 के दौरान स्वदेशी व विदेशी ऋण पर ब्याज अदायगी की राशि क्रमशः 16,226 करोड़ रुपए और 3,559 करोड़ रुपए आंकी गई हैं। वित्तीय वर्ष के किसी एक भाग के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) 29 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भण्डार की राशि में एक जनवरी, 1990 की स्थिति की तुलना में 78.87 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

(ग) सरकार ने, निर्यात को बढ़ावा देने और अदृश्य रूप से होने वाली आय में वृद्धि करने, आयात का एक सक्षम प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने और वित्तपोषण संबंधी व्यय के लिए उधार ली गई धनराशियों पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से राजस्व प्राप्तियों में सुधार लाने और अनावश्यक एवं निम्न प्राथमिकता वाले व्यय समाप्त करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं।

आयात लाइसेंसों में कटौती

[अनुवाद]

917. प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा के व्यय में कटौती करने के उपाय के रूप में चरणबद्ध निर्यात कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत आयात लाइसेंसों में की जाने वाली प्रस्तावित कटौती का ब्योरा क्या है; और

(ख) प्रस्तावित कटौती से वर्ष 1990-91 में कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) आटोमोबाइल, इलैक्ट्रानिक मदों तथा टिकाऊ उपभोक्ता माल के विनिर्माण में लगे वास्तविक प्रयोक्ताओं के मामले में मुक्त विदेशी मुद्रा में आयात की हकदारियों पर 15 प्रतिशत की कटौती लागू की गई है। यह कटौती खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत तथा अनुपूरक लाइसेंसों/बिक्री पूर्व सेवा लाइसेंसों के आधार पर किये जाने वाले कच्चे माल तथा संघटकों के आयात पर लागू होगी।

(ख) इस स्थिति में विदेशी मुद्रा बचत की मात्रा का निर्धारण करना कठिन है।

जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ व्यापार

918. प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1990 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "एक्ट्स आन फॉर हार्ड करेन्सी ट्रेड विद जी० डी० आर०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1990 को जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य को रुपये के रूप में ऋण के भुगतान की क्या स्थिति होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच दिनांक 1 नवम्बर, 1985 को हुआ मौजूदा व्यापार एवं भुगतान करार जिसमें दोनों देशों के बीच रुपया भुगतान प्रबन्ध की व्यवस्था की गई है, अभी दिनांक 31-12-1990 तक वैध है। व्यापार का क्रियान्वयन रुपया व्यापार प्रबन्धों और दिनांक 31-12-1990 तक की अवधि के दौरान भारत-जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य व्यापार योजना के आधार पर होता रहेगा। किन्तु, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य में चल रही गतिविधियों को देखते हुए दोनों सरकारें आजकल इस बात के लिए बातचीत कर रही हैं कि दिनांक 31-12-1990 तक की अवधि के दौरान व्यापार में कोई व्यवधान न आने पाए और दिनांक 31-12-1990 के बाद के व्यापार तथा भुगतान प्रबन्धों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करें और उन्हें अन्तिम रूप दें।

(ग) जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के रुपया क्षेत्र में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है और दिनांक 31-12-1990 की स्थिति का पूर्वानुमान लगाना अभी संभव नहीं होगा।

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इकाइयों द्वारा सीधित संघ को निर्यात

919. प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन" इकाईयों द्वारा निर्यात की जाने वाली मदों को सोवियत संघ के साथ हाल ही में वर्ष 1990-95 की अवधि के लिए गए व्यापार समझौते में शामिल किया गया है, जिसमें सोवियत संघ को 5,300 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) वर्ष 1990 के लिए भारत-सोवियत व्यापार योजना में भारत से सोवियत संघ को इस वर्ष के दौरान 5300 करोड़ रु० के निर्यात करने की व्यवस्था है। व्यापार योजना में निर्यात प्रावधान पूरे देश से होने वाले निर्यातों के आधार पर तथा निर्यात की विभिन्न मदों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं।

निर्यात संसाधन क्षेत्रों से होने वाले निर्यातों के लिए व्यापार योजना में कोई अलग प्रावधान नहीं किए जाते हैं, अत: ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री उत्पाद का निर्यात लक्ष्य

920. श्री के० एस० राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में समुद्री उत्पाद के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या केरल सरकार का वर्षा के महीनों में मत्स्य नौकायन पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या मत्स्य नौकायन पर प्रतिबन्ध लगाने से समुद्री उत्पाद के निर्धारित लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है।

(ख) केरल सरकार ने 20 जून, 1990 से 22 जुलाई, 1990 तक मत्स्य नौकायन पर रोक लगा दी थी।

(ग) इस रोक का निर्यात पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(घ) सरकार ने समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं :—

(I) मछली पकड़ने के उद्योग का विकास करके निर्यात उत्पादन बढ़ाना;

(II) मत्स्य पालन द्वारा संसाधन बढ़ाना;

(III) नई प्रौद्योगिकी तथा मूल्यवर्धन कार्यक्रम करना;

(IV) संलाचन सुविधाओं का आधुनिकीकरण, क्वालिटी प्रोम्प्त करना तथा अपशिष्ट में कमी लाना; और

(V) उत्साहवर्धक बाजार संवर्धन उपाय ।

"हाऊसिंग बांड" योजना

921. श्री के० वी० रघु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "हाऊसिंग बांड" जारी करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) इस योजना में सरकारी क्षेत्र के किन-किन आवास संगठनों को सम्मिलित किया जाएगा और किस प्रकार किया जाएगा;

(घ) बांड जारी करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या इस योजना का एक उद्देश्य काले धन को उत्पादक योजनाओं में उपयोग करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (च) "हाऊसिंग बांड" जारी करने की किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि हाऊसिंग और स्लम क्लीयरेन्स योजनाओं में काले धन को लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मद्रास में सोना और चांदी जब्त किया जाना

922. श्री मणिकराव होडल्या गावीत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में जून, 1990 के अन्तिम सप्ताह में कितने मूल्य का सोना और चांदी पकड़ा गया;

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों तथा इस सम्बन्ध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) जून, 1990 के अन्तिम सप्ताह में सीमा शुल्क समाहर्तालय, मद्रास ने सोने/चांदी की तस्करी सम्बन्धित केवल एक ही मामला दर्ज किया है । इस मामले से, एक यात्री से लगभग 4.83 लाख रुपये मूल्य के 1400 ग्राम अपरिष्कृत सोने के जवाहरात पकड़े थे जो सिंगापुर के रास्ते जकार्ता से मद्रास हवाई अड्डे पर पहुंचा था । इण्डोनेशिया के पासपोर्ट धारक श्री अब्दुल खालिक सिद्दिक नामक इस यात्री को गिरफ्तार किया गया था और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है ।

भारत-कोरिया संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक

923. श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आर० एस० राकेश : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जुलाई, 1990 को सियोल में भारत-कोरिया संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने दक्षिण कोरिया की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां। सिओल में 10-12 जुलाई, 1990 के दौरान बैठक हुई थी।

(ख) बैठक में भाग लेने वाले भारतीय सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वार्ताएं व्यापार के संवर्धन, निवेश इत्यादि पर केन्द्रित थीं। इलेक्ट्रानिक संघटक, रसायन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में भारत की क्षमता का उल्लेख किया गया, तथा इस बात पर सहमति हुई कि कोरियाई व्यापारियों और उद्योगपतियों के समूह के आगे सम्बन्ध बढ़ाने के लिए भारत आएंगे।

विवरण

भारत-कोरिया संयुक्त व्यापार परिषद की बसवीं बैठक (12 जुलाई, 1990) में भाग लेने वाले भारतीय आर्थिक प्रतिनिधिमंडल की सूची

1.	डा० डी० सी० कोठारी	नेता
2.	श्री अरुण भरत राम	सह-नेता
3.	श्री आर० अरुमुगम	
4.	श्री एम० आर० छाबड़िया	
5.	श्री जे० सी० गरबारे	
6.	श्री एम० बी० गोयनका	
7.	श्री एस० के० जैन	
8.	श्री सतीश के० कौर	
9.	श्री विनय कुमार	
10.	श्री एच० एम० पेरीवाल	
11.	श्री सी० एल० वर्मा	
12.	श्री एल० एल० नारायण	
13.	श्री कांतिकुमार आर० पोवार	
14.	श्री बी० जी० एस० बी० प्रसाद	
15.	श्री विवेक सिंघल	
16.	श्री एस० एन० श्रीवास्तव	
17.	श्री जे० सी० तनेजा	

18. श्री साधन सी० दत्त

19. डा० बी० एस० पालकर

20. श्री आर० के० आजोदिया

21. श्री एच० एस० संधु

22. डा० पई पानन्दीकर

23. श्रीमती नीला खांडगे

24. कु० शान्ता घोष

"58 करोड़ वर्ष हेरोइन सीज्ड" शीर्षक से समाचार

924. श्री मणिकराव होडल्या गावीत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1990 के "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में "58 करोड़ वर्ष हेरोइन सीज्ड इन जम्मू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिनांक 13 जुलाई, 1990 को तड़के ही सीमा सुरक्षा बल तथा सीमा शुल्क की संयुक्त नाका पार्टी ने गांव अगरे चाक (जम्मू क्षेत्र) के समीप दो आदमियों की संदेहास्पद गतिविधियों देखीं। चुनौती दिये जाने पर, वे अन्धेरे तथा सघन ऊंचे बढ़े हुए सरकन्डों का लाभ उठाते हुए गांव बादहते ब्राह्मण की ओर भाग गये। क्षेत्र की तलाशी लिये जाने के दौरान दो बोरों में 58 कि० ग्रा० वजन के 58 पैकेट हेरोइन के प्राप्त हुए ।

ऐसी निषिद्ध औषधियों का वास्तविक मूल्यांकन सम्भव नहीं है जिनकी प्राय: अनियत रासायनिक प्रबलता और संरचना होती है जिनको नष्ट किये जाने की सम्भावना है ।

इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है । संगत नियमों के अधीन उचित कार्रवाई की गई ।

डी० डी० कार्यक्रम "कुदरत के सब बन्दे" का प्रसारण बन्द करना

925. श्री कृपाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालंधर दूरदर्शन से "कुदरत के सब बन्दे" शीर्षक से एक कार्यक्रम का प्रसारण होता था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार गुरबानी इस कार्यक्रम "कुदरत के सब बन्दे" को फिर से शुरू करने पर विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) क्या सरकार को इस बारे में किसी संगठन और जनता के प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) दूरदर्शन केन्द्र जलंधर से "कुदरत दे सब बन्दे" नामक कार्यक्रम हर महीने दूसरे और चौथे सोमवार को सायं 7.50 बजे नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है। इस केन्द्र से "शबदों" पर आधारित एक और कार्यक्रम "गाओ सांची बानी" भी प्रत्येक मंगलवार को सायं 7.50 बजे प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा यह केन्द्र प्रत्येक रविवार को प्रात: गुरवाणी पर 13 मिनट का कार्यक्रम और "शबदों" पर आधारित इसी तरह का कार्यक्रम करीब 5 बजे सायं सप्ताह में दो बार प्रसारित करता है।

(ङ) इस विषय पर विदेश मंत्री के माध्यम से श्री गुरु सिंह सभा कादियां, जिला गुरुदासपुर से और माननीय सदस्य श्री कृपाल सिंह से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

भूतपूर्व संसद सदस्यों को रेलवे पास

926. श्री प्रताप राव बाबूराव भोसले : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संसद सदस्यों और उनकी पत्नियों/पतियों को रेलवे पास जारी करने हेतु कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन अनुरोधों पर कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) भूतपूर्व संसद सदस्य और उनके सहचर/पत्नी/पति को नि:शुल्क रेल पास/यात्रा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर संसद सदस्य वेतन और भत्ता सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा विचार किया गया और उसने सरकार से सिफारिश की है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों को पूरे भारत में वातानुकूलित-2 टियर स्लीपर द्वारा यात्रा करने के लिए रेल पास दिया जाए। यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

अचल सम्पत्ति आवास विकास में अनिवासी भारतीयों की दिलचस्पी

927. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने अचल सम्पत्ति आवास विकास योजनाओं, बंजर भूमि के विकास और कृषि सम्बन्धी गतिविधियों में निवेश किए जाने के बारे में काफी दिलचस्पी दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आवास परियोजनाओं, कृषि आदि में अनिवासी भारतीयों का सहयोग लेने पर सहमति प्रकट की है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनका सहयोग लेने के लिए कोई प्रभावी योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) इस समय, अनिवासी भारतीयों द्वारा जमीन-जायदाद और भू-आधारित कार्यकलापों में वाणिज्यिक आधार पर निवेश करने की अनुमति नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न पैदा नहीं होते।

विदेशी ईक्विटी के साथ विदेशी सहयोग

928. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में विदेशी ईक्विटी वाले कितने विदेशी सहयोग कार्यान्वित हो रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने विदेशी सहयोग देश के लिए सापेक्ष विदेशी मुद्रा आय वाले हैं; और

(ग) कितने विदेशी सहयोगों में विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वर्ष 1985 से 1989 की अवधि के दौरान दी गई कुल विदेशी सहयोग की स्वीकृतियां इस प्रकार हैं :—

	जोड़	वित्तीय
1985	1024	238
1986	957	240
1987	853	242
1988	926	282
1989	605	194

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत की गई विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की आमदनियों के वास्तविक आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं। तथापि, आयात प्रतिस्थापन और प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण जो देश में उपलब्ध नहीं है, के लिए विदेशी सहयोग के कई प्रस्ताव है।

जल आपूर्ति योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज

[हिन्दी]

929. श्री एस० सी० वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल आपूर्ति योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाता है; यदि हां, तो यह कितनी अवधि के लिए दिया जाता है;

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा इस ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर कितनी है;

(ग) क्या जल आपूर्ति योजनाओं में कोई लाभ अर्जित नहीं होता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस ब्याज दर को कम करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाओं के वास्ते प्रत्येक राज्य के लिए योजना आयोग द्वारा आवंटित राशि में से निम्नलिखित शर्तों पर ऋण प्रदान करता है :

	शहरी योजनाएं	ग्रामीण योजनाएं
(क) ब्याज की दर	प्रति छमाही देय 10.25 प्रतिशत वार्षिक	प्रति छमाही देय 10 50 प्रतिशत
(ख) ऋण की अवधि	अधिकतम 3 वर्ष 3 महीने की रियायती अवधि के साथ 22 बराबर वार्षिक किस्तों में 25 वर्षों में वापस देय	अधिकतम 3 वर्ष 3 महीने की रियायती अवधि के साथ 25 बराबर वार्षिक किस्तों में 28 वर्षों में वापस देय
(ग) सिक्युरिटी	राज्य सरकार की गारन्टी पर	राज्य सरकार की गारन्टी पर

जीवन बीमा निगम द्वारा अभी तक ली जाने वाली ब्याज की दरें सबसे कम हैं और तथ्य यह है कि अगस्त, 1986 से इनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अनिवासी भारतीयों के लिए पूंजी निवेश वातावरण

[अनुवाद]

930. **श्री राजमोहन रेड्डी :**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री जी० एस० वासवराज :

श्री मती वसुन्धरा राजे :

श्री गोपाल पचेरवाल :

श्री गंगा चरण लोधी :

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में पूंजी निवेश करने के लिए उचित वातावरण बनाने के उद्देश्य से वर्तमान योजनाओं पर पुन: विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन मुख्य प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या किसी योजना को अन्तिम रूप से तैयार करने से पहले अनिवासी भारतीयों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया है और उनके विचारों पर ध्यान दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) अनिवासी भारतीय निवेश सम्बन्धी मौजूदा योजनाएं, नियम एवं विनियम के निरन्तर समीक्षाधीन रहते हैं और जहां आवश्यक होता है वहां समुचित परिवर्तन किए जाते हैं।

आयकर अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

931. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मन्त्री आयकर अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त हुई तथाकथित भ्रष्टाचार की शिकायतों के बारे में 15 अप्रैल, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7054 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बित शिकायतों में से कितनी शिकायतों की जांच की गई है और उनकी जांच के निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) सरकार तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अप्रैल, 1988 से मार्च, 1990 तक आयकर विभाग में (एक) आयकर अधिकारियों; (दो) सहायक आयुक्तों; (तीन) उप आयुक्तों; (चार) आयुक्तों और निदेशकों; और (पांच) मुख्य आयुक्तों/महानिदेशकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कितनी और शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इनमें से कितनी की जांच की गई है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जैसाकि लोक सभा में दिनांक 15 अप्रैल 1988 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 7054 के बारे में दिए गए उत्तर में सूचित किया गया था कि 389 शिकायतें अनिर्णीत पड़ी हुई हैं। इन शिकायतों में से 155 शिकायतों में जांच-पड़ताल की गई है।

ऊपर (क) में उल्लिखित मामलों में जांच-पड़ताल के परिणाम :—

(i) दाण्डिक कार्यवाहियां शुरू की गई	—	40 मामले
(ii) शिकायतें बन्द की गई	—	115 मामले

(ख) सरकार तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भ्रष्टाचार के बारे में अप्रैल, 1988 से मार्च, 1990 तक की अवधि के दौरान प्राप्त हुई अतिरिक्त शिकायतें—1389

ब्यौरा

(i) आयकर अधिकारियों के खिलाफ	632
(ii) सहायक आयुक्तों के खिलाफ	143
(iii) उपायुक्तों के खिलाफ	251
(iv) आयुक्तों तथा निदेशकों के खिलाफ	316
(v) आयकर विभाग के मुख्य आयुक्तों/ महानिदेशकों के खिलाफ	47
कुल	1389

(ग) (i) 1389 शिकायतों में से 241 शिकायतों में जांच-पड़ताल शुरू की गई है। शेष मामलों

में जांच-पड़ताल करना आवश्यक नहीं था क्योंकि ये शिकायतें गुमनाम/छद्मनाम आदि से भेजी गई शिकायतें थीं।

(ii) दिनांक 31 जुलाई, 1990 तक 97 मामलों में जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई थी। इन मामलों में की गई कार्यवाही का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. दाण्डिक कार्यवाहियां शुरू की गई		21 मामले
2. अन्य कार्यवाहियां शुरू की गई		3 मामले
3. मामले बन्द किए गए		73 मामले
	कुल	97 मामले

सिने कलाकारों का बकाया कर

932. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्म सिने कलाकारों/निदेशकों/प्रोड्यूसरों का ब्यौरा क्या है, जिन पर 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार आयकर/सम्पत्ति कर के रूप में आयकर विभाग को देय 1 लाख रुपये से अधिक की राशि बाकी है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी चल तथा अचल सम्पत्तियों को कुर्क करने हेतु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 226(3) तथा सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 के अधीन कार्यवाही आरम्भ की है;

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में कार्यवाही आरम्भ की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इतनी बड़ी धनराशि का बकाया आयकर वसूल करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना दिनांक 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार है। दिनांक 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार जिन फिल्मी सिनेमा कलाकारों/निदेशकों/निर्माताओं की तरफ एक लाख रुपये से अधिक का आयकर बकाया है, उनके नाम संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां। अनेक मामलों में चल तथा/अथवा अचल सम्पत्तियों की कुर्की करने के बारे में कार्यवाही शुरू की गई है।

(ग) और (घ) 19 मामलों में सम्पत्तियों की कुर्की करने के बारे में कार्यवाही शुरू की गयी है। इनमें से कुछ मामलों में सम्पत्तियों की कुर्की नहीं की गयी है। ऐसे मामलों में या तो मांगें अदायगी के के लिए देय नहीं हुई हैं, अथवा मांगें विवादग्रस्त हैं अथवा कुर्की करने के लिए कोई भी सम्पत्ति उपलब्ध नहीं है। कुछ मामलों में या तो वसूली के मामले को स्थगित कर दिया गया है अथवा अदायगी को किस्तों में करने की अनुमति दी गयी है। कुछ अन्य मामलों में मांग में सुधार करने/मांग को माफ करने/मांग का निपटान करने से सम्बन्धित आवेदन-पत्र विभिन्न प्राधिकारियों के पास अनिर्णीत पड़े हुए हैं। सभी मामलों में बकाया मांगों की वसूली करने के बारे में विभिन्न स्तरों पर निरन्तर समीक्षा की जाती है।

विवरण-I

फिल्मी-सिनेमा कलाकारों/निर्देशकों/निर्माताओं के नाम, जिनकी तरफ दिनांक 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक का आयकर बकाया है।

क्रम सं०	नाम
	श्री/श्रीमती
1.	अमजद खान
2.	अशीष सेन गुप्त
3.	अमिताभ बच्चन
4.	ए० श्रीदेवी
5.	ए० वेंकट नारायण राव
6.	अर्जुन हिंगोरानी
7.	अकबर अली खान
8.	ए० बी० मोहन
9.	अशोक खन्ना
10.	अनुभव फिल्म (प्रा०) लि०
11.	ए० आर० राजू
12.	विश्वजीत चटर्जी
13.	बरखा राय
14.	सी० सुहासिनी हासन
15.	भप्पी लाहिरी
16.	छाया लोक (प्रा०) लि०
17.	दिलीप कुमार
18.	दीप्ति नवल
19.	डी० वेंकटेश
20.	ई० वी० सरोजा
21.	फारुख अहमद फारपुर (स्वर्गीय)
22.	जी० माधवी (कु०)
23.	जी० प्रभु
24.	जी० विजया निर्मला

25. गुलाब एम० गुलबानी
26. जी० वेंकटेश्वरन
27. जी० आदिशेष गिरि राव
28. जी० हनुमंत राव
29. हैलेन एन० रिचर्डसन
30. हरमेश मल्होत्रा
31. ज० जमुना
32. किशोर कुमार गांगुली (स्वर्गीय)
33. के० भाग्यराज
34. कमल विजय प्रोडक्शन
35. के० ए० नारायण
36. कमालुद्दीन काजी
37. के० सी० एम० ट्रस्ट
38. के० एम० दत्तात्रेय
39. के० बालाजी
40. के० जे० जॉय
41. के० सुब्रह्मण्यम
42. लक्ष्मी प्रोडक्शंस
43. मौसमी चटर्जी
44. एम० आर० आर० बासु
45. एम० आर० राधिका
46. मुक्ता आर्ट्स (प्रा०) लि०
47. एम० एस० गोहन
48. एन० टी० रामाराव
49. नासिर खान सरवर खान (स्वर्गीय)
50. नागेश्वर राव
51. एन० हरिकृष्ण
52. एन० मोहन कृष्ण
53. एन० जय कृष्ण
54. नवकेतन इन्ड० फिल्म (प्रा०) लि०

55. श्रीमती नीरा पी० मेहरा
56. एन० एन० सिप्पी
57. नितिन डी० कपूर
58. श्रीमती एन० राधा
59. ओ० पी० रल्हन
60. प्रवीण बाबी
61. पद्मिनि कोल्हापुरे
62. मैसर्स प्रकाश मेहरा कम्बाइन
63. श्री प्रकाश मेहरा
64. मैसर्स पद्मालय फिल्म्स
65. मैसर्स पद्मालय स्टूडियो प्रा० लि०
66. मैसर्स प्रवीण फिल्म्स सर्किट
67. राजेश खन्ना
68. रेखा गणेशन
69. रति अग्निहोत्री
70. राज बब्बर
71. राजेन्द्र कुमार तुली
72. आर० जयप्रदा
73. आर० रजनी कांत
74. आर० के० फिल्म्स स्टूडियोज प्रा० लि०
75. आर० डी० बर्मन
76. रंजीत सिंह बिर्क
77. रामानन्द सागर
78. शत्रुघ्न सिन्हा
79. शबाना आजमी
80. सत्येन्द्र कुमार शर्मा
81. श्रीराम लागू
82. सारिका ठाकुर
83. संजय उर्फ अब्बास खान
84. सुश्री राज कपूर

85. एस० एस० राजेन्द्रा
86. श्री विद्या
87. एस० कमल हासन
88. सतराम रोहरा
89. सोहन लाल कंवर
90. सुभाष घई
91. एस० एम० सागर
92. सरदार मलिक
93. सत्येन्द्र पाल चौधरी
94. मैसर्स सुमीत फिल्म्स
95. मैसर्स संगीत आर्ट इन्टरनेशनल
96. मैसर्स सुप्रजा फिल्म स्टुडियो
97. श्री विजय कृष्ण मूवीज
98. टीना मुनीम
99. ताहिर हुसैन खान
100. टी० एम० बिहारी
101. टी० रामाराव
102. टी० आर० चन्द्रन
103. विक्रम उर्फ एम० एन० मकन्दन
104. विद्या सिन्हा
105. विजय आनन्द
106. विनय कुमार सिन्हा
107. वरना श्री फिल्म्स
108. वी० सी० षन्मुगम्
109. वी० सी० गणेशन
110. डब्ल्यू० राजेश
111. यश राज चोपड़ा

विवरण-2

फिल्मी-सिनेमा कलाकारों/निर्देशकों/निर्माताओं के नाम, जिनकी तरफ दिनांक 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक का बनकर बकाया है।

क्रम० सं०	नाम श्री/श्रीमती
1.	अमजद खान
2.	देव आनन्द
3.	जितेन्द्र कपूर
4.	लता मंगेशकर
5.	एन० टी० रामाराव
6.	निरूपा रॉय
7.	बी० पी० रल्हन
8.	प्रेम किशन सिकंद
9.	राजेश खन्ना
10.	रेखा गणेशन
11.	राज कुमार पंडित
12.	शत्रुघ्न सिन्हा
13.	विजय आनन्द
14.	विनोद खन्ना
15.	यश राज चोपड़ा

बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति

[हिन्दी]

933. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अप्रैल, 1990 के जनसत्ता में "बोकारो स्टील प्लांट घोषित लक्ष्य से पीछे रहा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/ करने का विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां।

वर्ष 1989-90 के दौरान "सेल" के बोकारो इस्पात कारखाने ने 27.94 लाख मी० टन के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 23.25 लाख मी० टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन किया, यह 17% की गिरावट दर्शाता है। उत्पादन में गिरावट आने के निम्नलिखित मुख्य कारण थे :

(i) धातुकर्मीय किस्म के कोयले की अपर्याप्त तथा अनियमित आपूर्ति।

(ii) दामोदर घाटी निगम के ग्रिड से गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों दृष्टि से बिजली की आपूर्ति अड़चनें।

(iii) प्रबन्धकीय कमियां जिसमें अधिकारी-कर्मचारी सम्बन्धों की अनुत्पादक स्थिति शामिल है।

(ग) बोकारो इस्पात कारखाने के शीर्ष प्रबन्धन में सुधार करने के अलावा चालू वर्ष में उत्पादन लक्ष्य की प्रगति के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) प्रौद्योगिकीय उन्नयन का कार्यान्वयन तथा प्रचालन की उन्नत तकनीक;

(ii) अवस्थापना संबंधी सहयोग में चरणबद्ध सुधार तथा तर्कसंगत सुधार;

(iii) स्वदेशी तथा आयातित कोककर कोयले की मात्रात्मक तथा गुणात्मक आपूर्ति में सुधार करने के प्रयास;

(iv) जब कभी दामोदर घाटी निगम द्वारा कड़े प्रतिबन्ध लगाये जाएं तो उस स्थिति में इस संकट को हल करने के लिए बोकारो इस्पात कारखाने के अपने निजी विद्युत उत्पादन के इष्टतम करना;

(v) उपस्करों की दशा को सुधारने के लिए चरणबद्ध तथा सुनियोजित ढंग से उपस्करों का अनुरक्षण तथा भारी मरम्मत करना; और

(vi) विभिन्न इच्छुक समूहों के साथ विचार-विमर्श करना।

सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध

[अनुवाद]

934. **श्री शंकर मुंजारे :**

श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों तथा विदेशी मुद्रा की बचत को देखते हुए अधिकारियों द्वारा निजी प्रयोजन के लिए सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी वाहनों को कार्यालय परिसर में ही खड़ा किया जाये तथा इन्हें रात्रि के समय अधिकारियों के ड्राइवरों के निवास स्थानों पर खड़ा करने की अनुमति न दी जाये;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को भी कोई निर्देश जारी किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में स्टाफ कारों का उपयोग स्टाफ कार नियमावली से शासित होता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक प्रयोजनों के लिए स्टाफ कारों का उपयोग किया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को हाल ही में अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे 1990-91 से अपनी पेट्रोल खपत में 1989-90 के दौरान की खपत से 20% की कमी करें।

(ख) और (ग) ऐसे अनुदेश पहले ही विद्यमान हैं कि स्टाफ कारों को ड्यूटी के स्थान के पास ही आवंटित गैराजों में और गैराजों के न होने पर कार्यालय परिसर में ही पार्क किया जाए।

(घ) जी, नहीं।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की गई खरीद में पंजाब का हिस्सा

935. श्री बाबा सुच्चा सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से कुल कितने मूल्य के सामान की खरीद की;

(ख) खरीद में पंजाब से कितना सामान खरीदा गया और अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) पंजाब से और अधिक खरीद न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) पंजाब से की जाने वाली खरीद में वृद्धि करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल शीधरन) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान की गयी कुल खरीद निम्न प्रकार है :—

वर्ष	की गई खरीद का मूल्य (करोड़ रु० में)
1986-87	3151.59
1987-88	2722.11
1988-89	2949.10

(ख) उक्त खरीद में पंजाब का हिस्सा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)	कुल खरीद का%
1986- 7	29.39	0.90%
1987-88	55.61	2.04%
1988-89	36.23	1.23%

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की गयी कुल खरीद में पंजाब का हिस्सा अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय क्रय संगठन के रूप में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय अखिल भारत आधार पर प्रतियोगी बोली के माध्यम से खरीद करता है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों के आधार पर खरीद में किसी प्रकार की अधिमानता नहीं दी जाती और न ही किसी राज्य को क्रय के लिए कोटा ही दिया जाता है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के क्रय कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाता है और यह पूर्णतया किसी राज्य के उद्यमकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि वे पर्याप्त जागरुकता दिखाएं और आवश्यक क्षमता के विकास, उत्पाद की क्वालिटी में सुधार और अखिल भारतीय टेंडरों को स्वीकार्य प्रतियोगी दरें कोट कर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के क्रय कार्यक्रम में भाग लें।

श्रीनगर में रेडियो प्रसारण/दूरदर्शन प्रसारण कार्यक्रमों में कटौती

936. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :**

श्री कड़िया मुंडा :

श्री फूलचन्द वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र द्वारा एक वर्ष पूर्व प्रसारित किए जा रहे किन-किन नियमित कार्यक्रमों का अब प्रसारण कम/समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम का प्रसारण कम अथवा बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्थानीय समाचार बुलेटिन (श्रीनगर केन्द्र से रेडियो/दूरदर्शन पर प्रसारित) वास्तव में श्रीनगर में तैयार किए जाते हैं; और

(घ) क्या बन्द/समाप्त किए गए कार्यक्रमों को पुनः शुरू करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो कब से ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) आकाशवाणी ने पर्यटकों से भेंटवार्ताओं पर आधारित पर्यटन और स्कूल प्रसारण कार्यक्रम बन्द कर दिए हैं। "राई तराई" नामक कार्यक्रम की आवृति घटा दी गयी है और उसे साप्ताहिक कार्यक्रम से मासिक कार्यक्रम बना दिया गया है। दूरदर्शन ने किसी नियमित कार्यक्रम को बन्द/कम नहीं किया है।

(ख) आकाशवाणी के कार्यक्रमों को बन्द करने के कारण हैं :—

(i) घाटी में पर्यटकों का कम आना,

(ii) घाटी में विद्यालयों का बन्द होना।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में कटौती बाहरी रिकार्डिंग के लिए बाहर जाने पर लगे प्रतिबन्धों के कारण हुई है।

(ग) आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन जम्मू और कश्मीर से प्राप्त समाचारों के आधार पर दिल्ली में तैयार किये जाते हैं, जबकि दूरदर्शन के समाचार जम्मू में तैयार किए जाते हैं;

(घ) जी नहीं।

———

12.03 म० प०

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : खव, श्री सोज ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव, मैंने आपको देख लिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया श्री सोज की बात सुनिए।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैं 12 दिनों के बाद कश्मीर से लौटा हूं। मैंने जो कुछ वहां देखा उसे इस महान सदन में बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत की संसद कश्मीर के लोगों के प्रति अपना कर्त्तव्य पूरा करे। इससे पहले मैंने आज प्रश्न काल स्थगित करने के लिये आपसे अनुरोध किया है (व्यवधान)। आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। मैं अनुभव करता हूं कि कश्मीर संकट की चर्चा मुझे स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत करनी चाहिये। (व्यवधान) महोदय, आपका निर्णय मेरे लिये कानून है। मैं आपके निर्णय का पालन करूंगा। (व्यवधान) मैं इस देश को सूचित करना चाहता हूं कि कश्मीर में क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : छह घण्टे में बहस होगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे अध्यक्ष ने अनुमति दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपना स्था ग्रहण करेंगे ।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैंने उनको बुलाया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, विजय जी आप तब नहीं ले···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, मैं आपकी बात सुनूंगा क्योंकि मैंने आपको बुलाया है···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह है कि जब प्रश्न काल शुरू हुआ तो सोज साहब खड़े हो गये, मैंने उन्हें मना किया कि मैं आपको अभी अलाऊ नहीं करूंगा, लेकिन मैंने यह भी कहा कि आज कश्मीर पर बहस है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। यह हमारा वादा था कि मैं प्रश्नकाल सस्पेंड नहीं करूंगा और वह व्याकुल थे और सदन के माननीय सदस्यों ने कहा कि इनको सुन लें। तब मैंने इन्हें वचन दिया था कि प्रश्न काल के बाद इनको बुलाऊंगा। मैं आप सबको मना नहीं करता हूं। समस्या का समाधान इसी में है कि सोज साहब को सुन लें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं इस महान सदन को तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूं। आपको समझना चाहिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर में मृत्यु और विनाश की अभूतपूर्व स्थिति बनी हुई है। मैं नहीं जानता कि क्या गृह मंत्री तथ्यों को छुपाकर सरकार का कोई उद्देश्य पूरा कर रहे हैं अथवा नहीं। लेकिन देश को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। कश्मीर में वास्तव में संकट है। यह एक खतरनाक स्थिति में है। हमने राज्यपाल से मिलकर यह कहा था कि केन्द्रीय सरकार का अशांत क्षेत्र अधिनियम को पारित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन गृह मंत्रालय ने राज्यपाल के माध्यम से सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम के साथ-साथ उस क्रूर कानून को भी पारित करा लिया। महोदय, यहां तक कि एक हवलदार अथवा एक सारजेंट को किसी उच्च अधिकारी को बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अथवा गोली चलाए जाने के लिए किसी से आदेश प्राप्त किए बिना गोली चलाने का अधिकार है। और अब क्या हुआ है ? श्री सक्सेना अब अलग तरीके से स्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने उन लोगों की आशाओं को झूठा साबित किया है जिन्होंने उस समय उन पर विश्वास किया था। अब, सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि निर्दोष लोगों को कश्मीर में शत्रु माना जा रहा है। महोदय, आप जानते हैं कि 6 अगस्त को क्या हुआ था ? मशाली मोहल्ले में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान मारा गया था। इस बात का ध्यान न रखते हुए कि कौन मारा जा रहा है, हमने इस सभा में हर तरह की हिंसा की निन्दा की है (व्यवधान)···महोदय, कश्मीर में निर्दोष लोग मारे गए हैं। मशाली मोहल्ला में, कुछ शरारती लोग एक घर में दाखिल हुए और उन्होंने 70 वर्ष के एक बूढ़े व्यक्ति और 8 वर्ष के एक सोते हुए बच्चे सहित 11 लोगों की घर के अन्दर हत्या कर दी। महोदय आफताब, श्रीनगर टाइम्स और अलसफाह जैसे समाचार पत्रों में यह सब प्रकाशित हुआ है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई जरूरत नहीं है दिखाने की, आप कह रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इन समाचार पत्रों में तस्वीरें भी प्रकाशित हुई हैं। सबूतों में से एक सबूत यह है कि श्री जी० सी० सक्सेना ने इन हत्याओं के लिए उप महानिरीक्षक (सीमा सुरक्षा बल) को स्वयं फटकार लगाई थी। महानिदेशक (पुलिस) ने उप महानिरीक्षक (सीमा सुरक्षा बल) के साथ नियंत्रण कक्ष में संघर्ष किया था। उन्होंने उन्हें बताया कि सीमा सुरक्षा बल, निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिये यहां पर नहीं है (व्यवधान)···आप श्री सक्सेना को राज्यपाल के रूप में यहां रखकर देश के लिए बदनामी ला रहे हैं ··इससे पहले केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दलों और सीमा सुरक्षा बलों ने सोपोर में इकबाल मार्किट में आग लगा दी थी। बी० बी० पी० ने कहा है कि 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा क्योंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन ने अपनी सेवाएं नहीं दीं। अब यह कहा गया है कि इन बलों ने मगम में दो गांवों को आग लगाई थी·· (व्यवधान) मेरा सवाल यह है क्या ये बल कश्मीर में निर्दोष लोगों को अपना दुश्मन मानने के लिए स्वतन्त्र हैं ? यह सरकार क्या कर रही है ? क्या वे गृह मंत्री पर विश्वास करते हैं जो तथ्यों को छुपाने पर तुले हुए हैं ? इससे पहले भी गृह मन्त्री ने सभा को काल्पनिक आंकड़े देकर सभा को गुमराह किया था···(व्यवधान)। इस सरकार की नीति क्या है ?···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात को अब समाप्त कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से प्रत्यक्ष रूप से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। जिस तरीके से वे सरकार चलाना चाहते हैं उन्हें चलाने दीजिए। लेकिन मुझे यह देखकर दुख है कि इस सरकार की कश्मीर के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है और वे उपेक्षा करने में लगे हुए हैं और अपने कर्त्तव्य का परित्याग कर रहे हैं। उनकी कश्मीर के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है···(व्यवधान) वे हमें वास्तविक तथ्यों के बारे में नहीं बताते हैं। वे कितनी देर तक इस तरह करते चले जाएंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, कि आप इस सभा के प्रति अपना कर्त्तव्य पूरा कीजिए। क्या आप सरकार में, प्रधान मंत्री से और गृह मंत्री से निर्दोष लोगों की हत्याओं, आग लगने के मामले आदि जिसमें कई घर जल गए थे, के बारे में तथ्यों को सभा में रखने के लिए कहेंगे। निर्दोष कश्मीरी लोगों को वे कब तक अपना शत्रु मानते रहेंगे ?

एक बात और कहता हूं। मैं श्री जसवन्त सिंह द्वारा रखे गए संकल्प पर बाद में बोलूंगा। मेरे पास बहुत से तथ्य हैं, मेरे पास वास्तविक तथ्य हैं। मैं यहां झूठ नहीं बोलता (व्यवधान)। आप कृपया इस सरकार से कहें कि यह सभा तथ्य चाहती है। प्रधान मंत्री और गृह मंत्री, कश्मीर के संबंध में हमें वास्तविक तथ्यों के बारे में बताएं।

अन्त में, मैं चाहता हूं कि यह सभा एक संकल्प पारित कर कश्मीर में स्थिति का जायजा लेने के लिए एक संसदीय शिष्ट मण्डल वहां भेजे। शासक दल असफल हो गया है ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है, कृपया अब बैठ जाइये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस शासक दल को वहां पर जाने का अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक संसदीय शिष्ट मण्डल वहां जाये···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि० बट्ट आप बैठ जायें। राजेन्द्र जी आप भी बैठ जायें। मानवेन्द्र जी, आप क्यों खड़े हो गये हैं ? सवाल यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने ए० आई० आई० एम० एस० के बारे

में नोटिस दिया है और आपको पता है कि वह ध्यानाकर्षण आ रहा है, अत: इस बात को अभी उठाने का सवाल नहीं है तथा···

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जब भी हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो आप बैठने के लिए कहते हैं। हमने आपको लिखकर दिया और आप हमें एक मिनट बोलने के लिए कहते हैं अभी आधा मिनट ही बोल पाते हैं, वे लोग हमें बोलने नहीं देते। कई लोग तो 20-25 मिनट तक बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : विजय जी, वे लोग जैसा करते हैं, आप जरूरी नहीं कि वैसा ही करें।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : कश्मीर के मामले में कांग्रेस और नेशनल कान्फरेंस दोनों ने मिलकर इस मुल्क को बरबाद किया हुआ है। आप इनको इतना समय क्यों देते हैं। (व्यवधान)।

श्री मदन लाला खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैंने 8 तारीख को आपको लिखकर दिया था कि जम्मू कश्मीर के एक फौरमर चीफ जस्टिस मुफ्ती बहाउद्दीन फारूक ने पिछले दिनों जो एक ऐफिडेविट दिया था, वह भारत की एकता और अखण्डता के लिए खतरा है। उन्होंने एक रिट फाइल की थी। उसके आठवें पृष्ठ पर उन्होंने कहा है, (व्यवधान) उसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। उसमें कहा गया है···(व्यवधान) एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने के नाते उन्होंने जो कुछ कहा है वह संविधान के विरुद्ध है, उसका फायदा उठाकर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहा है। उसमें कहा गया है कि भारत ने 42 वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य को हेराफेरी और धोखाधड़ी करके, फोर्स से, राज्य की जनता की इच्छाओं के विरुद्ध हथिया लिया है। उसे भारत में मिलाते वक्त, मुसलमानों की संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या का 77.11 प्रतिशत थी इसलिये जरूरी तौर पर वह राज्य मुसलमानों का होमलैंड था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों खड़े हो गये हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मैं फारूक साहब की बात को आपके सामने कोट करना चाहता हूं।

"कि लगभग 42 वर्ष पूर्व भारत ने जम्मू और कश्मीर राज्य को राज्य के लोगों की घोषित इच्छाओं के विपरीत चालाकी, कपट और बलपूर्वक अपने में मिला लिया।

कि उसे भारत में मिलाने के समय मुसलमानों की संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या का 77.11 प्रतिशत थी इसलिए वह जरूरी तौर पर मुसलमानों का होमलैंड था (व्यवधान)

जो लोग इस तरह की प्रो-पाकिस्तानी बातें करते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिये, यह मैं मांग करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : और सारा हाउस ऐसी हरकतों की निन्दा करता है।

श्री मदन लाल खुराना : ये लोग उनका समर्थन कर रहे हैं जो देश की एकता और अखंडता

के विरुद्ध हरकतें करते हैं, बातें करते हैं, आजादी के 42 सालों बाद भी ऐसी बातें करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव।

प्रो० संकुहीन सोज : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। अभी यहां खुराना साहब ने जो कुछ कहा, ये किसी कायदे कानून की बात तो मानते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या प्वाइंट आफ आर्डर है, किस रूल को इन्फिज किया गया है, यह बताइये।

प्रो० संकुहीन सोज : मैं रूल 376 के हवाले से प्वाइंट आफ आर्डर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा बताइये, आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

प्रो० संकुहीन सोज : यकीन रखिये कि जब मैं प्वाइंट आफ आर्डर कहता हूं तो मेरे पास रूल होता है। अर्ज यह है कि अभी खुराना साहब ने जो कुछ कहा···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, आप क्यों बोल रहे हैं। कुमारमंगलम जी आप बैठ जाइये।

प्रो० संकुहीन सोज : जब तक ये लोग बन्द नहीं करेंगे, मैं अपनी बात कैसे कह सकूंगा। भारतीय जनता पार्टी की फ्रन्ट बैंचेज पर आडवाणी जी बैठे हैं, आप उनको आश्वासन दे दीजिये कि इस सदन की कार्यवाही कायदे कानून के मुताबित होगी, यही मेरा अर्ज है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, मैं सभा की कार्यवाहियों को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए यहां हूं। आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

[हिन्दी]

प्रो० संकुहीन सोज : जब यहां खुराना साहब ने एक्स-चीफ जस्टिस की बात कही, अध्यक्ष तो उनके कहे हुए पर गौर करना जरूरी नहीं है, उनको सुनना जरूरी नहीं है। इस सदन के बाहर बहुत से लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, उनका नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि ये लोग उनका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप यही कहना चाहते हैं कि उनका समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, आप बैठ जाइये। श्री संतोष मोहन देव।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : असम में गत एक मास में स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। पुलिस के अधीक्षक श्री ईश्वर देव तथा उनके अंगरक्षक की हत्या कर दी गई···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक पुलिस अधीक्षक तथा उनके अंगरक्षक की हत्या कर दी गई। 'उल्फा' ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। आयल इंडिया लिमिटेड के प्रबन्धक का अपहरण कर लिया गया। वास्तव में उन्हें न्यायालय के आदेश पर तीन आतंकवादियों को छोड़े जाने के बदले में रिहा

किया गया था। एक राजनीतक नेता, श्री रहोतेश्वर सैकिया, जो कि असम के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का भाई था, उसकी हत्या कर दी गई थी। असम में 143 चाय बागान मालिकों में से प्रत्येक को 'अल्फा' को 5 लाख रुपये देने पड़े थे, यद्यपि शुरू में उन्होंने प्रत्येक से 20 लाख रुपये की मांग की थी। इस मामले पर दो मंत्रियों ने चाय उद्योगों के साथ बातचीत की थी, जिन्हें प्रत्येक को 20 लाख रुपये देने के लिए कहा गया था। मंत्रियों ने बीच में हस्तक्षेप करके इस धनराशि को कम करके 5 लाख रुपये कर दिया।

अब, स्थिति यह है कि मंत्रि मण्डल द्वारा असम सरकार द्वारा लिए गए निर्णय जिन लोगों को पता लगाने चाहिए उससे पहले 'अल्फा' आतंकवादियों को पता लग जाते हैं। इन परिस्थितियों में, 'अल्फा' असम में समान्तर सरकार चल रही है और दुर्भाग्यवश, अब तक पुलिस और 'अल्फा' के बीच में एक भी मुठभेड़ नहीं हुई है जैसाकि कश्मीर में हुई है।

इसको दृष्टि में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चुनाव होने वाले हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बताए कि क्या कार्यवाही की जा रही है। मैंने प्रधानमंत्री और गृह मन्त्री से व्यक्तिगत तौर पर बात की है। मैं जानता हूं कि वे कुछ कार्यवाही कर रहे हैं।

मैं उनसे इस सदन के सामने आने की प्रार्थना करूंगा—चाहे एक वक्तव्य के द्वारा या एक चर्चा के द्वारा असम की स्थिति के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है, इसमें हमें अवगत करायें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आ रहा हूं। मैं प्रयत्न करूंगा कि प्रत्येक को को बोलने का अवसर मिले।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान भारत के ग्रामीण बैंक कर्मचारियों द्वारा समान वेतन के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के एवार्ड को इम्प्लीमेंट न किए जाने के कारण की गई हड़ताल और धरने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान) दिनांक 1 सितम्बर 1987 को सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने यह कहा था···

[अनुवाद]

> "हम यह जान कर प्रसन्न हैं कि केन्द्र सरकार एक राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल का गठन करने पर सहमत हो गई है, जो प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम के अंतर्गत गठित प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं संबंधी भविष्य का निर्णय लेगा।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भारत सरकार ने 26-11-87 को यह आदेश निकाला कि नेशनल ट्रिब्यूनल ऐवार्ड को अन्तिम रूप से निर्णीत किया जाएगा जिसके अध्यक्ष जसटिस एस० रेड्डी, भूतपूर्व चीफ जसटिस, आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट होंगे। मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जैसे सुलझे हुए, अनुभवी और सामाजिक मान्यताओं

के, सामाजिक न्याय के हितों के मसीहा बने हुए आज सदन में यह कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ऐवार्ड के ऊपर सलाह-मशविरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सलाह करने का अधिकार किसी को नहीं होता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि श्री दंडवते जी कहते हैं कि नेशनल ट्रिब्यूनल ऐवार्ड का सुप्रीम कोर्ट के रैफरेंस होने के बाद भी, केन्द्र सरकार की उपर्युक्त आज्ञा होने के बाद भी कि

[अनुवाद]

यह अंतिम और अनिवार्य होगा।

[हिन्दी]

क्रियान्वित न कर सलाह मशविरा करने की बात कहकर टालना चाहते हैं। मेरी यह मान्यता है कि ट्रिब्यूनल के निर्णय पर कोई सलाह-मशविरा नहीं हो सकता। उसे जैसे का तैसा समान वेतन जो राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिए गए हैं वही ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को देकर अविलम्ब इसको पालना कराई जाए।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, उन्होंने जो कहा है मैं उसका पूर्णत: समर्थन करता हूं। ट्रिब्यूनल का निर्णय बिना कोई समय नष्ट किए शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। पहले ही दो महीने हो चुके हैं। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर नोटिस दिया है।

महोदय, वर्ष 1981 में, 1,000 रेलवे कर्मचारी, रेल इंजन चलाने वाले कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने एक हड़ताल में हिस्सा लिया था, और हड़ताल इसलिए हुई थी क्योंकि वर्ष 1973 में आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का भारत सरकार से एक समझौता हुआ था कि उनकी ड्यूटी के घंटे 20-22 घंटों की बजाय कम करके 10 घंटे कर दिए जाएंगे। और हालांकि यह समझौता हुआ था और सदन में एक वक्तव्य दिया गया था, फिर भी, यह लागू नहीं हुआ। उन्होंने 8 वर्षों तक प्रतीक्षा की और जनवरी, 1981 में उन्हें हड़ताल करनी पड़ी। हजारों रेलवे कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया। हड़तालो रेलवे कर्मचारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगा दिया। हजारों गिरफ्तार किए गए।

जब सरकार बदली, तो रेलवे मंत्री ने 28 मार्च, 1990 को एक वादा किया कि 1980 के अत्याचार के सभी मामलों पर पुनर्विचार किया जाएगा, पर अभी तक एक भी मामले पर पुनर्विचार नहीं हुआ। मैं मांग करता हूं कि 1981 में कर्मचारी संघ गतिविधियों के लिए रेलवे कर्मचारियों और रेल इंजन चालक कर्मचारियों को पदच्युत किया गया था, उन्हें दुबारा नौकरी पर रखा जाए। (व्यवधान) उनके पूर्व वेतन का भी भुगतान होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि उन सभी को उनके मामलों पर पुनर्विचार करने पश्चात बहाल किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अन्वारासु इरा।

श्री अन्वारासु इरा (मध्य मद्रास) : मैं सिर्फ तीन मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जयप्रकाश जी, मैं आपको बाद में बोलने के लिए बुलाऊंगा, अभी आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री अन्बारासु इरा : 19 जून को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक नृशंस हत्याकांड हुआ। जिसमें ई० पी० आर० एल० एफ० के महासचिव समेत, 19 लोग लिट्टे के लोगों के द्वारा मारे गए।

तमिलनाडु सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। (व्यवधान) एक संसद सदस्य है जो इस समूह की रक्षा कर रहा है। (व्यवधान)

मुख्य मन्त्री की कृपा छाया में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा नृशंस अपराध किया गया है। अत: मैं सिर्फ एक वक्तव्य ही नहीं चाहता, बल्कि एक पूरी चर्चा चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि श्रीलंका में तमिलों के बारे में सरकार की क्या नीति है। (व्यवधान) मैं इस सरकार पर पूर्णत: तमिल विरोधी होने का आरोप लगाता हूं। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (पलेम) : हमें बताया गया था कि एक वक्तव्य रखा जा रहा है, उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा : इसमें दो पहलू हैं। पहला कि पूरी तमिल जाति का श्रीलंका से सफाया कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

प्रेमदास सरकार पूरी तमिल जाति को मिटा देगी। दूसरा यह है कि लिट्टे श्रीलंका में दूसरे समूहों का नाश कर रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अन्बारासु, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? अब श्री कमल नाथ। श्री अन्बारासु, मैं दोबारा कहता हूं कि आपको बैठ जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा : जब तक विदेश मन्त्री सदन में आकर एक वक्तव्य नहीं देते, मैं नहीं बैठूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझसे कहा था कि आप सिर्फ दो मिनट लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठ जाएं, पर आप ऐसा नहीं कर रहे। क्या कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा : मुझे समस्या की वास्तविकता बतानी है। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : श्री कमलनाथ ने पहले मुझे बोलने की अनुमति दी है। इस महीने की 7 तारीख को श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने इस सदन में एक आश्वासन दिया था कि वे जल्दी ही एक वक्तव्य देंगे। आज 10 तारीख है। तीन दिन बीत चुके हैं। हम तमिलनाडु में कानून और

व्यवस्था के पूर्णतः अभाव की बात कर रहे हैं, वहां कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। तमिलनाडु में अब लाखों शरणार्थी है। हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। न तो संसदीय कार्य मन्त्री और न ही गृह राज्य मंत्री इस पर ध्यान दे रहे हैं। क्या यही व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, वे कहते हैं कि श्री गुजराल ने सदन में वादा किया था कि वे अल्प ही वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वे वक्तव्य नहीं देंगे और न ही वे इस बारे में कोई आश्वासन देंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : आपने जो कहा है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो जानकारी है। मैं सम्बन्धित मंत्री जी को बता दूंगा और आपको भी बता दूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप हमें एक समय दे दीजिए जब तक कि आप वक्तव्य दे देंगे। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : अगले सप्ताह में पांच छुट्टियां हैं। वक्तव्य आज देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुप्पूस्वामी, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप उनसे इसके बारे में कुछ कहने को कहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके अच्छे मित्र हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वह इस बारे में कुछ नहीं कह रहे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ।

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : कल एक बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आए थे। वे क्यों आए थे? उनकी क्या तकलीफें थीं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मन्च नहीं है। नहीं-नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह उचित नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री के० एस० राव।

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : जब से श्री एन० टी० रामाराव ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया है, तबसे सेवा की अपेक्षा प्रचार प्रमुख हो गया है। कार्यान्वित की अपेक्षा वादे प्रमुख हो गए हैं। करनी की अपेक्षा कथनी प्रमुख हो गई है। अब केन्द्र सरकार भी वही कर रही है।

आज का 'इकानामिक टाइम्स' दर्शाता है कि भारत सरकार ने खाद्य और उर्वरकों की राज सहायता को अचानक 4,000 करोड़ रुपये कम करने का निर्णय लिया है। अभी कल तक तो वे बड़ा प्रचार कर रहे थे कि यह सरकार किसानों के लिए है, गरीब जनता के लिए है और उन्होंने कृषि उत्पादों के लिए अर्थ मूल्य और समर्थन मूल्य बढ़ा दिए हैं। किन्तु आज, सरकार ने खाद्य पदार्थों और उर्वरकों पर राज सहायता में 4,000 करोड़ रुपये की कटौती दिए जाने के निर्णय से किसान और गरीब बुरी तरह प्रभावित होंगे। विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को 2 रुपये प्रति कि०ग्रा० की दर से चावल मिल रहा है, किन्तु राज सहायता में कटौती करने से गरीब लोगों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। मैं भारत सरकार पर दबाव डालकर कहना चाहूंगा कि वह एक हाथ से जो दे रहे हैं उसे दूसरे हाथ से न छीनें। मैं सरकार से राज सहायता में कटौती न करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए इस सदन के सामने एक बहुत अहम बात रखना चाहता हूं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बहुत जोरों से आतंकवाद फैल रहा है। आपने अभी देखा होगा कि मेरठ शहर में ही छः-सात महीने में करीब 59 मर्डर्स हुए हैं और पूरे जिले को आप देखें, वहां की पुलिस ने जो आंकड़े दिए हैं, उनके हिसाब से 218 मर्डर्स इन 7 महीनों में हुए हैं। इन सात महीनों की अहमियत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज इस वक्त सौभाग्य से हमारे गृह राज्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब पुलिस ने सात महीने के आंकड़े दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार या पुलिस इस दिशा में कुछ काम नहीं कर पा रही है। उसको कहीं और से दबाव आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकवाद फैला हुआ है। आपने आज अखबारों में देखा होगा कि लोग बन्दूक और पिस्तौल लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। चूंकि गृह राज्य मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, मैं आपके जरिए उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे स्वयं इस मामले को देखें कि किस तरह से वहां के लोगों को विश्वास दिलायें कि वहां पर जो सुरक्षा के साधन हैं, उनका पूरा इस्तेमाल होगा तथा पुलिस वहां पर मजबूती से काम करेगी। अभी मैंने जो 59 मर्डर्स का जिक्र किया है, इनमें से आज तक एक भी अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है। पुलिस कहीं भी नहीं पहुंच पाई है, पुलिस बल्कि उन लोगों से सहायता मांगती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस अपनी मजबूरी दिखा रही है, इसलिए यहां से उसमें कुछ करना पड़ेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे राजस्थान के दुख का वर्णन कर रहा हूं कि जिस राजस्थान में लोग हमेशा पानी के लिए मोहताज रहते हैं, उस पश्चिम राजस्थान के रेगिस्तान में पिछले जुलाई के महीने में जो भयंकर वर्षा हुई, उसके कारण चारों ओर तबाही मच गई और जिसमें 129 लोगों की मृत्यु हो गई, करोड़ों रुपये के लोगों के मकान ढह गये। उसके बाद फिर दोबारा वर्षा हुई, इस कारण से वहां पर बहुत से लोग बेघरबार हो गए हैं, सड़कों पर पड़े हुए हैं। सड़कें तथा रेलवे लाइन तक वहां की सब नष्ट हो गई है। इस तरह से बार-बार वर्षा होने के कारण वहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए, मंत्री जी इस तरह से इस देश का काम चलने वाला

नहीं है। केन्द्र सरकार ने इतने बड़े राजस्थान में इतनी बड़ी विपत्ति आने के बाद भी कुछ ध्यान नहीं दिया है और न ही किसी मंत्री ने जाकर के वहां की स्थिति को देखा है। वास्तव में यदि वहां की तबाही को आप अपनी आंखों से वहां पर जाकर देखें तो आपका स्वयं का मन फट जाये कि इस प्रकार की हाहाकार वहां की जनता के बीच में मची हुई है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार वहां पर अपना प्रतिनिधि भेजे और राजस्थान में फिर से वहां के लोगों को बसाने के लिए, उनकी रोजी-रोटी के लिए, उनको आर्थिक सहायता देकर उनका संयम बढ़ाये, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े इलाके हैं जैसे झांसी एवं अन्य इस तरह के और भी इलाके हैं वहां पर जिला चिकित्सालय की हालत यह हो गई है कि जो रोगी इलाज कराने के लिए वहां जाते हैं उनको मौत का शिकार होना पड़ता है। यहां तक कि वहां पर संसाधनों की भी कमी है, आक्सीजन गैस तक की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के डाक्टरों ने अपनी प्राइवेट प्रेक्टीस को बहुत जोरों पर चला रखा है। अगर आज किसी समय भी आप वहां जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि अस्पताल तो प्राय: बन्द ही रहते हैं। आज जब यह गरीब जनता इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती होती है तो उसकी लाश ही वहां से निकल कर आती है। इस प्रकार की वहां पर लगभग पचास घटनायें घटित हो चुकी हैं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चाहिए कि वहां पर स्वयं जायें या ऐसा कोई जांच ब्यूरो भेजें और वहां की राज्य सरकारें भी वहां पर कड़े से कड़ा एक्शन अपनायें। मैं माननीय मंत्री से आज ही इस पर उत्तर चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजीव शुक्ल) : माननीय सदस्य ने जो समस्यायें उठाई हैं। मैं पहले ही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बारे में लिख चुका हूं और मुझे आशा है कि वे इस पर जल्दी ही निर्णय लेंगे।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के अन्दर 3 जुलाई से फल और सब्जी उत्पादकों का आन्दोलन चल रहा था क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष सरकार ने सेब के भाव 2 रु० 75 पैसे निर्धारित किये थे लेकिन मौजूदा वहां की सरकार ने 2 रु० 75 पैसे से घटा कर एक झटके 30 पैसे कर दिए। उसके विरोध में सारे हिमाचल प्रदेश का किसान संगठित हो करके आन्दोलन चला रहा था। वहां की सरकार ने 30 जुलाई को शांतिप्रिय किसानों के ऊपर गोली चलाई, जिसमें तीन किसानों की मृत्यु हो गई और 8-9 घायल हो गये। मेरी आपसे प्रार्थना है कि केन्द्र की सरकार वहां की सरकार के इस गोली काण्ड के खिलाफ न्यायिक जांच कराये। (व्यवधान) वहां की सरकार यदि किसान की कोई बात नहीं सुनेगी तो मैं आपसे यह कहूंगा कि जो लोग वहां पर गोली से मारे गये हैं उनकी न्यायिक जांच कराई जाये।

श्री निरंजारी लाल शर्मा (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर शहर राजस्थान में मंगलवार को बड़ी दुखद घटना हुई है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप में।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं संक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, घटना बहुत दुखद है। जहां पर जयपुर शहर में दुर्घटना हुई है, झोटवाड़ा के दादीवाले फाटक के पास, यहां पर पिछले दो वर्षों में 4 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसको देखते हुए उस क्षेत्र के निवासियों ने तुरन्त गेट लगाने की मांग की थी। झोटवाड़ा के दादी वाले फाटक व कमानी वाले रेलवे फाटक पर 4 वर्ष पहले ही गेट लगाने की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन रेलवे प्रशासन की लापरवाही के कारण 4 माह तक गेट पड़ा रहा और जंग खा गया तथा उठाकर वापिस ले जाया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंगलवार को दादी वाले फाटक पर दुर्घटना हुई है, स्कूल की मेटाडोर जयपुर-बीकानेर एक्सप्रेस से टकरा गई और 10 अबोध बालकों की मृत्यु हो गई तथा बहुत से घायल हो गए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस आपने बता दिया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मान्यवर, इन दोनों फाटकों पर डेढ़ वर्ष पहले ही गेट मैन के लिए गुमटियां बना दी गई थीं, इसके अलावा गेट लगाने के लिए चारों तरफ लोहे के एंगल भी लगा दिए गए थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जयपुर रेलवे मण्डल में 13 दुर्घटनाएं हुई हैं। कई जगह आबादी के मध्य से रेलवे लाईन जा रही है। जयपुर डिवीजन के 936 क्रासिंग में से 21 को खतरनाक घोषित किया गया है। (व्यवधान)

दुर्घटना होने के बाद फाटक लगाकर और एंजिन खड़ा करके मेटाडोर का फोटो टी० वी० पर दिखाकर यह बताने की कोशिश की गई है कि मेटाडोर रेलवे फाटक तोड़कर घुसी है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। फाटक लगाने की स्वीकृति होने के बाद भी फाटक नहीं लगाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके लिए दोषी अधिकारियों को दंडित करना चाहिए तथा जिन क्रासिंग पर अभी तक फाटक नहीं लगवाया गया है, वहां पर तुरन्त फाटक लगवाए जाएं। मृतकों को तथा घायलों को शीघ्र मुआवजा दिया जाए तथा इस घटना की न्यायिक जांच करवायी जाए। (व्यवधान)

इस विषय में मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय एक वक्तव्य देने का कष्ट करें। इससे संबंधित फोटोग्राफस तथा राजस्थान पत्रिका, नव ज्योति, राष्ट्रदूत तथा नवभारत टाइम्स की प्रतियां मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ सदन के पटल पर रखता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि पिछले दो महीनों से उड़ीसा में किसान धान को बहुत कम मूल्यों पर बेच रहे हैं। यह मामला भारत सरकार और उड़ीसा सरकार के ध्यान में लाया गया था। किन्तु, दुर्भाग्य से व्यापारियों और अन्य लोगों के बीच कुछ गठबन्धन हैं, जो 140 रु० और यहां तक कि 90 रु० प्रति क्विंटल पर धान खरीद रहे हैं। ये व्यापारी लोग किसानों को लूट रहे हैं। व्यापारियों और भारतीय खाद्य निगम के बीच कुछ ऐसा गठबन्धन है कि किसानों को बहुत कम मूल्यों पर धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। माननीय खाद्य मन्त्री के ध्यान में भी इस विषय को लाया गया है। वे कोई कदम नहीं उठा रहे हैं और कहते हैं कि उड़ीसा सरकार कोई कदम उठाएगी। जब अन्य राज्यों के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया गया था, तो केन्द्रीय सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को धान खरीदने का आदेश दिया था ताकि किसानों को लुटने से बचाया जा सके। किन्तु उड़ीसा के मामले में वे यह कदम नहीं उठा रहे हैं। जब कर्ज माफी योजना को सुचारू रूप से लागू नहीं किया जा सका और किसानों को वित्तीय

सहायता नहीं मिली क्योंकि उन्हें धान के लिए अच्छे मूल्य नहीं मिलते हैं, वे कृषि सम्बन्धी कार्यवाही को शुरू करने में असमर्थ रहते हैं। इसीलिए, मैं निवेदन करता हूं कि भारत सरकार तुरन्त भारतीय खाद्य निगम को यह निर्देश दे कि वह धान खरीद कर किसानों को इस लूट से बचाये।

श्री कावन्थुर एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : मैं जानना चाहता हूं कि दूरदर्शन मन्त्री श्री करुणानिधि हैं अथवा श्री पी० उपेन्द्र। कल रात करीब 10.40 पर टेलीविजन में मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में जनता के विचार जानने के लिए एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। किसानों, मजदूरों और कुछ हिन्दी बोलने वाले संसद सदस्यों के विचार प्रसारित किए गए थे। किन्तु, तभी तमिलनाडु के एक व्यक्ति, करुणानिधि, जिनके पास लोक सभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, के विचार प्रसारित किए गए। लोक सभा में तमिलनाडु से अन्नाद्रविड़मुनेत्रकषगम के 11 संसद सदस्य और कांग्रेस (ई) के 28 संसद सदस्य हैं। हमें टेलिविजन पर मण्डल आयोग पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। मेरे चुनाव क्षेत्र से मुझे बहुत सारे लोगों के टेलिफोन आ रहे हैं, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में टेलिविजन पर हमारे तमिलनाडु के संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला। इसलिए, मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में टेलिविजन पर अपने विचार प्रकट करने के लिए हमें भी अवसर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मुझे दुःख इस बात का हो रहा है कि एक मौका था जब उपेन्द्र जी और मधु दण्डवते जी यहां पर साथ थे। मेरा यह सवाल दोनों के प्रति है और दूरदर्शन के प्रति भी है। आपको पता है एक नया कार्यक्रम शुरु हुआ है, उसका नाम है "खुला मंच"। पहले "जनवाणी" निकलता था, उसके इमीटेशन में यह प्रोग्राम शुरु हुआ है। आप जानते हैं क्या नियम बनेरह है। उसमें मंत्री रहता है और जन है उसको सामने लाया जाता है। हालात जो आज हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन सरकार का दाम घट रहा है। उस माहौल में सरकार के लिए, थोड़ा इनफ्लेशन करने के लिए वित्त मंत्री को वहां लाया गया। वहां जो जन थे, जो लोग आए थे वर्क्षचनेयर में जो सवाल कर रहे थे उनमें दूरदर्शन का बहुत बड़ा हीरो लाया गया था। क्योंकि शायद आजकल जो परिस्थितियां हैं, पालीटीकल हाल है सरकार का उसमें किसान को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। (व्यवधान) यह मेरा अन्दरूनी मामला है। आप सुन तो लीजिए, क्या हो रहा है। हमारे फायनेंस मिनिस्टर को सवाल पूछने किसान आए थे, बीच में हरियाणवी टोन देकर गए थे। बाद में लोगों ने उनका चेहरा देखा, हम लोग टी० वी० देखते हैं, लोगों ने जब उनको देखा तो शक हुआ। शक करने लगे तो पता चला कि जो किसान दिखाया गया था।

[अनुवाद]

मुझे प्रसन्नता है कि श्री पी० उपेन्द्र आ गए हैं। एक सज्जन जो इस कार्यक्रम के लिए एक किसान बनकर आए थे, उन्हें भारत के लोगों के दुःख और तकलीफों को महसूस कराने वाले प्रश्न पूछने के लिए कहा गया और बाद में जांच किए जाने पर पता चला कि वे सज्जन एक अभिनेता थे, एक असली किसान बिलकुल नहीं थे। श्री पी० उपेन्द्र द्वारा प्रस्तुत यह नकली किसान एक कपट है। इस सरकार द्वारा की गई हर प्रकार की जालसाजी के बारे में हमने सुना है। उनके आने के बाद भारत के राजनैतिक शब्दकोष में जालसाजी एक महत्वपूर्ण शब्द बन गया है। यह पहली बार है कि हमने टेलिविजन पर एक जालसाजी देखी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री एम० जे० अकबर : महोदय, हमने उस दिन 'खुला मंच' में प्रश्न पूछने वाले का उत्तम अभिनय देखा—मैं उसका नाम नहीं लूंगा—वह वास्तव में प्रश्नों के नाम पर झूठ बोल रहा था··· (व्यवधान)

हमारे पास किस प्रकार का 'मीडिया' है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। श्री पी० उपेन्द्र के अधीन दूरदर्शन कपट और जालसाजी की वस्तु बन कर रह गया है और देश के दर्शकों के साथ इस जालसाजी, एक सचमुच के किसान को दिखाने के स्थान पर नकली किसान को दिखाने पर, हम यह मांग करते हैं कि सूचना व प्रसारण मन्त्री किसानों का अपमान करने के लिए और दर्शकों से इस धोखे के लिए, जिन्होंने किसी गलती के कारण यह सोचा कि उन्हें सत्य बताया जा रहा है इस्तीफा दें··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, कृपया अपनी जगह पर बैठें।

श्री एम० जे० अकबर : महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री अकबर। आपने अपनी बात कह दी है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, श्री उपेन्द्र···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने मन्त्री महोदय, श्री उपेन्द्र को बुलाया है। अभी उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। कृपया आप अपनी जगह पर बैठें···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, क्या आप कृपया अपनी जगह पर बैठेंगे? श्री उपेन्द्र, संसदीय मन्त्री कुछ कहना चाहते हैं···

(व्यवधान)

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : महोदय, मन्त्री असली थे, वे नकली नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : आपने उनका नाम नहीं बताया किन्तु आप जानते हैं कि वे कौन थे।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, मैं मानता हूं कि श्री अकबर के पास खबरों को तोड़ने मरोड़ने का काफी अनुभव है और पिछली सरकार के शासन में वे संचार माध्यम से निकट से जुड़े हुए थे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, वे समाप्त नहीं कर रहे हैं···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : बहस इत्यादि में अकबर खिलाड़ी भावना का परिचय देते हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, वे अवश्य पहले के 'जनवाणी' कार्यक्रमों को तैयार करने के अपने अनुभव से बोल रहे होंगे, जहां बाहर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें लाया जाता था। इस समय यह ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो हम पर थोपा गया है। हम स्वयं चाहते थे कि मन्त्री लोगों के सूक्ष्म निरीक्षण

में आएं। हमने इस कार्यक्रम को दूसरी तरह से पुनः आरम्भ किया है। आम आदमियों को आमन्त्रित करने के स्थान पर, विशेष मंत्रालयों से सम्बन्धित, उन मंत्रालयों में काम करने वाले लोगों का विशेष तौर पर चुनाव करके उन्हें आमंत्रित किया गया है···(व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी करने दें और महोदय, पहले जब यह कार्यक्रम तैयार किया जा रहा था तब 'जनवाणी' कार्यक्रम पूरी तरह दूरदर्शन द्वारा तैयार किया जा रहा था। इस कार्यक्रम को और अधिक विश्वसनीयता देने के लिए श्री बिरला के अपने ही समर्थकों में से एक, हिन्दुस्तान टाईम्स टी० थी०, जो एक आत्मनिर्भर निर्माता है, को इसमें सम्मिलित किया गया था—मैं नहीं जानता कि क्या वे कांग्रेस दल के सदस्य हैं—और इस कार्यक्रम के लिए जिन लोगों का चुनाव किया गया था, उनके नाम हिन्दुस्तान टाइम्स टी० वी० द्वारा चुने गये थे। उन्होंने उनका चुनाव किया था और हमने उन्हें आमन्त्रित किया था। इसलिए, इसमें कपट या तोड़-मरोड़ की कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन पुजारी···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री अकबर। आप कृपया अपने स्थान पर बैठें।

श्री वी० उपेन्द्र : महोदय, मैंने समाप्त नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा कि आपने समाप्त कर दिया है।

श्री वी० उपेन्द्र : महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भविष्य के कार्यक्रमों के लिए यदि श्री अकबर कोई नाम सुझाएं तो मैं उन नामों पर विचार करने और उनमें से कुछ को चुनने के लिए तैयार हूं···(व्यवधान)

1.00 म०प०

अध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, कृपया अपनी जगह पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने श्री पुजारी को बोलने के लिए कहा है, अन्यों को नहीं।

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : महोदय, उन्होंने सदन को गुमराह किया है। उन्होंने हिन्दुस्तान टाईम्स पर आरोप लगाया है और उन्होंने श्रीमती मृणाल पांडे पर भी आरोप लगाया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : यदि यह पता चला कि वे अभिनेता हैं, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री वी० उपेन्द्र : एक अभिनेता एक किसान भी हो सकता है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, राज्य सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है। यह एक बहुत गम्भीर बात है। आप जनतंत्र के रक्षक हैं। किन्तु यहां जनतंत्र की हत्या हो रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, मैंने आपको मण्डल आयोग रिपोर्ट पर प्रश्न उठाने की अनुमति दी है। कोई अन्य विषय उठाने के लिए आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने दोनों विषय उठाए हैं। दूसरा विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको मण्डल आयोग रिपोर्ट पर बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, ऐसा क्यों है ? दूसरा विषय भी अधिक महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप केवल मण्डल आयोग रिपोर्ट पर बोल सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने अपनी प्राथमिकता भी दे दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी प्राथमिकता व्यक्त कर दी है लेकिन, मैंने आपको सिर्फ मण्डल आयोग रिपोर्ट से सम्बन्धित मुद्दा उठाने की अनुमति दी है। आप यहां विधान सभा से संबंधित मुद्दा नहीं उठा सकते।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं त्रिपुरा में प्रजातंत्र की हत्या से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। राज्य में निर्वाचित सरकार बर्खास्त कर दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप सिर्फ मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर बोल सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : राज्य सरकार को बर्खास्त करने का यह षडयंत्र है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आपको सिर्फ मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, क्या आप समझते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मत पूछिये ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, उस राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार बर्खास्त कर दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : उस मुद्दे को मत उठाइए। आप सिर्फ मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर बोल सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, आप इस सभा के संरक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस सभा के नियम जानते हैं। यहां हम विधान सभा से संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। कृपया मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर बोलिए। आप क्यों अपना और सभा का समय बर्बाद करना चाहते हैं ? मैंने आपको मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पुजारी जी, यदि आप मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर बोलना नहीं चाहते हैं तो मैं साठे जी को बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा। मैंने आपको मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर बोलने की अनुमति दी है, राज्य विधान सभा से संबंधित मुद्दों पर नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बाल दयाल जोशी (कोटा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, बंगारू जी आप भी बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : अच्छा महोदय, तो आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं ··

अध्यक्ष महोदय : आप मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर बोलेंगे अथवा नहीं ?

श्री जनार्दन पुजारी : किस नियम के अन्तर्गत आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां नियम बताने के लिए नहीं हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वसंत साठे जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। पुजारी जी, क्या आप कृपया बैठ जायेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अन्य मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री जनार्दन पुजारी : किस नियम के अन्तर्गत ?

अध्यक्ष महोदय : आपको यह नहीं पूछना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? आप जानते हैं कि कुछ नियम हैं। मैंने उन्हें बताया है। उन्होंने दो मुद्दे दिए हैं। मैंने उनसे कहा है कि वे एक मुद्दा उठा सकते हैं और वह मण्डल आयोग के संबंध में है। वे इस पर बोलना नहीं चाहते। श्री वसंत साठे जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में बोलना नही चाहते। अब, श्री वसंत साठे।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस सभा और माननीय अध्यक्ष की अवमानना के लिए यदि मैंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाया होता। लेकिन महोदय···

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं है।

श्री वसंत साठे : मैं ऐसा कर सकता था। मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं।

महोदय, दूरदर्शन पर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, पूरे देश में इसे देखा जाता है, कल 'पार्लियामेंट न्यूज' कार्यक्रम में रात्रि 10.30 बजे, समाचार वाचक द्वारा जान-बूझ कर ऐसा वक्तव्य दिया गया था कि आपने मुझे झिड़क दिया था, जबकि महोदय आप जानते हैं कि यह पूर्ण

रूप से गलत है। कार्यवाही वृत्तांत से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कल जब माननीय श्री कुन्दू जी ने प्रश्न उठाया था, महोदय — यही उनके शब्द हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको अधिक समय नहीं लेना चाहिए।

श्री बसंत साठे : महोदय, मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने कहा, "मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने श्री साठे जी की भर्त्सना की।" माननीय श्री कुन्दू जी ने यही शब्द कहे। इस पर आपने तुरन्त कहा, "मैंने उनकी भर्त्सना नहीं की है।" महोदय, कार्यवाही वृत्तांत में यह शामिल है, ये बातें सच हैं। यह जानते हुए यदि 'पार्लियामेंट न्यूज' के समाचार वाचक द्वारा दूरदर्शन पर यह कहलाया गया कि श्री साठे जी की हल्के ढंग से भर्त्सना की गयी थी··· (व्यवधान) मैं क्या कर सकता हूं? महोदय, हमें क्या सुरक्षा मिल सकती है? हम आपके संरक्षण में हैं। यदि हमें बदनाम करने या हमारी बातों का गलत अर्थ लगाने हेतु कुछ किया जाता है, तो सिर्फ आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। यदि दूरदर्शन द्वारा ऐसा किया जाता है, तो क्या सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री — वे कुछ समय पूर्व यहां उपस्थित थे··· (व्यवधान) मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और आज के 'पार्लियामेंट न्यूज' में दूरदर्शन पर यह संशोधन कराते हुए घोषणा करानी चाहिए कि वे इसके लिए क्षमा चाहते हैं। (व्यवधान) इसलिए, महोदय, कृपया उन्हें निर्देश दें। आपको मेरी रक्षा करनी होगी क्योंकि यह आपके लिए भी अपमानजनक है। आप कृपया सरकार को यह निर्देश दें कि वह इसे संशोधित करे।

मैं आपसे यही बात करने के लिए कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि मधु जी भी मुझसे सहमत होंगे।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह "टुडे इन पार्लियामेंट" कार्यक्रम में था?

श्री बसंत साठे : जी हां, कल था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : माननीय साठे साहब ने जो कहा है, उसे सही मानकर चलते हैं। लेकिन आपको जानकारी होगी क्योंकि आप भी दूरदर्शन को चला चुके हैं। हमने भी आपको टी० वी० पर डायरेक्ट बने देखा है, दूरदर्शन पर जब पार्लियामेंट न्यूज दिखाई अथवा बोली जाती हैं तो दूरदर्शन से उसका सीधा ताल्लुक नहीं होता है। हमारे पत्रकार साथी जो लिखते हैं उनको हम बाध्य नहीं कर सकते कि वे ऐसा न करें। इसलिए बराबर यह गलती हुई है और जब ऐसी बात चेयर के नोटिस में लायी जाती है तो उसे दुरुस्त कर दिया जाता है और यह दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए। सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं। मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि कल रात्रि के 10.30 बजे के 'पार्लियामेंट न्यूज' कार्यक्रम में समाचार वाचक ने, चाहें वह जो भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, जान-बूझ कर यह गलत समाचार पढ़ा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे झिड़क दिया था, तथा कार्यवाही वृत्तांत के अनुसार, जिसका कि उल्लेख मैंने किया है, यह बिल्कुल गलत है। मैं यह कह रहा हूं कि आज रात 10.30 बजे पार्लियामेंट न्यूज' में

उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए कि इस प्रकार गलत समाचार का प्रसारण किया गया था, इसमें स्पष्ट रूप से सुधार किया जाना चाहिए ताकि मेरे साथ न्याय हो सके।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उपेन्द्र जी, आप इसे देखिये और संशोधन करवा दीजिए। ठीक है। आप बैठिये।

डा० संजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव (पटना) : अध्यक्ष जी, लोक सभा के पन्नों में श्री शरद यादव को श्रीमती शरद यादव लिखा गया है। इसलिए जहां दूरदर्शन से संशोधन कराने के आदेश आप दें वहीं लोकसभा के उस कार्यवृत्त में संशोधन कराये जाने के आदेश भी दें जिसमें श्री शरद यादव को श्रीमती बना दिया गया है और "श्रीमती शरद यादव" कह कर सम्बोधित किया गया है। उन्हें श्रीमती न बनाया जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस अवसर पर उपस्थित था जिसका उल्लेख श्री वसंत साठे जी ने किया। मैं झिड़कने, भर्त्सना करने आदि की बात नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य महोदय ने बिल्कुल सही कहा है कि संसद में जो कुछ भी होता है, उसका सही विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह सरकार को देखना है कि किसने क्या समाचार दिया। जब श्री समरेन्द्र कुन्डू जी ने हस्तक्षेप किया था और इसका उल्लेख किया था तो इस सभा में माननीय सदस्य की क्या प्रतिक्रिया थी, यह स्मरण कराना मेरा कार्य नहीं है। उनकी धारणा में आपने शायद माननीय सदस्य को प्रताड़ित किया था। उस समय सभा में हम में से जो लोग उपस्थित थे उन्होंने उनके द्वारा दिये गये उत्तर और उनकी प्रतिक्रिया देखी थी, जो कि निश्चित रूप से सभा की गरिमा या परम्परा के अनुकूल नहीं थी। यदि यह बात मैं आपके ध्यान में नहीं ला पाता हूं, तो मैं अपने कार्य निष्पादन में सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि बाद में आपके कक्ष में श्री समरेन्द्र कुन्डू जी की उपस्थिति में मैंने आपके ध्यान में यह बात लायी थी कि ऐसा क्रोध के आवेश में हो गया था, शायद माननीय सदस्य अपने को नियंत्रित नहीं कर पाये थे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो कि उपयुक्त नहीं थे। निश्चित रूप से मुझे यह विश्वास है कि माननीय सदस्य को बाद में पछतावा हुआ होगा। लेकिन, अब चूंकि पूरी घटना को देखते हुए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि सभा में जो कुछ भी होता है, दूरदर्शन पर बिल्कुल सही रूप में उसका प्रसारण किया जाना चाहिए। लेकिन, यह कहानी तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि इसके इस पहलू को भी सामने लाया जाए। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : महोदय, जसवन्त सिंह जी क्या कह रहे हैं? कार्यवाही वृत्तांत में जसवन्त सिंह जी एक भी पंक्ति दिखा दें जिसका वे उल्लेख कर रहे हैं। जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। वे किस बात का उल्लेख कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, श्री वसन्त साठे जी मेरे एक प्रतिष्ठित पूर्वाधिकारी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे आपके बहुत ही जाने-माने पूर्वाधिकारी रहे हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : उन्हें मालूम है कि 'टूवे इन पार्लियामेंट' और 'संसदीय समाचार' में संसदीय कार्यवाही के समाचार-प्रेषण की प्रणाली क्या है। संसद की कार्यवाही के सम्बन्ध में समाचार देने हेतु

कुछ संवाददाताओं को नियुक्त किया जाता है और जो समाचार दिया जाता है उसमें सरकार अथवा दूरदर्शन का कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं रहता क्योंकि वे अपनी अलग रिपोर्ट बनाकर देते हैं। साथ ही जब ये प्रक्रियायें अधिक समय तक चलती है, जल्दबाजी में वे वास्तविक कार्यवाही को देख नहीं कर पाते हैं और सामान्यतः यहां जो वे सुनते है, उसका ही उल्लेख कर देते हैं। (व्यवधान) श्री साठे को निश्चय ही शिकायत थी। श्री समरेंद्र कुण्डु ने जब इस बारे में कल यह कहा था कि उनको फटकारा गया था तो आपने कहा था, "नहीं, मैंने उन्हें नहीं घटकारा है। यह कार्यवाही वृतांत में है।

श्री साठे को वास्तव में शिकायत है। मैं इसे लेखक के सामने भी रखूंगा और यह भी प्रयास करूंगा कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री कमल चौधरी।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : यह स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना है "मैं देखूंगा कि इसमें कैसे संशोधन किया जा सकता है।" (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : मैंने केवल इतना ही कहा है कि इसमें कैसे संशोधन किया जा सकता है। मैंने यह नहीं कहा है, मैं नहीं जानता कि इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं।" मैंने कहा "मैं देखूंगा कि इसमें किस तरह संशोधन किया जा सकता है।" इसका मतलब यह है कि इसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा यह हम देखेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री कमल चौधरी को बोलने की अनुमति दी है।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश की आर्थिक स्थिति पर प्रश्न कर रहा हूं। एयर बस ए-320 की उड़ान रद्द करने के कारण करीब 200 करोड़ रुपये से अधिक सार्वजनिक धन की हानि हुई है। नागर विमानन विभाग के सचिव ने इस विभाग की कार्य शैली के विरोध में 3 1/2 माह की छुट्टी मांगी बताई है। उन्होंने कहा बताते हैं कि सरकार द्वारा इस विमान की उड़ाने रद्द करने के कारण करोड़ों रुपये की हानि हुई है।

हाल ही में नागर विमानन मन्त्री ने बहुत डींगे हांकने के बाद इस विमान की उड़ाने बहाल करने का निर्णय किया। लेकिन प्रधानमन्त्री के कार्यालय के दबाव के कारण यह कहा गया है कि प्रधान मन्त्री के कार्यालय ने ही यह निर्देश दिया कि इन हवाई जहाजों की उड़ान शुरू नहीं की जाए। नागर विमानन विभाग के सचिव ने स्वयं यह बताया है कि यह विश्व के सर्वोत्तम विमानों में से एक है और इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। राजनैतिक कारणों से इस विमान की उड़ाने रोक दी गयी। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा नागर विमानन मन्त्री इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि मन्त्रालय का कार्य किस प्रकार चलाया जाए तथा एक वरिष्ठ सिविल अधिकारी को दबाव में आकर अवकाश के लिए आवेदन करना पड़ा। अवकाश अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण कुमार, क्या आप नहीं बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : मैंने सिविल ऐविऐशन पर नोटिस दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ा सीरियस मैटर है। कल के टाईम्स आफ इण्डिया में यह आया है कि श्री गर्वचन जो सैक्रेटरी, सिविल ऐविऐशन डिपार्टमैंट हैं, वे लम्बी छुट्टी पर चले गए हैं।

[अनुवाद]

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने इसके लिए नोटिस दिया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप किसी का नाम मत लगाइए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अत्यधिक अविलम्बनीय महत्व का है परन्तु आप शून्यकाल को इस तरह से व्यतीत होने दे रहे हैं। मैं इसका विरोध करती हूं और मांग करती हूं कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को किसी भी दिन के लिए नियम 193 के अधीन चर्चा में परिवर्तित कर दिया जाए क्योंकि आज दो बजे अत्याचारों से सम्बन्धित मामले पर चर्चा शुरू होनी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से सहयोग का अनुरोध करता हूं। यह सप्ताह का अन्तिम दिन है। समय का अभाव है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप करें। आप जानते हैं कि आज दूसरी चर्चा भी है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आपने कहा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए समय नहीं है। हम सभी एकमत होकर सभा में निवेदन करते हैं कि इसे नियम 193 के अधीन माना जाए ताकि इस पर अच्छी तरह चर्चा हो सके। सभी पार्टियां इस पर सहमत होंगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियों को आज इस पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज तो समय नहीं है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : इसको 193 करके 16 तारीख को रख दीजिए। (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक : अध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची कालिंग अटेंशन है, 193 है और आज प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी है। अफसोस की बात है कि 4-4 दिन में एक-एक बिल पास होता है। डेढ़-दो घंटा जीरो ओवर चलता रहता है। दूसरे भी कई मामले उठते रहते हैं ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब क्या करें ?

श्री सत्यपाल मलिक : अभी आप कोलिंग अटेंशन को होने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री माधाता सिंह (लखनऊ) : मेरी सलाह यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अधिक महत्वपूर्ण

है। इस पर आज चर्चा हो सकती है। यदि हम इसे 193 के अन्तर्गत ला देते हैं तो नियम 193 के अधीन ही अत्याचार के मामलों पर चर्चा होती रहेगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गीता जी, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह कहना है कि आज के बाद पांच दिन की छुट्टी है। मैं इस बात को मानता हूं कि आज का कालिंग अटेंशन एक महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर है। मैं आपकी इजाजत से चाहूंगा कि

[अनुवाद]

यदि आप सहमत हो तो हम भोजनावकाश निलंबित कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वे उस समय को शून्य काल के लिए ही खत्म कर देंगे।

श्री माधाता सिंह : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मरीजों का मरना 17 अगस्त तक जारी नहीं रह सकता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे बहुत खुशी होगी यदि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार शुरू करना संभव हो तो।

श्री माधाता सिंह : इस पर तुरन्त चर्चा शुरू की जाए।

अध्यक्ष महोदय : जिन्होंने आज पहले ही अपने मुद्दे उठाने की सूचना दी है उन्हें फिर से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन पर चर्चा 16 तारीख को करवाऊंगा। लेकिन आज हम अ० भा० आ० वि० सं० के मामले को टाल नहीं सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समय की कमी है। अ० भा० आ० वि० सं० में हड़ताल है। इसके लिए नोटिस कल प्राप्त हुआ था।

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मैं इस सदन में बहुत दिनों से हूं। शून्य काल के लिए कुछ नियम हैं जोकि एक नई बात है। कुछ सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए 20 से 25 मिनट का समय दिया गया है। क्या यह सभी सदस्यों पर लागू होगा जो अपनी बात कहना चाहेंगे उन्हें 20 या 25 मिनट का ही समय दिया जाएगा ? तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसको मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : हमें अपने पक्ष प्रस्तुत करने का भी मौका नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : कल सभा में इस बात का शोर था कि आगरा में हुए अत्याचार पर चर्चा 2.00 म० प० पर होनी है। सदन में यह घोषणा की गई थी कि अन्यथा किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन आज यदि शून्य काल को जारी रखते हैं और उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चर्चा के लिये स्वीकार किया जाता है तो इसे 2.00 बजे तक समाप्त करना होगा क्योंकि इस पर आगे चर्चा नहीं होने दी जाएगी। (व्यवधान) यदि आप शून्यकाल को इस तरह जारी रहने देंगे तो क्या होगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य सूची का पालन करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपने मुद्दों के लिए आग्रह न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जानते कि कल बहुत शोर हुआ था। हरिजनों पर हुए अत्याचार पर भी चर्चा होनी है। इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। अ० भा० आ० वि० सं० का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि जिन मुद्दों को अभी तक उठाया गया है उन पर बाद में अर्थात 16 तारीख को चर्चा कराई जा सकती है। मैं समझता हूं कि और भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो अन्य लोग भी एक दो मिनट का समय मांगेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे मन्त्री से अपनी बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप लिख कर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री दिनेश गोस्वामी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, आप श्री अनिल शास्त्री को लिख सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कह दिया है आप लिखकर दे ताकि अनिल जी उसका जवाब दें इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हर बात गंभीर है। लेकिन अ० भा०आ० सं० की हड़ताल और हरिजनों पर अत्याचार की घटना अधिक गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया लिखित में दें। मैं श्री अनिल शास्त्री को आवश्यक कार्रवाई करने को कहूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इसे मन्त्री महोदय को दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप इसे दे सकते हैं परन्तु अभी नहीं, पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। तत्पश्चात् आप इसे दे सकते हैं।

(व्यवधान)

1.27 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा राष्ट्रीय खनिज नीति

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 282/1/एम० टी०/90, जो 6 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 के हिन्दी संस्करण में कतिपय शुद्धियां की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1188/90]

(2) गैर ईन्धन और गैर परमाणु खनिज के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1189/90]

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कोसमेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : महोदय जी अंरगिल श्री धरन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) निर्यात (नियंत्रण) बारहवां संशोधन आदेश, 1989, जो 18 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 646 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) निर्यात (नियंत्रण) तेरहवां संशोधन आदेश, 1989, जो 22 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 657 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) निर्यात (नियंत्रण) चौदहवां संशोधन आदेश, 1989, जो 26 सितम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 757 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) निर्यात (नियंत्रण) सत्रहवां संशोधन आदेश, 1989 जो 18 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 830 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) निर्यात (नियंत्रण) अठारहवां संशोधन आदेश, 1989 जो 23 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 845 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छः) निर्यात (नियंत्रण) इक्कीसवां संशोधन आदेश, 1989 जो 9 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 939 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) निर्यात (नियंत्रण) बाईसवां संशोधन आदेश 1989 जो 6 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 988 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) निर्यात (नियंत्रण) चौबीसवां संशोधन आदेश, 1989 जो 20 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1060 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) निर्यात (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1990, जो 24 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 76(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दस) निर्यात (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश 1990 जो 1 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 113 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) निर्यात (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, 1990, जो 30 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 272 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) निर्यात (नियंत्रण) तेरहवां संशोधन आदेश, 1990 जो 5 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 458(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तेरह) निर्यात (नियंत्रण) पन्द्रहवां संशोधन आदेश, 1990, जो 7 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 464 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[संचालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1190/90]

(2) बेसिक केमिकल्स, फार्मस्यूटिकल्स एण्ड कोसमैटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1191/90]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 तथा साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, राष्ट्रीय बचत स्कीम निगम 1990 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का० आ० 380(अ), जो 11 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो स्विटजरलैंड के फ्रैंक को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को स्विटजरलैंड के फ्रैंक में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 476(अ), जो 14 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का० आ० 414 (अ), जो 28 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पौंड स्टरलिंग को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को पौंड स्टरलिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का० आ० 511(अ), जो 26 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आस्ट्रेलिया के डालर को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को आस्ट्रेलिया के डालर में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का० आ० 513(अ), जो 27 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1192/90]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 596(अ), जो 22 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा किसी भी शुल्क लगने वाले माल पर अदा किए गए शुल्क पर छूट की व्यवस्था की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 655(अ), जो 23 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि संगत समय पर प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार चाय पर 28 फरवरी, 1986 से 1 जनवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान उत्पाद-शुल्क का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[संचालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1193/90]

(3) जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी III और श्रेणी IV कर्मचारी (पदोन्नति) (संशोधन) नियम, 1990 जो 30 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 462(अ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी III और श्रेणी IV कर्मचारी (सेवा के नियंत्रण और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1990 जो 24 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 509(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि-पत्र जो 10 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 628(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[संचालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1194/90]

(4) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण तथा पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 1990 जो 24 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 405 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (विकास स्टाफ के वेतनमानों तथा सेवाओं की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 1990 जो 13 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 478(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[संचालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1195/90]

(5) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 1990 जो 22 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 597(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[संचालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1196/90]

(6) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी की गई अधि. सूचना संख्या का० आ० 495(अ) जो 19 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि लोक भविष्य निधि में किये गये अंशदान तथा अंशदायी के खाते में अमा राशि पर बारह प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया जायेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1197/60]

(7) वित्त अधिनियम, 1987 की धारा 105 के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर (संशोधन) नियम, 1990 जो 2 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 385 में प्रकाशित हुए थे की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1198/90]

(8) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 252 जो 28 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1981 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 814 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1199/90]

(9) जून, 1990 में जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणाम बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1200/90]

(10) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम अनिधियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1201/90]

(11) 31 मार्च 1989 को समाप्त हुये वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण सम्बन्धी समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1202/90]

(12) (एक) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1988-89 के लेखाओं सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1203/90]

(14) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1204/90]

(दो) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पुर्णिया का 1 जनवरी, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1205/90]

———

1.28 म० प०

प्राक्कलन समिति

दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय--महापत्तनों में ऊमाई कार्य के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 80वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 79वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

———

1.29 म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द्र अलिक) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि गुरुवार 16 अगस्त और शुक्रवार, 17 अगस्त, 1990 को इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1989।

(ख) लोकपाल विधेयक, 1989।

———

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक संशोधन दिया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। अब कोई संशोधन पेश नहीं किये जाएंगे।

अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगी।

1.30 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों का आंदोलन

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वह इस सम्बन्ध मे वक्तव्य दें :—

"अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के आंदोलन और उससे रोगियों को हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति तथा अन्तर्ग्रस्त मुद्दों के हल के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

[हिन्दी]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की कर्मचारी यूनियन, जो समूह "ग" और "ब" कर्मचारियों तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, निम्नलिखित मांगों को स्वीकार कराने के लिये पिछले कुछ हफ्तों से आंदोलन करती रही है :—

I. डा० बी० एन० टंडन समिति की रिपोर्ट लागू करना जिसमें मूल्यांकन प्रोन्नति के आधार पर गैर संकाय कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष के अन्तराल में कम-से-कम तीन प्रोन्नतियों की सिफारिश की है।

II. उन सभी कर्मचारियों को जिन्होंने अपने ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, एक अप्रैल, 1984 से, 1984 में लागू की गई प्रथम संवर्ग पुनरीक्षा स्कीम के अनुसार प्रोन्नति देना।

2. यह कर्मचारी यूनियन 6 जुलाई, 1990 से क्रमिक भूख हड़ताल कर रही है। वे 17 से 19 जुलाई, 1990 तक सुबह 8 बजे 11 बजे तक 3 घंटे के लिए अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहे

जिससे बहिरंग रोगी विभाग सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने 24 जुलाई, 1990 को 1 दिन की पूर्ण हड़ताल की। अब वे 8 अगस्त, 1990 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं।

3. इस कर्मचारी यूनियन की मांगों पर सरकार द्वारा सावधानी से विचार किया गया था। जहां तक डा० टंडन समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग का सम्बन्ध है यह उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सचिवीय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी दोनों तरह के कर्मचारियों को चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के इन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के लिए लागू किए गए वेतनमान ही दिये गये हैं। चूंकि इन कर्मचारियों का वेतनढांचा केन्द्रीय सरकार के समान श्रेणी वाले कर्मचारियों के वेतन ढांचे के अनुरूप है, इसलिए सिर्फ उनके मामले में ही आगे वेतनढांचे की समीक्षा करने अथवा समयबद्ध प्रोन्नति की शुरुआत करने का कोई औचित्य नहीं है। जाहिर है कि इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन से केन्द्रीय सरकार के अधीन समान पदों के सम्बन्ध में व्यापक प्रतिक्रिया होगी। साथ ही सरकार में प्रोन्नतियां पदों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं और नीति के तौर पर समयबद्ध प्रोन्नतियों पर विचार नहीं किया जाता। मूल्यांकन पदोन्नति स्कीम केवल कुछ ही वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संगठनों में जहां लचीली पूरक स्कीमें चल रही हैं, काफी समय से लागू है। किसी नए संगठन के लिए इस प्रकार की स्कीम पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः सरकार द्वारा इस मांग पर सहमति देना संभव नहीं पाया गया है।

4. कर्मचारियों की दूसरी मांग यह है कि 1984 में की गई प्रथम संवर्ग समीक्षा के पश्चात उन कर्मचारियों को भी, जिन्होंने 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, 8 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पदोन्नति की जाए। 1956 में संस्थान की स्थापना होने के पश्चात, 1984 में पहली बार प्रथम संवर्ग समीक्षा की गई थी। यह संवर्ग समीक्षा चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों से पूर्व की गई थी। 1-1-1984 से पहले कुछ संवर्गों में गतिरोध से राहत देने के लिए चयन ग्रेड की प्रणाली थी। तथापि, उन कर्मचारियों के बारे में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें पूरे तौर पर लागू होने के पश्चात, पहली संवर्ग समीक्षा का कोई आधार नहीं रहा। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दीर्घकालिक वेतनमान लागू करने के अलावा वेतन आयोग ने तीन गतिरोध (स्टेगनेशन) वेतनवृद्धियां भी शुरू की थीं। इसलिए उन कार्मिकों की संख्या में, जिनके वेतनमान में वास्तव में गतिरोध आ गया है, पर्याप्त कमी आई है। इस संदर्भ में कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने का अर्थ वास्तव में कर्मचारियों के लिये 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर समयबद्ध पदोन्नतियां देना होगा। अन्य मंत्रालयों के अधीन न केवल स्वायत्त शासी निकायों में अपितु, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण इस मंत्रालय के अधीन अन्य अस्पतालों के स्टाफ पर व्यापक प्रतिक्रिया हुये बिना, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिये कर्मचारियों की इस मांग को मानना भी संभव नहीं है।

5. मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि मंत्रालय द्वारा और मेरे द्वारा इस स्थिति को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट करने के लिये पूरा प्रयास किया गया। यह दुर्भाग्य की बात है कि इसके बावजूद भी यूनियन आंदोलनकारी तरीके अपनाने पर उतर आई है, जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल शामिल है, जो निश्चय ही रोगी परिचर्या सेवाओं को अव्यवस्थित करेगी। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हड़ताली कर्मचारियों ने कार्य करने के इच्छुक कर्मचारियों को अपना काम करने से जबरदस्ती रोका है, ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हड़ताली कर्मचारियों ने कार्य करने के

[श्री रशीद मसूद]

इच्छुक कर्मचारियों को वार्डों से बाहर धकेल दिया है और पानी, बिजली और गैस आवश्यक सप्लाई को काटने की कोशिश की है।

कुछ स्टाफ नर्सों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट मिली है जिन्होंने ऐसी वारदात के बाद अपनी असुरक्षा की शिकायत की है। लिफ्टों को रोकने की कोशिश जान-बूझकर की गई है। जिससे मरीजों और उनके रिश्तेदारों को अनावश्यक असुविधा हुई है। बिजली की सप्लाई में हस्तक्षेप करके डीपफीजरों और रेफ्रीजरेटरों में शीघ्र नष्ट होने वाली और महंगी वस्तुओं को जोखिम में डाला गया है। कल जीवन रक्षक तरल आक्सीजन की सप्लाई में बाधा पहुंचाई गई जब टैंकर से यह गैस नहीं उतारने दी गई और उसे इस धमकी के साथ वापस भेज दिया गया कि गाड़ी को आग लगा दी जायेगी। कानून के तहत पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराके उपयुक्त कार्रवाई कर दी गई है। दुर्भाग्य से हड़ताली कर्मचारियों ने न केवल आंदोलनकारी तरीके अपनाये हैं जिनसे मरीजों को बहुत असुविधा हुई है बल्कि इनमें से कुछ शरारती तत्वों ने ऐसे काम भी किये हैं जिनसे मरीजों की निरापदता और सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। कोई सख्त कदम उठाने के बजाये मैंने हड़ताली कर्मचारियों को तर्कसंगत ढंग से समझाने की कोशिश की है ताकि वे काम पर वापस जाएं, खासतौर से इस मकसद से कि दूरदराज से आये मरीजों को परेशानी न हो। इन परिस्थितियों में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्मचारी यूनियन ने अपना आंदोलन जारी रखा है।

6. मैंने वे कारण प्रस्तुत किये हैं कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को क्यों स्वीकार नहीं कर सकती। यह मात्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारी संघ के सदस्यों को भुगतान करने पर केवल 5 अथवा 10 लाख रुपये खर्च होने का ही प्रश्न नहीं है बल्कि इस प्रकार के सभी मामलों पर फिर यही सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। सरकार अपने समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों की समस्याओं को भूली नहीं है। दरअसल जे० सी० एम० द्वारा उठाई गई एक मांग पर सरकार समूह "ग" और "घ" के सभी कार्मचारियों के सेवा काल में कम-से-कम एक पदोन्नति देने के एक सामान्य प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ऐसी योजना शुरू करने पर निकट भविष्य में ही निर्णय होने की संभावना है और उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों पर भी लागू किया जा सकता है। इसलिए कर्मचारियों द्वारा अपने आंदोलन को जारी रखने का हमें कोई औचित्य नजर नहीं आता। जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इस हड़ताल से पैदा होने वाली-स्थिति से निबटने के लिए कदम उठाए गये हैं और आकस्मिक योजनाएं तैयार की गई हैं, वहां मुझे उम्मीद है कि कर्मचारी इस बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचेंगे और किसी भी ऐसे तरीके को नहीं अपनाएंगे जो उनके अपने हित तथा संस्थान और रोगी परिचर्या सेवाओं के लिए हानिकारक होगा। कर्मचारियों की सही शिकायतों के प्रति सहानुभूति रखते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी जनता के प्रति भी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मरीजों को परेशानी न हो और महंगे तथा शीघ्र नष्ट होने वाले उपकरणों के लिये कोई जोखिम पैदा न हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से पूर्व मैं सभी माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि कल हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे

अत्याचारों के सम्बन्ध में नियम 193 के अधीन चर्चा को आज 2.00 म० प० से कराने का निर्णय किया था। मैं नहीं जानता कि हम इस ध्यानाकर्षण पर चर्चा का 2.00 म० प० से पहले समाप्त कर पाएंगे या नहीं। फिर भी, मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अत्यन्त संक्षेप में अपनी बात कहें और केवल एक ही प्रश्न पूछें। यदि 2.00 म०प० तक इस चर्चा को पूरा करना सम्भव नहीं हुआ तो हम 2.00 म०प० से पांच मिनट पूर्व नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे। और उसके तुरन्त बाद हम नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करेंगे ताकि इन मुद्दों पर चर्चा की जा सके। यदि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने वाले सदस्यों की सूची में से कुछ सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलता है तो हम इसे अगले दिन के लिये स्थगित कर देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राव कृष्ण यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी, मुझे दो मिनट बोलने का समय दे दीजिये। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे विषय में आ गए हैं, इसके लिये आपको बाद में समय दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं आपकी बात नहीं समझ सकी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि वे अपनी बात अत्यन्त संक्षेप में कहें। नियमानुसार, वे केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। यह तो एक बात हुई। इसके अतिरिक्त यदि सभी सदस्य अपना प्रश्न आज नहीं पूछ सकते हैं तो हम इसे अगले दिन के लिये स्थगित कर देंगे ताकि बचे हुए सदस्य भी प्रश्न पूछ सकें और मंत्री महोदय उनका उत्तर दे सकें। हम 2.00 म०प० से पांच मिनट पहले इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा बन्द कर देंगे और नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे जिसे पांच मिनट में समाप्त किया जा सकता है। तब हम नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करेंगे जैसाकि हमने कल निर्णय किया था।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आप यह कह रहे हैं कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा के बाद हम इस पर चर्चा जारी रखें (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कल हमने निर्णय किया था कि 2.00 म० प० पर नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करेंगे। हम इस निर्णय पर अमल करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आप यह कह रहे हैं कि नियम 193 के अधीन चर्चा के बाद हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अधीन चर्चा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा से पूर्व पूरी करनी होगी क्योंकि गैर-सरकारी सदस्य हमें यह चर्चा जारी नहीं रखने देंगे।

(व्यवधान)

श्री गीता मुखर्जी : तब हम यह चर्चा कब शुरू करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हम इसे आज पूरा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा, यह अगले कार्य दिवस पर होगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अगले कार्य दिवस पर उन्हीं सदस्यों तथा उसी बैलट के आधार पर ही क्या इसे शुरू किया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चय ही।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, यह ऐसा विषय है जिसमें लम्बे और छोटे, दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमानुसार प्रत्येक सदस्य को अपनी बात पांच मिनट में समाप्त कर देनी है। यदि आप चाहें तो मैं यह आपको पढ़ कर सुना सकता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या शून्य काल इसी तरह संचालित किया जाता है ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हम सब कुछ इसी तरह करते रहे तो हम कुछ भी नहीं कर पायेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय मैं सभा के निर्णय का पालन करूंगी। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस दौरान आप अपने प्रश्न पूछ सकती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रश्न पूछूंगी परन्तु मैं चार-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त नहीं कर सकूंगी।

महोदय, मुझे खेद है कि मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अ० भा० आ० सं०) की स्थिति के संबंध में मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य से पूरी तरह असंतुष्ट हूं। मैं अभी यहां अनुपस्थित सदस्यों सहित सभी माननीय सदस्यों की इस चिंता से सहमत हूं कि स्थिति बहुत ही जटिल हो गई है और इसका तुरन्त समाधान किया जाना चाहिये उस दृष्टिकोण से मुझे मन्त्री महोदय के उत्तर से ऐसा लगता है कि उन्होंने स्थिति की गम्भीरता की ओर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि उनका कहना है कि ये मांगे नहीं मानी जा सकती हैं। इसके कारण क्या हैं। पहली बात तो यह है कि कर्मचारियों की पदोन्नतियों के रास्ते खोले जाने और जहां तक वेतन का संबंध है, उन्हें विशेष वर्ग में रखे जाने संबंधी मांग के बारे में उनका कहना है कि तब यह केन्द्र सरकार के सभी संस्थानों पर लागू होगा। यदि हम गम्भीर रूप से इस पर विचार करें तो यह पता चलेगा कि अनुसंधान कार्य करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नतियों के अवसर न होने से अनुसंधान कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती हैं। यह केवल इसी संस्थान की बात नहीं है। चतुर्थ वेतन आयोग ने केन्द्र सरकार के विभागों में प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के लिए एकल वेतनमान का निर्धारण नहीं किया और कई संस्थानों जैसे आई० एस० आई०, भाभा अनुसंधान संस्थान, टी० आई० एफ० आर० के एक ही वर्ग के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वेतन-मान निर्धारित हैं। क्या यही स्थिति अन्य सरकारी कर्मचारियों की भी है ? नहीं। इसलिये, इन अनुसंधान संस्थानों में — चाहे अनुसंधान कार्य किए जाए या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन वे अनुसंधान संस्थान हैं — इसमें यह अड़चन नहीं आनी चाहिये। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, मैं आपकी बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको इससे संबंधित नियम बताना चाहता हूं :

"ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जाए, कोई वाद-विवाद नहीं होगा परन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में पद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछ सकेगा।"

श्रीमती गीता मुखर्जी : वही तो मैं पूछ रही हूं।

क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ संस्थानों, जिनका मैंने उल्लेख किया है, के कर्मचारियों को वह सुविधाएं पहले से ही मिल रही हैं जिनकी मांग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारी कर रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि टी० आई०एफ० आर०, भाभा परमाणु अनुसन्धान परिषद आई० एस० आई०, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद इत्यादि संस्थानों के कर्मचारियों को ये सुविधायें पहले से ही मिल रही हैं? पदोन्नतियों के बारे में उनका कहना है कि इसे नहीं किया जा सकता है। क्या यह सच नहीं है कि यदि अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों को बेहतर कार्य के लिये प्रेरित करना है तो उन्हें भी पदोन्नति के ऐसे ही अवसर दिए जायें? उनके वक्तव्य के अनुसार ही यह कुछ लोगों को ही दिया जाना है। उनका यह भी कहना है कि वेतन ढांचे की और समीक्षा करने या समयबद्ध पदोन्नति को शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसका व्यापक असर पड़ेगा। इसके ठीक पहले उन्होंने कहा है कि कुछ ही ऐसे मामले लम्बित हैं। यदि कुछ ही ऐसे मामले लम्बित हैं तो उन थोड़े से लम्बित मामलों के कारण पूरे संस्थान को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। क्या यह सच नहीं है कि केवल इसी बात से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यह तनाव पैदा नहीं हुआ है बल्कि "फैकल्टी मैम्बरों, कर्मचारियों तथा संस्थान के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा वर्तमान नेतृत्व में विश्वसनीयता के अभाव के कारण ही ऐसी कठिनाई पैदा हुई है? क्या यह सच नहीं है कि उसी संस्थान में 1985 से अब तक 19 बार हड़ताल हो चुकी है? क्या यह सच नहीं है कि संस्थान के निदेशक का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया है जिससे कर्मचारियों तथा फैकल्टी मैम्बरों में यह भावना उत्पन्न हो गई है कि उनके मामले को वर्तमान नेतृत्व द्वारा समुचित रूप से नहीं उठाया जाएगा। क्या यह सच नहीं है कि जनता पार्टी के पांच सांसदों ने समाचार पत्रों में गम्भीर आरोप लगाए हैं कि कुछ उपकरणों आदि की खरीद में भारी अनियमिततायें बरती गयी हैं? क्या यह सही नहीं है कि ऐसे ही आरोपों के कारण चिकित्सा संस्थान, लखनऊ के एक अन्य निदेशक के विरुद्ध गैर-जमानती वारण्ट जारी किए गए थे? क्या यह बात भी सही नहीं है कि यहां के निदेशक की नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन किया गया था? 'पद के सृजन और नियुक्ति' के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नियम 7 के खंड 4 में कहा है: "यदि अवकाश पर चले जाने, त्याग-पत्र देने अथवा सेवा-निवृत्त होने की स्थिति में निदेशक का पद तब तक रिक्त रहेगा जब तक कि नए निदेशक की नियुक्ति न हो जाए, राष्ट्रपति वरिष्ठतम प्रोफेसर को निदेशक के कार्यों की देख-रेख के लिए छः महीने से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है।"

क्या यह सच नहीं है कि सेवाकाल में वृद्धि करके इस खंड का पूरी तरह उल्लंघन किया गया था और इससे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में संकट और बढ़ गया। इसलिए मैं आपसे पूछती हूं, जैसी कि आपने हमसे अपील की है, क्या मंत्री महोदय वास्तव में वित्त प्रबंधन में निदेशक के आचरण सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में व्याप्त वर्तमान स्थिति की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गहन जांच करायेंगे?

यदि सेवाकाल में इस प्रकार वृद्धि नहीं की जाती तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

के नेतृत्व में विश्वसनीयता पुनः बहाल की जा सकती थी। क्या मंत्री महोदय कर्मचारियों के मामलों की, जैसे मैंने प्रस्तुत किए हैं, नए सिरे से जांच करायेंगे ?

अन्त में, मेरा कर्मचारियों से भी अनुरोध है कि वे अपने वर्तमान व्यवहार को बदलें। परन्तु विशेष अपील के लिए विशेष व्यवहार की भी आवश्यकता होती है। मैं आशा करती हूं कि उत्तर देते समय वह हमें बतायेंगे कि विशेष अपील पर वह क्या विशेष व्यवहार करेंगे ताकि हड़ताल समाप्त की जा सके और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेतृत्व की विश्वसनीयता पुनः बहाल की जा सके।

[हिन्दी]

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि आठ तारीख से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। माननीय गीता मुखर्जी जी ने जो बात कही है, मैं उनका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जब हड़ताल हुई तो इस विषय में माननीय श्री आडवाणी जी ने प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और जो मंत्री जी यहां पर हैं उनसे बात की। लेकिन जो कदम उठाना चाहिए था वह कदम नहीं उठा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो निवेदन यहां पर किया है और उस पर आपको शंका है तो आपको उसके निराकरण के लिए प्रश्न पूछना है।

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय : वहां पर जो अव्यवस्था हुई है और नियमों का उल्लंघन हुआ है और वह किस तरह से हुआ है, उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह कर्मचारियों का मामला है। लेकिन अपने वक्तव्य में उन्होंने कुछ बातों को छिपाया है। पिछली सरकार ने वहां की निदेशक**को छह महीने का एक्सटेन्शन दिया था। उसके बाद दिसम्बर में नयी सरकार आई। जब सत्ता में परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन नजर नहीं आया और फिर माननीय मन्त्री जी ने 30 जून को जो निदेशक का पद खाली होने वाला था, उसको पन्द्रह दिन पहले एक्सटेन्शन दे दिया। लेकिन सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए इंस्टीच्युट की नियमावली है, उसके अनुसार तीन महीने पहले चुनाव होगा। लेकिन पन्द्रह दिन पहले जब खाली होने का समय आया तो तब किया। इससे निदेशक और मंत्री महोदय में क्या रहस्य है। इस रहस्य को हम नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे यहां न लेता और न नीति की कमी है और नीयत की कमी है। प्रश्न खड़ा हो गया है कि मंत्री महोदय की नीयत पर** एक्सटेन्शन दिया गया जबकि उन पर भ्रष्टाचार के मामले हैं···(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : ** या किसी के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है। वहां इंस्टीच्युट में कुछ हो रहा है उससे मैं बहुत दुःखी हूं क्योंकि इंस्टीच्युट अच्छी तरह से नहीं चल रहा है और बहुत सारी शिकायतें हैं। जिनका नाम आप ले रहे हैं वे यहां आकर डिफेंड नहीं कर सकती। उनका नाम न लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी का नाम नहीं लेना है।

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय : सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन डा० राम निगम स्वामी बने।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर भाषण कर रहे हैं। आप इस पर नहीं जा सकते। इस सदन के अन्दर आपको नियमों को ध्यान में रखकर काम करना है।

(व्यवधान)

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय : जिन्होंने चेयरमैन को चुना तो श्रीमती इन्दिरा जी वह थी राजीव गांधी जी भी एडवाइजर रह चुके हैं। एड्स की बीमारी हिन्दुस्तान में फैली। जब एड्स की बीमारी फैली तो अमेरिका से 25 करोड़ रुपये की मशीन मंगाई गई। उनके लड़के किसी कम्पनी में एक्सपर्ट काम करते हैं। उन्होंने कमीशन खाया और इस तरह से इन्स्टीच्यूट को बरबाद किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के भाषण नहीं हो सकते। आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा।

(व्यवधान)

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय : मन्त्री जी हमें यह बतायें कि यह सच है या नहीं कि निदेशक ने चेयरमैन को चुना और चेयरमैन निदेशक को चुनता है, जबकि निदेशक के अन्दर चेयरमैन काम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पाण्डेय जी, आप ऐसा कीजिए, मैं समझता हूं आप इसके ऊपर खुल कर बोलना चाहते हैं, जबकि समय बहुत कम है हमें और भी दूसरे महत्वपूर्ण विषय लेने हैं इसलिए जब अगला समय आयेगा तो मैं आपको मौका दूंगा। अब मैं दूसरा मामला "नियम 377 के अधीन सूचना" ले रहा हूं।

1.56 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के काफी उत्पादकों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के काफी उत्पादकों को पिछले कई दशकों से भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है।

केरल के वयानाद जिले में काफी का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। वर्तमान संकट से छोटे और सीमान्त काफी उत्पादक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और न्याय पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

वर्तमान संकट केवल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण ही नहीं बल्कि सरकार की नीति और काफी बोर्ड के उदासीन रवैये के कारण और अधिक बढ़ा है। एक ओर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अन्धाधुन्ध कर, उदाहरण के तौर पर भूतलजी प्रभाव से क्रय कर लगाना और दूसरी तरफ उत्पादन लागत की तुलना में बहुत कम लाभ के कारण छोटे और सीमान्त काफी उत्पादकों के लिए कर का भुगतान, ऋण वापसी तथा कीटनाशक और उर्वरक खरीदना सम्भव नहीं रहा है।

काफी उत्पादकों की सहायता देने के बजाए काफी बोर्ड और सरकार द्वारा 'इन्सेंटिव' काफी निर्माताओं की सहायता की जा रही है।

इसलिये वाणिज्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करने हेतु तुरन्त कदम उठाये जायें कि काफी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सके। राज्य सरकार से भी कम कैर, जो भूतलक्षी प्रभाव से लगाया गया है, वापस लेने का अनुरोध किया जाए। काफी बोर्ड को पुर्नगठित करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए। दूसरे मंत्रालयों से काफी उत्पादकों को बेहतर वित्तीय सहायता देने के लिये कहा जाना चाहिये।

(दो) केरल के क्विलोन शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के उप-मार्ग का निर्माण किए जाने की मांग

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल के क्विलोन शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के लिए उपमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव 1959 में किया गया था। जल भू-तल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्तमान उप-मार्ग को मई, 1970 में अन्तिम रूप से स्वीकृति दी गयी थी।

यह उप-मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के उत्तर में सकथिकुलंगारा के निकट कावसाड स्थित 488/972 किलोमीटर से शुरू होकर दक्षिण में चंद्रामाला के निकट 502/804 किलोमीटर तक है। जहां यह उपमार्ग बनाया जाना है, उसकी कुछ भूमि जलमग्न रहती है और उस पर प्राईवेट पार्टियों का स्वामित्व है; तथा इस प्रकार इस उपमार्ग के निर्माण में भूमि अधिग्रहण की प्रमुख कठिनाई है। भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 700 लाख रुपये है।

वर्ष 1978 में इस उप-मार्ग को स्वीकृति दी गयी थी और सीमांकन किया गया था, इस प्रकार भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण भूमि मालिकों को बड़ी कठिनाई हो रही है। इस परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपये पहले ही मन्जूर किए जा चुके हैं। भूमि अधिग्रहण चरणों में किया गया है तथा अभी तक अधूरा है, उसे पूरा किया जाए और भूमि मालिकों को मुआवजा दिया जाए।

परियोजना के चरण एक और चरण दो के लिए भूमि अधिग्रहण और उप-मार्ग सम्बन्धी योजना के अनुसार उपमार्ग के निर्माण कार्य, जिसे पहले ही मन्जूरी दी जा चुकी है, को शीघ्र ही शुरू किया जाए। राज्य सरकार को बिना किसी विलम्ब के भूमि अधिग्रहण करने और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपमार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया जाए।

यह बहुत दिनों से विचाराधीन परियोजना है जो विशेषत: क्विलोन और सामान्यत: केरल के विकास के लिए आवश्यक है। भारत सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर दो वर्षों में पूरा करे।

(तीन) उड़ीसा की अनुसुपा झील से गाद निकाले जाने की मांग

श्री बीबी नाथ गजपति (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी चिंता की बात है कि 'अनुसुपा' जो उड़ीसा उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी झील है, बन्द होने के कगार पर है। राज्य की पहले दर्जे की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी झील है। परन्तु अनुसुपा उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। चारों ओर सुन्दर वातावरण, मीठा जल और शांत स्थल के कारण यह अनेक पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र थी।

प्रत्येक वर्ष हजारों पक्षी पक्षी साइबेरिया और केस्पियन सागर जैसे दूरस्थ स्थानों से इस झील में आते हैं। इसके शुद्ध जल और शांत वातावरण से इसकी सुन्दरता में वृद्धि होती है। इसलिए इसे 'सुरूपा' कहा जाता है जिसका अर्थ सुन्दरता है। परन्तु यह बड़े दुःख की बात है कि उड़ीसा की इस सुन्दर झील में अब न तो पक्षी ही आते हैं और न पर्यटक। 'अनुसुपा' में गाद जमने तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में भारी संख्या में वनस्पतियां उगाने और भारी मात्रा में काई जमने के कारण मीठे पानी की यह झील दलदली हो गयी है।

झील की गाद निकालने के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। मीठे पानी की झील को बन्द होने से बचाने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि गाद निकालने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए और झील को सुन्दर बनाने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए। केवल तभी इस पर्यटन केन्द्र की सुन्दरता कायम रह सकती है।

2.00 म० प०

(चार) महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के अनेक जिलों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निर्माण किए जाने की मांग

डा० वेंकटेश काबड़े (नान्देड़) : भारतीय खाद्य निगम ऐसा संगठन है जिसके पास भारी संख्या में विभिन्न स्थानों पर खाद्यान्न रखने के लिए गोदाम है। महाराष्ट्र के मनमाड़ क्षेत्र में एक ऐसा ही गोदाम है। खाद्यान्नों की आपूर्ति इन विशाल डिपो से समय पर और कुशलतापूर्वक वितरण पर निर्भर करती है। वैगनों, डीजल इंजनों की उपलब्धता और अन्य सभार-तन्त्र सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण मराठवाड़ा के अनेक जिलों में समय से खाद्यान्नों के वितरण में बाधा आयी है नान्देड, लातूर तथा बीड जिलों के भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के लिए भूमि निर्धारित की गई है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। महीने के शुरू में उचित दर की दुकानों में खाद्यान्न की आपूर्ति से आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि का सामना करने में काफी सहायता मिलेगी। मेरा कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध है कि महाराष्ट्र के पिछड़े मराठवाड़ा क्षेत्र में नान्देड, लातूर, बीड और अन्य जिलों में गोदामों का निर्माण किया जाए।

(पांच) देश में, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न संगठनों के साथ कड़ाई से निपटने की मांग

[हिन्दी]

श्री जगदीश तिवारी (सोवन) : पूर्वांचल के असम, नागालैंड, मीजोरम त्रिपुरा इत्यादि प्रदेशों में राष्ट्र द्रोहियों का जाल बिछ गया है। असम का उल्फा लूट-पाट कर रहा है। अभी दिनांक 17 जुलाई, 1990 को इण्डियन आयल असम के जनरल मैनेजर एवं उनके लड़के का अपहरण हुआ है। अब तक उल्फा संगठन के लोगों ने लगभग 140 बड़े-बड़े पूंजिपतियों की हत्या की है। बोडो आंदोलन अलग से तोड़-फोड़ कर रहा है तथा अलग राज्य की स्थापना की मांग कर रहा है। सरकार से आग्रह है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों से निबटने के लिए उचित कार्यवाही करें।

(छः) पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री शंकर कुमार मण्डल (जयनगर) : महोदय, बंगाल में शुरू किये गये सदियों पुराना पटसन

उद्योग, न केवल निष्क्रिय हो रहा है बल्कि इसके उद्धार की भी कोई सम्भावना नहीं है। इस उद्योग द्वारा न सिर्फ सरकार को पर्याप्त विदेशी मुद्रा ही प्राप्त हो रही थी बल्कि इससे पर्याप्त संख्या में रोजगार भी प्राप्त हो रहा था। पटसन के पुराने कारखानों का आधुनिकीकरण करने और उन्हें फिर से चालू करने के बजाए पटसन के उद्योगपति बंगाल से बाहर उद्योग स्थापित कर रहे हैं जिनके फल-स्वरूप पश्चिम बंगाल की 77 पटसन मिलों में से आधे से अधिक में तालाबन्दी की जा चुकी है और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। एक समय सरकार ने उद्योग तथा मजदूरों के हित में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन ब्यूरो स्थापित किया था और पटसन आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की थी। दुर्भाग्यवश, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन ब्यूरो इन रुग्ण पटसन मिलों को पुनः चालू करने में असफल रहा है।

पहले पटसन मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था। इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब इस परिस्थिति में सरकार को या तो इन मिल-मालिकों पर अपने उद्योग को पुनः चालू करने लिए दबाव डालना चाहिए या उन्हें अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार के सामग्रियों की पैकिंग के लिए पटसन थैलों के स्थान पर सिंथेटिक के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना चाहिए। ट्रेड यूनियनों ने 'सकुंलर' चरखों के इस्तेमाल के विरुद्ध, जिससे कि हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, आवेदन किया है। यह उचित समय है जब पश्चिम बंगाल में पटसन के इन समाप्त उद्योगों को बचाने के लिये सरकार को कुछ प्रयास करना चाहिए।

(सात) समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह उल्लिखित है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी और लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य है। यदि हम अपने देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए यदि हम कुछ ठोस कदम उठाते हैं तभी यह सम्भव होगा। हमने सम्पत्ति के साथ-साथ आय की सीमा निर्धारित कर दी है। प्रत्येक व्यक्ति को चल और अचल सम्पत्ति की सूची रखी जानी चाहिए। प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त तक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति का विवरण स्थानीय तहसीलदार के पास अवश्य जमा करा देना चाहिए। प्रावधान इस तरह से बनाये जाने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तहसीलदार के समक्ष कुछ सांकेतिक शुल्क जमा कराकर किसी भी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के विवरण की एक प्रति प्राप्त कर सके। तीन महीनों में एक बार प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति के विवरण की जांच की जानी चाहिए। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में और देर किये बिना एक विधेयक लाने का अनुरोध करता हूं।

———

2.07 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर निरन्तर हो रहे अत्याचार

—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर निरन्तर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा करेंगे।

कुमारी मायावती।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, 14 अप्रैल, 1990 को बाबा साहेब डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी के मौके पर हमारे भारत के प्रधानमन्त्री माननीय श्री वी० पी० सिंह ने 1990 का साल सामाजिक न्याय के रूप में घोषित किया था। लेकिन 14 अप्रैल, 1990 के बाद पूरे देश के कोने-कोने में जिन लोगों के लिए अर्थात गरीब और मजलूमों के लिए सामाजिक न्याय का साल घोषित किया था, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। सभी अत्याचारों के बारे में तो चर्चा नहीं करूंगी परन्तु आगरा कांड के बारे में बोलना चाहूंगी। 14 अप्रैल, 1990 के बाद देश में आगरा कांड इतना बड़ा कांड हुआ है कि शायद ऐसा कांड कभी कांग्रेस पार्टी के राज में भी नहीं हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, यह कांड इतना दर्दनाक है जिसके बारे में मैं उल्लेख करना चाहती हूं और संबंधित बातें आपके सामने रख रही हूं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं कि जब 8 तारीख को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा हुई तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के लोगों ने यह आरोप लगाया कि आगरा कांड बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिल कर कराया है। तो मैं बी० जे० पी० और जनता दल के लोगों को यह बताना चाहती हूं कि यदि हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मिले होते तो आज कांग्रेस पार्टी के लोग विपक्ष में नहीं होते और वह सत्ता में होती और जनता दल के लोग बाहर···(व्यवधान)

श्री हाकमसिंह जोशी (कोटा) : ये सारे अत्याचार किसने किये ? आप तो यहां हाउस में भाषण कर रही हैं···(व्यवधान)

कुमारी मायावती : मेरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

कुमारी मायावती : मैं सच्चाई रखना चाहती हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जोशी साहब, आपको कुछ बोलना है तो मैं टाइम दे दूंगा, लेकिन आपको बार-बार नहीं उठना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलना है तो मैं आपका नाम लिख दूंगा लेकिन उनको डिस्टर्ब मत कीजिए।

कुमारी मायावती : मैं आपका ध्यान आगरा कांड की तरफ दिलाना चाहती हूं और उसके बारे में तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं किसी की सुनी-सुनाई बात सदन के सामने नहीं रख रही हूं क्योंकि मैं 6 जुलाई को खुद आगरा गई थी और 2 अगस्त को भी गई थी। हमारे प्रेजीडेंट श्री कांशीराम जी, हमारे उत्तर प्रदेश के विधायक और और दूसरे सांसद आगरा गए थे। जब हम लोग आगरा गए तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० ने हमारी पूरी व्यवस्था की और अपनी कचहरी के प्रांगण में हमारी सभा भी करायी। वहां के डी० एम० और एस० पी० के रवैए से ऐसा लगा कि आगरा कांड को कराने में इस देश के प्रधानमन्त्री का सीधा हाथ है। मैं ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि आगरा कांड को कराने में प्रधानमन्त्री का सीधा बहुत बड़ा हाथ है।(व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। हमारे नियम और प्रक्रिया के

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

नियम 352 में स्पष्ट है कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जाएगा तो उसको पहले नोटिस देना चाहिए। माननीय मायावती जी प्रधानमन्त्री पर इतना गम्भीर आरोप लगा रही हैं कि जो कुछ आगरा में हुआ उसमें सीधा हाथ उनका है। यह इस तरह का आरोप है जिसका नोटिस नहीं दिया है। इस आरोप को आप कार्यवाही से निकाल दें और उनसे कहें कि इस तरह के आरोप न लगाएं, इस आरोप को वापिस लें। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय मायावती जी ने प्रधानमन्त्री के पद का जिक्र किया है, उन्होंने किसी व्यक्ति या सदस्य का जिक्र नहीं किया है। यदि सदस्य या व्यक्ति का नाम लेकर कहतीं तो उनको पहले लिखकर देने की जरूरत थी। उन्होंने प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री या मुख्य मन्त्री के पद का जिक्र किया है इसलिए शास्त्री जी के पाइंट आफ आर्डर में कोई दम नहीं है, वह केवल पाइंट आफ डिसआर्डर है, नथिंग ऐल्स (व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : नियम 352 में साफ लिखा हुआ है कि प्रधानमन्त्री या किसी मन्त्री के खिलाफ कोई आरोप न लगाया जाये। (व्यवधान)

श्री कालका दास (करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी तथ्य के किसी जिम्मेदार पद पर आरोप लगाने से व्यवस्था खराब होती है। इसलिए आप इनसे कहें कि वह कोई आरोप न लगायें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर होने वाले अत्याचार के संबंध में कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा क्रिमिनल इन्सीडेंट हुआ है उसमें किसी का नाम लेकर या उसके पद के नाम को इस्तेमाल करके कोई आरोप लगाता है तो वह बहुत ही गम्भीर एलीगेशन होता है। ऐसा कहते समय जिनके खिलाफ आप कह रहे हैं, उनको थोड़ा-सा उस बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ही आप चर्चा करें। आप यह कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा सब हुआ।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : इस सभा में सिर्फ एक ही प्रधानमन्त्री हैं। यदि आप उन पर कोई आरोप लगाते हैं तो आपको दस्तावेज भी प्रस्तुत करने चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठायेंगे। जब मैं खड़ा हूं तो व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कुछ अनुशासन बनाये रखना है। मैं आपके विरुद्ध कुछ कहने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। आप कृपया सभा में उचित व्यवहार करें।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह क्या है ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां बार-बार यह कहना चाह रहा हूं कि मायावती जी बोल रही हैं

तो आप कृपया उनको डिस्टर्ब मत करें। इसका मतलब यह हुआ कि जो सवाल यहां वह उठा रही हैं, आप उनको उस पर बोलने नहीं देना चाहते हैं। यह एक अच्छी बात नहीं है। मैं मायावती जी से कहना चाहता हूं कि वह किसी व्यक्ति का नाम लेकर न बोलें। अगर वह उनके पद का उल्लेख करके बोल रही हैं तो क्रिमिनल केसेज के अन्दर उनके पद का उल्लेख करना अच्छी बात नहीं है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ही वह अपनी बात कहें। अगर उन्होंने कोई चीज कह दी है तो बार-बार उठ कर बोलने की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय बैठे हैं वह उसका जवाब देंगे। अगर आप उस पर बोलना चाहते हैं तो मेरे पास नाम भेज दें, मैं आपको बोलने का अवसर दे दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जोशी जी, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। आपको बैठ जाना चाहिए। यदि मैं इस पक्ष के सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं तो मैं आपको भी बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अनुना प्रसाद शास्त्री : उन्होंने जो आरोप लगाया है, उसे वह स्वीकार करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, मैं आपकी बात का खण्डन नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपकी बात सीधे तौर पर रख रहा हूं। आप एक दूसरे की मदद कीजिए। इसको लम्बा-चौड़ा मत करिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुरियन जी, मैं आपकी बात बाद में सुन लूंगा और बाद में बता दूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : जब आप बोल रहे थे तो उस समय मैंने कुछ नहीं बोला। मैं उसी समय बोलने के लिए खड़ा हुआ था जब आप नहीं बोल रहे थे। मुझे इसका बहुत खेद है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है। इसे भूल जाइये।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय पर कोई अनुरोध नहीं कर सकते हैं। आप मेरे विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आपका विनिर्णय स्वीकार करता हूं। मैंने आपके विनिर्णय पर कभी एतराज नहीं किया है। विगत दस वर्षों से मैं इस सभा का सदस्य हूं। मैंने देखा है कि पिछली लोक सभा के दौरान किसी का नाम लिए बिना हमेशा आरोप लगाए गए हैं। यहां तक कि इस सभा में प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी जी के विरुद्ध बोफोर्स संबंधी आरोप लगाए गए थे और इसकी अनुमति दी गयी थी। अनेकों बार इसकी अनुमति दी गयी थी। आप कृपया कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने इस विनिर्णय पर पुनर्विचार करें कि आरोप लगाते समय पदों का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। आप यह एक नया पूर्वोदाहरण बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप मेरे विनिर्णय को चुनौती दे रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ अनुरोध कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कुरियन जी, कृपया बैठ जाइए। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि वक्तव्य देते समय विपक्षी दल का सचेतक बहुत सावधानी बरतेगा। अब, मैंने यह कहा है कि यदि किसी बात के लिए नियमित प्रस्ताव लाया जाए और यदि किसी बात का उल्लेख किया जाए तो यह दूसरी बात है। अब यहां हम अत्याचारों पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी, मैं आपको नहीं दूंगा।

[अनुवाद]

हम हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा कर रहे हैं और यदि आप ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला बन सकता है तो आपको सावधानी बरतनी होगी। मैंने बहुत सावधानीपूर्वक अपना विनिर्णय दिया है और इस विनिर्णय पर कोई भी सदस्य चर्चा नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो इस पर कभी न खत्म होने वाली चर्चा शुरू हो जाएगी। अत: कृपया सावधानी बरतें। मैंने यह नहीं कहा है कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कह रहे है और वह भी उसके पद का उल्लेख करते हुए और यदि इससे उस पर आपराधिक मामला बन सकता हो तो आपको बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी होगी।

हां, मायावती जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं, आपको भी और आपके मार्फत सदन को भी कि जो भी कुछ मैं इधर आपके सामने आगरा में पनवारी कांड के बारे में तथ्य रखूंगी, वह मैं सोच समझकर और सही तथ्य मैं आपके सामने रख रही हूं और मैंने प्रधानमन्त्री जी का नाम नहीं लिया है। मैंने प्रधानमन्त्री जी का हवाला जरूर दिया है, क्योंकि, वह इस देश के मालिक हैं और इस समय भारत सरकार का वह नेतृत्व कर रहे हैं इसलिए मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी के बारे में जो भी कुछ बोल रही हूं, मुझे मालूम है, बड़ा गम्भीर मामला है तो इसलिए मैं खुद इसकी जिम्मेदार हूंगी और जो भी तथ्य मैं रखूंगी, वह मैं सोच समझकर तथ्य रख रही हूं। मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया जाए। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कहना चाहती हूं, उसको मैं जरूर कहकर रहूंगी, मेरी बात को कोई सदन में दबाने की कोशिश न करे। यह गरीब और मजलूमों के हित का मामला है इसलिए यह बात मैंने कही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगरा के पनवारी कांड के बारे में बोलूं, आपने जो मुझसे कहा, उसका जवाब मैंने आपको दिया है।

अब मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि आगरा के अन्दर जो पनवारी कांड हुआ, वह आगरा से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर पनवारी गांव है, 21 जून को पनवारी में दंगा हुआ। 21 जून से

पहले 18 तारीख से लेकर 20 जून तक पनवारी के अन्दर प्रधानमन्त्री जी के इशारे पर, उनके बलबूते पर 30 हजार जाटों को हथियार सहित पनवारी के अन्दर इकट्ठा किया गया, 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लिखित में सूचना आगरा शहर के जाटव लोगों ने वहां के डी० एम० और एस० पी० को दी थी कि पनवारी में झगड़ा शादी वाले दिन होने की सम्भावना है और इसकी सूचना 18 तारीख से लेकर 20 जून तक वहां के दैनिक अखबारों में भी बराबर छपती रही। जब 18 जून से लेकर 20 जून तक वहां के डी० एम० और एस० पी० को वहां के दलित संगठनों ने बराबर सूचना दी और वहां के जो दैनिक अखबार हैं, उन्होंने सूचना दी कि 21 तारीख को पनवारी में बारात चढ़ने वाली है, उस मौके पर झगड़ा होने की सम्भावना है; 18 जून से लेकर 20 जून तक, तीन दिन के अन्दर 30 हजार जाट हथियार सहित वहां पर इकट्ठे हुए हैं, जिसकी सूचना वहां के डी० एम०, एस० पी० तथा वहां के प्रशासन को तमाम दैनिक अखबारों की मारफत मिल गयी थी। सवाल यह है कि 18 तारीख से लेकर 20 जून तक तीस हजार से लगभग ज्यादा जाटों को सरकार ने पनवारी के अन्दर क्यों इकट्ठा होने दिया। दंगे 21 तारीख को हुए। मैंने आपको ऐसा क्यों बताया कि इसमें प्रधानमन्त्री जी का हाथ है, जब 18 जून से 20 जून तक 30 हजार के लगभग जाट हथियार सहित वहां इकट्ठे हुए, जिसकी सूचना प्रशासन को थी, लेकिन डी० एम०, एस० पी० ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनको अरैस्ट नहीं किया और न उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की। इससे जाहिर होता है कि पनवारी में कांड कराया गया।

दूसरी बात यह है, जब 21 तारीख को कांड हुआ, तो 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक लगातार पनवारी के नजदीक के जो 20-25 गांव हैं, जहां पर जाटव कम रहते हैं और जाट लोग ज्यादा रहते हैं, वहां 30 हजार जाट नजदीक के 20-25 गांवों में घुस गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह हकीकत है। उसी बीच में आगरा में कोई झगड़ा नहीं था, 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक लगातार आगरा शहर में कर्फ्यू लगा रहा, जबकि कर्फ्यू पनवारी में लगाना चाहिए था। पनवारी के नजदीक के 20-25 गांवों में जहां पर यह दंगा हो रहा था, वहां पर सरकार को कर्फ्यू लगाना चाहिए था, लेकिन आगरा शहर में, जिस आगरा शहर का जाटव अपने भाइयों की मदद करने के लिए पनवारी के करीब 20-25 गांवों में जाना चाहता था, उनको रोकने के लिए सरकार ने 1009 जवान जाटव लोगों को अरैस्ट किया। चौबीस घण्टे का कर्फ्यू लगाया, आगरा शहर के अन्दर उनके घर में घुसे और छानबीन के मामले में पुलिस और पी० ए० सी० ने औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं पनवारी के करीब 20-25 गांवों में, लगभग 30 हजार जाट घुसे और जाटव लोगों का सामान लूटा तथा उनके हाथ-पैर तोड़े व कई लोग मारे मां-बहनों की इज्जत लूटी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने खुद दुखी औरतों से बातें की हैं। मैं आपको कोई सुनी-सुनाई बात नहीं कह रही हूं। आगरा से करीब छः किलोमीटर दूर एक बनौली गांव है। बनौली गांव के अन्दर आज भी हजारों लोग पनवारी के करीब 20-25 गांवों में जहां जाटों ने मां-बहनों की इज्जत लूटी और उनको गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया, वहां के आज भी हजारों लोग अपने गांव को छोड़कर पड़े हुए हैं। मैं छः जून को जब बनौली गयी, वहां पर एक हजार से ज्यादा हमारी मां-बहनें थीं। मैंने अपनी मां-बहनों से पूछा, जिसमें मासूम बच्चों से लेकर बूढ़ी औरतें तक थीं, उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैं बताना चाहती हूं उससे सदन के रौंगटे खड़े हो जायेंगे, मैं आपको हकीकत बता रही हूं, मासूम बच्चों से लेकर बूढ़े तक का यही कहना था कि बहन जी हमारी पांच साल की बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक को जाटों ने नहीं छोड़ा। उनके साथ बलात्कार हुआ है। इतना ही नहीं, बूढ़ी औरतों की चंदें तक काटी गयी। औरतों के जो छः-छः और तीन-तीन महीने की लड़कियां थीं, उनकी

[कुमारी मायावती]

टांग पकड़कर चीर दी गयीं। नहीं चीरी तो बच्ची ने दम तोड़ दिया। ऐसे कांड पनवारी के करीब 20-25 गांवों में, इस किस्म के दर्दनाक कांड हमारे समाज के बच्चों के साथ हुए हैं। इसके बारे में सरकार को कदम उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जो पनवारी के करीब 20-25 गांव हैं, जो अपने गांव को छोड़कर, दुखी होकर शहर आगरा के किनारे धनौली में पड़े हुए हैं, वे लोग आज भी अपने घर वापिस नहीं लौटे हैं।

आज भी वे लोग खुले आसमान के नीचे बरसात के मौसम में भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। सरकार ने उनके लिए कोई बन्दोबस्त नहीं किया, हमने बहुजन समाज पार्टी की ओर से उनको 20 टेंट खरीद कर लगवाकर दिये हैं। उन टेंटो के नीचे वे लोग पड़े हुए हैं। सरकार ने उनके खाने तक के लिये कोई व्यवस्था नहीं की। हमने दिल्ली से उनके खाने के लिये समान भेजा और मैं खुद वहां की बस्ती-बस्ती में जाकर घूमी हूं। उन 20-25 गांवों की महिलायें, हमारी बहनें केवल एक धोती के अन्दर वहां से भागने के लिये मजबूर हुई, ऐसी औरतों को मैंने खुद साड़ियां खरीद कर दी हैं और उनको अपना तन ढकने के लिए कपड़े भी भेजे हैं। यह सरकार कहती है कि हमने उनके लिए सहायता की है। मैं इस सरकार को बताना चाहती हूं कि आज भी वहां के लोग अपना गांव छोड़कर ऐसे ही पड़े हुए हैं, सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है।

उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोग जो दुबारा से अपने गांव वापिस जाना चाहते हैं, जिन मां-बहनों की इज्जत लूट ली गई, जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं, सम्पत्ति नष्ट हो चुकी है, तो इसमें सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उनको दोबारा से बसाया जाये और उनको ऐसी जगह दी जाये जहां पर ये लोग मान-सम्मान की जिन्दगी बसर कर सकें। इनके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार से आज जनता पार्टी के लोग, बी० जे० पी० के लोग यह कहते हैं कि ये प्रधान मन्त्री जी के ऊपर आरोप है। मैं यहां पर बताना चाहती हूं कि मैंने प्रधान मन्त्री जी के ऊपर यह आरोप क्यों लगाया है ? मैं साफ तौर से बताना चाहती हूं कि प्रवेन्शन आफ एट्रोसिटी एक्ट जो 30 जनवरी, 90 से लागू हुआ, लेकिन उसके बाद भी अन्याय और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। एस० सी०, एस० टी० के चेयरमैन माननीय रामधन जी वहां पर गये जरूर थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई रिपोर्ट सदन में नहीं रखी। हमारे वेल फेयर मिनिस्टर ने भी इस बारे में कोई रिपोर्ट सदन में नहीं रखी। इतना ही नहीं बल्कि हकीकत तो यह है कि प्रधानमन्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए चौधरी देवीलाल को बदनाम करने के लिए जाटों को हथियार बनाया और जाटवों को बलि का बकरा बनाया गया। आप लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा कि 21 जून को जब यह कांड हुआ, उससे पहले अखबारों में यह स्टेटमेंट था जो चौधरी देवीलाल के बारे में लिखा था कि :— "ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा।" उस समय प्रधान मन्त्री जी को अपनी कुर्सी की घबराहट हुई, जिसके कारण उन्होंने चौधरी देवीलाल को बदनाम करने के लिए चौधरी अजित सिंह का सहारा लिया और फिर इनके बलबूते पर जाटों को आगे करके, जाटवों को बलि का बकरा बनाया।

इसलिए मैं सदन को यह बताना चाहती हूं कि हम जाटों और जाटकों को आपस में लड़ने नहीं देंगे, हम आपस में भाईचारा पैदा करेंगे और ये दोनों मिलकर आपको मुंह-तोड़ जवाब देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से एस० सी०-एस० टी० पर बहस चल रही है। मेरे कुछ लोगों को इस बारे में बड़ा खराब लगा, बहुत आरोप उधर से आए और इधर से लोगों ने उसका जवाब देना शुरू किया तो उनको बहुत बुरा लगा। इन दो दिनों के बाद अब ऐसी स्थिति बन गई है कि जिसने मार खाई वह मारने वाले का नाम बताता है और मारने वाला कह रहा है जो हम जैसों की फरियाद सुन रहा है वह इसके लिए दोषी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर यही सही है तो जब 14 जून को यह खबर मिल गई कि 21 तारीख को आगरा में ये काण्ड होना है, 22 तारीख को काण्ड होगा, जब सारे प्रशासन को ये खबर मिल गई तो फिर प्रशासन चुप क्यों बैठा था ? क्या हमने कह दिया था कि जिला प्रशासन, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने कह दिया था कि तुम चुप रहो, कोई कार्यवाही न करो और 21 तारीख को जो काण्ड होने वाला है, उसको होने दो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है ? क्या वहां पर कांग्रेस की हुकूमत है ? (व्यवधान)

दूसरी बात यह कि इस कांड से संबंधित कुछ विशेष वर्ग के लोग थे, जिनके बीच झगड़ा था, फिर उसी विशेष वर्ग की पी० ए० सी० वहां पर क्यों लगाई गई, एडीशनल वर्ग की पी० ए० सी० क्यों नहीं लगाई गई या दोनों वर्गों के अलावा किसी तीसरे वर्ग की पी० ए० सी० क्यों नहीं लगाई गई। इसी तरह से जब जिला प्रशासन का मालूम था कि 21 तारीख को कोई वारदात हो सकती है तो जो लोग अत्याचार कर सकते थे, उनका समय रहते असला क्यों नहीं जब्त किया गया। क्या कांग्रेस ने कहा था या बहुजन समाज पार्टी ने कहा था कि असला जब्त मत करो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब राम-जन्मभूमि मंदिर निर्माण की बात आती है तो कुछ लोग हरिजनों को खोजते हैं, लेकिन जब आगरा में हरिजन मारे गए तो उनकी फरियाद सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, इस कांड का विरोध करने के लिए कोई नहीं गया। आज मैं इस सदन में हकीकत बताना चाहता हूं। इससे पहले पिछले हफ्ते मैं मीनाक्षीपुरम गया था, जहां पर धर्म-परिवर्तन कुछ लोगों ने किया है। मैंने जब उन लोगों से पूछा कि आप लोग कैसे हैं तो उनका जवाब था कि जब तक हम हिन्दू धर्म में थे, तब तक हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए, लेकिन जबसे हमने हिन्दू धर्म छोड़ दिया है, तब से हमारे ऊपर अत्याचार नहीं हुए, यह उनका जवाब था, यह कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आज जो लोग बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि वे हकीकत जानने की कोशिश करें। आज इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ क्या उत्पीड़न हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, उनको मीनाक्षीपुरम की तरह धर्म-परिवर्तन के लिए मजबूर न किया जाए।

राजस्थान में मनावरी की घटना सबके सामने आ चुकी है जहां 16 कंजरों को जला दिया गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी बहू-बेटियों की इज्जत लूटी गई। वहां पर किसकी सरकार है, क्या वहां पर कांग्रेस की सरकार है या बहुजन समाज पार्टी की सरकार है।

इसी तरह से उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्य मन्त्री जी की जनपद इटावा की बात बताना चाहता हूं जहां पर एक हरिजन महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसे मार डाला गया, अनेक लोग वहां पहुंचे और उन्होंने देखा। वर्दीनों हरिजनों के गांव वहां खाली हो गए। इसी तरह से आजमगढ़ की बात बताना चाहता हूं जो अनुसूचित जाति और जनजाति कमीशन के चेयरमैन का जनपद है, सरकार द्वारा बनाया गया यह कमीशन है, इस कमीशन के चेयरमैन के रिश्तेदार को

[श्री आर० एन० राकेश]

फर्जी बिल पास न करने पर वहां के विधायक ने मरवा दिया, एफ० आई० आर० दर्ज है, चेयरमैन साहब खुद गवाह हैं, लेकिन उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है, चारों तरफ फरियाद कर रहे हैं।

माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान एक उनसे सम्बन्धित घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं। इलाहाबाद केन्द्रीय कारागार, नैनी जेल, उसकी शाखा मिर्जापुर में है मुरमा जेल, उस जेल में 16 मई को राम खिलावन बघेल के गांव का जो आदिवासी था, उसकी 16 वर्षीय लड़की प्रभावती के साथ दिन दहाड़े मुरमा जेल की पुलिस के लोगों ने उसके घर में घुसकर उस आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार किया। उसकी बहू के साथ बलात्कार करते हैं। मेरे बड़े प्रयास के बाद चोपन थाने में मुकदमा कायम किया गया। लेकिन मुलजिमों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यह संरक्षण कहां से मिल रहा है ?

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस से।

श्री आर० एन० राकेश : क्या वहां कांग्रेस की हकूमत है ? गलती से आप बैठे हैं। आपने मान लिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हकूमत है। गलती से आप बैठे हैं, इस्तीफा देकर भाग आओ। मैं इलाहाबाद की बात करना चाहता हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं। उस बैंच पर बैठे मन्त्री जी भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं ···(घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप दस मिनट बोल चुके हैं। मेरे पास 10 मेम्बर्स की लिस्ट है। आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री आर० एन० राकेश : उपाध्यक्ष महोदय, 5 मिनट में समाप्त करूंगा। इलाहाबाद में जेल के पास मल्लीपाशी को पुलिस प्रशासन ने रात को घर से निकालकर गोली मार दी। मैंने पुलिस को पकड़ा, जेल प्रशासन का घेराव किया तो उन्होंने कहा कि प्रधान मन्त्री के घर से नोटिस आया है उसमें जिन-जिनका नाम है उनको एनकाउंटर करना है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में हंगामा मचा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सी० बी० आई० की इन्क्वायरी की। उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं प्रधान मन्त्री की मेला तहसील में, इलाहाबाद में अटलरिया थाना क्षेत्र में हरिजन महिला, जिसका नाम सीता है, उसके नाजुक अंग में सामन्तवादियों ने डण्डा घुसेड़ दिया। मुकदमा कायम हुआ। एक सीता के लिए सोने की लंका जला दी गयी और एक सीता प्रधान मंत्री के घर में सुशोभित है, एक सीता की यह हालत बनायी गयी है। काश, वह हरिजन न होती। मैं प्रधान मन्त्री के क्षेत्र फतेहपुर की बात करना चाहता हूं। फतेहपुर में 5 मई को कल्याणपुर थाने में श्रीमती इन्द्राणी, जो एक हरिजन है बेगार न करने के कारण उसको गोली मार दी गयी। 6 मई को गढिया मजरा उन्नाव में श्रीमती सुमित्रा को गोली मार दी गयी। राम प्यारे और सुरेश अभी भी फतेहपुर अस्पताल में बुरी तरह से घायल पड़े हैं, 16 मई को दरियापुर में सोमवती काण्ड हुआ था। प्रधान मन्त्री जी गए थे और उन्होंने कहा था कि मुल्जिमान के खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्यवाही की जाएगी, उन्होंने बच्चे को लेकर फोटो भी खिचवाया था और कहा था कि इसकी हिफाजत सरकार करेगी दवा के अभाव में बच्चा मर गया। प्रधान मन्त्री देखने भी नहीं गए। फतेहपुर जनपथ से 13 कि०मी० दूर शेख अजीपुर है, वहां पर माया देवी की लड़की को सामन्तवादी घसीटे जा रहे थे। वह चिल्लाई और बचाने के लिए दौड़ी। उसको गोली मार दी गयी और दो दिन

तक लाश पड़ी रही। बाद में पुलिस वालों ने लाश को जला दिया। एफ० आई० आर० नहीं लिखी गयी। वहां से जो सांसद चुनकर आए हैं, आज बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। उनका स्वागत करने के लिए वे लोग अभी भी आते हैं। मालवा थाने में पलटूराम हरिजन की लड़की को सामन्तवादी ठाकुर निरपत सिंह घसीटे जा रहे थे। वह जनता दल के पिछले चुनाव में कार्यकर्ता थे और आज जिले के महामंत्री हैं। वे घसीटे जा रहे थे। लड़की का बाप पलटूराम बचाने के लिए दौड़ा। उसकी टांग चीर कर फेंक दी गयी। मुकदमा कायम नहीं किया गया। अभी शकरपुर में इस तरह की घटना हुई है। मालवा थाने के चक्की गांव में हरिजन परिवार ने सरकारी हैण्डपम्प से पानी ले लिया तो एक औरत को गोली मार दी गयी। उसका नाम कल्पना है। वह फतेहपुर के अस्पताल में पड़ी हुई है। उसके पति दुलारे को भी गोली मार दी गयी। वह अस्पताल में पड़ा हुआ है। उसका लड़का सुरेश पिछली रात को मर गया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कारनामे स्वयं बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि डा० आम्बेडकर की पूजा करके कुछ नहीं होने वाला नहीं है। "जिसने बनाया संविधान, सरकार मरवाती है उसकी सन्तान"। डा० आम्बेडकर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह राजा-महाराजाओं के खानसामे छाता लेकर चलते थे, उसी तरह का काम हो रहा है और अपना नाम ऊपर उठाना चाहते हैं। डा० अम्बेडकर की मूर्ति लगाकर आप मसीहा नहीं हो सकते। थाना-सिकन्दराबाद में गांव-फरीदपुर में जबकि जिला बुलन्दशहर में डा० आम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। वह बिरादरी जिसने आगरा में जाटों पर अत्याचार किया तो उन्होंने मूर्ति को तोड़ डाला और उठाकर ले गए जबकि चबूतरा बरकरार है। डा० अम्बेडकर देशभक्त थे और जिस तरह से काम हो रहा है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब डा० आम्बेडकर की मूर्ति का अपमान हो रहा है। इलाहाबाद में शास्त्री जी के निकेतन के पास एक कोठी है। उस कोठी में पांच फुट लम्बा चमड़े का कोड़ा और ढाई हाथ का जूता है उससे हरिजन और गिरिजनों की पीठ की चमड़ी बेकार न करने पर उधेड़ ली गई है। यह कोठी प्रधान मन्त्री जी की है और मान्डा के नाम से कोठी है। प्रधान मन्त्री जी को आप कपड़े के ऊपर से जानते हैं और मैं कपड़े के अन्दर की तस्वीर जानता हूं। पिछले चुनाव में जो धोखा हुआ और जो भटक गए वह संभलने की कोशिश कर रहे हैं। यह सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कोई घटना जब घट जाती है तो उसके परिणामस्वरूप सारे देश का ध्यान आकर्षित हो जाता है और सारा देश सोचने लगता है कि यह घटना क्यों घटती है। इस तरह की समय-समय पर होती रही है और उसी को लेकर देश का ध्यान आकर्षित रहा है। यह घटना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और कमजोर वर्गों पर होती रहती है। उसको राजनीति से नहीं देखना चाहिए। उसको इस तरह देखेंगे और आरोप प्रत्यारोप लगायेंगे तो समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। निश्चित रूप से हम अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसको माध्यम बना लेंगे। किन्तु अनुसूचित जाति के लोगों को, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को यदि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन बनायेंगे तो यह अन्याय होगा और उनका शोषण होगा, जिनका प्रतिनिधित्व करने की बात और रक्षा करने की बात हम करते हैं। आगरा में जो वारदात हुई यह एक दिन में पैदा नहीं हुई। इस प्रकार की घटनायें प्रदेश में घटती रहती हैं और जब घटती हैं तो उसकी आवाज संसद में, विधान सभाओं में ऐसे समय पर सुनाई देती है जिनको हम कहते हैं कि हम इन आवाजों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। कल राज्य सभा में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा है कि मुझे प्रसन्नता होगी कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग संसद

[श्री सत्यनारायण जटिया]

का प्रतिनिधित्व करेंगे । भावना तो यह बहुत अच्छी है, किन्तु इस प्रकार की भावनाओं को सही करने के लिए, वातावरण बनाने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है । सारा देश एक साथ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का उत्थान करने के लिए उनको अवसर मिलना चाहिए।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : पासवान जी को प्रधान मन्त्री बनाओ ।

एक माननीय सदस्य : आपने जगजीवन राम जी को क्यों नहीं बनाया ?

श्री सत्यनारायण जटिया : इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर इस प्रकार की चर्चा करना चाहेंगे और यही आपकी इच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपके विरुद्ध कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा । कृपया शान्ति बनाए रखें।

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री बनाने की एक प्रक्रिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है । किन्तु ये सारी बातें हम केवल एक परम्परा के रूप में कहते जायें तो इससे बात नहीं बनेगी । इसके पीछे निश्चय चाहिए, इसके पीछे करने का डिटर्मिनेशन चाहिए अगर हमारे मन के अन्दर उनका भला करने की बात है, उनका उत्थान करने की बात है । हमने भारतीय संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया है और उसके मूल अधिकारों का भी एक चैप्टर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि हम समता का अधिकार उनको देने वाले हैं । उसमें साफ-साफ लिखा है अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष सब समान होंगे, 15 वें में कहा है कि पूर्व वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद करना निषेध माना जायेगा और 16 वें में कहा गया है कि नियोजन के अवसर का सबको मौका दिया जायेगा । लेकिन आरक्षण के बावजूद भी क्या लोगों को लाभ मिला है । देखने में तो आरक्षण अच्छा लगा है, किन्तु लोगों को दिखाकर और आगे बढ़ते जाना और मूर्ख बनाना यह ठीक नहीं है । यदि कुछ देना चाहते हैं तो यथार्थ में देना चाहिए । 1 जनवरी 1989 के आंकड़े देखने से पता चलता है कि केन्द्र सरकार की नौकरियों में बावजूद आरक्षण की घोषणा के कितने लोगों को ग्रुप "ए" में अनुसूचित जाति के लोगों को स्थान मिला है, केवल 8.51 प्रतिशत पूर्ति का है, अनुसूचित जाति के लोगों को 2.24 प्रतिशत दिया है और हम बोलते हैं कि 27 प्रतिशत, 40 प्रतिशत देंगे । पर होगा क्या ? ग्रुप "बी" में 11.65 प्रतिशत है, ग्रुप "सी" में 14.83 प्रतिशत है और ग्रुप "डी" में जिसमें कोई काम नहीं करना चाहता, जहां सेवा का काम होता है, सफाई का काम होता है उसमें भी पूरा करने का संकल्प नहीं दिखाई दिया है । कहने की बात कुछ और हो सकती है, परन्तु करने के लिए संकल्प चाहिए, समयबद्ध कार्यक्रम चाहिए । हमने संविधान में कहा है कि अस्पृश्यता का अन्त होना चाहिए, बहुत पहले संविधान के अन्दर तो कर दिया, किन्तु व्यवहार में क्या हो रहा है । उसका अन्त करते हुए लिखा है कि अस्पृश्यता अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है । अस्पृश्यता से उठी किसी भी योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा । ये सारे घटना क्रम हैं इनके अन्दर ऊंच-नीच का भाव होता है, शासन करने और शासित होने का भाव होता है । जिसको दबाया जाता है और जो दबने की स्थिति

में आता है और तबकर जब वह जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है और लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष पर आमादा हो जायें तो सामाजिक संघर्ष की स्थिति बनती है। जुल्म जब-जब होता है तब दरिया में तूफान आता है, लहरें मचल उठती हैं और किनारे टूट जाते हैं और लोगों को मर्यादा में रखने के लिए सबको मर्यादा में रखना पड़ेगा। चाहे वह आगरा का कांड हो या बेलछी का कांड हो या देश की अन्य घटनायें हों।

यह एक ही बात को प्रतिबिम्बित करता है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसा हमारे मन के अन्दर है, वैसा जुबान पर नहीं आता और जो कुछ जुबान पर आता है, उसे हम पूरा नहीं करते हैं। इसी वजह से ये सारी की सारी विषमतायें चलती हैं। आदमी को आदमी से लड़ाने की बात चल रही हैं। वैसे तो हम देश की एकता की बातें करते हैं—"वसुधैव कुटुम्बकं" हम कहते हैं कि सारी दुनिया को एक करेंगे, सारी दुनिया के लोग हमारे भाई हैं, अरे हम साथ-साथ रहने वाले दो भाइयों को तो आपसे में मिला नहीं सकते, फिर कैसे इतने बड़े वायदे को पूरा कर पायेंगे। मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जब हमारे समाज में ऐसी स्थिति बनी हुई है तो सारी दुनिया को एक बनाने का हमारा वह स्वप्न मात्र हो सकता है, उच्च लक्ष्य भले ही हो सकता है, और कुछ नहीं। हम अपने घर में, पड़ोस में, नगर में, देश में क्या करते हैं, उसे देखने की बात है, समझने की बात है कि जब ऐसी परिस्थितियां हमारे चारों ओर निर्मित हो जायें, लोगों के अधिकारों की बात चलती जाये, आरक्षण के आधार पर लोगों से वोट प्राप्त करने की बातें हम करते हैं, वोट मांगते वक्त तो हम हर झुग्गी झोंपड़ी तक जाते हैं, हर बंदी बस्ती में जाते हैं, वोट के लिये चक्कर भी लगाते हैं, उन लोगों को अपना भाई भी बनाते हैं, कहते हैं आप ही हमारे अन्नदाता हो, आप ही हमारे मतदाता हो, आप ही सब कुछ हो और जब जीत कर वहां आ जाते हैं, तो उन मतदाताओं को भूल जाते है, उनके सुख, उनकी सुविधाओं की हमें कोई चिन्ता नहीं रहती। उनके लिये विशेष व्यवस्था करने में हम अपने आपको असमर्थ पाते हैं। यही कारण है कि आज भी हमारे देश में बंदी बस्तियां विद्यमान हैं, झुग्गी झोंपड़ियां विद्यमान हैं, अनुसूचित जातियों के लोगों की समस्याएं विद्यमान हैं, उनकी सामाजिक विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं विद्यमान हैं। आखिर क्यों ये चालीस वर्षों तक चलती रहीं और हम कुछ नहीं कर पाये। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे देश ने बहुत तरक्की की, उन्नति की प्रगति की ओर हम देखते हैं कि हमारे देश में पांच सितारा होटलों की शृंखला बन गयी है लेकिन उनके साथ साथ, उनके साये में झोंपड़ियां भी आपको अवश्य मिल जायेंगी, जहां लोगों को कोई सुख सुविधा नहीं है। इस विषमता की खाई को पाटने के लिये आखिर कौन सामने आयेगा, कौन काम करेगा। ये विषमताएं केवल बातों से दूर होने वाली नहीं हैं, भाषणों से भी दूर होने वाली नहीं हैं, भाषण करने के साथ साथ हमें उन लोगों को समर्थ बनाना होगा, उन्हें हर तरह से योग्य बनाना होगा। शोषण मुक्त समाज की रचना करनी होगी :

शोषण मुक्त समाज रचना का,
प्रतिबन्ध हमें स्वीकार नहीं।
उसका जीना भी क्या जीना,
जिनको मानव अधिकार नहीं॥
न्याय स्वतंत्रता समता बन्धुता,
सबको समानता का अधिकार
इससे कम में समझौता कैसा,
स्वर्ग मोक्ष से भी इन्कार॥

यदि इन सारी बातों का हम स्वप्न ही देखते रहेंगे, उस स्वर्ग तक हम इन लोगों को पहुंचा

[श्री सत्यनारायण जटिया]

नहीं देंगे, उनके उत्थान के प्रति जब तक हम दृढ़ संकल्प होकर काम नहीं करेंगे, निश्चित रूप से तब तक ऐसी अत्याचार की घटनाएं हमेशा-हमेशा समाज को झकझोरती रहेंगी। इसलिये आज सारा सदन इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रहा है कि आगे कोई आगरा जैसा काण्ड न होने पाये, आगे किसी हरिजन आदिवासी पर अत्याचार या अन्याय न हो, इसके लिये हमें संकल्प शक्ति के साथ काम करना होगा।

बुलन्द बादों की बस्ती को लेकर क्या करेंगे,
हमें हमारी जमीं दे दो, हम आसमान लेकर क्या करेंगे।

धन्यवाद।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, आपको भी टाइम दिया जायेगा।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के लिये और देश के ऊपर बहुत बड़ा कलंक हैं लेकिन इन बातों पर विचार करते हुए हमको इनका सहज निदान देखना चाहिये, इन समस्याओं के मूल में जाना चाहिये कि किन कारणों से इस तरह की घटनाएं घटती हैं। आगरा में जो कुछ हुआ, उससे सचमुच हम सब लोगों का और समूचे देश का माथा नीचा हुआ है। हम सब लोगों को शर्म महसूस करनी चाहिये। हमें आत्म-निरीक्षण करना चाहिये कि आखिर यह घटना क्यों घटी। इस तरह की घटनाओं से अगर हम राजनैतिक लाभ लेने की चेष्टा करेंगे और एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसका अर्थ होगा कि हमें वास्तव में उनसे कोई सरोकार नहीं है, जिन पर अत्याचार हुआ है, जो लोग मारे गये हैं, जिन की मां-बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उनके साथ यदि हमें सचमुच में हमदर्दी है और हम वास्तव में इस तरह की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो इस समस्या के मूल को नष्ट करना होगा हमें समझना होगा कि इन समस्याओं का मूल कहां है। यह बात कहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि कांग्रेस के शासन काल में ऐसी घटनाएं कभी हुई ही नहीं थीं। मैं इस तरह की घटनाओं के लिये कांग्रेस शासन को भी दोष नहीं दूंगा कि उनके जमाने में इस तरह की घटनाएं हुई। यदि आप इतिहास की तरफ देखेंगे···(**व्यवधान**)···तो आपको एक नहीं अनेकों आगरा जैसे काण्ड मिल जायेंगे और हम लोगों के सामने चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी स्थिति हो जायेगी। मैं यहां रीवा संसदीय क्षेत्र से आता हूं मेरे जिले रीवा के बिल्कुल नजदीक कचूर ग्राम में 5 हरिजनों की कुछ वर्षों समय पूर्व निर्मम हत्या कर दी गयी, उस समय कांग्रेस पार्टी का ही शासन था, लेकिन उस घटना के लिये मैं कांग्रेस को दोष नहीं देना चाहता। मैंने पहले भी कभी नहीं कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण ऐसी घटना हुई। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आगरा जैसी हमारे देश में अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं। दो, साल पहले, हमारे यहां बस्तर जिले में, बस्तर जिले से तो सभी माननीय सदस्य परिचित होंगे, आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और बरसात के दिनों में, मैं अन्धा आदमी वहां स्वयं गया।

3.00 म० प०

मैं कमर तक पानी में पुलों को पार कर उन गांवों में गया। देखकर मुझे दुख हुआ, आत्मा कराह उठी कि यह क्या हो रहा है? लेकिन यह किसके जमाने में था, किसका शासन था? मैं यह बताना चाहता हूं कि साधुपुर का उत्तर प्रदेश कांड या देवली का कांड किसके जमाने में हुआ? हमारे मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में एक धीमन परिवार के पूरे परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया

उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री भी वहीं के रहने वाले थे, वह उनका क्षेत्र था। ये सब बातें हमको सोचनी चाहिएं कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं ? हमको यह भी सोचना है कि जिस समय हमको स्वराज मिला, जिस समय हमने संविधान बनाया, उस समय हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम अस्पृश्यता को दूर करेंगे, हमने कहा था कि हम सामाजिक समानता लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान को लागू हुए 40 वर्ष हो चुके हैं, इस बीच में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए क्या किया गया है ? इसके मूल में जो है वह चातुरवर्ण की व्यवस्था है, यह जन्म से ऊंच-नीच मानने वाली व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जब तक समूल नष्ट नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी मानव मात्र की एकता, समस्त मनुष्य जाति एक है, इस तरह की व्यवस्था लाने के लिए पिछले 40 वर्षों में क्या कुछ किया गया है ? भूल गए आफ कांग्रेस का राज ? अभी दो साल पहले बिलासपुर में पंडा तराई में जब हरिजन मन्दिर में जाना चाहते थे तो गोलियों से भून दिए गए। किसी आदमी को सजा नहीं हुई। इसी तरह से नाथद्वारा में हरिजनों के प्रवेश करने पर उन पर हमला हुआ। हमको आज भी बड़ा दुख है इन सब बातों से, आज भी जो घटनाएं हो रही हैं उनको मैं बहुत कलंक की बात मानता हूं। जैसा मैंने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने की बात मानता हूं।

अभी 16 जुलाई की नई घटना है। 16 जुलाई को रीवा जिले के सम्हारा पुल में उत्तर प्रदेश की सीमा में दो हरिजन महिलाओं को जिन्दा जला दिया गया। इसकी चिन्ता किसको है ? दिल्ली के पास आगरा है इसलिए आप चले गए लेकिन उन दुर्गम स्थानों में जहां जाने में मुश्किल है, वहां कोई गया ? कोई नेता, कोई कांग्रेस का नेता या और पार्टी का नेता गया वहां पर ? कोई नहीं गया।

कुमारी मायावती : आप कैसे बोलते हैं कि कोई नहीं गया, आपके पास क्या प्रूफ है ? (व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : एक 60 वर्ष की बुढ़ा मर गई और उसकी पतोहू एक छोटे से अस्पताल में मौत की अन्तिम घड़ियां गिन रही है। वह गर्भवती थी, डाकुओं ने उसके पेट पर लात मारी और समय से पहले उसकी पुत्री का जन्म हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, और लोगों को भी बोलना है और मुझे इसको आज समाप्त करना है।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : जलती हुई महिला ने एक पुत्री को जन्म दिया और आज वह मरणासन्न अवस्था में अस्पताल में पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है और इस पर हमको आत्म निरीक्षण करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हमको यह देखना चाहिए कि इस चातुर वर्ण की व्यवस्था को मिटाने के लिए जन्म से ऊंच-नीच को मानने की प्रथा का उन्मूलन किया जाये। इसके लिए हमको गंभीरता प्रयास करना होगा इसके लिए हमको मिल-जुलकर प्रयास करना होगा, पार्टी का भेद मिटा देना चाहिए, सबको मिलकर सोचना चाहिए कि समूचे राष्ट्र की अस्पृश्यता या ऊंच-नीच का जो कलंक है, इसे हम कैसे मिटा सकते हैं ? जब तक इसको नहीं मिटाएंगे तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, हम लोग चिल्लाते रहेंगे, एक-दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला वाला है। अगर आगरा में डी० एम० को सूचना हो गई थी और उन्होंने कार्यवाही नहीं की तो उसके लिए प्रधानमंत्री को आरोप लगाएं में क्या ? अगर डी० एम० ने आपको क्षमा करने का अवसर दे दिया तो क्या बड़ा भारी काम कर दिया ?

कुमारी मायावती : जब इस कांड को कराने में प्रधानमन्त्री का हाथ हो तो डी० एम० और एस० पी० क्या करेंगे ? (व्यवधान)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा कार्यवाही करने मात्र से ही या दण्ड देने या गिरफ्तार करने से इस तरह की घटनाओं में कमी नहीं आयेगी। इसकी जड़े बहुत गहरी हैं। जब तक हम जात-पात को समाप्त नहीं करेंगे तब तक इस तरह की घटनायें बन्द नहीं होंगी। हम सब लोगों को इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये और जात-पात और ऊंच-नीच के भेदभाव को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस साढ़े तीन बजे शुरू होना जरूरी है और मेरे पास बहुत से मैम्बरों के नाम हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : आप इसको नैक्स्ट वीक ले लें क्योंकि बहुत से मैम्बरों को इस पर बोलना है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आज ही इसको खत्म करना है तो इसको आगे ले जाया जाएगा। प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस ऐसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अत्यन्त संक्षेप में अपनी बात कहें तथा उन बातों को न दोहरायें जिन्हें पहले ही कह दिया गया है। सभी घटनाओं का भी उल्लेख न करें क्योंकि इन सभी मामलों में सच्चाई का पता लगाना संभव नहीं है। उन बातों पर अदालत में निर्णय किया जाना है अथवा उनके बारे में विस्तार से छानबीन की जानी है। इन बातों पर चर्चा करते समय आप व्यक्तिगत घटनाओं का उल्लेख कर सकते हैं यदि वे घटनाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं परन्तु छोटी-मोटी घटनाओं से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। यह मेरा अनुरोध है। आप इसके लिए बाध्य नहीं है परन्तु आप इसे ध्यान में रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, 22 तारीख को जो दुखद घटना हुई, मैं उस समय वहां मौके पर हाजिर था। मुझे मालूम था कि इस सम्मानित सदन में इन पर अवश्य ही चर्चा होगी। हमारा को पुराना तौर-तरीका एक दूसरे को आरोपित करने का है, उससे हम अभी तक निकल नहीं पाये हैं। हालात पर कैसे काबू पाया जा सकता है और ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इस पर हम सबको बैठकर विचार करना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि हमने वही पुराना तरीका अख्तियार किया हुआ है। कांग्रेस के लोग हमें इसके लिए दोषी ठहराते हैं और हम कहते हैं कि वह इसके लिये दोषी हैं। यहां बे-वजह के आरोप लगाये गये और बे-सिर-पैर की बातें कही गई जिनको सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई।** बोलने के लिए अगर कोई राष्ट्रीय पुरस्कार हो तो वह अवश्य ही मायावती जी को दे देना चाहिये। ···(व्यवधान)···

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

कुमारी मायावती : आपके लोगों ने ही वहां जाकर ये सब झगड़ा करवाया। आपकी पार्टी के नेता लोग उनके साथ मिले हुए थे···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों के बारे में नहीं बल्कि अत्याचारों के सम्बन्ध में बोलिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : यदि हमारे अपने ही सदस्यों पर अत्याचार किये जाते हैं तब आप क्या करेंगे ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके बोलते समय किसी को बीच में बोलने नहीं दिया। अब आप भी उनको बोलने दीजिये और उनको मत टोकिये।

कुमारी मायावती : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। जैसे कि सदन की परम्परा है कि कोई मैम्बर आफ पार्लियामेंट मिथ्या या झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। अतः उसको कार्यवाही में निकाला जाये। मैं अपनी पार्टी की एक जिम्मेदार सदस्य हूं और सदन में अपनी पार्टी की लीडर भी हूं। यह खुद तो कभी जनता दल में और कभी कांग्रेस में रहे हैं और अब गरीब लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनको कह दिया है कि वह रैकेंस न करें। अब वह ऐसा नहीं करेंगे।

श्री रामजी लाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, मायावती जी मुझे कांग्रेस का बता रही हैं जबकि मैं समाजवादी आन्दोलन से शुरू से जुड़ा हूं। अब तो इसके बारे में भी इन्हें सब बताना पड़ेगा ·· (व्यवधान) ··महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ सब बातें यहां कहना चाहता हूं। इस सम्मानित सदन में माननीय सदस्यों ने कई आरोप लगाये। यह बात सही है कि वहां लोग मारे गये और यह भी दुरुस्त है कि अभी भी 9 लोग लापता हैं जिनके बारे में यही मानकर चलना चाहिए कि उनकी हत्या हो चुकी है। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ने यह घोषणा की कि मृतक लोगों के परिवार वालों को एक लाख रुपया देंगे। जो अब इस दुनिया में नहीं हैं और जो लापता हैं उनके आश्रितों को भी आप उतनी इमदाद देने की कृपा करें जितनी अन्य लोगों को दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं 12 जून को वहां पर था। जिन स्थानों में तनाव हुआ मैंने उन सभी जगहों में जाने की कोशिश की और वहां के स्थानीय लोगों से भी मिला। मैंने 48 घण्टे का उपवास किया तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। यह भी कहा गया कि वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। यह एक सम्मानित सदन है। सदन में इस प्रकार के आरोप लगाना शोभा नहीं देता है। अगर मायावती जी किसी भी ऐसी महिला का नाम बता दें तो···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आपके भाषण के समय जैसे दूसरों को टोका गया है, वैसा ही अब भी बोलना पड़ेगा। आप उनको डिस्टर्ब मत करें। आप उनकी बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। आपका भाषण अच्छा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री रामजी लाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति बहुत स्पष्ट है। चूंकि यादव की बेटी की शादी पनवारी गांव में थी। शादी से पहले प्रशासन को इतना डी गई कि वहां कोई तनाव हो सकता है।

[श्री रामजी लाल सुमन]

आजादी के 40-42 वर्षों के बाद भी जो दलित, शोषित, पीड़ित हैं अब वह इस जिन्दगी में रहने को तैयार नहीं हैं जिसमें उनके कभी पुरखे रहे। उन लोगों में स्वाभिमान की, इज्जत की भूख पैदा हुई है। वह चाहते है कि उनकी बारात ठीक उसी तरह चलें जैसे दूसरे लोगों की चलती है। वह चाहते हैं उनका भी मान-सम्मान हो और उन्हें इस समाज में जीने का समान अधिकार हो व उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक न समझा जाये। एक ओर वह लोग थे तो यह चाहते थे कि हमारी बारात चढ़े, हम निर्धारित रास्ते से जायें और दूसरी ओर वह लोग थे जो यह समझते थे कि अगर उनकी बारात सड़कों पर आ गई तो वह हमारी शान के खिलाफ होगी। बारात ले जाने वाले न तो बी० एस० पी० के थे, न कांग्रेस के थे और न ही जनता दल के थे। बारात रोकने वाले एक मानसिकता को प्रतिबिम्बित करते थे। उनका किसी जाति-जमात से कोई सम्बन्ध नहीं था। सीधा-सादा सवाल है कि यह जो प्रतिक्रियावादी समाज है, यह अपनी मानसिकता से अभी भी समझौता करने को तैयार नहीं जबकि स्थिति यह है कि चौखे जाटव चाहता था कि उसकी बेटी की शादी हो, तमाम लोगों ने बहाने बनाये कि लड़की मेजर थी या माइनर थी, लड़का मेजर था या माइनर था लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं लड़की मेजर थी या माइनर थी, लड़का मेजर था या माइनर था, यह तो सवाल ही नहीं है लेकिन लोग अपना दिमाग बनाये बैठे थे कि किसी भी कीमत पर इस बारात को नहीं चढ़ने देना था, यही एक समस्या थी और उसी के चलते पूरा प्रकरण हुआ।

22 तारीख को मैं यहां दिल्ली में था। 22 तारीख को जब मैं सुबह पहुंचा तो आगरा में तनाव था और मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा, जाटवों का जो बड़ा मोहल्ला है, जगदीशपुरा, वहां 15-20 हजार लोग जमा थे, मैंने सभी लोगों से विनम्रता के साथ निवेदन किया था, हिन्दुस्तान का इतिहास यह बताता है कि जब कभी भी तनाव हुआ है, चाहे वह हरिजन लोगों के बीच और बड़े समुदाय के बीच हुआ हो अनुसूचित जाति के मध्य हुआ हो या बड़ी जातियों के लोगों के बीच, गरीब आदमी का अहित हुआ है, नुकसान हुआ है और हमें प्रयास करना चाहिए कि तनाव न हो। मैंने सब लोगों के सामने कहा था कि 50-100 लोग चलेंगे, पनवारी में और इस लड़की की शादी कराकर लायेंगे, मैं वहां से घर नहाने तक गया था, वहां कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र बोले, क्योंकि उस समय तो सबसे बड़ा नेता वह होता है जो ज्यादा उत्तेजना का भाव पैदा करता है, बोले 50-100 लोग अगर चलेंगे तो यह हमारी प्रतिष्ठा के खिलाफ है, जितने हजार लोग यहां हाजिर हैं, सबको बारात लेकर पनवारी में चलना चाहिए और यही कारण था, जब तनाव हुआ, उन जाटवों को रोकने के लिए नगला सोहनलाल पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी और संतोष नाम का एक लड़का मारा गया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी निवेदन करना है कि फोर्स का ध्यान दो जगह डाइवर्ट हुआ, शक्ति का दो जगह इन्हें इस्तेमाल करना पड़ा। एक जगह जहां पनवारी में जाटव हैं और दूसरे नगला सोहन लाल पर। वहां एक बूट फैक्टरी है, हजारों लोगों की पनवारी में जो भीड़ जमा हो गई थी, उसको नियंत्रित करने के लिए तो जाटवों में नगला सोहन लाल में संतोष नामक एक लड़का मारा गया। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था कि लोग दिमागी तौर से तैयार थे, इस बारात को नहीं ले जाने देना है लेकिन 20 तारीख की रात को बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने एक बयान दिया कि बारात के साथ हमारी भी एक रैली जरूर जायेगी। शादियों में रैली तो मैंने पहली बार सुनी है, मैं नहीं जानता···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मायावती जी, अब इसके बाद आप जो बोलेंगी, वह रिकार्ड में नहीं जायेगा यह मैं बता दूं।

श्री रामजी लाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, आपको उत्तेजित किया जा रहा है। मायावती जी की जितनी राजनीति है, उतना समय तो···(व्यवधान)···आप मुझे राजनीति मत सिखाइये। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था···

उपाध्यक्ष महोदय : मायावती जी, देखिए मैं आपकी सुविधा के लिए आपको यह पढ़कर बताता हूं :

[अनुवाद]

"यह वांछनीय है कि जहां तक हो सके, किसी भी सदस्य का उल्लेख नाम लेकर नहीं किया जाना चाहिए, अपितु उसका उल्लेख किसी अन्य उपयुक्त तरीके से, जैसे "वह सदस्य जो अन्त में बोलकर चुके हैं", "वह सदस्य जो" निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं" "···से सदस्य आदि।" अगर बहुत ही जरूरी हो तो सदस्य का पूरा नाम लिया जाये।"

कृपया यहां उनके नाम का उल्लेख करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जो इस तरह के हालात पैदा हुए और इसके बाद प्रतिक्रिया हुई, यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पनवासे में मौके पर एक व्यक्ति मारा गया, एक नगला सोहन लाल में मारा गया, अकोला में 74 लोगों के हाथ-पैर तोड़े गये, श्याम लाल की बगिया जो 40 घरों की थी, लूट ली, 85 घरों में आग लगा दी, पचायत खेड़ा में अत्याचार हुए, हजारों लोगों को इसमें चोटें आईं···जातिगत तांडव नृत्य इस हद तक हुआ कि उसकी कोई सीमा नहीं रह गई थी। लोगों को पकड़ा गया और उनकी मार-पिटाई की गई। जाटव लड़के के एक मित्र को पकड़ा गया तो उसने कहा कि मैं तो मुसलमान हूं। उसको नंगा करके देखा गया, दूसरे मित्रों को भी फिर जाने दिया कि ये भी मुसलमान होंगे। अत्याचार की जितनी आलोचना की जाए, उतनी कम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल को सियासी सवाल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब कुछ मित्रों ने चर्चा की और कहा कि देवताओं का राज चला गया, राक्षसों का राज आ गया और हरिजन उसी राज में हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन् 1980 से सन 1988 तक कांग्रेस का राज रहा और उस दौरान भी हरिजनों की हत्यायें हुई हैं। मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं—

वर्ष	हत्या	हिंसक वारदातें
1980	500	1411
1981	493	1492
1982	514	1427
1983	575	1362
	(व्यवधान)	
1984	551	1458
1985	489	1357

1986	563	1406
1987	495	1503
1988	579	1557

इसी प्रकार बलात्कार की संख्या 1980 में 551 है और यह सिलसिला इसी प्रकार बढ़ता रहा तथा अन्य प्रकार के अत्याचार 1980 में 10,413 हुए। ये अत्याचार बढ़ते ही रहे, कम नहीं हुए। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस राज में जो कुछ हुआ, कांग्रेस के मित्र उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे यहां किसी भी दलित का अपमान होता है, उसकी जिन्दगी ली जाती है, तो राज चाहे किसी का भी हो, वह उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनायें न हों। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा अपने दिल के मित्रों से, खास तौर से अपनी कम्युनिस्ट पार्टी से, बी० एस० पी० से, बी० जे० पी० से और सभी दलों के लोगों से, कि वे इस मसले पर विचार करें। मैंने अपनी रपट पार्टी के अध्यक्ष को प्रस्तुत की थी और मैंने कहा था कि पार्टी का कोई डैलीगेशन जाना चाहिए, दिल्ली से कोई जिम्मेदार व्यक्ति जाना चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना कुछ होते हुए भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति जाता है, वह अपनी रपट दे देता है। जनता दल के दस लोगों ने रपट दी। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने पिछले सात-आठ महीनों में बहुत अच्छा काम किया है, कमजोर वर्गों की सुविधाओं के बारे में, लेकिन उनका संदेश और पैगाम हम लोगों की मारफत जनता के पास जा रहा है इसलिए मैं अपने दल के मित्रों से कहना चाहूंगा कि उनकी तरफ से प्रयास भी सार्थक नहीं रहे। मुझे एक और निवेदन करना है, स्थिति तनावमुक्त बनाने के लिए दो तरह के प्रयास हो सकते थे। एक प्रयास हो सकता है प्रशासनिक और दूसरा प्रयास विभिन्न राजनीतिक दलों को बैठाकर सोचें कि तनाव कैसे कम हो। हम लोग उपवास करें और लोगों को भरोसा दिलायें कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बेवजह किसी बेगुनाह व्यक्ति की जिन्दगी लेने की कोशिश करेगा, तो हम अपनी जान की बाजी लगाकर उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। लेकिन यह काम वहां नहीं हुआ और एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी रहा और एक सार्थक रोल जो विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से होना चाहिए था, वह सार्थक रोल राजनीतिक दलों का नहीं रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस घटना की जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है, लेकिन मैं मजबूती के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया, दोषारोपण के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया। हम बराबर प्रयास करते रहे और एक दूसरे को कहते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। दस लाख की इमदाद देने का काम प्रधान मन्त्री जी ने किया है, मेरी आज ही उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने कहा था कि यह नहीं के बराबर सहायता है दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हजारों लोग आगरा में पड़े हुए हैं, करफ्यू लगा है, जो गरीब परेशान हुए हैं, उनका रोजगार चौपट हुआ है, उन हजारों लोगों का विश्वास टूटा हुआ है मैं उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। सरकार ने काफी इमदाद देने की कोशिश की, लेकिन जब तक लोगों का आपस में विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक लोग उस जगह पर जाने को तैयार नहीं होंगे सरकार को चाहिए कि कमजोर वर्ग के लोगों में विश्वास पैदा करे, सरकार को चाहिए कि जो इमदाद अधिक-से-अधिक सम्भव हो, वह इमदाद देने की कोशिश करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं राष्ट्रीय समस्या के सिलसिले में हम लोग गंभीरता के साथ सोचें। मैं समाजवादी आन्दोलन का एक कार्यकर्ता रहा हूं, इस बात का मुझे फख्र है, लेकिन अब

विचारों की राजनीति समाप्त हो रही है। असेम्बली में, पार्लियामेंट में हमें कैसे जाना है, बूथ कैप्चर कहां करवाना है, कितने लोगों को मरवाना है, किस जाति की इक्वेशन क्या बनती है ? सिर्फ राजनीति यही रह गई है। लेकिन समर्पित भाव से शोषण के खिलाफ खड़े होकर लोगों को ललकारना और यह कहना कि प्रतिक्रियावादी और सामन्तशाही शक्तियों का हम डटकर पुरजोर मुकाबला करेंगे, ये सिलसिला हमारे देश में बन्द हो गया, उस सिलसिले को कायम करने की आवश्यकता है। पार्टी की विचार गोष्ठियां, पार्टी के ट्रेनिंग कैम्प्स, वे सब खत्म हो गये, जब तक समर्पित कार्यकर्ता पैदा नहीं होंगे, जब तक ऐसे नौजवान नहीं निकलेंगे, जो इस समाज में फैली कुरीतियों को दूर करें, तब तक इस देश से इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां दूर नहीं हो सकेंगी, राष्ट्र की समस्या पर हम काबू नहीं पा सकेंगे। (व्यवधान)

कुमारी मायावती : आपने भी इनकी बात को सुन लिया। लेकिन मैं कह रही हूं कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आगरा में नहीं गए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में चर्चा की जा रही है। मैं इस सदन में काफी लम्बे अर्से से हूं। जहां तक मुझे याद है, हम इस मुद्दे विशेष अर्थात् अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, हरिजनों अथवा गिरिजनों पर हुए अत्याचारों की समस्या पर प्रत्येक सत्र में तथा कभी-कभी दो बार भी चर्चा कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्या एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है। पिछले बयालीस वर्षों से हमने इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया है। कभी-कभी इस समस्या के साथ सामाजिक अस्पृश्यता की समस्या पर भी चर्चा की जाती है। परन्तु हम कभी भी इस समस्या के बारे में गहराई से विचार नहीं करते है। यदि हम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट 1 से लेकर 8 तक को पढ़े तो हम देखेंगे कि उन पर अत्याचार होने का मुख्य कारण भूमि सुधार है। हमने भूमि-सुधार की इस समस्या को सुलझाने की कभी कोशिश नहीं की। हमारा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामन्तवादी व्यवस्था पर टिका हुआ है। हमारी अर्थ-व्यवस्था पूंजीवादी है। पिछले बयालीस वर्षों से भारत में कांग्रेस ही मुख्यत: सत्ता में रही है। यह सही है कि निश्चित रूप से उन्होंने ही इस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया परन्तु आज वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में इतनी सारी बातें कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों तथा गिरिजनों पर किए गए अत्याचारों को उद्धृत करते हुए श्री राम प्रीतम सुमना ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। दिन पर दिन स्थिति और खराब होती जा रही है। हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह हमारा सामाजिक स्वरूप है, यह हमारी अर्थव्यवस्था है। वही इन सब बातों के लिए जिम्मेदार हैं। आगरा में जो हुआ था ? हम सभी इस घटना की भर्त्सना करते हैं। यह एक शर्मनाक घटना है। परन्तु इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं केवल आगरा तथा उत्तर प्रदेश में ही नहीं घटती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमर राय प्रधान। आप अगली बार अपना भाषण पूरा कर सकते हैं।

अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों को लेंगे।

श्री रामेश्वर प्रसाद।

———

3.30 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 6 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 9 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

3.31 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 23 क, 23 ख तथा 23 ग का अन्तःस्थापन)

श्रीमती वासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती वासव राजेश्वरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

———

3.31½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(दसवीं अनुसूची में संशोधन)

श्रीमती वासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

* दिनांक 10 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित ।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती वासव राजेश्वरी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

———

3 32 म० प०

आयुर्विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा की नि.शुल्क व्यवस्था विधेयक*

श्रीमती वासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि सभी छात्रों के लिए आयुर्विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा की नि:शुल्क व्यवस्था करने और तत्संबंधी मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभी छात्रों के लिए आयुर्विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा की नि.शुल्क व्यवस्था करने और तत्सम्बन्धी मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती वासव राजेश्वरी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

———

3.32½ म० प०

चिकित्सा तथा अभियन्ता (विदेश प्रवास पर पाबन्दी लगाना) विधेयक*

श्रीमती वासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि चिकित्सकों तथा अभियन्ताओं के विदेश प्रवास पर पाबन्दी लगाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चिकित्सकों तथा अभियन्ताओं के विदेश प्रवास पर पाबंदी लगाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती वासव राजेश्वरी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

———

* दिनांक 10 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

3.33 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 341 और 342 में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.33½ म० प०

सिविल सेवकों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयक*

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल सेवकों की आस्तियों की घोषणा और लोक संपीक्षा के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल सेवकों की आस्तियों की घोषणा और लोक संपीक्षा के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.34 म० प०

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(नए अध्याय 5क का अन्त:स्थापन)

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं । कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

* दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.34½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 48क आदि का अन्त:स्थापन)

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.35 म०प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

(धारा 8 आदि में संशोधन)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.35½ म० प०

पर्यावरण संरक्षण परिषद विधेयक*

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी

*दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित ।

के संरक्षण के लिए केन्द्र, प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में एक परिषद के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए केन्द्र, प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में एक परिषद के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.36 म०प०

फसल बीमा विधेयक*

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राकृतिक तथा अन्य विपत्तियों से फसलों को हुई हानि से कृषकों की संरक्षा करने के लिए एक व्यापक फसल बीमा स्कीम तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्राकृतिक तथा अन्य विपत्तियों से फसलों को हुई हानि से कृषकों की संरक्षा करने के लिए एक व्यापक फसल बीमा स्कीम तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.36½ म० प०

लोक हित अभियोग विधेयक

डा० पी० वल्लल पेरुमान (चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक हित अभियोगों को मान्यता देने और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक हित अभियोगों को मान्यता देने और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० पी० वल्लल पेरुमान : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

*दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

3.17 म०प०

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (कल्याण संघों को मान्यता) विधेयक*

डा० पी० वल्लल पेरुमाल (चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी कल्याण संघों को मान्यता तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी कल्याण संघों को मान्यता तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० पी० वल्लल पेरुमाल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

— — —

3.37½ म०प०

वृद्धावस्था पेंशन और पुनर्वास विधेयक*

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन का संदाय करने और अन्य पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन का संदाय करने और अन्य पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

— — —

3.38 म०प०

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक*

(धारा 3 आदि के स्थान नई धारा का प्रतिस्थापन)

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

*दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.38½ **म०प०**

समाचार-पत्र में उत्तर प्रकाशित कराने का अधिकार विधेयक*

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसाधारण को समाचार-पत्रों में उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों या उनके विषय में मिथ्या समाचार देने या मिथ्या निरूपण करने के बारे में उत्तर प्रकाशित कराने का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनसाधारण को समाचार-पत्रों में उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों या उनके विषय में मिथ्या समाचार देने या मिथ्या निरूपण करने के बारे में उत्तर प्रकाशित कराने का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.39 **म०प०**

मृत्यु दण्ड उत्पादन विधेयक*

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में मृत्यु दण्ड का उत्पादन करने हेतु उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में मृत्यु दण्ड का उत्पादन करने हेतु उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

*दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

3.39½ म० प०

सामाजिक नि:शक्तताओं का निवारण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने समुदाय के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों पर सामाजिक नि:शक्तताओं के अधिरोपण का निवारण करने तथा ऐसे कार्य या कार्यों के लिए शास्तियों और तत्संगत विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने समुदाय के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों पर सामाजिक नि:शक्तताओं के अधिरोपण का निवारण करने तथा ऐसे कार्य या कार्यों के लिए शास्तियों और तत्संगत विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.40 म० प०

अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक*

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिवक्ताओं को सेवा-निवृत्ति फायदों के संदाय के लिए कल्याण निधि के गठन के लिए और तत्सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ताओं को सेवा-निवृत्ति फायदों के संदाय के लिए कल्याण निधि के गठन के लिए और तत्सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

3.40½ म० प०

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 376 में संशोधन)

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

---

* दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.41 म० प०

आतंकवाद के पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक*

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को मासिक पेंशन का संदाय करने और अन्य सुविधाएं देने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को मासिक पेंशन का संदाय करने और अन्य सुविधाएं देने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० के० वी० थामस : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.41½ म० प०

मुम्बई उच्च न्यायालय (कोल्हापुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ (कोल्हापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की कोल्हापुर में स्थापना करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मुम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की कोल्हापुर में स्थापना करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

---

* दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित ।

3.42 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 370 का लोप)

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.42½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(आठवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.43 म० प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची में संशोधन)

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

* दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० एस० राव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.43½ म० प०

धर्म-स्वातंत्र्य विधेयक*

श्री बाबेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बल का प्रयोग करके या उत्प्रेरणा अथवा कपटपूर्ण साधनों द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन पर प्रतिषेध और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बल का प्रयोग करके या उत्प्रेरणा अथवा कपटपूर्ण साधनों द्वारा एक धर्म से दूसरे में संपरिवर्तन पर प्रतिषेध और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बाबेन्द्र दत्त : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.44 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 29 आदि में संशोधन)

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुधीर गिरि : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.44½ म० प०

वास्तुविद (संशोधन) विधेयक*

(धारा 25 में संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत।

---

*दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2 खंड-2 में प्रकाशित।

श्री के० राजमूर्ति (कृष्णागिरि) : महोदय, विधेयक संख्या संख्या 22, जो श्री पी० आर० कुमारमंगलम के नाम पर है, और विधेयक संख्या 34, जो श्री हरीश रावत के नाम पर है, एक समान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि दोनों एक जैसे हों किन्तु उनकी विषय-वस्तु अलग हो।

श्री हरीश रावत।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.45 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 335 में संशोधन)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.45½ म० प०

रोजगार उपलब्ध कराना विधेयक*

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक वयस्क बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देने या उसके बदले में बेरोजगारी भत्ते का संदाय करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

* दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

"कि प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देने या उसके बदले में बेरोजगारी भत्ते का संदाय करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० महादेव शिवनकर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.46 म० प०

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक*

(धारा 2 आदि में संशोधन)

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० महादेव शिवनकर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.46½ म० प०

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक*

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० महादेव शिवनकर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

* दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

3.47 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 31 में अन्त:स्थापन)

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० महादेव शिवनकर : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.47½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 311 में संशोधन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.48 म० प०

आवश्यक सेवा (निरसन) विधेयक*

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट अनुपस्थित हैं।

श्री तेज नारायण सिंह, जब मैंने आपका नाम विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए पुकारा था, तो आप उपस्थित नहीं थे। क्या अब आप विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक हैं ?

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : जी, हां।

3.48½ म० प०

किसान और कृषि कर्मकार लाभ निधि विधेयक*

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसान और कृषि कर्मकारों के लाभ के लिए एक निधि गठित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसान और कृषि कर्मकारों के लाभ के लिए एक निधि गठित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री तेज नारायण सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोढा, क्या आप अब भी विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक हैं ?

श्री गुमान मल लोढा : जी हां, महोदय।

3.49 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 48 आदि में संशोधन)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गुमान मल लोढा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खण्ड-2 में प्रकाशित।

3.49½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(आठवीं अनुसूची में संशोधन)

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जावे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयकों को विचारार्थ और पारित करने के लिए लेते हैं।

पिछली बार हम युवा विधेयक पर विचार कर रहे थे। श्री तेज नारायण सिंह बोल रहे थे। यदि आपको याद हो, तो आप कुछ समय पूर्व उस पर बोल रहे थे। क्या आप उस पर आगे और कुछ कहना चाहते हैं ?

3.50 म० प०

युवा विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री हुमायूं मोल्लाह द्वारा 26 अप्रैल, 1990 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार होगा, अर्थात :—

"कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने सम्बन्धी उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री तेज नारायण सिंह अपना भाषण जारी करें। उन्होंने पहले ही छः मिनट का समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष जी, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में करीब 4 करोड़ लोग बेकार हैं जिनमें एम० ए०, बी० ए० पास और डाक्टर्स एवं इंजीनियर्स हैं। यह बेकारी की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि 8 महीने की सरकार ने बेकारी की समस्या ला दी है लेकिन सरकार के आंकड़े देखे जायेंगे तो मालूम होगा कि 1952 से लेकर आज तक कोई भी योजना बेकारी की समस्या को हल करने के लिए बनी लेकिन कोई सफल नहीं हुई है। अब यह एक अधिकार मिलना जरूरी है और उसको टैस्ट किया जायेगा कि उस अधिकार को पाने के बाद बेकारी की समस्या

* दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

[श्री तेज नारायण सिंह]

समाप्त हो सकती है या नहीं? अभी संविधान में काम पाने के अधिकार को नहीं जोड़ा गया है। मौजूदा सरकार ने एलान किया है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे जिसके पश्चात् तमाम बेरोजगारों और बेकार नौजवानों को हक होगा कि यदि सरकार काम नहीं देती है तो सिविल कोर्ट या कम्पीटेंट कोर्ट में मुकद्दमा फाइल करके काम ले सकते हैं। यदि इस तरह का प्रावधान संविधान में हो जाये, या आर्टिकल 16 में एक नया अंश जोड़ दिया जाये तो बेरोजगार नौजवानों की समस्या हल हो सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बेकार नौजवानों की समस्या का हल अभी नहीं हो सकता है और इसका नतीजा यह होगा कि अभी तो हम हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जब ये बेकार नौजवान अपने हक के लिए रोड पर आ जायेंगे तो उनके विषय में भी हमको विचार करना बहुत जरूरी हो जायेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सरकार बेकार नौजवानों को तमाम जगहों पर काम देने की व्यवस्था करे। अभी हमारे बिहार के बेरोजगार नौजवान यहां दिल्ली में हैं जिनकी संख्या 5 लाख से कम नहीं होगी। ये लोग कहीं कारखानों में, छोटी-छोटी दुकानों पर काम करते हैं और अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। ये लोग केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा में कटिया का भी काम करते हैं। यदि हमारे यहां (बिहार में) सिंचाई का इन्तजाम हो जाये तो जितने बेकार लोग हरियाणा और पंजाब में जाते हैं, सोअन के दिनों में अगहन के दिनों में एवं चैत के दिनों में कटिया और अग्रहनी की फसल के लिए बिहार में लौटकर नहीं आना पड़ता लेकिन सरकार ने कुछ इन्तजाम नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम आलोचना करते हैं तो कांग्रेस के बुजुर्ग लोग नाराज हो जाते हैं कि हम कांग्रेस के लोगों की आलोचना क्यों करते हैं? कानून के मुताबिक यदि 12 वर्ष से कम उम्र का लड़का कोई ऑफेंस करता है तो वह पनिशेबल नहीं है। अगर 12 वर्ष से अधिक की उम्र का लड़का ऑफेंस करता है तो कानून कहता है कि यह पनिशेबल है। आप लोग 8 महीने की समय की सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन 42 वर्ष की सरकार की आप आलोचना क्यों करने लगे? यदि इन 42 वर्षों की कांग्रेस सरकार के समय में नौजवानों की समस्या को हल किया गया होता तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती और यदि देश की और समस्याओं को हल किया गया होता तो आज देश की यह हालत भी नहीं होती। इसलिए कांग्रेस के भाईयों को इस पर नाराज नहीं होना चाहिए बल्कि अपने पीछे के दस्तावेजों को देखना चाहिए कि हमने क्या किया है आपने अगर अच्छा काम किया होता तो देश की स्थिति यह नहीं होती क्योंकि आपके आंकड़े ही बता रहे हैं कि देश में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं।

एक माननीय सदस्य : अरे, हम नाराज नहीं हैं।

श्री तेज नारायण सिंह : आप केवल नाराज ही नहीं होते हैं बल्कि झगड़ा करने को तैयार होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह ऑफेंस जनता दल ने नहीं किया है क्योंकि इसकी उम्र ही अभी 8 महीने की है। यह ऑफेंस तो 42 साल की उम्र वालों ने किया है जिन्होंने अपने 42 साल के समय के दरमियान भी समस्या का समाधान नहीं किया है। यह सब स्थिति आपकी दी हुई है जो हम लोग रोड पर मारे-मारे फिरते हैं। उसमें चाहे आपका बेटा हो या हमारा बेटा हो वह बी० ए०, एम० ए० पास कर लेता है और घर के मालिक पर बोझ बन जाता है। वह कहीं भी जाता है तो नौकरी नहीं कर पाता है। आपने तो 1975 के बाद कोई भी बहाली नहीं की है, अब जनता दल को यह बहाली खोलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता दल की सरकार बेकार नौजवानों को

रोजगार देने की व्यवस्था करेगी। अगर यह सरकार भी व्यवस्था नहीं कर सकी तो उसका भी यही हाल होगा जो पहली सरकार का हुआ है। इसलिए इस सदन में बैठे हुए लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें कि बेकार नौजवानों को काम देने की व्यवस्था करें। एक साथी ने कहा कि इससे भी खराब हालत होगी, यह तो समय ही फैसला करेगा कि आपसे खराब होगी या नहीं ? लेकिन मौजूदा समय में आपकी हालत बहुत खराब है, जबकि आप सरकार में नहीं हैं, तब भी देश में चारों तरफ आपकी आलोचना हो रही है। जनता दल की सरकार की आलोचना होती है, लेकिन लोग इतना ही कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई घटाइये। कोई यह नहीं कहता कि कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाया जाये। इसलिए आपकी हालत अब भी ठीक नहीं है।

अन्त में, इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता दल की हकूमत संविधान के आर्टिकल 16 में एक नया क्लॉज जोड़े जिससे कि देश के तमाम बेकार नौजवानों को यह अधिकार मिल सके कि आज के बाद चाहे किसी भी पार्टी की सरकार सत्ता में आये, यदि वह नौजवानों के हित में काम नहीं करती है, बेकार नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं करती है तो वे कोर्ट में मुकदमा दायर करके अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें।

[अनुवाद]

श्री भान्वाता सिंह (लखनऊ) : मैं वास्तव में इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता का आभारी हूं, जिसके अन्तर्गत एक अत्यधिक ज्वलन्त समस्या की ओर इस गरिमापूर्ण सदन और राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया गया है। मेरे मित्र ने अभी जो कुछ कहा, वह इस प्रकार है : वे 42 वर्ष के शासन और 8 माह के शासन के बारे में बात कह रहे थे। उस विषय में, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा।

मैं सामान्य रूप से यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण समस्या इस वास्तविकता पर निर्भर करती है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक हम कोई ऐसी स्पष्ट सामाजिक-आर्थिक नीति नहीं बना सके हैं जिसके द्वारा इस देश की श्रम शक्ति का उपयोग किया जा सके। उन्हें युवक कहिये, विद्यार्थी कहिये, शिक्षित बेरोजगार कहिए अथवा अशिक्षित बेरोजगार कहिए, इसमें देश की समस्त सामाजिक-आर्थिक आयोजना आ जाती है तथा योजना बनाने से पूर्व हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि एक दोषरहित योजना बनाने के लिए कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं।

सौभाग्य से, हमारे योजना राज्य मंत्री यहां मौजूद हैं तथा मानव संसाधन विकास मंत्री और विधि और न्याय मंत्री भी इस अवसर पर विराजमान हैं। अतः, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के इन सभी वर्षों में हमसे जो गलती हुई है, वह यह है कि यद्यपि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में शिक्षा को सर्वसुलभ कराने की बात की गई है, काम का अधिकार भी किसी न किसी प्रकार से उन नीति निर्देशक सिद्धान्तों में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार प्रपत्र का एक आवश्यक अंग है। यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई घोषणा का एक हिस्सा है और वास्तव में यह राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल के घोषणा-पत्र का भी एक हिस्सा है और यदि इसका वहां जिक्र वहां नहीं भी किया जाता, तो समय का तकाजा यह है कि हमें अपनी नींद से, गहरी नींद से जागना चाहिए और पूरे राष्ट्र की सभियों, सासकों और सांसदों, राज्यों और केन्द्र के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में इस बात की चेतना जगानी चाहिए कि हमें देश में सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति लाने के लिए गहनता से विचार करना होगा। क्रान्ति का तात्पर्य सड़कों पर खून बहाने से नहीं है, क्रान्ति का मतलब हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है, क्रान्ति का मतलब आखून

[श्री मान्धाता सिंह]

परिवर्तन से है, परन्तु आमूल परिवर्तन की क्या बात करें, सबसे दुखद बात यह है कि हम सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और क्रान्ति की सारी बातें भूल गये हैं और हमारे सामने कट्टरपंथी ताकतें, सामन्तवादी ताकतें और जातिवादी तत्व उभरकर आ रहे हैं।

4.00 म० प०

क्षितिज के आस-पास सामन्ती शक्तियों और जातिवादी तत्वों की उपस्थिति दिख रही है। वे सारे राष्ट्र को अपने में समेटे से प्रतीत होते हैं और भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता की बातें पृष्ठभूमि में चली गई है। सबने इसे भुला दिया है। आपको यह अवश्य याद होगा। हमारे वरिष्ठतम नेता, प्रो० रंगा यहां है। उन्हें उन पुराने अच्छे दिनों की याद है, जब स्वतन्त्रता की लड़ाई में हम राष्ट्रीय एकता का प्रयास कर रहे थे। स्वतन्त्रता के पश्चात 'भावनात्मक' शब्द को इसमें जोड़ दिया गया था। इसलिए, अब कोई भी भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता की बात नहीं करता है। सब जातिगत प्रभुता और सांप्रदायिक प्रभुता के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हम पंजाब की स्थिति पर विचार करें या कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करें। आज सुबह ही कश्मीर के मामलों पर चर्चा करते समय, कश्मीर के मामलों का हवाला देते समय बहुत गहमागहमी हुई थी। जब हम अध्यादेश को निरस्त करके इसके स्थान पर आवश्यक कानून बनाएंगे जिससे कश्मीर में सैन्य शक्ति के प्रयोग का अधिकार मिल जाएगा, तब माहौल और भी गर्म हो सकता है। प्रतिदिन हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं, प्रतिदिन हम गोलीबारी इत्यादि की बात करते है। आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। आप युवकों को किसी भी नाम से बुला सकते हैं, कश्मीर में उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कहें; पंजाब में आतंकवादी और असम में संयुक्त असम मुक्ति मोर्चा (उल्फा) इत्यादि; बोडो आन्दोलनकारी और तमिलनाडु दक्षिणी बिहार और देश के अन्य भागों में उन्हें नक्सलवादी कह सकते हैं। किन्तु कटु सत्य सामने है, मैं इस सत्य पर जोर देना चाहता हूं, कि जब तक युवकों की समस्या का उचित रूप से, माननीय दृष्टिकोण से और संविधान में रहकर समाधान नहीं किया जाएगा यह स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जायेगी। आप उन्हें कुछ भी कह कर बुला सकते हैं। आप उन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं। आप कहीं भी, देश के किसी भी हिस्से में कितनी भी सैन्य शक्ति भेज सकते हैं। केवल इसलिए कि हम समस्या की जड़ तक पहुंचने में असफल रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समस्या की जड़ क्या है? जड़ यह है। उस दिन मैंने सलाहकार समिति की बैठक में इस बारे में कुछ कहा था। हमारे योजना मन्त्री वहां थे। मैं इसकी सूचना पूरे सदन को देना चाहता हूं, यद्यपि अधिक उपस्थिति नहीं दिख रही है। सभी चाहते हैं कि उनकी बात अधिक से अधिक लोग सुनें और इस समय सभी दीर्घाएं खाली पड़ी हैं। इसलिए जब ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही हो, तो कोई भी सदन में उपस्थित नहीं रहना चाहता। किन्तु, फिर भी, मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित कराना चाहता हूं। मैं उन सदस्यों का अनुगृहीत हूं जो धैर्य से मुझे सुन रहे है। हमें अवश्य समझना चाहिए कि इन 42 वर्षों या 43 वर्षों में हमने गलत ढांचे पर आधार बनाया है। मैंने योजना सलाहकार समिति की बैठक मे भी यही कहा था। मैं आर्थिक स्वरूप के बारे में बात कर रहा हूं। आधार सामन्ती है या अच्छी से अच्छी दशा में, आप इसे अर्द्ध-सामन्ती कह सकते हैं। इसका आधार सामन्ती है और मैं फिर इसे दोहराना चाहता हूं कि अच्छी से अच्छी दशा में आप इसे अर्द्ध-सामन्ती कह सकते हैं, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम इत्यादि के कारण इसका श्रेय वरिष्ठ लोगों जैसे प्रो० रंगा और

अन्य को और किसान सभा और मजदूर संघों को जाता है जिन्होंने यह किया है उन छोटे अभिलेखों के कारण।

भारत एक ग्रामीण देश है। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सामन्ती है, यह सामन्ती अथवा अर्द्ध-सामन्ती रह गया है, और वह ढांचा जो पिछले चार दशकों में सामने आया है, जिसे हाथसे-चूसते तैयार किया गया है। वह पूंजीवादी है। मैंने पूंजीवाद का इतिहास सुनाया है।

हमारे अनेक वरिष्ठ साथियों ने ऐसा किया होगा। पूंजीवाद को एक ऐसी विकासोन्मुख शक्ति माना गया, जिसके उदय से यूरोप में सामन्तवाद के चिन्ह समाप्त हो गए। फ्रांस की क्रान्ति से स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुता का युग, अर्थात संसदीय लोकतन्त्र सामने आया। और फ्रांस की क्रान्ति के बाद सामन्तवाद के सभी चिन्हों की समाप्ति के साथ यूरोप की भूमि पर पूंजीवाद का जन्म हुआ। किन्तु बड़े दुर्भाग्य से ये दोनों आज 1990 में भी जारी हैं। जब हम इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं तो आधार सामन्ती है और इसका ढांचा पूंजीवाद है और—मैं आपकी अनुमति के साथ यह भी कहना चाहूंगा – महान-ढांचा, जो इसके ऊपर का गुम्बज है वह अब के साम्राज्यवाद का नया नाम नव-उपनिवेशवाद है। हम-बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों आदि की बात करते हैं और इस आर्थिक साम्राज्यवाद या साम्राज्यवाद ने अपना रंग बदल लिया है। इसमें गोरे व्यक्ति के होने की आवश्यकता नहीं है। जिसे वे गोरे व्यक्ति का भार कहा करते थे उसने अपना रंग बदल लिया है। इसने आर्थिक साम्राज्यवाद का रूप ले लिया है और यह अपना रूप बदलकर, विश्व बैंक ऋण, और बहुराष्ट्रीय सहकारी समितियां इत्यादि के रूप में प्रगट हुआ है।

इसलिए, मेरा निवेदन है कि आधार सामन्ती है, ढांचा साम्राज्यवादी है और महान ढांचा, इसके ऊपर जो गुम्बज बना हुआ है जैसा उस गुम्बज के समान – यहां इस गुम्बज के समान—यह नव-उपनिवेशवाद और आप इसे हमारे सिर के ऊपर बैठा हुआ आर्थिक साम्राज्यवाद कह सकते हैं। इससे ही हमारी आर्थिक नीतियां यहां तक कि शिक्षा नीतियां निर्धारित होती हैं। किसी की भी भावनाओं को इस बात से चोट नहीं पहुंचनी चाहिए कि अब तक हमारी अधिकतर श्रम और शिक्षा नीतियों को निर्धारण विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेश से किया गया है, क्योंकि वे कहते हैं, "हम आपको धन केवल अमुक शर्तों पर देते हैं।"

अतः यह एक बहुत गम्भीर स्थिति है और राष्ट्र संट रहा है। युवा वर्ग निराश हो रहा है और इस निराशा में वे कुछ कर रहे हैं। मैं अध्यापक रह चुका हूं और देश के शिक्षा अन्धकार का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए, इसके साथ श्रमिक वर्ग और आम आदमी जुड़ा हुआ है। अध्यापक के रूप में मैं मनोविज्ञान का छात्र रहा हूं और जब हम एक बच्चे या युवक के मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक हताश युवा—मैं इसे राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रायः कहता हूं और इसे दोहराना अनुचित नहीं होगा – समाज के लिए एक गम्भीर खतरा है। एक हताश युवा समाज के लिए एक गम्भीर खतरा है और इस हताशा से मोहभंग हो जाता है। वे नेतृत्व में विश्वास नहीं करते, वे विश्वास को नहीं मानते, वे हताश हो जाते हैं, वे निराश हो जाते हैं, वे गलत रास्ते अपना लेते हैं। यदि कोई उन्हें अनुदान देता है तो वे उसका आजादी से उपयोग करते हैं। यदि कोई उन्हें कुछ बनाने को कहता है तो वह खुशी से कर देगा।

सिर्फ दो या तीन दिन पहले हमने सुना कि कलकत्ता में भी कुछ आवश्यकी की वस्तुओं की बढ़ोतरी हुई यहां वामपंथी मोर्चे की सरकार है। किन्तु कीमतों में वृद्धि या जो भी तत्काल कारण हो, हताशा ही इसका

[श्री मान्धाता सिंह]

मुख्य कारण है। इसलिए, इस हताशा से बचना है। और एक अध्यापक होने के नाते मेरी आत्मा अपराधी महसूस करती है क्योंकि, शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग और राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्टों आदि के बावजूद हम एक स्पष्ट शिक्षा नीति निर्धारित करने में सफल नहीं हो पाए हैं। मैं आजाद भारत के आयोग और समितियों के बारे में कह रहा हूं, पुराने आयोगों की नहीं। उस मुदालियर आयोग का क्या हुआ ? मैंने इसे पढ़ा है। कई वर्ष पहले, मुदालियर आयोग ने शिक्षा के लिए केवल तीन ध्येय रखे थे। मैं वे बताना चाहूंगा। इससे सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी मिलेगी। कई दशक पहले, मुदालियर आयोग ने लिखा था कि शिक्षा के केवल तीन ध्येय हैं। वे हैं :

1. एकीकृत और गतिशील व्यक्तित्व का सृजन।

क्या हम कह सकते हैं कि हमारे छात्रों के या युवा के व्यक्तित्व, एकीकृत और गतिशील है ?

2. देश में स्वस्थ नागरिकता का सृजन।

3. हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे युवा वर्ग धन अर्जन की क्षमता प्राप्त कर सकें।

आज हम कई योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं किन्तु इन तीनों में से कोई एक भी ध्येय की पूर्ति हुई नजर नहीं आती। एक गतिशील और एकीकृत व्यक्तित्व का सृजन, कौन-सी गतिशील और एकीकृत ? मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति एक विखंड व्यक्तित्व है। 'विखण्ड व्यक्तित्व' से मेरा यह अर्थ है। मेरे अध्यापक मुझे संस्कृत में पढ़ाया करते थे —मैं इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित कराना चाहता हूं, यह मेरे संस्कृत अध्यापक के प्रति मेरी श्रद्धांजलि होगी —

'मनस्येकम्, वचस्येकम्, कर्मण्येकम् महात्मन :'

"महात्मा" की परिभाषा क्या है ?

'मनस्येकम्'

मैंने रिपोर्टरों के फायदे के लिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है।

सोचने, बोलने और करने में एकरूपता।

[हिन्दी]

जो सोचे, वही बोले, वही करे।

[अनुवाद]

महात्मा की यह परिभाषा है।

[हिन्दी]

महात्मा माने यह नहीं कि लंगोटी लगाकर जंगल में जाकर बैठ, वह महात्मा है। इसी का रिवर्स मनस्यन्यत, वचस्यन्यत, कर्मण्यन्यत, दुरात्मनाम।

[अनुवाद]

"दुष्ट" की परिभाषा क्या है ? गलत काम करने वाला कौन है ? 'बदमाश' कौन है ?

[हिन्दी]

जो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है।

[अनुवाद]

मैं यह नहीं कह सकता कि हम सभी क्योंकि कोई भी मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करता है। किन्तु आप इसे आत्म-स्वीकृति कह सकते हैं। कम-से-कम मैं अपने बारे में यह कह सकता हूं कि मेरा व्यक्तित्व विखंडित है। हममें से अधिकतर लोगों का विखंडित व्यक्तित्व है। शिक्षा का ध्येय एक गतिशील और एकीकृत व्यक्तित्व का सृजन करना है। हम देश में जातिवाद और साम्प्रदायिकता के वातावरण में अच्छे नागरिक की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए, हमें सम्पूर्ण समस्या को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मान्धाता सिंह : मैं कुछ समय के लिए आपका ध्यान चाहता हूं। ऐसा लगता है कि इस विषय में अधिक सदस्य इच्छुक नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मेरे पास इस विषय पर बोलने वाले सदस्यों की सूची है।

श्री मान्धाता सिंह : यह मेरा और प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य का सौभाग्य है कि अन्य सदस्यों की भी इस समस्या में रुचि उत्पन्न हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ समय अधिक ले सकते हैं।

श्री मान्धाता सिंह : मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा था और पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिक्षा की अनदेखी की गई है। मैंने जानबूझकर 'शिक्षा की अनदेखी' शब्दों का प्रयोग किया है।

पहले शिक्षा के लिए केन्द्रीय बजट का 0.9 प्रतिशत अर्थात लगभग एक प्रतिशत नियत होता था। इस बार केन्द्रीय बजट का कम-से-कम 2 प्रतिशत भाग मानव संसाधन विकास पर खर्च करने के लिए मैं मानव संसाधन विकास मन्त्री और वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं। नहरों और सीमेंट के विकास के लिए 98 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है जिसमें सारा पैसा इन्जीनियर खा जाते हैं और मानव संसाधन विकास के महान कार्य के लिए केवल 2 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है। शिक्षा मन्त्रालय को इतना बड़ा नाम देने के लिए मैं पिछली सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु केवल बड़े नाम देने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अतः मेरा आरोप यह है कि हमने केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर शिक्षा की अनदेखी की है। मैं पिछले 16 वर्ष तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य रहा। मेरी वर्तमान अवधि को समाप्त होने में अभी 3 वर्ष शेष थे। परन्तु मैं इस सम्माननीय सभा के लिए चुन लिया गया। वहां हम हाथ उठाकर या 'हां' कहकर बजट पारित किया करते। उत्तर प्रदेश जिसे भारत की मुख्य भूमि माना जाता है और जहां केवल देश के प्रधान मंत्रियों के अतिरिक्त कुछ पैदा नहीं होता, वहां शिक्षा के लिए बजट लगभग 10 से 11 प्रतिशत है, जबकि केरल जैसा छोटा राज्य 1957 में ई० एम० एस० की सरकार से अकेले शिक्षा पर 35 से 40 प्रतिशत

[श्री मान्धाता सिंह]

खर्च कर रहा है। यही कारण है कि आपको कुवैत में भी केरलवासी मिल सकते हैं। हम कल कुवैत में केरलवासियों की बात कर रहे थे। वे देश के सभी भागों में रहते हैं। वे यहां तक कि ऊंचे हिमालय पर, कुमायूं क्षेत्र में गढ़वाल और अन्य स्थानों पर भी हैं। मानव संसाधन विकास और शिक्षा नीति पर या मैं यह कहूं कि हमें सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय विकास की नीति पर युवकों और छात्रों के कल्याण के लिए और अधिक धनराशि आवंटित की जाए। नेशनल मूवमेन्ट आफ टीचर्स के प्रतिनिधि के रूप में हमने तीन दशकों तक केन्द्रीय बजट का 10 प्रतिशत भाग शिक्षा के लिए आवंटित करवाने के लिए संघर्ष किया। इसके लिए हमने वोट क्लब पर रैलियां कीं। यदि मेरे हाथ में हो तो मैं सड़क निर्माण और बांध निर्माण की अपेक्षा मानव संसाधन विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दूंगा।

इस देश में सभी उग्रवादी और अलगाववादी गतिविधियां युवकों और शिक्षा के प्रति गलत नीति का परिणाम है। जातिवाद और साम्प्रदायिकता का उदय भी प्रत्यक्षतः इसी से जुड़ा हुआ है। आपको यह जानकर खेद होगा कि उत्तरी भारत में स्कूल और कालेजों के नाम जातियों पर रख जाते हैं। हमारे यहां हिन्दू कालेज और मुस्लिम कालेज हैं। जैसे हिन्दू और मुस्लिम से भी सन्तुष्ट न होकर इन्होंने शिया कालेज और सुन्नी कालेज भी नाम रखे हुए हैं। मैं लखनऊ का प्रतिनिधित्व करता हूं। प्रत्येक वर्ष मोहरम के अवसर पर हमारे यहां शिया-सुन्नी के दंगे भी होते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास इस विधेयक पर बोलने वाले 10 और सदस्यों की सूची है।

श्री मान्धाता सिंह : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

अतः मैं इस अवसर पर यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को बधाई देता हूं, जिन्होंने हमें यहां अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया है। यह केवल शिक्षा मन्त्रालय के प्रभारी हमारे प्रिय मित्र श्री भिमनभाई मेहता का ही नहीं बल्कि सारे राष्ट्र का उत्तरदायित्व है। योजना सलाहकार समिति में मैंने जो कहा, उसे मैं दोहराता हूं। हमें जिस चीज की आवश्यकता है, वह है मानवशक्ति आयोजना से पूर्ण सुदृढ़ शिक्षा आयोजना, जिसमें श्रमोन्मुख प्रौद्योगिकी हो। केवल इसी के द्वारा ही काम के अधिकार की गारन्टी दी जा सकती है। अन्यथा जब तक हम शिक्षा की योजना नहीं बनाएंगे तब तक कोई काम का अधिकार नहीं दिया जा सकता और हम केवल उतनी संख्या में ही तकनीकी व्यक्ति या सामान्य स्नातक शिक्षित करें, जितने आज देश में आवश्यक हों। अन्यथा वे केवल उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पढ़ेंगे न कि अध्ययन की उच्च अवस्था तक जारी रहेंगे।

कुछ समय तक मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं। बीच में कुछ हंसी भी हो रही थी। मुझे आशा है कि यदि गलती से मैंने कुछ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया हो तो आप लोग क्षमा कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व वक्ता ने समय तो लिया है लेकिन जो उनका बिल था उन्होंने ज्यादातर इसी प्राइवेट मेम्बर्स बिल पर ही जोर दिया है। मैं सबसे पहले मुल्ला जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित

किया है, जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। मैं चन्द शब्दों में इस बिल का समर्थन करते हुए अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि इस बात को हम सभी लोग जानते हैं कि जिस देश के युवा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से पिछड़े हुए हो जाएं, वह मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।

वह मुल्क पिछड़ा हुआ रह जाता है और मुल्क के पिछड़ने के साथ-साथ जो समस्याएं खड़ी होती हैं, उसका ज्वलंत उदाहरण हिन्दुस्तान में है। आज हमारे सामने सामाजिक, आर्थिक, जाति, धार्मिक, अलगाववादी जितनी भी समस्याएं हैं, उनको हमारा मुल्क भुगत रहा है। उसका एक ही मुख्य कारण है कि हमारी सरकारों ने हिन्दुस्तान के नौजवानों के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वह पर्याप्त नहीं हैं और उसके साथ-साथ मानसिक और शारीरिक डेवेलपमेंट के लिए कोई खास कंसट्रक्टीव प्लान, उनके लिए नहीं बनाया गया है।

हमारे भाई हनन मुल्ला जी ने अभी क्लाजिस में इन सब चीजों को दूर करने के लिए अपने सुझाव दिए हैं उनमें से एक सुझाव यह भी है कि जो विवाहित जोड़े हैं, उनके लिए भी योजनाएं बननी चाहिएं। मैं भाई मुल्ला जी से सहमत हू, क्योंकि सरकार इस बिल को पास नहीं कर पायेगी, लेकिन आपका सुझाव इसमें यह भी होना चाहिए कि इण्टरकास्ट मेरिजस को भी हिन्दुस्तान में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इण्टरकास्ट मेरिजस भी एक हायर-कास्ट और लोअर-कास्ट की अगर इण्टर-कास्ट मेरिजस हों तो हमारे देश से कास्टीजम दूर हो सकता है क्योंकि अब दुनिया में इस तरह की कहीं भी ऐसी समस्या नहीं है। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी समस्या जो है वह है कास्टीजम की, हमारे देश में कास्टीजम की जितनी भयानक समस्या है उतनी किसी भी देश में नहीं है। कास्टीजम के साथ-साथ फ्यूडलिज्म और केप्टलिज्म ने जो समझौता किया है उससे हमारे समाज की समस्याएं और ज्यादा भयानक हो गई हैं। केप्टलिज्म और फ्यूडलिज्म का जो समझौता हुआ है, आज हमारे सामने उससे और ज्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं।

आगरे का काण्ड हो, फतेहपुर का काण्ड हो या चितौड़गढ़ का काण्ड हो, यह सभी काण्ड उसी मानसिकता के प्रतीक हैं। जब तक हम अपने समाज से फ्यूडलिज्म को नहीं निकालेंगे तब तक हमारे मुल्क की ये समस्याएं दूर नहीं हो सकती हैं। क्योंकि अभी हमारे देश के युवाओं का मेंटल विकास पूरा नहीं हुआ है। हम पंजाब और जम्मू-काश्मीर के उन नाबालिक नौजवानों को देख रहे हैं। पिछले 12 साल से जो कम उम्र के लोग हैं वे ही टेरेरिस्ट बनते हैं जिनका शारीरिक विकास अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न ही उनका मेंटल विकास हुआ है। सोशली और एजुकेशनली जो आगे नहीं बढ़ते हैं, उन्हीं की वजह से आज इस देश में यह देन है।

इस सेक्टेरियन आउटलुक को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हिन्दुस्तान की सरकार एक कांप्रीहेंसिव पालिसी डेवलप करे, उसको एक कांप्रीहेंसिव पालिसी बनानी होगी, तभी ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई हन्नान मोल्लाह जी द्वारा प्रस्तुत इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि अगले सत्र में इस तरह का एक अच्छा बिल सदन में लाया जाए, ताकि हिन्दुस्तान के नौजवानों के लिए विकास की योजनाएं बन सकें।

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी शक्ति है, देश की आधारशिला है, परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश का नौजवान दिशाहीन, दृष्टहीन और उच्छृंखल होता जा रहा है। इसके पीछे मैं समझता हूं कि हमारे देश के युवाओं की कोई

[श्री राम कृष्ण यादव]

गलती नहीं है। इसके पीछे हमारे देश की जो शिक्षा नीति है, जो सामाजिक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग हैं, वे जिम्मेदार हैं। हमारे देश में जो शिक्षा होनी चाहिए धर्म-निरपेक्षता की, समाजवाद की, प्रजातन्त्र की, राष्ट्रीयता की, यह हमारे देश में नहीं हुई है। आज भी हमारे देश में रूढ़िवादिता हावी है, हमारे देश में मनु-व्यवस्था हावी है, ब्राह्मणवाद हावी है और इसी का परिणाम है कि हजारों साल से जातीय व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के संस्कारों का असर होता रहा, इसके कारण हमारे देश का युवा दिशाहीन होता जा रहा है। हम स्वतन्त्र भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर हमें देश को बनाना है तो युवा शक्ति जो कि एक मिट्टी के बर्तन की तरह है, उसको बनाना और संवारना होगा, आगे ले जाना होगा, उसको एक अच्छी शक्ल देनी होगी और यह सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की नीतियों की जिम्मेदारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि आज कई घरों के लड़के अच्छी तरह से शिक्षा न पाने के कारण, गरीबी के कारण अच्छी शिक्षा न पाने के कारण बेकार हो गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं। मेरा मत है कि इन बेकार नौजवानों को सरकार द्वारा बेकारी भत्ता दिया जाना चाहिए, काम की गारन्टी दी जानी चाहिए, एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो व्यापक तरीके से नौजवानों के हितों की रक्षा करे और उनकी समस्याओं का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उस रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार विधान बनाकर एक व्यापक योजना नौजवानों के बारे में बनाए, ताकि एक अच्छी व्यवस्था कायम हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के नौजवानों को कई भागों में बांटा जा सकता है। गांव में रहने वाला, खेत-खलिहान में काम करने वाला, शहर में रहने वाला, इस देश में जो हमारा पढ़ा-लिखा नौजवान है, उसकी स्थिति और गांव के नौजवान की स्थिति में बहुत फर्क है। गांव का नौजवान दिन भर काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, थक जाता है, लेकिन फिर भी वह रोटी नहीं पाता है, दूसरी तरफ पूंजीपति, सेठ-साहूकार हैं, जिनके लड़के अपने पिता की सम्पत्ति के आधार पर दूसरे ढंग का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए सामाज्य जीवन में, निर्धन वर्ग के जीवन में और पूंजीवादी व्यवस्था के जीवन में काफी फर्क हो रहा है। इससे आपस में एक तरह का घृणा का भाव, उदासीनता का भाव पैदा होता जा रहा है। मेरा कहना है कि एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते, कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह गरीब, किसान, मजदूर, ग्रामीण, सभी तरह के बच्चों को, नौजवानों को समान शिक्षा दे। जब समान शिक्षा मिलेगी तो सबका समान रूप से विकास होगा। मैं समझता हूं कि यदि हमको इस देश को बनाना है तो हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है कि नौजवानों के प्रति अच्छा भाव रखा जाए। यदि व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, जिस तरह से देश के लोग युवाओं के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं, आने वाले समय में हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकेगा। यदि हमें देश को बनाना है तो युवा शक्ति को अच्छी शिक्षा, नैतिक शिक्षा, ईमानदारी की शिक्षा, राष्ट्रीयता की शिक्षा, समाजवाद की शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा दी जाए, तभी मैं समझता हूं कि एक अच्छा देश बन सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एम० एस० पाल (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, काम पाने के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल करने हेतु जो विधेयक रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि जैसे जनता दल की सरकार ने, नेशनल फ्रन्ट की सरकार ने अपने मैनीफैस्टो में इस बात को रखा

है कि काम पाने का अधिकार मूलभूत अधिकारों में वह रखेगी, मैं विश्वास करता हूं कि भविष्य में सरकार इसको कार्यरूप देगी।

माननीय, जो समाजवादी देश हैं उन्होंने काम पाने के अधिकार को प्राथमिकता दी है। उन्होंने माना है कि जो स्वतन्त्रता है उसका मूलभूत आधार आर्थिक है। अगर आर्थिक स्वतन्त्रता मिलती है तो सही मायनों में हम स्वतन्त्र हैं। स्वतन्त्रता को उन्होंने द्वितीय माना है। जिस तरह से राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक स्वतन्त्रता है, बोलने की स्वतन्त्रता है अगर काम पाने का अधिकार, आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं होती है तो मेरी राय में स्वतन्त्रता अधूरी है। आज जैसी हमारे देश के सामने परिस्थितियां हैं, जो अराजकता की स्थिति आई है, बेकारी की स्थिति आई है, अलगाव की भावना आई है उसका मूलभूत कारण आर्थिक है। आर्थिक कारण से आज हमारे देश के अन्दर बेरोजगारी बढ़ी है। लाखों-करोड़ों नवयुवक और नवयुवतियां बेकार पड़ी हैं। पढ़े-लिखे, कम पढ़े-लिखे बेकारी के दौर से गुजर रहे हैं। अगर काम पाने का अधिकार मूलभूत अधिकारों में रखा जाएगा तो अपनी योग्यता के अनुसार यदि काम नहीं मिलेगा, सरकार उसके हिसाब से काम की व्यवस्था नहीं करेगी तो वह न्यायालय में जाएगा। योग्यता के अनुसार पढ़ा-लिखा, कम पढ़ा-लिखा, स्त्री-पुरुष, किसी भी वर्ग का व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए न्यायालय से डिग्री प्राप्त कर सकता है और डिग्री हासिल करके सरकार को बाध्य कर सकता है कि उसको नौकरी दे या उसके ऐवज में उसको बेकारी भत्ता दो। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, जैसा मैनीफैस्टो में इन्होंने दिया है, उसको आने वाले भविष्य में लागू करेगी और हमारे देश के अन्दर करोड़ों लोग पढ़े हुए हैं उनको नौकरी मिलने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा के समक्ष विचारार्थ इतना महत्त्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए मैं माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह के प्रयत्नों के लिए उन्हें बधाई देता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मन्त्री श्री चिमनभाई मेहता से निवेदन करूंगा कि वे पहले के गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की तरह इस विधेयक को हल्के से न लें बल्कि इसकी महत्ता को समझने के लिए अपना पूरा प्रयत्न करें। साथ ही वे यह भी देखें कि इन्हीं आधारों पर एक सरकारी विधेयक शीघ्रातिशीघ्र इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने पहले ही राष्ट्र के विकास और विकास के प्रत्येक पहलू के लिए युवकों के महत्व पर जोर दिया है। राष्ट्र की उन्नति उसकी सरकार या समाज द्वारा युवकों को सही दिशा में ले जाने की ओर दिए गए ध्यान पर निर्भर करती है। यदि एक राष्ट्र पिछड़ता है तो इसका कारण युवकों की अनदेखी करना है। मैं कांग्रेस पार्टी से सम्बन्ध रखता हूं। मेरे साथी बता रहे थे कि अनदेखी की गई है। मैं दलीय आधार पर नहीं कहता और न ही मैं उनके साथ इस आधार पर शामिल हो सकता हूं परन्तु मैंने आरम्भ से ही ऐसा महसूस किया है कि मानव संसाधन विकास की अचानक ही अनदेखी की गई और 1985 में जब मैं संसद में आया और जब इस मन्त्रालय का नाम 'शिक्षा' से बदल कर मानव संसाधन विकास कर दिया गया तो मुझे गर्व हुआ, परन्तु बाद में मैंने सरकार की नीति देखी, जिसे मन्त्री नई नीति बता रहे थे। हर बार नई नीति, इसके बारे में मेरा अनुमान था कि कल प्रधानमन्त्री भी यही बात कहेंगे—नई नीति - परन्तु जिसमें नया कुछ भी नहीं है। यह एक नहीं अनेक बुराइयों की जड़ है। यदि आज ही मन्त्रिमण्डल या सरकार में मानव संसाधन विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता की बात की जाए और साथ ही आवंटन की भी, तो जैसा कि मेरे साथी कुछ देर पहले बता रहे थे, संसाधनों की कमी की बात अपने आप आ जाएगी।

[श्री के० एस० राव]

इस देश के विकास के लिए संसाधन खोजने के लिए हमें अपने सिर फोड़ने और दिमाग का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महोदय, जब तक हम अपने युवकों को उपयोगी नहीं बनाएंगे, उन्हें प्रेरित नहीं करेंगे और उन्हें अनुशासित नहीं बनाएंगे, तब तक हम किस प्रकार अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं ? संसद या राज्य विधानमण्डलों में चर्चा से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुधारने में कितनी मदद मिल सकती है ? निश्चय ही कुछ भी नहीं। अत: यहां उपस्थित सदस्य यदि इसका समाधान दलीय आधार से ऊपर उठकर करें और यहां तक कि हम अपनी सरकार की गलती निकालें और उन्हें बताएं कि ये वे शक्तियां हैं जिनका सर्वप्रथम ध्यान रखा जाना चाहिए। हम सौभाग्य या दुर्भाग्य से इतनी अधिक संख्या में मौजूद युवकों की परवाह करें, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं था और युवकों की प्रतिशतता अधिक है और अब ये अधिक संख्या में हैं। जैसे कि श्री मोल्लाह बता रहे थे इनकी संख्या, विशेष रूप से 16 और 45 वर्ष के बीच, अब 60 प्रतिशत से कम नहीं होगी। अत: यदि इन 60 प्रतिशत का ही आरम्भ से ही ध्यान न रखा गया तो न केवल युवक बल्कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिज्ञ भी उसी श्रेणी के हो जाएंगे। महोदय, जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं और सैकड़ों युवक रोजगार के लिए हमारे पास आते हैं तो हमें वास्तव में शर्म महसूस होती है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली पूर्णत: जिम्मेदार है।

महोदय, हम लाखों डिग्रीधारक और डाक्टरेट पैदा कर रहे हैं। एक इंजीनियर होने के नाते मैं अनुभव करता हूं कि यह शिक्षा प्रणाली हमें अत्यन्त हानि पहुंचा रही है। इसका कारण यह है कि जब मैं इंजीनियर बनकर संस्थान से बाहर आया तो मुझ में इंजीनियर होने का अहं उत्पन्न हो गया। अत: मैंने अनुभव किया कि मेरा कार्य सीखना नहीं आदेश देना है। मैंने स्वयं मेहनत नहीं करनी बल्कि मेरा कार्य दूसरों को काम सौंपना है। यह भावना अत्यन्त हानि पहुंचा रही है।

जहां तक मैंने ज्ञान अर्जन किया है उस पर विचार करने से मुझे यह महसूस होता है कि एक स्नातक अभियन्ता होने के बावजूद भी मैं सिर्फ प्रारम्भिक ज्ञान ही प्राप्त कर पाया हूं और मुझे यह लगता है कि मैं यह नहीं जान पाया हूं कि किस प्रकार इसका व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। मुझे विश्वास है कि अब मैं यह समझ गया हूं। यह सिर्फ तभी जाना जा सकता है जब हम यथार्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और वह भी जब हम में चीजों को सीखने का, समझने का उत्साह हो। यदि इसका अभाव है तो यह भी सम्भव नहीं है। इसलिए मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं बल्कि मैं सिर्फ अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। मेरा विचार यह है कि यह भूतपूर्व सरकार अथवा वर्तमान सरकार की आलोचना नहीं है बल्कि यदि हम सब यह महसूस करें कि सभी उत्तरदायी सदस्यगण, जिन पर राष्ट्र की प्रगति की जिम्मेदारी है, युवा हैं तो हम सबों को उन्हें दल से ऊपर समझना चाहिए। युवकों के निर्माण पर ही केन्द्रित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मेरा विचार यह है कि हमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। हमें एक नई शिक्षा प्रणाली लानी चाहिए जिसमें कि आठवीं कक्षा के स्तर में ही सभी बच्चों अथवा छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में, उनमें विश्वास जगाने हेतु प्रवेश कराया जाना चाहिए ताकि संस्था से निकलने पर वे आत्मनिर्भर हो सके और राष्ट्र के अलावा वे अपने माता-पिता पर बोझ न बने ताकि रोजगार के लिए उनके माता-पिता को राजनीतिज्ञों या अफसरों या उस क्षेत्र के जाने-माने नागरिकों के दरवाजे न खटखटाने पड़े। यदि हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से दूर रहना है तो हमें यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि उन्हें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण वे युवा संस्था से निकलते

हैं उनमें यह विश्वास होना चाहिए कि वे अपने ज्ञान को कार्यरूप में परिणत कर सकें। लेकिन एक बात यह भी है कि जब वे जीविकोपार्जन शुरू कर देते हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी रही हो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के दरवाजे उनके लिए बन्द नहीं होने चाहिए। यदि उनमें उत्साह हो, सामर्थ्य हो और उनके पास समय है तो उन्हें बाद में स्नातक डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए और फिर वे अपने जीवन-स्तर, आय आदि में सुधार ला सकते हैं। जब डॉक्टरेट डिग्री का प्रश्न उठता है, दुर्भाग्यवश अनेक अवसरों पर मैं यह देख कर शर्म महसूस करता हूं कि अनेक लोग तो यह दावा करते हैं कि अपने विषय में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है, लेकिन अक्सर वे नये और सृजनात्मक ढंग से नहीं सोचते हैं।

इसलिए मैं यह समझता हूं कि उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में अधिक समीक्षा की जानी चाहिए और प्रारम्भिक अवस्था में इसे पूर्ण रूप से व्यवसायिक होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं आपसे अनिवार्य शिक्षा प्रणाली लाने का अनुरोध करूंगा। यदि आप अनिवार्य शिक्षा प्रणाली लागू करते हैं और जैसा कि मेरे मित्र का परामर्श था कि न्यूनतम सुविधाएं जैसे कि दोपहर का मुफ्त भोजन, मुफ्त कपड़े, मुफ्त में लेखन सामग्री आदि भी प्रदान करते हैं, जो कि आवश्यक हैं, प्रारम्भ में इनका विरोध हो सकता है लेकिन सदियों से, हजारों वर्षों से गरीबी से पीड़ित उन निर्धन व्यक्तियों के लिए बाद में यह बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। एक परिवर्तन लाने के लिए, विशेषकर गरीबों की जीविका में सुधार लाने के लिए शिक्षा सर्वोत्तम उपाय है। अन्यथा ये हजारों करोड़ की धनराशि, जो आप विभिन्न माध्यमों द्वारा, चाहे वित्तीय संस्थाओं द्वारा या अन्य प्रकार से दे रहे हैं बिल्कुल बेकार है। सही शिक्षा और प्रारम्भिक अवस्था में ही युवकों को सही ढंग से प्रशिक्षण दिया जाना ही सबसे अच्छा उपाय है। जैसा कि पहले ऐसा किया जा चुका है, मैं नहीं चाहता कि मेहता जी भी उनमें से एक हों और बाद की सरकारों द्वारा उनकी आलोचना की जाए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सभी सदस्य इसमें सहयोग दें तथा बजट और योजनाओं में इसके लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाए। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हम इसके लिए कार्य करने को तैयार हैं। इस देश के युवकों का ध्यान रखने के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए इस प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का अनुरोध मैं आपसे करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले श्री हन्नान मोल्लाह साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने युवाओं के कई पहलुओं को ध्यान में रखकर अपना विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि परिवर्तन के बाद हर क्षेत्र में सरकार इस बात के बारे में सोच रही है कि हर दृष्टि से देश की समस्याओं को हल किया जाये, युवाओं की समस्या के लिए एक सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया जाये तो क्यों नहीं इस बिल को ही उस रूप में स्वीकार कर लिया जाये। मैं दो-तीन बातें सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा। आज देश की आबादी में नौजवानों का एक तिहाई हिस्सा है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि नौजवानों की निरन्तर उपेक्षा हो रही है। इसका परिणाम यह है कि 80 करोड़ की आबादी के मुल्क में हम कोई अपेक्षित तरक्की नहीं कर पाये। चन्द गिने-चुने नाम हैं, जिन्होंने वास्तव में कुछ किया है। अगर हमें देश में कहीं कुछ करना होता है तो हम युवाओं को आगे लाते हैं और उनके कंधों पर रखकर बन्दूक चलाना चाहते हैं। लेकिन जब उनकी समस्याओं को हल करने की बात आती है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। चाहे ऊधमसिंह हो या भगत सिंह हो, युवा को आजादी की लड़ाई में आगे आये और कुर्बानी

[श्री सन्तोष कुमार गंगवार]

दी । मैं चाहूंगा आज परिवर्तन का युग है और अगर युवाओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश प्रगति नहीं कर पायेगा । अभी जैसा देखने में आ रहा है युवाओं की भूमिका मादक द्रव्य सेवन में बढ़ती जा रही है । शिक्षा का हिसाब इतना खराब है कि हर स्तर पर अलग-अलग शिक्षा है । ऐसी शिक्षाएं हैं । कहीं पर अगर एक रुपया फीस है तो परिवार का मुखिया एक रुपया···

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्वाइंट पर तो सब बोल चुके हैं, कोई नई बात करें ।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस समय करीब दो करोड़ से अधिक नौजवान रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं और रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं । इसके अतिरिक्त यदि शिक्षा का हिसाब-किताब देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में युवा महिलाओं की संख्या 52% और पुरुष युवा की संख्या 34% है । देहातों में यह प्रतिशत इससे ज्यादा है । देहातों में युवा महिलाओं का 82% और पुरुष वर्ग में 59% बेरोजगार हैं । यहां सदन में माननीय मंत्री जी और अन्य सदस्य मौजूद हैं । मैं चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और युवाओं को रोजगार दिलाने की स्थिति को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें और यह फैसला भी करें कि आने वाले समय में देश का नव-निर्माण किन युवकों के ऊपर किया जाना है जिनको रोजगार उपलब्ध है या नहीं ? नेता लोग यही कहते हैं और अगली पीढ़ी की बात करते हैं लेकिन वास्तव में देश के मनीषी और चिन्तक होते हैं जो देश की तरक्की करना चाहते हैं । इसलिए निश्चित रूप से यदि हम हिन्दुस्तान को सही रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो युवाओं को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि उन लोगों को काम मिल सके और एक नये भविष्य का निर्माण कर सकें । मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं ।

[अनुवाद]

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक के प्रस्तुत-कर्त्ता श्री हन्नान मोल्लाह जी को बधाई देना चाहूंगा । सरकार इस विधेयक में सुधार ला सकती है और इसे एक उत्तम विधान बना सकती है । यह सच है कि इस देश में अब तक एक विस्तृत युवा नीति नहीं बनाई गई थी । यद्यपि यह बहुत ही महत्वपूर्ण थी परन्तु फिर भी अभी तक ऐसा नहीं किया जा सका । लेकिन स्वतन्त्रता के बाद इस देश में पहली बार युवा शक्ति की पहचान की गयी और मानव संसाधन विकास के नाम से एक मंत्रालय बनाया गया । ऐसा कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था । किसी ने सही कहा है कि एक नीति लाने अथवा नया नामकरण कर देने से बात नहीं बनती है । लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता के बाद पहली बार युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को—जिसके बारे में इस विधेयक में उल्लेख भी किया गया है, कांग्रेस की सरकार ने, राजीव जी के नेतृत्व में पहचाना । कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने इस मुद्दे को बनाये रखा था और 18 वर्ष की आयु के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया गया । युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को इससे सही मायने में महत्ता मिली है । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जिसके द्वारा राष्ट्र युवाओं के इच्छानुकूल नीतियों का निर्धारण करेगा । इस अधिकार की पहचान की गयी थी और इसे उचित स्वरूप और महत्ता प्रदान की गई थी । स्पष्टत: इसका श्रेय श्री राजीव जी के नेतृत्व में पिछली सरकार को जाता है ।

युवाओं के मन में एक गलत धारणा है क्योंकि श्रम का सम्मान जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू है,

उनमें उचित रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है। हम हमेशा क्लर्कों के बारे में ही सोचते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि किस प्रकार हमने यह धारणा बना ली है लेकिन यह अभी तक हमारे मन में बनी हुई है। हमें इस धारणा का खण्डन करना होगा। शिक्षा का अर्थ सिर्फ महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं है। उस प्रकार की शिक्षा महत्वपूर्ण है जिससे कि युवाओं में अपने पैरों पर खड़े होने का विश्वास जगता है। विभिन्न देशों में हम यह देख रहे हैं। युवा पीढ़ी को इस प्रकार का दृष्टिकोण और इस प्रकार का मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपनी इच्छानुसार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अन्य देशों की तुलना में इस देश में सबसे अधिक युवा शक्ति है। लेकिन खेल-कूद के क्षेत्र में हमारे देश का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। हम अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद की प्रतिस्पर्धाओं में पिछड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रतिभाओं की कमी है। उदाहरण के लिए आदिवासी इलाकों में काफी अच्छी युवा शक्ति है और विधेयक में भी ग्रामीण युवकों के लालन-पालन से सम्बन्धित तथ्यों का सही उल्लेख किया गया था। इस प्रकार हम युवाओं को उचित महत्व और अवसर प्रदान नहीं करते हैं और कहीं से भी उनका चयन कर लेते हैं। इस प्रकार की बाधाओं को हटाया जाना चाहिए और जहां कहीं भी प्रतिभावान युवक मिलें, उन्हें उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा पर या युवाओं के लिए एक विस्तृत नीति द्वारा उचित बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है जो कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है।

शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं इसे दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। युवाओं के मन में, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र से हों अथवा शहरी क्षेत्र से या फिर देश के किसी भी भाग के हों, यह धारणा बनानी चाहिए कि वे सभी समान हैं। इस देश में कोई सामाजिक समानता नहीं है। विधेयक में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि यह सामाजिक असमानता विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है और इससे युवाओं में एक प्रकार की हीन भावना उत्पन्न हो रही है। हमारी नीति द्वारा इसे भी दूर किया जाना चाहिए।

इस विधेयक में सुधार लाते समय तथा इसे एक अच्छा कानून बनाते समय इन महत्वपूर्ण पहलुओं को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। निश्चित रूप से यह एक अच्छा कानून है जिसके बारे में सरकार विचार कर रही है तथा मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक पर विचार करे तथा इसमें आवश्यक सुधार करके एक अच्छा कानून लेकर आये। निश्चित रूप से इससे काफी सहायता मिलेगी तथा देश को एक ठोस तथा अनुकरणात्मक तरीका बनाने में भी मदद मिलेगी क्योंकि युवा शक्ति ही देश की वास्तविक शक्ति तथा सम्पत्ति है। निश्चित रूप से इस विधेयक से हमें सहायता मिलनी ही चाहिए। हम विभिन्न विधेयकों को काफी महत्व दे रहे हैं। अतएव मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक पर विचार करें तथा अत्यन्त लाभदायक तथा आवश्यक विधान को राष्ट्र के हित में आगे लायें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मन्त्री जी अपनी बात कहेंगे।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिरंजन भाई शेहता) : जिन सदस्यों ने इसमें भाग लिया है मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं जिनकी संख्या लगभग 22 है तथा संभवतः इस पर आठ अथवा नौ घंटे से अधिक समय चर्चा की गई है तथा विधेयक के प्रस्तुतकर्ता श्री हुल्लास मोल्लाह ने भी अत्यधिक परिश्रम किया है तथा इस विधेयक को तैयार करने में काफी मेहनत की गयी है जो कि विधेयक तथा विभिन्न वक्ताओं द्वारा दी गयी टिप्पणियों को देखने से पता लगता है।

[श्री चिमनभाई मेहता]

आरम्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तथा हम समझते हैं कि जो सुझाव तथा बातें रखी गयी हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं तथा पहले चरण में एक राष्ट्रीय युवा नीति तथा उस चरण के पश्चात जब इस विधेयक के अधिनियम का उचित समय आयेगा, मुझे आशा है कि यह बहुत शीघ्र ही आयेगा, तब इस पर विचार भी किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि लगभग सभी वक्ता जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं उन्होंने संकीर्ण दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस चर्चा में अपने मत रखे हैं। युवाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण से चिन्ता प्रकट होती है।

महोदय, कुछ बातें तो सामान्य प्रकार की कही गयी हैं, परन्तु आरम्भ में जिन पर कुछ टिप्पणियों की आवश्यकता है तथा इसके पश्चात् मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विस्तार से भी उत्तर दूंगा।

शिक्षा का जो स्वरूप इस समय लाया गया है उसकी काफी आलोचना की गयी है। अधिकतर वक्ताओं ने इसकी आलोचना की है। आलोचना दो बातों के लिए की गयी है। पहली, यह अत्यधिक शाब्दिक तथा पुस्तकीय है। शिक्षा की विषय वस्तु भी घटिया है तथा दूसरे यह रोजगारोन्मुखी नहीं है। इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर बजट की सीमा दिखाई गई है। बजट में सरकार का रवैया प्रकट हो चुका है तथा उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि शिक्षा के लिए बहुत थोड़ी राशि निर्धारित की गई है। यह आलोचना वास्तविकता है। वर्ष 1964 में कोठारी आयोग ने शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आय का छः प्रतिशत आवंटित करने का सुझाव दिया था। आज तक राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र को भी मिलाकर हम अभी केवल 3.9 प्रतिशत तक ही कर पाये हैं। यह लगभग 14,000 करोड़ रु० बैठता है। छः प्रतिशत तक का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अभी भी और प्रयास करने हैं तथा यह असंभव नहीं है। अतएव, राष्ट्रीय मोर्चा वचनबद्ध है तथा यह सरकार भी वचनबद्ध है कि पहले चरण में हम छः प्रतिशत तक का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे जो वर्ष 1964 में तथा तत्पश्चात् वर्ष 1986 में तथा उससे पहले से भी निर्धारित किया गया था। परन्तु निश्चित रूप से हम यह महसूस करते हैं तथा उससे भी अधिक करने का प्रयत्न करेंगे।

महोदय, युवा विधेयक, जो श्री हन्नान मोल्लाह ने प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने मोटे तौर पर कुछ आंकड़े दिए हैं और यदि हम उनके सुझाए गए निर्देशों के अनुसार योजनाएं बनाते हैं तो हम 10,000-12,000 करोड़ रुपये के आसपास या उससे अधिक तक पहुंचते हैं। परन्तु संसाधनों की कमी का बहाना नहीं होना चाहिए। मैं उनसे इस सम्बन्ध में सहमत हूं। संभवतः कुछ विकासशील देश तथा विकसित देश शिक्षा पर अधिक पैसा व्यय कर रहे हैं तथा शिक्षा पर व्यय किया गया धन कोई अपव्यय नहीं है। यह तो राष्ट्र के लिए अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगा तथा हमें भी उस पर विचार करना चाहिए।

युवाओं के सम्बन्ध में योजना आयोग ने अभी हाल ही में निर्देश दिए हैं। आठवीं योजना में सातवीं योजना की तुलना में कार्यकारिणी दल ने खेलकूद तथा युवा गतिविधियों के लिए तीन गुणा राशि का प्रावधान किया है। परन्तु उससे मुश्किल से 800 करोड़ रु० का व्यय आता है।

5.00 म० प०

इस समय सातवीं योजना में हमने 250 करोड़ रु० व्यय किए हैं तथा हम लगभग 800 करोड़ रु०

तक भी खर्च कर सकते हैं। युवाओं के लिए हमारी यह योजना है। अन्त में यहां पर की गई चर्चा योजना आयोग तक पहुंच जाएगी तथा हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वह संसद सदस्यों के इन सुविचारित विचारों पर भी विचार करे। युवाओं के प्रति हमारा आम दृष्टिकोण दो बातों को ध्यान में रखकर है कि वे हमारे देश के लिए गर्व का प्रतीक बनें। जैसा कि मान्धाताजी ने ठीक ही कहा है कि इस समय उनमें भारी निराशा व्याप्त है। उन्होंने दोहरे व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है कि युवाओं को पहले कुछ देने का वचन देने के पश्चात उन्हें वह सब कुछ नहीं दिया गया। आज भी यही हो रहा है।

5.01 म० प०

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

अब हम व्यावसायिक शिक्षा पर विचार करेंगे। वास्तविक समस्या बेरोजगारी की है तथा बेरोजगारी का पिछला बकाया लगभग चार करोड़ है। इसमें 1 करोड़ 60 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। उनके अनुसार हाई स्कूल स्तर से ऊपर के सभी शिक्षित हैं। परन्तु हाई स्कूल स्तर से पहले स्कूल छोड़ देने वालों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह संख्या काफी अधिक है तथा इन सभी के कारण निराशा, लड़ाई-झगड़ा, आतंकवाद, जातिगत युद्ध तथा साम्प्रदायिक दंगों की उत्पत्ति होती है। मान्धाता जी का यह कहना पूरी तरह सही है कि राजनीतिज्ञों का दोहरा व्यक्तित्व होता है। वे जातिवाद की भर्त्सना करते हैं तथा वे जातिवाद का ही शोषण भी करते हैं। वे साम्प्रदायिकता की निन्दा करते हैं तथा साम्प्रदायिकता का ही शोषण करते हैं। इस प्रकार से हम अन्ध देशभक्ति आदर्शों की बात करके युवाओं को सन्तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे देश को स्वस्थ प्रगति पथ पर अर्थात् न तो राष्ट्रीय अखण्डता तथा न ही भावनात्मक अखण्डता के पथ पर ले जा रहे हैं। युवाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण और युवा नीति की हमारी पहली चिन्ता है।

जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता से कैसे निपटा जाये, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष है तथा इस पर किसी अन्य अवसर पर भी चर्चा की जा सकती है।

सदस्यों ने युवाओं के चरित्र-निर्माण के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। उनका चिन्ता करना पूरी तरह ठीक है। जब मैं जाता हूं तथा उन्हें चरित्र-निर्माण के सम्बन्ध में शिक्षा देता हूं तब वे कहते हैं कि आप हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं क्या आप वही करते हैं जो हमें सिखाते हैं। अतः इस सम्बन्ध में राजनीतिज्ञों को पहले अपने आपको सिखाना है क्योंकि हम समाज के नेता समझे जाते हैं इसलिए, जब तक नेता अपने आपको नहीं सुधारते तब तक उनके उपदेशों का युवा पीढ़ी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। परन्तु वे उनका अनुसरण करेंगे क्योंकि वे पहले से ही निराश हैं।

अब मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता हूं। आज शिक्षा पर क्या व्यय किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही 14,000 करोड़ रु० आंकड़े दिये हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। इसके लिए आचार्य राममूर्ति समिति बनी है। विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए हैं। हम शीघ्र ही इसे पूरा कर सकते हैं, नीति बना सकते है तथा इसे व्यवहार रूप दे सकते है। इसके लिए जनादेश है। परन्तु हम यह विवेकपूर्ण समझते हैं कि शिक्षाविदों को समाज के विभिन्न वर्गों से परामर्श करना चाहिए जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के शिक्षक, संसद सदस्य, अभिभावक तथा अन्य व्यक्ति तथा जो कोई भी उनसे मिलना चाहता है वे सब शामिल हैं। समय सीमा बढ़ाई नहीं जा रही है। यह छः

[श्री चिमनभाई मेहता]

महीने है। इसका तात्पर्य यह है कि छः नवम्बर को रिपोर्ट आने वाली है। केवल तीन महीने ही बाकी हैं। तब जो भी रिपोर्ट आती है उस पर शीघ्र विचार किया जाएगा तथा नीति का मूल्यांकन करने में सदन को भी विश्वास में लिया जाएगा। सदस्यों ने वर्तमान शिक्षा की आलोचना की है तथा इसे त्यागने को कहा है। किसी ने कहा है कि यह एक ब्रिटिश विरासत है अथवा यह जो भी है तथा हम इसे समाप्त कर देंगे।

राष्ट्रीय युवा नीति के बारे में उस दिन राज्य सभा में प्रधानमन्त्री जी ने कहा था कि काम को मौलिक अधिकार का रूप दिया जाये। उस पर यहां चर्चा भी की जा चुकी है। हम मुद्दे को समाप्त नहीं कर रहे हैं। किसी ने यह सोचा था कि संभवतः चुनाव के लिए इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह नारा दिया गया था।

मैं ऐसा नहीं समझता। यहां तक कि यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो इस प्रकार की अत्यावश्यकता पैदा क्यों हुई ? राजनीतिक दलों के लिए इस प्रकार का नारा देने की राष्ट्रीय अत्यावश्यकता है, जोकि इससे पहले उन्होंने कभी महसूस नहीं की और काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाने की अब प्रक्रिया जारी है और जल्दी ही एक विधान लाया जा सकता है। क्योंकि इस विधेयक के सम्बन्ध में जैसाकि आप जानते हैं कि हमारी सरकार सर्वसम्मति पर विचार कर रही है, हम विभिन्न दलों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। सभी दलों की यही नीति है क्योंकि उन्होंने इसका समर्थन किया है। अतः हम यह महसूस करते हैं कि यह हमारा कर्त्तव्य है कि इस विधेयक को सभा में लाने से पहले हम उस पर विचार-विमर्श करें। मुद्दा केवल यही है और इस उपाय पर विचारों में कोई मतभेद नहीं हैं।

मैं शिक्षा नीति के बारे में पहले ही कह चुका हूं। हम 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। मेरे विचार में उस स्तर तक अधिकतर विद्यालय राज्य सरकार का विषय है। केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आते हैं और दिल्ली प्रशासन को हम अधिकतर धनराशि दे रहे हैं। वहां इस स्तर तक शिक्षा मुफ्त है। उनके बाद भी शिक्षा को मुफ्त करना आपका किस स्तर से इसे मुफ्त बनाया जाना चाहिए, इस पर हमें विचार करना होगा।

मैं आपसे एक मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करता हूं, कि इंजीनियरिंग कालेज में एक विद्यार्थी पर हम आवर्ती अनावर्ती खर्च को मिलाकर 25 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसके लिए केवल 800 रुपया फीस ले रही है। स्नातक की डिग्री के बाद एक इंजीनियर नौकरी मिलने पर शुरू में लगभग 3000 रुपए प्रति मास कमाता है अथवा हो सकता है कि दो वर्षों के बाद कभी-कभी उनकी संख्या मांग से अधिक हो जाती है अथवा कभी-कभी इंजीनियरिंग की किसी शाखा विशेष में कभी भी हो जाती है। कम्प्यूटर और इलैक्ट्रोनिक्स में काफी मांग है। क्या आप उस मामले में भी निःशुल्क शिक्षा चाहते हैं ?

मैं आपको याद दिलाता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में 30 प्रतिशत विद्यालयों के पक्के भवन तक नहीं हैं अथवा यहां तक कि भवन ही नहीं है, 28 प्रतिशत विद्यालयों में केवल एक ही अध्यापक है। केवल एक ही अध्यापक दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं कक्षाओं को पढ़ा रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके लिए धन की व्यवस्था की जाए अथवा सामान्य शिक्षा के लिए जहां से स्नातक पास करके बाहर आते हैं। स्नातक विद्यार्थी को कुछ वर्षों के बाद, रिश्वत देने के

बाद—रिश्वत के बिना भी क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। यहां तक कि अध्यापक की नौकरी के लिए माध्यमिक विद्यालयों में 50 हजार रुपए और प्राथमिक विद्यालयों में 25 हजार रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। यह धनराशि समय-समय पर बदलती रहती है। जब मैं 25 हजार रुपए का उल्लेख करता हूं, वे कहते हैं 'आप पुरानी बात कह रहे हैं। अब नई दरें चल रही हैं।' अतः हमें अधिक धनराशि कहां लगानी चाहिए? मैं चाहता हूं कि शिक्षा को पूरी तरह मुफ्त किया जाए जैसाकि समाजवादी देशों में किया जा रहा है। यह एक आदर्श विचार होगा और 'प्रेक्टिस' भी। ऐसी नहीं कि यह व्यवहार्य नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में, क्या किया जाए? मेरे विचार में एक छात्र पर प्रति वर्ष एक लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन वह कितनी फीस देता है मोटे तौर पर वह 400 रुपए प्रति वर्ष अथवा इतनी ही कुछ राशि देता है।

श्री के० एस० राव : क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्र पर भी एक लाख रुपए खर्च होते हैं?

श्री चिमनभाई मेहता : नहीं यह राशि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों के संबंध में है। उनमें से अधिकतर शिक्षा के बाद विदेशों में जाते हैं क्योंकि वहां उनकी बहुत मांग है। वे बेहतर नौकरियों के लिए बाहर देखते हैं।

क्या मैं उनमें कुछ प्रतिपूर्ति के लिए कह सकता हूं, जिससे कि मैं और अधिक भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खोल सकूं और उन लड़कों को यहां रोके रखा जा सके? क्या मैं इंजीनियरों से कुछ कह सकता हूं कि जब वे आर्थिक दृष्टि से सामान्य हो जाएं तो वे कुछ धनराशि की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। ताकि मैं शिक्षा को आधुनिक बना सकूं और मैं और अधिक इंजीनियरिंग कालेज खोल सकूं? मैं उस धनराशि को प्राथमिक शिक्षा में लगा सकता हूं, जहां इसकी आवश्यकता है। उस पहलू पर विचार करने के लिए मैं इसे सभा के निर्णय पर छोड़ता हूं। हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे और जो आप सुझाव देंगे हम उसका पालन करेंगे।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिए हैं। और मैं काम के अधिकार के प्रश्न पर पहले ही चर्चा कर चुका हूं।

अब हम व्यावसायिक शिक्षा को लेते हैं मैं इंजीनियरिंग अथवा तकनीकी कालेज अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की नहीं बल्कि 10वीं और 12वीं स्तर की बात कर रहा हूं। वर्ष 1986 में निर्मित शिक्षा नीति में यह निर्णय किया गया था कि वर्ष 1990 तक 10 प्रतिशत और वर्ष 1995 तक 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षण के लिए नामांकित किया जा रहा है। लेकिन, आज हम मुश्किल से 6 प्रतिशत में आंकड़े तक पहुंचे हैं। दो वर्ष पहले—मैं मोटे तौर पर अनुमान दे रहा हूं—केन्द्रीय बजट में से व्यावसायिक शिक्षा पर लगभग 4 प्रतिशत खर्च किया जाता था। अब हम 6 प्रतिशत सीमा तक पहुंचे हैं। लेकिन हम 25 प्रतिशत सीमा तक पहुंचना चाहते थे। इस समय हम केन्द्रीय बजट से 84 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तब आपको 2500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये ऐसे विषय हैं और हमें उनका सामना करना होगा। मैं केवल ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि इन सीमाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि 10वीं से 12वीं कक्षा तक के 25 प्रतिशत लड़के व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उन्हें उस व्यवसाय से सम्बन्धित नौकरी मिलती है। उन्होंने यह शुरू कर दिया है। सामान्य सीमा नियम में हमने उनके साथ समझौता किया है कि हमने 10 वीं से 12वीं तक आपको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। आप डिग्री की मांग क्यों करते हैं?

[श्री चिमनभाई मेहता]

अब वे किसी नौकरी का विशेष विवरण देते हैं, हम विद्यार्थियों को 10वीं से 12वीं कक्षा के दौरान उसी प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। ऐसे 215 लड़कों का पहला बैच पहले ही विद्यालयों से बाहर जा चुका है। अब वे प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। समझौते के अनुसार उन्हें सामान्य बीमा निगम में अवश्य ही रोजगार मिलना चाहिए।

यह केवल एक शुरुआत थी। अब हमने स्वास्थ्य विभाग, रेलवे विभाग, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य मन्त्रालयों की लिखा है। अतः हम उनके साथ पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। हम इसे व्यापक रूप में शुरू करना चाहते हैं। यह केवल सरकारी विभागों द्वारा ही नहीं किया जाना चाहिए। हम व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को बताना चाहते हैं कि स्व-रोजगार के लिए उन्हें औद्योगिक इकाइयों और कृषि इकाइयों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में एक बहुत बड़ी मार्किट बनाने के लिए प्रमुख एजेंसियां बनने दीजिए। हम वेतन भोगी लोग नहीं चाहते। मुदालियर आयोग ने स्वावलंबी लोगों के रूप में आय अर्जित करने वालों के बारे में सुझाव अवश्य दिया होगा। यदि समाज द्वारा बहुआयामी अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो एक बहुआयामी व्यक्तित्व पैदा किया जा सकता है। अतः कृषि क्षेत्र में करोड़ों युवकों को खपाना होगा।

भारत की समुद्र तट रेखा काफी बड़ी है। वहां समुद्र इंजीनियरिंग, समुद्र-तट कारोबार, व्यापार की बड़ी गुंजाइश है और अपने-अपने क्षेत्र के अनुसार वहां के व्यावसायिक संस्थानों को उपयुक्त व्यवसाय और रोजगार ढूंढने चाहिए। हम उन्हें अधिक स्वायतता देने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें वे अपने पाठ्यक्रम शुरू कर सकें और लड़कों को विद्यालयों से जाने के तत्काल बाद रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके उपयुक्त पाठ्यक्रम शुरू कर सके।

अब राष्ट्रीय सेवा योजना और अन्य विभागों के बारे में कुछ कहूंगा। हम इनसे सहमत हैं। शुरू में इसमें 40,000 नाम दर्ज किए गए थे। आज यह संख्या एक लाख तक पहुंच गयी है। कुल मिलाकर, इसमें प्रगति हो रही है। लेकिन हम कुछ और अधिक करना चाहते हैं। यहां एक सुझाव यह है कि उनके लिए आवश्यक भोजन होना चाहिए। हमें इस पर गहराई से विचार करना होगा। इसे किस प्रकार आवश्यक बनाया जाए। क्या अंक अथवा पदोन्नति जैसे अन्य प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं? इस मुद्दे पर बहुत ही व्यापक सर्वसम्मति होनी चाहिए। अथवा कोई यहां सहमत हो सकता है और सरकार इस आशय की घोषणा कर दे परन्तु कुछ लोग इसका विरोध करें।

इसके अलावा यहां नौकरियों में युवकों के लिए और अधिक आरक्षण का प्रश्न है। नवीनतम कार्यक्रम के अनुसार अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण 49.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है। विकलांगों के लिए आरक्षण की बात चल रही है। नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का भी सुझाव है। कुछ राज्यों में कुछ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी है। अतः इसकी ओर भी ध्यान देना होगा। महिलाओं और विकलांगों के लिए आरक्षण किया भी गया है। कुछ राज्यों में यह 64% है और कुछ राज्यों में यह 68% है। मेरे विचार में हमें उन्हें पर्याप्त आरक्षण प्रदान करना होगा, हम और अधिक लोगों को इसके अधीन ला रहे हैं ताकि वे व्यावसायिक और अन्य तरह की नौकरी प्राप्त कर सकें।

विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थी संगठन बनाने के बारे में, वे शिक्षण संस्थाओं के लोकतन्त्रीकरण में विश्वास रखते हैं। हम इस बात में भी विश्वास करते हैं कि विद्यार्थियों और शिक्षकों

को भी प्रबन्ध में भाग लेना चाहिए। शिक्षा को अधिक प्रभावशील बनाने हेतु माता-पिता को भी भाग लेना चाहिए। इसलिए कोई मतभेद नहीं है और हम इस पर सहमत हो गये हैं। परन्तु एकमात्र कठिनाई यह है कि कुछ विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा और कुछ वीभत्स घटनाओं का जिक्र किया गया है। हमने उपकुलपतियों और सम्बन्धित अधिकारियों से कहा है कि वे चुनावों को अधिक समय तक टालने के लिये इसे बहाना न बनायें क्योंकि ऐसी घटनायें कभी-कभी नहीं होती है। परन्तु जहां तक चुनावों का संबंध है, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अपनी स्वायत्तता है। हम हस्तक्षेप नहीं करते परन्तु हम उन्हें मार्ग निर्देश देते हैं।

जहां तक राष्ट्रीय नीति का सम्बन्ध है, इसकी घोषणा शीघ्र ही होने वाली है। इस पर अब उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है और अब अन्तिम चरण में है। इससे पहले क्या किया गया है? राष्ट्रीय स्तर के दो युवा सम्मेलन अथवा सेमीनार, जिनमें लगभग सभी राजनैतिक दलों और गैर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बुलाया गया था और सभी बातें जिन पर विस्तार से चर्चा की गई है वे इस विधेयक में हैं। और केवल यही नहीं हमारे उप मंत्री 12 राज्य में गये हैं और राज्य स्तर के युवा सम्मेलन में भाग लिया है तथा लगभग प्रत्येक सप्ताह युवा प्रतिनिधि मंडलों नेता लोगों की समस्याओं पर चर्चा की है। इसलिये एक प्रजातान्त्रिक युवा नीति बनाई जा रही है और इसकी घोषणा शीघ्र की जाने वाली है। हम जानते हैं कि हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ग्रामीण युवकों का है। हम ग्रामीण युवकों के साथ हैं और हम उन्हें कृषि सम्बन्धी नौकरी देना चाहते हैं। इसके अलावा हम उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करना चाहते है। हम कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों का विकास करना चाहते हैं और हम सामूहिक-पालीटेक्निक केन्द्र खोल कर रहे हैं जो देखने लायक हैं। इन केन्द्रों के लिये अधिक पूंजी की जरूरत नहीं है। मैं एक केन्द्र में गया था। उनका कहना है कि केवल 5 लाख रुपये चाहियें। टी० वी० की मरम्मत, रेडियो की मरम्मत, रुंगाई का कार्य, फर्नीचर बनाना, बिजली के तारों की फिटिंग, पम्प की मरम्मत और गांवों में जिस भी चीज की जरूरत हो सिखाई जाती है।

ट्रैक्टर की मरम्मत, स्कूटर की मरम्मत के बारे में कुछ सिखाया जाता है। इस तरह की शिक्षा भी शुरू की जा रही है। हम चाहते है कि इसे व्यापक स्तर पर किया जाये। इसके लिये हजारों सामूहिक पालीटेक्निक केन्द्र खोलने होंगे और अधिक पैसे का निवेश करना होगा। हमें आवश्यक शिक्षा प्रदान करने हेतु बहु-कला दक्ष लोगों की भी आवश्यकता होगी। इस कार्य पर लगाये हुए व्यक्ति को बहु-कला दक्ष होना चाहिए। इसलिए ऐसा किया जा रहा है।

इसके बाद निरक्षरता को दूर करने की बात आती है हम इस पर भी विचार कर रहे हैं। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की और जो 10+2 उत्तीर्ण करते है, की यह अपनी इच्छा है कि अपनी छुट्टियों का प्रयोग वे निरक्षरता को दूर करने में करें। मैंने कुछ विद्यार्थी कैम्प देखें हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम इसे आवश्यक कर दें तो भी बुरा नहीं मानेंगे। केरल में एर्नाकुलम इसका एक जीता जागता उदाहरण है। वहां महाविद्यालय के लड़के और लड़कियां व्यवसायी अध्यापक तथा विभिन्न दलों के राजनैतिक कार्यकर्ता भी निरक्षरता को दूर करने के लिए पूर्णतया समर्पित हैं।

हम युवाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के लगभग 40 लाख विद्यार्थी हमारे पास हैं। मेरे पास अन्तिम आंकड़ा 38 लाख का है जो 1988 का है। फिर हमारे पास 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, उनको

[श्री चिमनभाई मेहता]

संख्या डेढ़ करोड़ से अधिक है यदि छुट्टियों के दौरान इस उद्देश्य हेतु लगा दिया जाए तो हम परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। और इसके लिए भारी वित्तीय लागत की भी आवश्यकता नहीं होगी। कुछ सेवन सामग्री देनी होगी और उसके लिए केन्द्रीय क्षेत्र में प्रावधान करने होंगे। निःसंदेह कार्यान्वयन स्थानीय स्तर पर होगा। योजना आयोग से यह निवेदन करना होगा कि कम-से-कम एक दशक के लिए चालू योजनाओं के लिए कुछ और प्रावधान करे।

फिर, युवा वर्ग परिवार नियोजन की शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बेशक इसके बारे में विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात तीन वर्ष का सैन्य प्रशिक्षण देने का सम्बन्ध है, यह एक बहुत ही महंगा प्रस्ताव है। प्रतिवर्ष 40 से 50 लाख स्नातक उत्तीर्ण होते हैं। तीन वर्षों के लिए सैन्य प्रशिक्षण हेतु भारी वित्तीय लागत की आवश्यकता होगी। परन्तु इसका विकल्प कैसे खोजा जाए प्रारम्भिक तौर पर क्या किया जा सकता है, इस बात का अध्ययन किया जा रहा है। यहां मित्रों द्वारा बार-बार यह मांग की जा रही है कि इसे एक कानून बना देना चाहिए और मैं इसका भी जवाब दे चुका हूं। पहला प्रमुख कदम हम उठा रहे हैं वह यह है कि हम शीघ्र ही राष्ट्रीय युवा नीति की घोषणा कर रहे हैं।

1988 में नवम्बर-दिसम्बर में एक प्रयास किया गया था और इसे संसद के समक्ष रखा गया था। परन्तु सभा के समक्ष रखना अलग बात है और इस पर गम्भीर तरीके से कार्य करना अलग बात है। फिर भी कुछ प्रयास किया गया था। चाहे यह अच्छा था, चाहे यह अनमनेपन से किया गया था मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह ठीक है, आपने कुछ किया है। अब हमें इसमें भारी परिवर्तन करना होगा, युवा लोगों को नए आदर्शवाद के साथ राष्ट्र का नेतृत्व कराने हेतु तथा कई क्षेत्रों में उन्हें नेतृत्व सौंपने हेतु एक नई दिशा देनी होगी।

युवा पुनरुत्थान आन्दोलन, नवजागरण आन्दोलन में यथा सम्भव धनराशि खर्च करनी होगी क्योंकि केवल यही वर्ग ही जातिवाद के विरुद्ध सशक्त तरीके से लड़ सकते हैं जो उन्हें उचित रास्ते पर लायेगा। हम बुजुर्गों में दम नहीं रहा। हमने इसका विरोध किया है परन्तु हमने वास्तविकता के साथ समझौता कर लिया। शायद मेरे मित्र मान्धाताजी को इस दोहरे व्यक्तित्व पर आपत्ति है परन्तु यह आदर्शवाद केवल उसी वर्ग में आया है।

मैं सभी बातों को बार-बार नहीं दोहराना चाहता, मैं कहता हूं कि युवा नीति की घोषणा का प्रथम चरण पूरा हो जाने दीजिए, तब हम दूसरे चरण पर जा सकते हैं। मेरे विचार में यह एक सुनिर्धारित कार्यक्रम होगा। ऐसी नहीं है कि इस विधेयक के विचारों को नकार दिया जाये।

एक यह बात कही गई थी कि अन्तर्राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू किया जाये। ऐसा लघु स्तर पर किया जा चुका है और व्यापक स्तर पर किया जा सकता है।

मैं अधिकांश बातों का जवाब पहले ही दे चुका हूं। अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबन्ध में युवाओं की भागीदारी में सम्बन्ध में सभी बातें ठीक हैं। इन सभी के लिए कुछ किया जा रहा है। युवाओं के खेल-कूद सुविधाओं के सम्बन्ध में, सातवीं योजना से आठवीं योजना तक इस पर तीन गुना व्यय किया जायेगा। इस बारे में कुछ और किया जाना चाहिए। अब हम विद्यार्थी जीवन में

खेल-कूद क्षमता का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका चुनाव बाल्य अवस्था में ही करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्हें अच्छा स्थान मिल सके और वे बेहतर परिणाम ला सकें।

युवाओं में स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता। विद्यालयों में पौष्टिक भोजन के प्रावधान के सम्बन्ध में, कुछ राज्य पैरेट अन्न खाना दे रहे हैं तथा अन्य राज्यों में सामान्य तरीके से खाना दिया जा रहा है। विधेयक में उठाये गये अधिकांश मुद्दे यानि युवाओं के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल, युवाओं को व्यापार में प्रशिक्षण व्यावसायीकरण, विद्यार्थियों के सही प्रशिक्षण इत्यादि पर पहले ही खर्च की जा चुकी है। मेरे विचार में राष्ट्रीय युवा नीति में युवाओं के लिए शीर्ष संस्था की व्यवस्था की जाएगी। कोई शीर्ष संस्था युवा कार्यक्रमों का पथ-प्रदर्शन करेगी।

मेरे विचार में जहां तक हो सका मैंने लगभग सभी मुद्दों पर प्रकाश डाल दिया है। मैं नहीं जानता कि मैं सदस्यों को संतुष्ट कर पाया हूं अथवा नहीं। मैंने यथा सम्भव जवाब दिया है। अन्त में मैं कहूंगा कि विधेयक के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत ही सकारात्मक है। राष्ट्रीय युवा नीति शीघ्र घोषित की जाएगी। हम व्यावसायीकरण, रोजगार पैदा करने तथा काम के अधिकार की ओर बहुत प्रभारी तरीके से बढ़ रहे हैं। मैं अन्य बातों पर पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुका हूं और उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझे शान्तिपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।

श्री के० एस० राव : ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अर्हता प्राप्त नहीं हैं परन्तु जो बहुत कुशल हैं और जो यह ज्ञान अशिक्षित युवकों को दे सकते हैं। जो कुछ चाहिए वह आधारभूत ढांचा है। क्या आप उन्हें सहायता देने के बारे में विचार करेंगे? आपने कहा कि इसके लिए अधिक बजट संसाधनों की जरूरत नहीं है, इसके लिए उस व्यय का केवल 10% चाहिए जो आप उन्हीं युवाओं को सरकार द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक है। क्या आप इन लोगों को सरकारी संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं या युवा क्लबों के माध्यम से आधारभूत ढांचा प्रदान करने की बात ध्यान में रखेंगे?

श्री आम्बाता सिंह : महोदय, एक स्पष्टीकरण।

माननीय मंत्री ने आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति का जिक्र किया है। हमें समिति के सदस्यों के नामों का भी पता नहीं है। केवल 3 महीने रह रहे हैं। यह माना जाता है कि उन्हें शिक्षक संगठनों और संसद सदस्यों से निपटना पड़ता है। यदि मंत्री महोदय आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति के सदस्यों की सूची दे दें तो हम उन्हें लिखित रूप में अपने सुझाव भेज सकते हैं।

श्री चिमनभाई मेहता : आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा यहां 7 मई को की गई थी और पूरी सूची सभा पटल पर रखी गयी थी। इस सदन में और दूसरे सदन में मैंने सभी 17 नाम पढ़े थे। परन्तु हम निश्चित रूप से संसद सदस्यों को पुन: सूची उपलब्ध करायेंगे। वे शिक्षक संगठनों और विभिन्न संगठनों की बैठक बुलाने जा रहे हैं। उनके पास उनके पते हैं। वे अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में मिलेंगे। वे आपको भी बुलायेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको नाम उपलब्ध करायेंगे।

अब मैं अशिक्षित कुशल व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा जो अन्य लोगों को अपनी कुशलता सिखाने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से हम इस प्रकार के संस्थानों को खोलने की कोशिश करेंगे।

[श्री चिमन भाई मेहता]

औरंगाबाद में इस तरह के कुछ संस्थान हैं—जहां उनका कहना है कि वे थोड़े से खर्च में कतिपय कुशलता के साथ-साथ सामान्य शिक्षा भी देते हैं ताकि वे अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें।

इसलिए, अन्तत: इस स्पष्टीकरण के बाद श्री हन्नान मोल्लाह से मेरा एकमात्र आग्रह यही होगा। उन्होंने यह विधेयक लाकर, युवकों के प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट कराके बहुत बड़ी सेवा की है। हम इस पर पुन: विचार करेंगे और एक सन्तोषजनक युवा नीति घोषित करेंगे। मैं उन्हें बधाई देता हूं।

सभापति महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि कि विधेयक को दिया गया समय पहले ही पूरा हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूं कि सभी इस बात से सहमत होंगे कि विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को अपने उत्तर के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। श्री हन्नान मोल्लाह, आपको कितना समय चाहिए ?

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : अधिक नहीं।

सभापति महोदया, सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जो यहां बोले और इस प्रस्ताव के आधार भूत विचारों का समर्थन किया, जिसे मैं सभा में विधेयक के रूप में लाया था ?

मैं पिछले 20-25 वर्षों से युवा छात्र आंदोलन के इन विचारों के लिए संसद से बाहर साथ ही साथ संसद के भीतर कार्य कर रहा हूं और प्रचार कर रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह संसद में आया है। हम समझते हैं कि हमें इस प्रकार की व्यापक युवा नीति युवकों के सभी मुद्दों को कवर करने के लिए बनाने हेतु दबाव डालना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो केवल तभी हम भविष्य में अच्छे नागरिकों का विकास कर सकते हैं।

मुद्दा यह है कि पिछले पांच वर्षों में जो भी सुझाव दिये गये उन्हें वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। साथ ही मुझे इस बात का भी कोई भ्रम नहीं है कि जो कुछ हम चाहते हैं उसे पूरा किया जा सकेगा। खैर वहां कुछ शुरूआत की जानी चाहिए। और कम से कम इतनी आशा तो हम कर ही सकते हैं। यह विधेयक पिछले सत्र में मैं एक बार फिर लाया था। चार वर्षों तक यह ऐसे ही पड़ा रहा और अन्तत: बेकार चला गया। अत: मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह विधेयक लाया हूं। इस संसद की स्थापना के बाद से कभी भी इस प्रकार का युवा-छात्र नीति पर सभा में विस्तार से चर्चा नहीं हुई है। केवल 1988 में हमारे देश के भावी नागरिकों के समग्र विकास के लिए एक नीति काफी जोर-शोर से बगैर किसी ठोस कार्यक्रम के घोषित की गई थी।

खैर माननीय मंत्री ने अकतिपय मुद्दों पर प्रत्युत्तर दिया है जिनकी वजह से मैं विधेयक लाया हूं। मैं इस सरकार का भी आभारी हूं कि कम से कम उन्होंने इसमें अपना विमाग लगाया और यह जानने की कोशिश की कि हम एक व्यापक नीति कैसे बना सकते हैं। पहले उन्होंने युवा संगठनों को आमंत्रित किया हमारा काफी लम्बा विचार विमर्श हुआ। यहां तक कि प्रधान मंत्री वहां उपस्थित थे। हमने काफी सुझाव एकत्र किए और उसके आधार पर सरकार ने एक और सुझाव पत्र तैयार किया था और उसे उपयुक्त श्रोताओं के सम्मुख रखा जिसमें सभी राष्ट्रीय स्तर के युवा संगठन, छात्र संगठन और स्वयंसेवी संगठनों ने भी भाग लिया। वे भी विचार-विमर्श के दौरान वहां थे। सभी

रखे गये सुझावों को सरकार के समक्ष रखा गया। हम समझते हैं कि सरकार इन सभी सुझावों को सही परिप्रेक्ष्य में लेगी और किसी सारहीन आधार पर उदाहरण के लिए धनराशि या किसी और बात पर इन सभी सुझावों को जो हमने एकत्र किये हैं उन्हें बेकार नहीं जाने देगी। ये आवश्यक हैं। अब हमें कम से कम ईमानदारी से एक शुरुआत करनी चाहिए। सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह इस माह के मध्य में वर्तमान सत्र में एक सम्पूर्ण नीति की घोषणा करने जा रही है। मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि पूरी नीति सभा में रखी जाए। इस पर ठीक ढंग से चर्चा हो और हम एक मत से एक निष्कर्ष पर पहुंचे ताकि हम एक व्यापक युवा नीति बना सकें। जहां तक हो सके हमारी इसमें सर्वसम्मति होनी चाहिए। कोई भी देश-भक्त नागरिक युवाओं और भावी नागरिकों के विकास की आवश्यकता के लिए दो विकल्प नहीं सोच सकता है। अच्छी बातों के लिए स्वाभाविक रूप से सभी सही सोचने वाले एकमत होने चाहिए। अतः हम आशा करते हैं कि यह नीति उचित ढंग से बनाई जायेगी। फिर भी मैं इस बात पर जोर देता हूं कि केवल नीति की घोषणा करने से ही प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि नीति की घोषणायें केवल इच्छा की अभिव्यक्ति ही करेंगी लेकिन यह कार्यान्वित कैसे होंगी।

मैं जानता हूं कि जो विधेयक उन्होंने तैयार किया है वह व्यापक नहीं है। उसमें कई नई चीजें जोड़ी जानी है। उपाध्यक्ष महोदय ने स्वयं मुझे लिखा था कि विधेयक में उल्लिखित बातों में से कुछ को नीति में शामिल किया जा सकता है। प्रत्येक चीज विधेयक के रूप में नहीं लायी जा सकती है। कुछ विधेयक के रूप में और कुछ अन्य नीति के रूप में होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रत्येक चीज कानून के रूप में नहीं लायी जा सकती है निःसंदेह नीति वाला भाग वहां होना चाहिए। कार्यान्वित भाग में काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है। कतिपय अन्य मसले जो यहां लाये गये हैं उनका वैधानिक स्तर होना चाहिए और वैधानिक प्राधिकार होना चाहिए ताकि उन्हें कार्यान्वित किया जा सके।

इस मसले से निपटने वाले कई मंत्रालय हैं। युवा मामलों संबंधी विभाग को कुछ भी कार्यान्वित नहीं करना है। वे केवल कतिपय आदेश और निर्देश कार्यान्वित करते हैं। इसलिए युवा मामले संबंधी विभाग के लिए कार्यान्वयन हेतु एक उपयुक्त अधिनियम होना चाहिए। इस युवा अधिनियम को ठीक ढंग से बनाया जाना चाहिए और इसमें खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल होनी चाहिए। इसकी कुछ कानूनी बाध्यताएं और कानूनी प्रतिकार होने चाहिए। ऐसा विधेयक लाया जाना चाहिए।

सरकार सर्वप्रथम इस संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करने पर सहमत हुई थी। सदस्यों के साथ परामर्श के बाद संसद के समक्ष कतिपय उपबंध विधेयक के रूप में लाये जायेंगे और अधिकांश उपबंध नीति के रूप में लाये जायेंगे। सभी चीजें विधेयक में शामिल नहीं की जायेंगी। ये दो भागों में होगी। उसके बाद ही केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों को मानव संसाधनों के विकास के लिए व्यापक मार्गदर्शन मिल पायेगा। ये वास्तविक संसाधन। अन्य संसाधन विधेयक हैं। यदि मानव संसाधनों का उचित ढंग से विकसित किया जाये और विधेयक संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग किया जाये तो हम एक संगठित और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर पायेंगे। हम अपनी एकता, अखंडता और स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मेरे इन सुझावों का ध्यान रखेंगे और जितनी जल्दी हो सके एक विधेयक लायेंगे जिसमें ये सभी उपबंध हों।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री युवराज ने विधेयक पर विचार किये जाने के प्रस्ताव पर दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मैंने पाया है कि वह सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं अब दोनों को एक साथ सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : श्री हम्नान मोल्लाह, मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए क्या आप इस पर जोर देंगे या आप अपना विधेयक वापस लेना चाहेंगे ?

श्री हम्नान मोल्लाह : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये इस आश्वासन को देखते हुये कि वे मेरे सुझावों को दो चरणों में स्वीकार करने जा रहे हैं अर्थात वे इस संबंध में एक नई नीति की घोषणा करने जा रहे हैं और इस प्रारूप विधेयक के सभी महत्वपूर्ण उपबंधों सहित एक व्यापक विधेयक सभा में बहुत जल्दी लाया जायेगा मैं अपना विधेयक वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या अपना विधेयक वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : श्री यादवेन्द्र दत्त, आपको विधेयक पर विचार करने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत करना है।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : क्या मैं अपने मार्गदर्शन के लिए एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? अब छः बजने में 10 मिनट बाकी हैं। यह सभा शायद 6 बजे स्थगित हो जाएगी। अतः यदि मैं अपना विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं, तब आप मुझे इस पर बोलने के लिए कहेंगे। यह एक ऐसा व्यापक मामला है कि मेरे लिए इसे 10 मिनट के अन्दर पूरा करना संभव नहीं होगा। अतः आप कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं।

सभापति महोदय : आप पहले विधेयक पर विचार करने के लिए अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत कीजिए।

5.49 म०.प०

अनाज बोर्ड विधेयक

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्यान्न रूपी सभी कृषि वस्तुओं की प्रतिवर्ष न्यूनतम कीमतें नियत करने के लिए एक स्वायत्त बोर्ड की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मुझे प्रसन्नता हुई है कि माननीय मंत्री ने अभी-अभी कृषि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या कृषि किफायती है ?

वास्तव में हुआ यह है कि कुल मिलाकर कृषि कठिनाई से निर्वाह का मामला बन गया है। कुछ बड़े किसानों को छोड़कर, जिनके पास बेचने के लिये अतिरिक्त खाद्यान्न हैं, शेष किसानों के लिए यह कठिनाई में निर्वाह का मामला बन गया है। अब, इस स्थिति को कैसे ठीक किया जाए? हर वर्ष, आप देश में अजीब और असामान्य घटनाक्रम देखते हैं, कि फसल कटने की अवधि के ठीक उसी समय खाद्यान्नों के मूल्य कम हो जाते हैं और किसानों को व्यापारियों की दया पर छोड़ दिया जाता है और जैसे ही कमी की अवधि शुरू होती है उपभोक्ता को वही खाद्यान्न बहुत ही ऊंचे मूल्य पर खरीदने पड़ते हैं और उन्हें व्यापारियों की दया पर छोड़ दिया जाता है। यह घटनाक्रम वर्ष-प्रतिवर्ष दोहराया जा रहा है। यह कहा गया है कि एक मूल्य निर्धारण बोर्ड है। सरकार बेच और खरीद रही है। और महोदया, क्या आप सोचती हैं, कि कोई उत्पादक एक ऐसा मूल्य निर्धारण करेगा जोकि उसके लिये उपयुक्त नहीं हो? विश्व में केवल यही ऐसा औद्योगिक मामला है जहां उत्पादक को अपने मूल्य निर्धारण की अनुमति नहीं दी जाती है। कोई उसके ऊपर उसके उत्पाद का मूल्य थोपता है।

यदि मैं एक पैन का निर्माण करता हूं तो मैं ही उसका बिक्री मूल्य निर्धारित करता हूं। यदि मैं जूते का निर्माण करता हूं तो मैं ही उसका बिक्री मूल्य निर्धारित करता हूं। लेकिन यदि मैं भूमि पर खेती करता हूं और अन्नदाता, निर्धन अन्नदाता बन जाता हूं तो किसी खरीददार, जो कि स्वयं सरकार है, द्वारा चुप करा दिया जाता है। इसका उपचार करना होगा। प्रश्न यह है कि इसका उपचार कैसे किया जाए? इसके उपचार करने का केवल एक ही तरीका है। अर्थात, खाद्यान्नों के मूल्यों के लिए एक बोर्ड होना चाहिये, एक स्थायी बोर्ड जिस पर सरकार का बिल्कुल भी नियंत्रण न हो। सरकार इसमें अपना प्रतिनिधि रख सकती है। लेकिन सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वह बोर्ड स्वायत होना चाहिए।

इसमें छोटे-बड़े, मध्यम और सीमान्तिक खरीददार होने चाहिए। इसमें अर्थशास्त्री विशेषकर कृषि शास्त्री होने चाहिए।

मैं आपको इस देश में एक महान कृषि शास्त्री के संबंध में अपने अनुभव के बारे में बताता हूं क्योंकि लोग योजना के बारे में बहुत कुछ बातें करते रहे हैं। उस भद्र पुरुष ने 1978 में एक दस्तावेज तैयार किया था शायद जब मेरे मित्र श्री कुमारमंगलम यहां पर नहीं थे। उस कृषि शास्त्री ने लिखा था कि एक एकड़ भूमि में यदि एक किसान उसमें तम्बाकू बोता है तो उसे 20,000 रुपये का लाभ होता है। जब मैंने उसे पढ़ा, क्योंकि वह महान कृषि शास्त्री मेरा एक अच्छा मित्र था, मैं उसके पास गया और कहा, "मेरे मित्र, मैं अपने हाऊस में आपको एक एकड़ भूमि दूंगा, मेरी बात मानो, आप जितना इस तम्बाकू पर धन लगा सकते उसमें लगाए, आप मुझे लाभ के रूप में 18,000 रुपये दीजिये मैं वह भूमि का टुकड़ा आपको बेच दूंगा। लेकिन यह भूमि रबड़ का धन्धा नहीं है। इसमें मिलने वाली आय से कमी हो जाती है। इसमें आप कितना उत्पादन कर पाओगे? मैंने उससे पूछा। आदानों की, उर्वरकों की, ट्रेक्टरों की ऊंची लागत तथा मजदूरी आधिक होने की वजह से इसमें कितना उत्पादन होगा? भगवान के लिए, हमें इस प्रकार के सपने देखने वाले अर्थशास्त्रियों से दूर रहना चाहिये। मैं इस बोर्ड में वास्तविक कृषि-शास्त्री चाहता हूं।

यहां अन्य प्रश्न है। यदि मेरे मित्र देश में इधर-उधर विशेषकर मंडी की तरफ यात्रा करें तो हम रेलवे स्टेशनों पर क्या देखते है? सरकार ने जो खाद्यान्न किसान से समर्थन मूल्य पर खरीदे हैं, इस बात का ध्यान रखना वह समर्थन मूल्य है, निश्चित मूल्य नहीं है, वह खाद्यान्न खुले में, बिना

ढके पड़े हुए हैं। शायद एक फटी प्लास्टिक शीट उन पर डाली हुई है। उसके आस-पास जो चूहे हैं वह उन खाद्यान्नों को आराम से खा सकते हैं। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है। यहां तक कि मानव रूपी चूहों के लिये, चाहे वे किसी भी रंग के क्यों न हों। लाखों टन खाद्यान्न नष्ट किया जा रहा है। इसी वजह से मैंने यह कहा कि यह बोर्ड इससे संबंधित मामलों को निपटाएगा और इससे संबंधित बड़ा मामला खाद्यान्न के भण्डारण का है। इसका भण्डारण किस प्रकार किया जाये। यहां, आप क्या कहेंगे, आधुनिक भण्डारण धानियों की बहुत चर्चा है। क्या उन धानियों की जो संख्या है वह पर्याप्त हैं? मैं संसद से सुनता रहा हूं। बहुत से प्रश्न किये गए हैं। ओह, हम इतनी धानियां बना रहे हैं और उतनी धानियां बना रहे हैं। इनकी संख्या बहुत नगण्य है। आप अपना पुराना तरीका, खाती प्रणाली, को क्यों भूल जाते हैं, जोकि पानी को रोकने के लिए उतनी ही आधुनिक है जितनी कि ये धानियां हैं। बहुत ही कम लागत में गांवों में खाती प्रणाली शुरू की जा सकती है।

हमें सबसे पहले उसे अपनाना चाहिए जिसके बारे में लोग जानते हैं कि उसे किस प्रकार बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। हम बिना कोई कदम उठाए हवा में उड़ना चाहते हैं, उससे पूरी तरह से विनाश होगा। यह बोर्ड धानियों की रचना और उसके निर्माण के कार्य को भी देखेगा। अपने मित्रों की सूचना के लिए, मैं उनको बताता हूं कि पुराने दिनों में, जबकि मैं 45 वर्षों का था, गांवों में धानियां बनाई जाती थीं; एक गहरी गुफा खोदी जाती थी, उसको जलाया जाता था और उसमें खाद्यान्नों को रखा जाता था और उन्हें इस प्रकार सील कर दिया जाता था कि उनके अन्दर पानी न जाए।

महोदया, यह सच है कि इस खाती में अनाजों को दो वर्षों के लिए रखा जा सकता है। लेकिन इसके बाद आपको अपने अनाज को चूहों और हर प्रकार के कीड़ों से बचाने के लिए दवाई नहीं छिड़कनी पड़ेगी। हमने देखा कि बस्ती में क्या हुआ। दवाई मिश्रित गेहूं दिया गया और उससे लोगों की मृत्यु हुई। यह अनाज को बचाने का एक प्राकृतिक तरीका है। अतः भण्डारण के प्रयोजन के लिए, बचाव के प्रयोजन के लिए, इस बोर्ड को यह करने के लिए पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए।

इसके अलावा, अब आदानों के बारे में प्रश्न उठता है। सबसे पहले मुझे सिंचाई के प्रश्न को लेना है। मुझे नहीं मालूम कि दक्षिण में क्या हुआ है।

सभापति महोदय : आप अगली बार सिंचाई विषय से शुरू कर सकते हैं।

अब, हम उन विधेयकों के पुरःस्थापन को लेते हैं जोकि रह गए थे।

श्री कुमारमंगलम।

5.59 म० प०

वास्तुविद (संशोधन) विधेयक*

(धारा 25 में संशोधन)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 10-8-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम। मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

— — — —

6.00 म० प०

विवाहों पर व्यय में कमी करना विधेयक*

श्री प्रकाश कोको शहाभद्दट (बड़ौदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाहों पर व्यय में कमी करने और तत्संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विवाहों पर व्यय में कमी करने और तत्संबंधी विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश कोको शहाभद्दट : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

— — — —

6.01 म० प०

आय की अधिकतम सीमा विधेयक*

श्री प्रकाश कोको शहाभद्दट (बड़ौदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारियों और वृत्तिकों के परिवारों की आय की अधिकतम सीमा और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि कर्मचारियों और वृत्तिकों के परिवारों की आय की अधिकतम सीमा और उसमें संलग्न विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश कोको शहाभद्दट : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

— — — —

* दिनांक 10-8-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

6.02 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 124 आदि में संशोधन)

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

6.02½ म० प०

बाल कल्याण विधेयक*

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालकों के कल्याण के उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बालकों के कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा शुक्रवार, 16 अगस्त, 1990 के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 16 अगस्त, 1990/25 श्रावण, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

---

* दिनांक 10-8-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

मुद्रक : सन लाइट प्रिंटर्स, डा० सेन मार्ग, 2265

पी.एल.एस. 48/8/4/90 एन
210

© 1990 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।